शुक्रवार, 26 अप्रैल 1985

6 वैशाख, 1907 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 32, शुक्रवार, 26 अप्रैल, 1985/6 वैशाख, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	1-23
*तारांकित प्रश्न संख्या 608, 609, 613, 616 से 618	...	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	23-139
तारांकित प्रश्न संख्या : 610, 612, 614, 615, 619, से 628,	...	23-31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 446() से 4498, 4500 से 4509, 4511 से 4526, 4528 से 4531, 4533 से 4572, 4574 से 4579, 4581 से 4611, 4613 से 4616 और 4619 से 4628	...	31-139
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	139-141
विधेयकों पर अनुमति	...	141-142
नियम 377 के अधीन मामले	...	142-146
(एक) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तथा बलिया नगरों की गंगा कार्य योजना में सम्मिलित करने की माँग श्री जैनुल बशर	...	142
(दो) गुजरात में, डांग जिले को छोड़कर, मोचियों को अनुसूचित जातियों की सूची से निकालने की आवश्यकता श्री नरसिंह मकवाना	...	142-143
(तीन) वन्य पशुओं से फसलों की रक्षा करने तथा वन्य पशुओं का परिरक्षण करने की भी आवश्यकता डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी	...	143
(चार) गोरखपुर उर्वरक संयंत्र को लगातार पहले की तरह नियमित रूप से बिजली की सप्लाई देने की आवश्यकता श्री मदन पांडेय	...	143-144
(पांच) तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो रूम्स कर्मचारियों को समय पर वेतनमान देने की आवश्यकता डा० ए० कलानिधि	...	144

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(छः) बकिंघम एण्ड कर्नाटक मिल्स, मद्रास के प्रत्येक कामगार को भारतीय स्टेट बैंक से 2,000 रुपये का ऋण दिलाने की आवश्यकता		
श्री के० आर० नटराजन	...	144-145
(सात) दिल्ली में मलेरिया की रोकथाम के लिए कदम उठाने की आवश्यकता		
श्री ललित माकन	...	145
(आठ) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नई भर्ती पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की आवश्यकता		
श्री सत्यगोपाल मिश्र	...	145-146
(नौ) राजस्थान में सूखे की स्थिति तथा पीने के पानी की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए हैंड पम्प लगाने हेतु राज्य को विशेष सहायता देने की आवश्यकता		
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	...	146
(दस) कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर धर्मपुरा के दुकानदारों को, उनके लिए नई दुकानों का निर्माण होने तक, अपना कारोबार करते रहने की अनुमति देने की आवश्यकता		
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	...	146
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 (—जारी)	...	147-187
वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय		
श्री श्रीहरि राव	...	148-155
श्री श्याम लाल यादव	...	155-159
श्री आर० प्रभु	...	159-161
श्री ललित माकन	...	161-164
श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल	...	164-166
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	166-168
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	168-171
डा० के० जी० अदियोडी	...	171-173
श्री के० आर० नटराजन	...	173-174
श्री गिरधारी लाल डोगरा	...	175-178
श्री चन्द्र शेखर सिंह	...	178-184
श्री थम्पन थामस	...	184-187
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक और किस्त देने के बारे में वक्तव्य	...	187-188
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	...	187-188
विधेयक—पुर : स्थापित	...	188-191

विषय		पृष्ठ
(एक) बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) विधेयक, 1985		
(धारा 2 का संशोधन, आदि)		
श्री अजित कुमार साहा	...	188
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1985 (आठवीं अनुसूची में संशोधन)		
श्री हरीश रावत	...	188-198
(तीन) सेवाओं में पदों का और शिक्षण संस्थाओं में स्थानों का (आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए) आरक्षण विधेयक		
श्री हरीश रावत	...	189
(चार) समान पारिश्रमिक (संशोधन) विधेयक, (धारा 10 का संशोधन आदि)		
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	...	189
(पांच) विकलांग, नि:शक्त और मन्दबुद्धि व्यक्ति कल्याण विधेयक		
श्री बी० बी० देसाई	...	189-190
(छ:) संघ राज्यक्षेत्र (दीवारों पर अनधिकृत लेखन पर रोक) विधेयक		
श्री एन० वेंकटरत्नम	...	190
(सात) विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक (धारा 14 का संशोधन)		
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	190
(आठ) विधवा पेंशन विधेयक		
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	190
(नौ) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (प्रथम अनुसूची में संशोधन)		
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	191
(दस) आंध्र प्रदेश विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक		
श्री जी० भूपति	...	191
इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड (प्रबन्धग्रहण) विधेयक (जारी—वापस लिया गया)	...	191-207
विचार करने के लिए प्रस्ताव (जारी—वापस लिया गया)		
श्री मोहर सिंह राठौड़	...	191-193
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	193-195
श्री आर० अन्नानाम्बी	...	195-197

विषय		पृष्ठ
श्री डी० पी० यादव	...	197-199
श्री मूल चन्द डागा	...	199-200
श्री आरिफ मोहम्मद खां	...	200-204
श्री राम भगत पासवान	...	204-207
श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक (असमाप्त)	...	208-216
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	...	208-213
श्री शांताराम नायक	...	213-215
श्री हरीश रावत	...	215-216
श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात दिल्ली में सुनियोजित रूप से हिंसा किये जाने के आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग के गठन के बारे में वक्तव्य	...	216-217
श्री ए० के० सेन	...	216-217
श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक	...	217-220
विचार करने के लिए प्रस्ताव (जारी)		
श्री सत्यगोपाल मिश्र	...	217-219
श्री मनोज पांडे	...	219-220
आधे घंटे की चर्चा	...	220-237
स्व-नियोजन गारंटी योजना के अंतर्गत लाभान्वित शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	...	220-237
श्री जितेन्द्र प्रसाद	...	220-224
श्री जनार्दन पुजारी	...	224-227
श्री चिंतामणि जेना	...	227-228
श्री मूल चन्द डागा	...	228-231
श्री अजित कुमार साहा	...	231
श्री सत्यगोपाल मिश्र	...	231-232
श्री जनार्दन पुजारी	...	233-237

—o—

लोक सभा

शुक्रवार, 26 अप्रैल 1985/ 6 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खनिजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

[हिन्दी]

*608 श्री मूलचन्द डागा : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनिजों का पता लगाने के लिए भूविज्ञान सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और क्या सरकार को विभिन्न स्थानों में उपलब्ध खनिजों के प्रकार तथा उनकी मात्रा के बारे में पता चल गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा हुआ था तथा सरकार ने इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) यदि सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है तो यह कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से सहयोग मांगा है;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त की है ; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान पाए गए खनिजों का राज्य-वार ब्यौरा-क्या है ?

[अनुवाद]

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) खनिजों की खोज हेतु भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अन्य बातों के साथ-साथ लगातार चलने वाले कार्य हैं, जिसमें केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालय तथा सरकारी उपक्रम तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं खनिज गवेषण निगम लि० आदि तथा राज्य खनन व भूतत्व निदेशालय लगे हुए हैं।

2. इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, देश में निम्नलिखित मुख्य खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार पाए गए हैं कोयला, लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूनापत्थर, क्रोमाइट, डोलोमाइट, तांबा, सीसा जस्ता, बाक्साइट, फास्फोराइट आदि ।

3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जो कि देश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के लिए केन्द्र सरकार का मुख्य उत्तरदायी सगठन है, के वार्षिक कार्यक्रम को राज्य सरकारों के स्तर पर राज्य भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्डों तथा राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड, जिसमें खनिजों की खोज के लिए विभिन्न एजेन्सियों का प्रतिनिधित्व होता है, की सलाह से अन्तिम रूप दिया जाता है । इस प्रकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य राज्य सरकार के संगठनों द्वारा समन्वित रूप में खनिजों की खोज की जाती है ।

4. चूंकि खनिजों की खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की समग्र गतिविधियों का अंग है, जिसमें भूवैज्ञानिक मानचित्रण, विस्तृत मानचित्रण, भू-भौतकीय तथा भू-रासायनिक परीक्षण ड्रिलिंग आदि शामिल है, इसलिए खनिजों की खोज पर हुए व्यय का विशेषतौर पर अलग ब्यौरा नहीं रखा जाता ।

(घ) और (ड़) अनेक राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में खनिजों की खोज के लिए भारत सरकार का सहयोग लेती रही हैं । अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने यहां टंगस्टन और लिगनाइट की खोज में, मध्य प्रदेश सरकार ने फास्फोराइट की खोज में तथा जम्मू और कश्मीर सरकार ने सैफायर निक्षेपों की खोज में भारत सरकार की सहायता मांगी है । यह सहायता दी जा रही है ।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार खनिज निक्षेपों का अनुमानित ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टनों में)

खनिज का नाम	राज्यवार ब्यौरा	कुल
1	2	3
कोयला	आंध्र प्रदेश (74.73), बिहार (2144.75), मध्य प्रदेश (3,727.19), मेघालय (2.35), उड़ीसा (2,737.13) तथा पश्चिम बगाल (2.275.57)	10,561.62
लिग्नाइट	तमिलनाडु (592.05) राजस्थान (62-94)	654.99
लोह अयस्क (हेमाटाइट)	गोआ (10.61), कर्नाटक (6.00) मध्य प्रदेश (480.00 स्रोत)	1547
मैंगनीज अयस्क	उड़ीसा (1.34), कर्नाटक (1.43) तथा आंध्र प्रदेश (3.85)	6.62
निकल अयस्क	बिहार (7.26)	7.26 (0.35 से 0.7% एन॰ आई॰ युक्त)
क्रोमाइट	उड़ीसा (131 पुनः आकलित)	131 (पुनः आकलित)

1	2	3
चूनापत्थर	आंध्र प्रदेश (10.00), अरुणाचल प्रदेश (4.45), हिमाचल प्रदेश (68.00) तथा मध्य प्रदेश (970.00)	1052.45
डोलोमाइट	पश्चिम बंगाल (40.19) तथा अरुणाचल प्रदेश (210.00)	250.19
तांबा अयस्क	बिहार (0.49), महाराष्ट्र (1.00), उड़ीसा (0.70) तथा राजस्थान (6.96)	9.15 (0.70% से 1.47% सी० यू० युक्त)
	हरियाणा (15.00 स्रोत)	15.00 (स्रोत) (0.35% सी० यू)
सीसा-जस्ता अयस्क	महाराष्ट्र (1.70) राजस्थान (115.00) तथा पश्चिम बंगाल (0.46)	117.16
बाक्साइट	बिहार (4.95), मध्य प्रदेश (14.60) तथा उड़ीसा (81.00)	100.55
फ्लोराइट/ राक फास्फेट	मध्य प्रदेश (29.00), मेघालय (3.00) तथा पश्चिमी बंगाल (3.93)	35.93
स्वर्ण अयस्क	आन्ध्र प्रदेश (4.33) तथा कर्नाटक (3.17)	7.50 (औसत ग्रेड 4 ग्राम/टन)
हीरा	मध्य प्रदेश (0.2545 मिलियन कैरेट)	0.2545 मिलियन कैरेट
टंगस्टन अयस्क	महाराष्ट्र (3.96) तथा राजस्थान (0.17)	4.13 (0.1 से 0.3% डब्ल्यू
टिन अयस्क	हरियाणा (8.00)	8.00 (0,15 से 0.20% टिन)

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष जी, जियोलाजीकल सर्वे के लिए आप के चार-पांच विभाग काम कर रहे हैं। सैंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेन्टस, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज, जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि०, स्टेट डायरेक्टोरेट्स आफ माइनिंग एण्ड जियोलाजी। आप कृपा कर यह बतलायें कि ये जो पांच अलग-अलग काम करने वाले विभाग हैं क्या इन के कोआर्डिनेशन के लिए कोई मशीनरी है तथा इन के जिम्मे आप ने क्या-क्या काम सुपुर्द किये हैं? ये विभाग कब से शुरू हुए और इन पर आज तक आप का टोटल एक्सपेण्डिचर कितना हुआ है? मैं अलग-अलग नहीं पूछता हूं, भारत सरकार ने इन पर कुल कितना खर्च किया है।

श्री बसंत साठे : इस मामले में मेजर रेस्पोंसिबिलिटी जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया की है। सैन्ट्रल जियोलाजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड और स्टेट जियोलाजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड—इन दो

लेवल्ज पर काम होता है। आप ने जो कोआर्डिनेशन की बात पूछी है—कोआर्डिनेशन का काम जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया का सेंट्रल जियोलाजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड करता है जो सारे देश के मैपिंग के बारे में तय करता है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि अभी तक कितना खर्च हुआ है—खर्चे की एक्जैक्ट रकम इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं यह बतला सकता हूं—सैकण्ड फाइव ईयर प्लान में 20 हजार मीटर्स का एक्सप्लारेशन हुआ था। इस पर ज्यादा जोर 1972 में पड़ा जब कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया था। खुशी की बात है कि तेल का क्षेत्र छोड़ कर दूसरे क्षेत्रों में हम ने छठी योजना में 5 से 6 लाख मीटर्स तक का एक्सप्लारेशन किया है, जिसे डिटेल्ड मैपिंग कहते है वह अभी तक हमारी जितनी जमीन है उसका 59% तक हो गया है। हमारी आशा है कि अगले प्लान के अंत तक देश का पूरा मैपिंग, जिसे मिनरल्ज के लिए डिटेल्ड-मैपिंग कहते हैं, हो जायगा। हमारे देश में 3.28 मिलियन स्क्वैयर किलोमीटर्स भूमि है। मैं आफ-शोर की बात नहीं कह रहा हूं, आन-शोर की बात कह रहा हूं। इसका 1984 तक 59 परसेन्ट का डिटेल्ड मैपिंग किया है, सिस्टेमैटिक ज्योलाजिकल कवरेज किया है और उम्मीद है 1990 तक पूरे देश को कवर कर लेंगे।

श्री मूल चन्द डागा : आप ने उत्तर बड़ा सही दिया है और बड़ी मेहनत की है। लेकिन मैंने प्रश्न पूछा था कि आप के ये डिपार्टमेन्ट्स कब से काम कर रहे हैं और जब आप यह कह रहे हैं कि 59 परसेन्ट एरिये का जियोलाजिकल सर्वे हो चुका है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस को आप ने कब से शुरू किया और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवे और छठे प्लान तक आप कुल कितना खर्च कर चुके हैं।

श्री वसंत साठे : मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे पास खर्च के आंकड़े इस वक्त नहीं हैं, मैं उन्हें लेकर वह जानकारी माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : आप बाद में बतला दीजियेगा या चिट्ठी लिखकर भेज दीजियेगा।

श्री वसंत साठे : मैं जरूर भेज दूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : आप ने बड़ी मेहनत की है, गोल्ड, जिंक, यूरेनियम, डायमण्ड जैसी महत्वपूर्ण धातुयें हिन्दुस्तान में निकल रही हैं, इनका सर्वेक्षण आप ने तीन साल के दरमियान काफी किया है। अब मुझे यह बतलाइये—क्या इन को डवेलप करने का कोई स्पैसिफिक प्रोग्राम आप ने बनाया है या लेटेस्ट टैक्नालाजी से कोई नया तरीका निकाला है? मैं यह भी जानना चाहता हूं—क्या हिन्दुस्तान के जियोलाजिकल सर्वे का कोई एटलस बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं ताकि जो इसके बारे में जानना चाहें, उनको एटलस से मालूम हो सके कि इतना काम या यह काम हो गया है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि ज्योलाजिकल सर्वे की एक रिव्यू कमेटी बैठी थी और उसने कुछ सजेशन्ज दी थीं। उनमें से कौन-कौन-सी सजेशन्ज आपने मान लीं तथा उनको आपने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया? यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया तथा उसके क्या परिणाम निकले?

श्री वसंत साठे : जियोलाजिकल सर्वे तो कांटीन्यूअस प्रोसेस है, आज कर दिया, कल हो गया, ऐसी चीज नहीं है। इसका कांटीन्यूअस रिव्यू होता रहता है, वहां क्या मिला, उसका असेसमेंट होता है। उसके बाद उसका सही पता लगाना होता है कि कितना एक्सटेंट है, उसका एक्स-

प्लोरेशन इकानामिकल है या नहीं है। इन सारी बातों को देखने के बाद एक्सप्लोरेशन की स्टेज आती है। इसलिए इन सारी बातों का कांस्टैन्ट रिव्यू होता रहता है।

आप ने यह सुझाव अच्छा दिया है कि एटलस बनाया जाय। वैसे एटलस है, लेकिन वह पुरानी होती जाती है। नई चीज मिलती जाती है और अप-टू-डेट करना आवश्यक है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जियोलाजीकल मैप, जिसे एटलस कहते हैं, को हम अप-टू-डेट करेंगे और माननीय सदस्य की सूचना का मैं स्वागत करता हूं। एटलस जो बनेगी, उसको हर एक सदस्य को हम देने की कोशिश करेंगे और देश में भी प्रसारित करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा: महोदय, पहले भी एक उत्तर दिया गया है कि एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई थी और इसने अपना प्रतिवेदन भी दे दिया था और अब वह कहते हैं कि यह···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे: मैंने कहा है कि रिपोर्ट आती रहती है और उसके ऊपर लगातार विचार होता रहता है। एक बार रिपोर्ट आ गई और विचार खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मूल चंद डागा: आप पहले ही उत्तर दे चुके हैं कि एक समिति गठित की गई थी और इसने अपनी सिफारिशें दी थीं। उनमें से कुछ आपने क्रियान्वित कर दी हैं और शेष छोड़ दी हैं। मैं इस विभाग द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़कर सुना सकता हूं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मूल चन्द डागा आप अब कृपया बैठ जाइये। आप मंत्री महोदय के कक्ष में जाकर और चर्चा कर सकते हैं।

श्री थम्पन थामस: महोदय, मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विवरण में कुछ राज्यों का उल्लेख किया गया है परन्तु मैं देखता हूं कि केरल, जो खनिज और धातु सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध राज्यों में से एक राज्य है, का उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वहां केरल मैटलस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध एक कम्पनी भी है तथा बहुत ही दुर्लभ रेयर अर्थ नाम का खनिज भी केवल केरल में ही मिलता है। केरल में अत्तापेड़ी घाटी नामक एक जगह है जहां टंगस्टन और सोने जैसी बहुमूल्य धातुएं मिलती हैं तथा जहां इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण भी किया गया था। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विवरण में केरल राज्य का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या बहुत ही दुर्लभ केवल केरल में ही मिलने वाले इन खनिजों और धातुओं की सम्भावना का पता लगाने के लिए किसी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सरकार विचार करेगी तथा इन धातुओं का पता लगाने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार वहां कोई सर्वेक्षण कराएगी। त्रिवेन्द्रम के इलाके में हीरे प्राप्त होने की भी संभावना है। यह ताजा खबर है कि सोना, हीरा, टंगस्टन आदि जैसे खनिज और धातुएं भी केरल में मिल सकते हैं। क्योंकि विवरण में केरल का उल्लेख नहीं किया गया है अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि इस राज्य में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है अथवा ऐसे किसी सर्वेक्षण की जो

यहां किया गया है। केन्द्रीय सरकार को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बात जानता हूं कि वहां कुछ सर्वेक्षण किए गए थे।

श्री बसंत साठे : मैं इस बात से सहमत हूं कि केरल में कुछ अच्छे खनिज मिले हैं परन्तु यह विवरण पत्र केवल पिछले तीन वर्षों का है। प्रश्नकर्त्ता ने यह पूछा है कि पिछले तीन वर्षों में राज्य-वार अनुमानित खनिज भण्डारों का ब्योरा क्या है। इसलिए ऐसी सूची प्रस्तुत की गई है। हो सकता है पिछले तीन वर्षों में हमें केरल में कुछ भी नहीं मिला हो परन्तु हमें उससे पहले वहां कुछ खनिज मिले हैं और यदि माननीय सदस्य केरल के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई विस्तृत जानकारी चाहें कि वहां अब तक क्या-क्या खनिज प्राप्त हुए हैं तो मैं वह जानकारी उन्हें भेज दूंगा।

श्री थम्पन थामस : मैं चाहता हूं कि सरकार इन भंडारों को निकालने के लिए और अधिक उपाय करे तथा उन्हें राष्ट्रीय सम्पदा समझे। मेरा अनुरोध है कि इस प्रयोजन के लिए कुछ धन आवंटित किया जाए।

श्री बसंत साठे : हम निरन्तर यही कर रहे हैं। जहां तक बहुमूल्य खनिजों का सम्बन्ध है हम स्वयं इसमें रुचि रखते हैं। राज्य कोई सा भी हो, उसका सम्बन्ध भारत से है तथा हम प्रत्येक खनिज को निकालने के लिए स्वयं प्रयत्न शील रहते हैं।

श्री शांताराम नायक : अपने उत्तर में आपने पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानित खनिज सम्पदा के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिए हैं तथा गोवा के विषय में लोह अयस्क के आंकड़े 1,0610 लाख टन हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने आगामी बीस वर्षों के दौरान निकाले जाने वाले लोह अयस्क के भण्डार के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है क्योंकि ऐसा भय है आगामी बीस वर्षों में ये भण्डार समाप्त हो जाएंगे जिसके परिणाम स्वरूप मार्मागोवा पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण ने तो अपनी निर्यात गतिविधियों को परिवर्तित करने की भी योजना बनानी प्रारम्भ कर दी है।

श्री बसंत साठे : मैं इससे सहमत हूं कि अन्त में कोई भी भण्डार समाप्त हो जाएगा। गोआ के लोह अयस्क के भण्डार कितनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इनका खनन किस प्रकार करते हैं। हमारे खनिज भण्डारों का रख रखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है तथा जब कभी किसी खनिज का खनन किया जाता है तो इस पहलू को भी हम ध्यान में रखते हैं।

डी० वी० वेंकटेश : हम देश में प्रतिदिन केवल 4 ग्राम सोने का उत्पादन कर रहे हैं। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं कोलार से आया हूं। कोलार गोल्ड फील्ड यहीं पर है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हीं खानों से अधिक सोना प्राप्त करने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका खोजा जा रहा है अथवा इसका कोई अन्य विकल्प खोजा जा रहा है क्योंकि हजारों लोग इन सोना खदानों में काम कर रहे हैं तथा वे बहुत ही गहराई पर काम कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस कारण उनका भविष्य भी प्रभावित होता है। मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें कि अधिक सोना निकालने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं तथा यह जानने के लिए कि इस खान-क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े, सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं ?

श्री बसन्त साठे : हम स्वयं इस विषय में गम्भीर रूप से चिंतित हैं। हम वहीं की खनिज-शिरा में यह पता करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या वहां सोने का कुछ भंडार

है, जिसे निकाला जा सकता है और हम कोलार गोल्ड फील्ड में बकाया 2 प्रतिशत सोने के भण्डार को किस प्रकार अधिक वैज्ञानिक ढंग से निकाल सकते हैं।

मैं, निस्संदेह इस बात से सहमत हूं कि हम अपने लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर भूमि में और अधिक गहरे नहीं जा सकते। क्योंकि हमें भी उन कर्मचारियों के भविष्य की चिंता है अत: ये सभी बातें हमारे भी ध्यान में हैं।

श्री मुकुल वासनिक : कुछ दिन पूर्व नागपुर के स्थानीय समाचारों में यह समाचार छपा था कि विदर्भ क्षेत्र में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण किया गया है। यदि हां, तो सर्वेक्षण का परिणाम क्या निकला तथा क्या विदर्भ क्षेत्र में खनिजों का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है।

श्री बसन्त साठे : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हमने विदर्भ क्षेत्र में अलग से कोई भू-सर्वेक्षण किया है क्योंकि हम प्रत्येक राज्य में क्षेत्र-वार सर्वेक्षण नहीं करते। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि हमने पूरे महाराष्ट्र राज्य में एक सर्वेक्षण किया है। विदर्भ भी महाराष्ट्र का एक भाग है तथा सम्पूर्ण महाराष्ट्र में पाए जाने वाले कीमती खनिजों के भंडार जैसे टंगस्टन, मैंगनीज, बाक्साइट आदि अधिकतर विदर्भ क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अत: जब मैंने महाराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया तो आप कह सकते हैं कि खनिज क्षेत्र इसी के किसी भाग में स्थित हैं, रत्नागिरि में अथवा इसके आस-पास के किसी इलाके में। इसमें से अधिकतर खनिज भंडार विदर्भ क्षेत्र में ही हैं। यह सच है कि हम सम्पूर्ण देश में और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अधिक से अधिक खनिजों का पता लगाने का प्रयास करते रहते हैं।

श्री अलम दत्त : विज्ञान और प्रोद्योगिकी के विकास के कारण भूगर्भीय खोज के तौर-तरीके वर्षों पहले बदल गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हम किस सीमा तक रिमोट सेंसिंग अथवा ईको-सेंसिग जैसी प्रणालियों का लाभ उठा रहे हैं तथा क्या जिन क्षेत्रों में हम खोज कार्य कर चुके हैं अथवा खोज कार्य करने जा रहे हैं, उनमें खोज कार्य नए तरीके से किया जा रहा है अथवा नहीं।

श्री बसन्त साठे : जी, हां। हम नवीनतम तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं जिनमें उपग्रह द्वारा वायु और स्थान का अन्वेषण करना, मानचित्र का अध्ययन करना तथा धरती के गर्भ में क्या छिपा है इसका पता लगाने के लिए भूकम्पीय संकेत प्रणाली और अन्य प्रणालियां शामिल हैं। इस प्रकार नवीनतम और अत्यधिक वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में पुराने तरीकों से खोज की गई थी उनमें यदि नए तरीके अपनाने से हमें कुछ लाभ प्राप्त होता हो तो हम वहां उन नए तरीकों का प्रयोग भी करते हैं। जमीन के अन्दर क्या-क्या छिपा हुआ है यह देखने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।

श्री बी०जी० स्वैल : मेरे एक प्रश्न के लिखित उत्तर में एक दिन सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि उसने हमारे चुनिंदा आर्थिक जोन के समुद्र तल में सफलता पूर्वक बहु-धातु माड्यूल का पता लगाया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय ने अपने मंत्रालय से इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण कराया है तथा हमारे चुनिंदा आर्थिक क्षेत्र से हमें प्राप्त हो सकने वाले बहु-धातीय माड्यूलों का क्या स्वरूप है।

दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारे इनसेट-1-बी उपग्रह ने हमारे पर्वतों अथवा मैदानों अथवा समुद्रीय आर्थिक क्षेत्र में खनिज भंडारों के होने की किसी उत्साह वर्धक सम्भावना का पता लगाया है।

श्री वसन्त साठे : महोदय, माननीय सदस्य ने समुद्र और हवा में पाए गए जिन बहुधातु माड्यूलों की विस्तृत जानकारी दी है मैं उसका विवरण प्राप्त करके उनको भेज दूंगा।

श्री जी०जी० स्वैल :—मैंने इनसेट-1 बी के बारे में भी पूछा था।

श्री वसन्त साठे : इनसेट 1 -बी से जो कुछ प्राप्त हो सकेगा उसकी जानकारी मैं उन्हें भेज दूंगा।

रेल इंजिनों और सवारी डिब्बों का निर्यात

* 609. अमर सिंह राठवा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने रेल इंजिनों और सवारी डिब्बों का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या रेल इंजिनों और सवारी डिब्बों के निर्यात में कोई कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार रेल इंजिनों और सवारी डिब्बों के निर्यात की वर्तमान नीति की पुनरीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) भविष्य में रेल इंजिनों और सवारी डिब्बों का निर्यात बढ़ाने के लिये अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख) विगत तीन वर्षों में सवारी डिब्बों तथा रेल इंजनों के निर्यात नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	सवारी डिब्बे		रेल इंजन	
	संख्या	मूल्य (लाख रु०)	संख्या	मूल्य (लाख रु०)
1982-83	—	—	—	—
1983-84	—	—	—	—
1984-85	24	264	15	1380

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नही।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पी०ई०सी० के प्रबन्धकों के दौरों, भारत के दौरे पर आने वाले विदेशी प्रतिनिधि-मंडलों के साथ बातचीत, प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेने, नए बाजारों के विकास, जहाँ कहीं सम्भव हों वहां ऋण सुविधाएं देने सहित विभिन्न उपायों के जरिए बाजार के साथ निकट-सम्पर्क बनाए रखना।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वाणिज्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने पिछले तीन सालों का ब्योरा मांगा था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1984-85 के

आंकड़े दिए हैं। पिछले दो साल के आंकड़े वे क्यों नहीं दे रहे हैं। इस समय एंजिन और रेलवे डिब्बों का निर्यात क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या कमियां थीं ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय मैंने वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दो वर्षों के आंकड़े नहीं दिए हैं क्योंकि इन वर्षों में कोई निर्यात नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि रेलवे इंजिन और रेलवे डिब्बों का निर्यात हो सके और विश्व बाजार में हम इनको बेच सकें, इसके लिए कोई नीति बनाई जा रही है ? ऋण देने की बात भी आपने बताई है, आप किस तरह से ज्यादा ऋण देने जा रहे हैं और कौन सी नई सुविधा देने जा रहे हैं, जिससे निर्यात बढ़ाया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, जहां तक रेल डिब्बों का सम्बन्ध है हमारे देश में इसके तीन कारखाने हैं, इन्टीगरल कोच फैक्ट्री, मद्रास, बंगलौर में भारत अर्थ मूवर्स तथा कलकत्ता में जेसोप्स। इसके अलावा जहां तक रेल इन्जनों का सम्बन्ध है हमारे पास चितरन्जन लोकोमोटिव तथा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी ये दो कारखाने हैं। भारतीय रेलवे की घरेलू आवश्यकता को देखते हुए ही इन यूनिटों को लाइसेन्स दिए गए थे तथा उस समय हमें निर्यात का लालच नहीं था। इस कारण ही इन दो मदों का निर्यात बहुत ही नगण्य सा हुआ है तथा जहां तक रेल-इन्जनों का सम्बन्ध है इनका क्रेडिट-प्रणाली के आधीन केवल एक बार ही वियतनाम को निर्यात किया गया था। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमें इन रेल-इन्जनों और रेल-डिब्बों तथा रेलवे वैगनों का निर्यात करने के लिए सभी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए तथा मैं समझता हूं कि प्रशासनिक मंत्रालय इन उद्योगों की तकनीक को उच्चस्तर का बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है ताकि हमारा माल अन्तरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने हमारे रेल-इन्जनों और रेल-डब्बों का आयात किया है और क्या किसी अन्य देश ने हमारे रेल इन्जनों और रेल-डब्बों का आयात करने की इच्छा प्रगट की है। तथा इस प्रयोजन के लिए किसी देश विशेष को चुनने के क्या कारण हैं तथा······

उपाध्यक्ष महोदय : इतना काफी है। आप देशों के नाम जानना चाहते हैं। इतना बहुत है।

श्री चिंतामणि जेना : क्या यह निर्यात हमारे देश की स्वयं मांग को पूरा करने के पश्चात किया गया था।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, जहां तक रेल-डब्बों का सम्बन्ध है हमने बंगलादेश, फिलीपाइन्स, श्रीलंका, वियतनाम-युगांडा, नाइजेरिया, मोजाम्बीक और तंजानिया को निर्यात किया है। जहां तक रेल-इन्जनों का सम्बन्ध है, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया हमने केवल एक ही बार वियतनाम को इनका निर्यात किया। जिन अन्य देशों में इनके निर्यात किए जाने की संभावना है उन विकासशील देशों ने पूछताछ की है। परन्तु समस्या यह है कि उनके पास भी विदेशी मुद्रा की भारी कमी है साथ ही वे हमसे रेल वैगन, रेल-डिब्बे तथा रेल-इन्जन क्रेडिट प्रणाली के अन्तर्गत लेना चाहते हैं जिसमें हमारी अपनी समस्याएं हैं।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो कोचेज या लोकोमोटिव्ज यहां से मैंयुफैक्चर किए जा रहे हैं क्या वे हमारी मांगों को पूरा करने में समर्थ हैं यदि नहीं तो इनके एक्सपोर्ट का क्या औचित्य है।

श्री पी० ए० संगमा : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं। मैं समझता हूं कि सम्बन्धित प्रशानिक मन्त्रालय ही इसका उत्तर दे सकेगा।

श्री के० राममूर्ति : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले रेल बजट पर हुई बहस में भी यह उल्लेख किया गया था कि रेलवे को कुछ वेंगनों की सख्त जरूरत है परन्तु आर्थिक तंगी के कारण वे रेलवे वैगन उद्योग तथा कोच-निर्माण उद्योग को खरीद के आदेश नहीं दे सके। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अन्य देशों में, जिनको हम अपने रेलवे वैगनों तथा रेल-डब्बों का निर्यात करके लाभ कमा सकते हैं, वहां निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं।

कुछ समय पहले अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि रेलवे वैगन निर्माण उद्योग को खरीद-आदेश न भेजने के कारण पश्चिम बंगाल एवं बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि उन्होंने यह देखने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं कि रेलवे वैगन अन्य देशों को भी निर्यात किए जाते रहें तथा हमारे देश के ये उद्योग बंद न हो जाएं।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, उत्पादन कार्य मेरे हाथ में नहीं है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के पश्चात जो माल बचता है मैं उसी का निर्यात कर सकता हूं। जहां तक उत्पादन का प्रश्न है यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परन्तु मैं वैगनों और कोचों को यथा सम्भव अधिक देशों को निर्यात करना चाहता हूं।

श्री के० राममूर्ति : निर्यात की सम्भावनाओं के विषय में बताएं।

श्री पी० ए० संगमा : इसकी सम्भावनाएं हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तीन वर्ष पहले बर्मा सरकार ने लोकोमोटिव्ज खरीदने के टेन्डर इंवाइट किए थे। उसमें तीन देशों यानी साऊथ कोरिया, जापान और हिन्दुस्तान ने भाग लिया था बर्मा जबकि हिन्दुस्तान से नजदीक है, फिर भी साऊथ कोरिया को सप्लाई करने का आर्डर मिल गया। इसका क्या कारण है कि हिन्दुस्तान के लोकोमोटिव्ज मंहगे पड़ रहे हैं जिसकी वजह से हिन्दुस्तान को आर्डर नहीं मिल पाया।

श्री पी० ए० संगमा : मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं। मैं बाद में यह जानकारी माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

*613. श्री क० मोहनदास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की प्रत्येक किस्त द्वारा जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि की कितने प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति होती है;

(ख) जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार ने जीवन निर्वाह व्यय में होने वाली वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए महंगाई भत्ते के स्थान पर किसी अन्य उपाय के बारे में सोचा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जीवन निर्वाह व्यय में होने वाली वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए ऐसे उपायों का पता लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभावों का निराकरण करने के लिए सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर महंगाई भत्ते की अदायगी की एक योजना अपनाई है । इस योजना के अन्तर्गत, 400/-रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में औसत मूल्य सूचकांक में वृद्धि का लगभग 100 प्रतिशत निराकरण है तथा 400/-रु० से ऊपर 1000/-रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 75 प्रतिशत निराकरण है । तथापि, 1000/-रु० से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में निराकरण का प्रतिशत कम है ।

(ख) 1000/-रु० प्रति मास की सीमा तक मूल वेतन वाले कर्मचारियों को शामिल करते हुए महंगाई भत्ते की अन्तिम किस्त 1-11-1984 (औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 568) से अदा की गई है । महंगाई भत्ते की विद्यमान योजना के अनुसार उच्चतर वेतन सीमा वाले कर्मचारियों को इस तारीख को महंगाई भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है । 568 के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि के निराकरण का प्रतिशत तथा चुने हुए वेतन बिन्दु पर 100 प्रतिशत निराकरण के लिए अपेक्षित महंगाई भत्ते की राशि निम्न प्रकार है :

वेतन बिन्दु (रुपए)	महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता/तदर्थ महंगाई भत्ता	निराकरण का प्रतिशत	100 प्रतिशत निराकरण के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि
196	357	98.99	361
200	363	98.64	368
400	666	90.40	736
600	813	73.64	1104
1000	1300	70.65	1840
1200	1270	57.51	2208
1500	1270	46.01	2760
1800	1476	44.56	3312
2000	1640	44.56	3680
2500	2050	44.56	4600
3000	2250	40.76	5520
3500	2250	34.93	6440

(ग), (घ) तथा (ङ) चूंकि चौथा वेतन आयोग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों और अन्य सेवा शर्तों के सम्पूर्ण मामले की पहले ही जांच कर रहा है, इसलिए ऐसे मामलों की जांच आयोग द्वारा की जाएगी ।

श्री के० मोहन दास : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने विवरण में बताया है कि 1000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभावों के निराकरण का प्रतिशत कम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में वास्तव में निराकरण का प्रतिशत क्या है।

इस समय जब महंगाई भत्ते की दो किश्तों की घोषणा की गई है, 1000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को केवल एक किश्त मिलती है। मूल्य वृद्धि का बुरा प्रभाव सब पर पड़ता है। अतः यह मान लेना गलत और अनुचित होगा कि इस श्रेणी के कर्मचारी इतने अमीर हैं कि वे मूल्य वृद्धि से प्रभावित नहीं होते। अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटा देगी और जब भी मंहगाई भत्ते की किश्तों की घोषणा की जायेगी, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को सभी किश्तों का भुगतान किया जाएगा।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मनानीय सदस्य ने प्रतिपूर्ति बिंदु के बारे में कहा है। मूल्य सूचकांक 568 पर मंहगाई भत्ते की अंतिम किश्त की घोषणा की गई है। माननीय सदस्य की सूचनार्थ मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि जहां तक 400 रुपये तक वेतन का सम्बन्ध है, 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति दी जाती है। जहां तक 400 रुपये से अधिक तथा 1000 रु० से कम वेतन का सम्बन्ध है प्रतिपूर्ति 75 प्रतिशत तक है।

माननीय सदस्यों ने कतिपय कठिनाईयां हमारे सामने रखी हैं। इसीलिये तो चौथे वेतन आयोग की स्थापना की गई है। चौथा वेतन आयोग निश्चय ही वेतन तथा मंहगाई भत्ता, दोनों के बारे में अध्ययन करेगा। जब चौथे वेतन आयोग का प्रतिवेदन हमारे समक्ष आयेगा तो हम निश्चय ही इन सब बातों पर विचार करेंगे।

श्री के० मोहन दास : मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिये मंहगाई भत्ता दिया जाता है। इसे आय के रूप में नहीं माना जा सकता। इस समय इस पर आय कर लिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मंहगाई भत्ते की राशि को कर से छूट देगी और यदि नहीं तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : जब तक चौथे वेतन आयोग का प्रतिवेदन हमारे सामने नहीं आ जाता, सरकार इस समय इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। माननीय सदस्य अपने सुझाव लिख कर हमें दे सकते हैं और हम उन सुझावों को वेतन आयोग के पास भेज देंगे। यह वेतन आयोग से सीधे सम्पर्क कर उसके समक्ष अपने सुझाव रख सकते हैं. वेतन आयोग का प्रतिवेदन हमारे सामने आ जाने के बाद हम सब पर विचार करेंगे। सामान्यतया सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों में और सुधार करेगी।

[हिंदी]

श्री के० एन० प्रधान : वैसे तो सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों आदि की जांच के लिए वेतन आयोग बनाया हुआ है परन्तु उसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समयावधि नहीं दी गई है। उसके बाद जब वह अपनी सिफारिशें सरकार को कर देगा तो सरकार उन पर विचार करेगी और कोई निर्णय लेगी। दूसरी ओर जैसा हम जानते हैं कि जीवन निर्वाह व्यय में बराबर वृद्धि हाती जा रही है और हम अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब सारे अच्छे काम तत्काल करते जा रहे हैं तो क्या मंत्री जी ऐसा अनुभव करते कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की इन्टरिम रिलीफ देने का नेक कार्य भी लगे हाथ निपटा दें।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं, चौथा वेतन आयोग मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति आदि के प्रत्येक पहलू पर विचार कर रहा है। जब उसका प्रतिवेदन हमारे सामने आयेगा, तब निश्चय ही हम इन सब पर विचार करेंगे और अपना निर्णय देने से पहले कर्मचारियों की राय भी जानेंगे।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महंगाई भत्ता मूल्य वृद्धि के साथ जुड़ा है। मैं यह बात नहीं जान सका कि सरकार वेतन आयोग बिठा कर महंगाई भत्ते में वृद्धि को क्यों रोक रही है। मूल्य वृद्धि के लिये कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं। बजट पेश होने के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो गई है। क्या मैं मन्त्री महोदय से इस संदर्भ में यह बात पूछ सकता हूं कि क्या वे जे० सी० एम० की बैठक आयोजित करेंगे और उसमें महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रश्न को सुलझायेंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य की सूचनार्थ मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान को रोका नहीं है। इसके विपरीत, माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे कि पिछले वर्ष महंगाई भत्ते की 9 किश्तों का भुगतान किया गया था और अब केवल एक किश्त देय है, कर्मचारियों के अनुसार यह किश्त 1-1-85 से देय है। वास्तव में सरकार इस किश्त के भुगतान पर भी विचार कर रही है और सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : केंद्र सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा चपड़ासी, जो राज्यों में तैनात हैं, राज्य सरकार के अनुभाग अधिकारियों से अधिक वेतन ले रहे हैं। क्या सरकार एक ही स्थान पर कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों के तथा उनसे अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों के वेतन में विषमता दूर करना चाहती है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही परिलब्धियों का सम्बन्ध है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हमारा क्षेत्राधिकार तो केंद्रीय कर्मचारियों तक ही सीमित है। यदि राज्य सरकार के कर्मचारी असन्तुष्ट हैं, वे अपने कष्टों के निवारण के लिए राज्य सरकार से कह सकते हैं।

सूत का निर्यात

*616. श्री सुभाष यादव : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी 1985 के 'जनसत्ता' में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि भारतीय बुनकर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से रुई के स्थान पर सूत का निर्यात करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या ऐसा करने से प्रति वर्ष 90 करोड़ रुपयों की बचत होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे स्टेपल रुई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये 40 एस से ऊपर के यार्न के सीमित निर्यात तथा 60 एस काउंटों से ऊपर के यार्न के अप्रतिबंधित निर्यात की अनुमति है। तथापि, ऊंचे काउन्टों के यार्न का निर्यात केवल सीमित है और इसलिये ऐसी किस्मों की रुई की थोड़ी मात्रा का निर्यात किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष यादव : मेरा मन्त्री जी से यह निवेदन था कि लास्ट ईयर लगभग 16 लाख गठान काटन का कैरी-ओवर हुआ है और इस साल लगभग 106 लाख गठान काटन के उत्पादन की संभावना है और हमारी आवश्यकता लगभग 84 लाख गठान की है इसलिये 22 लाख गठान के कैरी-ओवर होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो नैचुरली हमारे काटन के प्रोडक्शन करने वालों को कम दाम मिलेंगे, काटन के दाम कम होंगे और उससे हम सफर करेंगे। क्या हमारे मंत्री जी लांग स्टैपल काटन यार्न को एक्सपोर्ट करके हमारे किसानों को उसका उचित दाम दिलायेंगे ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : माननीय सदस्य ने लांग स्टैपल काटन यार्न के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। जहां तक यार्न के एक्सपोर्ट करने का सवाल है, इसके लिये कोई पालिसी कान्स्ट्रेन्ट नहीं है, सरकार की नीति के मुताबिक इसमें कोई रुकावट नहीं है।

वस्तुस्थिति यह है कि हमारे यहां जो सरप्लस वैराइटी का काटन है, वह लांग और एक्सट्रा-लांग वैराइटी का है। विदेश में जो मांग यार्न की है, वह इस प्रकार की है कि मध्यम और शार्ट स्टैपल काटन के जरिये माल तैयार किया जा सकता है। इसलिये इन दोनों के मिस-मैचिंग की वजह से यह सम्भव नहीं है कि 2 लाख बेल काटन का इस साल जो निर्यात करने का निर्णय किया गया है, उसको यार्न में बदलकर निर्यात किया जा सके।

जो लांग स्टैपल और एक्सट्रा लांग स्टैपल काटन का निर्यात किया जा रहा है, उस प्रकार के यार्न की मांग नहीं है। जैसा मैंने स्पष्ट किया कि निर्यात के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई अवरोध नहीं है, मात्र इतना ही अवरोध है कि हैंडलूम सैक्टर के लिये जो जरूरत है, उसकी पूर्ति को प्राथमिकता दी गई है और इस वजह से जो 40 काउन्ट्स तक यार्न है, उसे निर्यात करने में कठिनाई है, क्योंकि उससे बड़े पैमाने पर वीवर्स को दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि जो प्रश्न पूछा गया है कि 2 लाख बेल को यार्न में बदलकर क्यों नहीं भेजा गया है, वह सम्भव नहीं है।

यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न में जिसका संकेत किया है, 2 लाख बेल काटन को यार्न में बदलने से 28.16 मिलियन के जो यार्न होता है और उससे फारेन एक्सचेंज अर्निंग का रिएलाइजेशन 90 करोड़ का होता है और सीधे तरीके से 2 लाख बेल काटन निर्यात करने से फारेन एक्सचेंज रिएलाइजेशन 60 करोड़ का होता है, इसलिये 90 करोड़ का उसमें अन्तर नहीं पड़ता है, मात्र 30 करोड़ का ही अन्तर उसमें पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ : यह देखा गया है कि गांठों के निर्यात में भी सरकार हमेशा पक्षपात करती है। इसके क्या कारण हैं ? आपने गांठों के निर्यात के बारे में क्या मानक निर्धारण किये हुए हैं ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : देश में कपास की जो मांग है उससे अधिशेष कपास का ही निर्यात किया जाता है। हम कुल उत्पादन का अनुमान लगाते हैं तथा यह देखते हैं कि मिलों की तथा गैर-मिल क्षेत्र की कितनी मांग है। जो शेष बचता है उसका निर्यात किया जाता है। हम मूल्यों का अध्ययन करने के बाद ही निर्यात करने का फैसला लेते हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : क्या यह सच है कि मिल मालिक संघ लक्ष्य निर्धारण करने में आपका मार्गदर्शन करता है ? हमें मुख्य रूप से चिन्ता यह है कि आप उनके कहे अनुसार चलते हैं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। मिल मालिकों को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। कपास उत्पादकों के भी समान अधिकार हैं और उनके हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंजीनियरी सामान के निर्यात में कमी आना

*617. श्री बृजमोहन महन्ती†
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन्जीनियरी सामान के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय इन्जीनियरी वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही हैं; और

(घ) किन-किन क्षेत्रों में इन्जीनियरी सामान के निर्यात में गिरावट अधिक दिखाई गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्तर्निविष्ट साधनों की ऊंची लागत तथा ऊंचे नौवहन भाड़े के प्रमुख कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अनेक भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुएं अप्रतियोगी बनती जा रही है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंजीनियरी माल के कुल निर्यातों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कोई गिरावट नहीं आई है। यदि हम व्यापक समूहों अर्थात् पूंजीगत माल, प्राइमरी स्टील और कच्चे लोहे पर आधारित मदों, अलोह धातुओं पर आधारित मदों, उपभोक्ता वस्तुओं और प्रबन्ध तथा तकनीकी परामर्शी सेवाओं को भी लें तो भी छठी योजना के दौरान इनके किन्हीं क्षेत्रों में निर्यातों में कोई कमी नहीं आई।

श्री बृजमोहन महन्ती : योजना-वार आंकड़े कम नहीं हैं। वास्तव में वाणिज्य मन्त्रालय के इस वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि मशीनरी तथा परिवहन उपकरण, धातु निर्माण जैसी इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात की स्थिति पिछले वर्ष अच्छी नहीं थी किन्तु वर्ष 1984-85 के पूर्वार्ध में कुछ प्रगति दिखाई दी है। वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 82 पैरा 5 में यह संकेत है कि पिछले वर्ष···

उपाध्यक्ष महोदय : वार्षिक प्रतिवेदन से उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बृजमोहन महन्ती : वे बात को समझते ही नहीं हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वाणिज्य मन्त्रालय के पिछले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन में कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है और इस वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन में भी कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन कठिनाइयों का उल्लेख पिछले वर्ष के प्रतिवेदन मे किया गया था, क्या उनका समाधान कर लिया गया है अथवा क्या उन्हें दूर कर दिया गया है । मैं दो अथवा तीन बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर देंगे ।

श्री बृजमोहन महन्ती : अन्यथा टालमटोल वाला उत्तर होगा । मेरा निवेदन यह है कि पिछले वर्ष चीन ने प्रतिस्पर्द्धा की थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमने उसका सामना करने के उपाय किये हैं । हम उस प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर सकने में सक्षम नहीं हैं जिसकी जरूरत आयात करने वाले देशों में हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय किये गये हैं । पिछले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन में नाईजीरिया तथा अन्य अफ्रीकी देशों में भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन कठिनाइयों का समाधान कर लिया गया है । दूसरी बात यह है कि क्या सोवियत रूस को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक माल खरीदने के लिये सहमत किया जा सका है । मेरा एक ही प्रश्न है अर्थात् क्या पिछले प्रतिवेदन में उल्लिखित कठिनाइयों, जिनका इस वर्ष के प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं है, का समाधन कर लिया गया है अथवा उन्हें दूर कर दिया गया है ?

श्री पी० ए० संगमा : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्बन्ध में गिरावट आई है । पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंजीनियरी उत्पादकों का निर्यात 3037.47 करोड़ रुपए था । छठी योजना के दौरान जिसमें पिछले तीन महीने निकाल कर 5246.16 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था जो 72.71% की वृद्धि है । अतः यदि हम पांचवीं और छठी योजना को लेते हैं तो कोई गिरावट नहीं है । लेकिन यह सच है कि यदि हम कुछ अलग-अलग मदों को लें तो कुछ मदों में गिरावट आई है । लेकिन इस इंजीनियरिंग ग्रुप में हजारों मद हैं और हमने उसे 5 श्रेणियों में पुनः विभाजित किया है और यदि हम इन पांचों श्रेणियों को भी लें जिसका मैंने अपने मुख्य उत्तर में उल्लेख किया है तो भी कोई गिरावट नहीं आई है । लेकिन कुछ उत्पादन वस्तुएं हैं जिनको मैं बता सकता हूं लेकिन मैं नहीं समझता कि मुझे इन सबके नामों को लेकर सदन का समय लेना चाहिए जिसमें गिरावट आई है ।

जहां तक विवशताओं का संबंध है जिनका उल्लेख किया गया है हम इस पर काबू पाने का निरन्तर प्रयास करते आ रहे हैं । दो प्रकार की कठिनाइयां होती हैं—पहली, हमारे अपने देश से सम्बन्धित कठिनाई जिसको हम दूर करने की तथा सुधारने की कोशिश करते हैं । हमारी क्षमता से बाहर की कठिनाई जैसे संरक्षक प्रवृत्ति जो विश्व में विद्यमान है । यदि आप इंजीनियरिंग निर्यात में विश्वव्यापी व्यापार के आंकड़े देखें तो हम देखते हैं कि विश्वव्यापी स्थिति में भी यह पिछले 3 से 4 वर्षों में नीचे आ रहा है । द्विपक्षीय बातचीत के दौरान जब हम अपने भागीदार से बात

करते हैं तो हम उन पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं और हम हमेशा उन सभी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : मेरा प्रश्न था, कि क्या सोवियत रूस पर दबाव डाला गया था कि वह और अधिक खरीददारी करे, क्या अफरीकन देशों के साथ हमारे भुगतान की कठिनाइयों का समाधान किया गया है और क्या चीन प्रतियोगिता में आगे आया है। मैंने ये विशेष प्रश्न पूछे हैं। लेकिन उत्तर नहीं दिए गए हैं।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि इंजीनियरिंग सामान के निर्यात के लिए कार्यवाही में उन्होंने दो मुख्य कदम उठाए गए हैं। पहला सहायता प्राप्त परियोजनाओं में अच्छी तरह से भारतीय फर्मों के भाग लेने की संभावनाओं का पता लगाने के बारे में, और (2) पश्चिम यूरोप, जापान और अमरीका में प्रसिद्ध मुख्य ठेकेदार के साथ उप ठेकेदारी तथा सम्मिलित ठेकेदारी के द्वारा उत्पादन निर्यात के लिए अच्छे स्रोतों का पता लगाना। मेरा यह प्रश्न है कि इस बारे में क्या प्रगति हुई है?

श्री पी० ए० संगमा : यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जब तक माननीय सदस्य किसी विशेष के बारे में विशेष प्रश्न नहीं पूछेंगे और मुझे नोटिस नहीं देंगे तब तक मैं नहीं समझता कि मैं उत्तर देने के लिए समर्थ हूं।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रगति हुई है? यदि सूचना उपलब्ध है तो ठीक है। अन्यथा वह इसे एकत्र कर सकते हैं और सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री पी० ए० संगमा : यह बहुत बड़ा प्रश्न है। उदाहरण के लिये सम्मिलित ठेकेदारी लें। जब कभी द्विपक्षीय बात होती है तो हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। हम इस आशय का समझौता करते हैं कि हमें यह करना चाहिए। हम पार्टियों से इसका पता लगाने के लिए कहते हैं। मैं पूरे विश्व के बारे में सूचना नहीं दे सकता। यह सम्भव नहीं है।

श्री सी० पी० ठाकुर : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हम लागत या गुणवत्ता के आधार पर अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यदि वह लागत के आधार पर है तो भारत में मजदूरी सस्ती है इसलिये लागत अधिक नहीं होनी चाहिये। अतः कौन से वास्तविक आधार हैं जिनके कारण हम विदेशों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे हैं?

श्री पी० ए० संगमा : हमें लागत और गुणवत्ता दोनों पहलुओं पर प्रतियोगिता करनी होती है। हालांकि भारतीय श्रम सस्ता है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिये केवल श्रम की लागत ही नहीं की जाती है। इसमें कच्चा माल और विद्युत आदि जैसे कई अन्य उपादान भी होते हैं जिनसे लागत निकलती है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो अन्य देशों से हमारी उत्पादन लागत बहुत अधिक है। इसलिये हम प्रतियोगिता नहीं कर सकते। हमारा माल प्रतिस्पर्धा में इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि उपादानों के कारण हमारी उत्पादन की लागत अधिक हो जाती है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मन्त्री महोदय ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी कीमतें प्रतिस्पर्धा भी नहीं आती हैं क्योंकि उत्पादन लागत अधिक है। क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि इंजीनियरिंग की निर्यात मदों की अधिक संख्या एल० सी० खोलने के बावजूद आर्डरों को रद्द कर दिया गया था। घटिया माल होने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था और

वापिस भारत भेज दिया गया था। यदि हां, तो इस बारे में मन्त्री महोदय क्या कदम उठाने जा रहे हैं क्योंकि विदेश में यह हमारी प्रतिष्ठा को ऊपर नहीं उठा रहा है ? बहुत समय पहले भारत अमरीकी देशों को बहुत संख्या में साइकिलों का निर्यात करता था। पिछले कुछ वर्षों से यह क्या हुआ कि साइकिलों की क्वालिटी इतनी घट गई है कि जिन्होंने जो आर्डर दिए थे एल० सी० को खोलने के बावजूद उन्हें रद्द करना शुरू कर दिया है। हालांकि उत्तर और दक्षिण कोरिया में उत्पादन की लागत भारत से अधिक है फिर भी वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

श्री पी० ए० संगमा : जहाँ तक माल की गुणवत्ता का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्यों के साथ सहमत हूं कि हमें गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है और हमें अपनी प्रौद्योगिकी को ऊपर उठाना है। इस विचार से कि इस वर्ष की नीति में जिसकी हमने अभी घोषणा की है उससे जहाँ तक प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है हमने सामान की सुलभता को और उदार बना दिया है। यह सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि प्रौद्योगिकी को ऊपर उठाने और उसे और अधिक आधुनिक बनाने के लिये हम अपने उद्योग को एकत्र करना चाहते हैं। हमारे उद्योग आधुनिक क्यों नहीं किए गए हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे बड़े देशी बाजार है कि वे इसको आधुनिक बनाने की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। अत: हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके हैं। आप हम इसमें सुधार करने जा रहे हैं और इसलिये उस तरीके में नीतियां बनाई गई हैं।

[हिंदी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि इन्जीनियरिंग गुड्स की क्वालिटी डैटरियोरेट हो रही है जिसके कारण एक्सपोर्ट कम हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिये और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े और क्वालिटी इम्प्रूव हो ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : हमने कई कदम उठाए हैं। शुरू में मैंने उल्लेख किया कि कच्चा माल बहुत महंगा है। हमने एक योजना निकाली है जिसमें हमने उद्योग को कच्चा माल देने की कोशिश की है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मैंने इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया है। हमें गुणवत्ता में सुधार करना है और इसलिए हम उन्हें प्रौद्योगिकी का दर्जा ऊपर उठाने के लिए कह रहे हैं। जब तक वर्तमान प्रौद्योगिकी का दर्जा नहीं बढ़ाया जाएगा और जब तक उद्योग आधुनिकीकरण के लिये तैयार नहीं किये जायेंगे तब तक गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता है। उद्योग को आधुनिक बनाने के लिये हमें उनको प्रौद्योगिकी उपलब्ध करानी होगी। इसलिये हमने एक नीति बनाई है जहां प्रौद्योगिकी के आयात को उदार बनाया गया है।

इस्पात के आयात पर होने वाला व्यय

*618. श्री मुकुल वासनिक : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि 1981-82 से 1983-84 तक इस्पात के आयात पर होने वाला वार्षिक औसत व्यय 1100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कौन-कौन सी वस्तुएं आयात की गईं, वे किन-किन देशों से आयात की गईं तथा 1984-85 के दौरान इस्पात के आयात पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या उक्त आयात से बचने के लिये पांच समेकित इस्पात संयंत्रों के लिये उत्पादन कार्यक्रम तैयार किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो आयात पर इतनी अधिक धनराशि खर्च होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान लोहे और इस्पात की मदें, जिनमें लोहा, इस्पात, पाइप, ट्यूबें और जुड़नार, ढलवीं वस्तुएं और लौह-मिश्र धातुएं शामिल हैं, का वार्षिक आयात औसतन लगभग 1100 करोड़ रुपये तक का रहा है। लेकिन इन आयातों में गिरावट का रुख है, जैसाकि नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष	लोहे और इस्पात का कुल आयात (मूल्य करोड़ रुपयों में)
1	2
1981-82	1203.5
1982-83	1146.0
1983-84 (आंकड़े अस्थायी हैं)	962.9
1984-85 (आंकड़े अस्थायी हैं) (अप्रैल से सितम्बर, 1984)	351.9

(ख) इस्पात के कुल आयात के बारे में आंकड़े वर्ष 1981-82 तक ही उपलब्ध है। वर्ष 1981-82 में इस्पात के कुल आयात की मदवार जानकारी तथा वर्ष 1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान माध्यम अभिकरण की मार्फत इस्पात के आयात सम्बन्धी आंकड़े अनुलग्नक में दिये गये हैं। सामान्यत: जिन देशों से इस्पात का आयात किया गया है, उनमें आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, बल्गारिया, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हॉलैंड, हंगरी, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, उत्तरी कोरिया, नार्वे, रूमानिया दक्षिणी कोरिया, स्पेन, स्विटजरलैंड, इंग्लैण्ड, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी शामिल हैं।

(ग) और (घ) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के उत्पादन कार्यक्रम विभिन्न मदों की मांग, उनके प्रोडक्ट-मिक्स और आयात कम से कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किये जाते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग और अन्य उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये विभिन्न मदों का पर्याप्त मात्रा में आयात करने की अनुमति देने की सामान्य प्रक्रिया है।

विवरण

वर्ष 1981-82 के दौरान इस्पात के कुल आयात तथा 1982-83 से 1984-85 के वर्षों में "सेल" की मार्फत इस्पात के कुल आयात की मात्रा का ब्यौरा

मात्रा : हजार

मूल्य : करोड़ रुपयों में

श्रेणी	कुल आयातित इस्पात		माध्यम अभिकरण की मार्फत इस्पात का आयात					
	1981-82		1982-83		1983-84		1984-85 (आंकड़े अस्थायी हैं)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इस्पात								
स्पेड इन्गट	—	—	1.9	1.9	0.53	—	—	—
अर्ध तैयार उत्पाद	237.9	68.05	43.7	10.07	14.0	2.75	—	—
संरचनात्मक	261.7	94.06	682.3	223.23	97.7	30.62	5.3	2.25
छड़ें और गोल छड़ें	416.5	170.85	44.4	17.58	18.8	8.23	32.5	12.63
प्लेटें	456.5	153.33	239.1	80.50	87.3	27.10	111.5	38.86
गर्म वेलित चादरें/क्वायल	1069.7	391.66	25.5	11.16	34.9	12.60	98.7	36.89
ठण्डी वेलित चादरें/क्वायल	—	—	77.8	33.82	113.2	44.59	215.3	92.53
टिन प्लेट	100.4	51.04	16.7	11.05	—	—	3.2	2.79
टी०एम०बी०पी०	—	—	65.3	33.48	151.7	75.15	135.7	83.24
टिन प्लेट वेस्ट/विस्ट	—	—	0.3	0.10	—	—	5.6	2.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
वैद्युतिक इस्पात की चादरें	77.5	31.53	40.7	38·71	48.0	46.38	53.6	52.25
जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें	—	—	74.3	37.45	—	—	8.3	4.82
ट्यूब	—	—	—	—	—	—	—	—
बेदाग/विशेष इस्पात	—	—	0.8	1.17	0.7	0.65	5.8	5.15
गर्म बेलित/ठण्डी बेलित पत्तियां	22.7	25.11	2.3	1.46	2.0	1.49	5.1	3.42
रेल की पटरियां	38.2	14.23	2.1	0.85	—	—	—	—
टिन रहित इस्पात	—	—	—	—	—	—	2.6	1.57
कार्बन इस्पात/गौण/दोषयुक्त/कतरनें	—	—	—	—	—	—	17.6	6.83
लोहे और इस्पात की तार	8.9	9.99	—	—	—	—	—	—
कुल : (इस्पात)	2690.0	1009.9	1317.2	501.16	568.3	249.56	700.8	345.80

श्री मुकुल वासनिक : मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि वह इस बात पर सहमत हुए कि वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान इस्पात के आयात में होने वाला व्यय 1100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस्पात के आयात पर इतनी बड़ी राशि खर्च करने के क्या कारण थे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र क्षमता का कम उपयोग करते हैं और उत्पादन के प्रयोजन के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में मौजूदा इस्पात संयंत्रों को आधुनिक बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्री नटवर सिंह : मैं माननीय सदस्य को इस विशेष मुद्दे का उठाने के लिए धन्यवाद करता हूं। सरकार को इस बात की बहुत चिंता है कि हमने इस्पात के आयात के लिए इतनी अधिक राशि का भुगतान करना है लेकिन यदि आप विवरण देखें जिसे हमने परिचालित किया है तो आप देखेंगे कि आयात में गिरावट आई है। आप देखेंगे कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 1983-84 के दौरान 16% की गिरावट आई है। 1981-82 की अपेक्षा यह 1982-83 में आयात फिर एक बार 5% कम था। 1984-85 के पहले 6 महीनों में आयात पिछले वर्षों की तुलना में 15.5% कम था। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हमने संयुक्त संयन्त्र समिति का गठन किया है जो वास्तव में इसमें पूरी सावधानी बरतती है। जबकि इसमें यह गिरावट आई है में समझता हूं कि यह कुछ समय तक निरन्तर बनी रहेगी। में आपकी आज्ञा से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि वर्ष 2000 ई० के लिए हमारी प्रायोजना यह है और यदि हमारे सारे संयन्त्र अधिकतम क्षमता से कार्य करते रहे और विजयनगर और विशाखापट्टनम में भी पूरी तरह काम होता रहा तो वर्ष 2000 ई० में मांग 224.7 लाख होगी तथा हमारा उत्पादन 172.7 लाख होगा और 50 लाख की कमी तब भी बनी रहेगी। मैंने परसों दो दिन पहले संयन्त्रों का दौरा किया था। मुझे आंकड़े दिए गए थे कि संयन्त्र ने अपनी क्षमता का 85 या 82% पूरा किया है। मेरा प्रश्न यह था कि हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक उत्पादन करना है न कि प्रबन्धक द्वारा बताई गई क्षमता। यह संयन्त्र की अधिकतम क्षमता है जिस पर हमें पहुंचना है।

श्री मुकुल वासनिक : में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आज हम जो उत्पादन कर रहे हैं उससे अधिक मांग होने की स्थिति में मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में नए इस्पात संयन्त्र लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि ऐसा कोई प्रस्ताव है तो में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विदर्भ में, जो महाराष्ट्र में बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। सरकारी क्षेत्र का कोई नया इस्पात संयन्त्र लगाया जाएगा।

श्री नटवर सिंह : यह प्रश्न संख्या 68 से संबंधित नहीं है। आपने मुझ से पूछा है कि क्या आपके पास कोई और संयन्त्र खोलने की योजना है। यह आपके प्रश्न में नहीं है (व्यवधान) संयन्त्र पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं। हमें यह देखने का प्रयास करना है कि वे पूरी क्षमता से कार्य करें।

श्री मुकुल वासनिक : यदि वे पूरी क्षमता से भी कार्य करते हैं तो क्या इस्पात संयन्त्र सम्पूर्ण मांग को पूरा कर सकेंगे ? यह प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया है।

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, में सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। यदि हम पाते हैं कि इसकी आवश्यकता है और हमारे पास नए इस्पात संयन्त्रों को

खोलने के लिए नई प्रौद्योगिकी है तो संयन्त्रों के लिए संसाधन जुटाने के पश्चात् ········· विशाखापट्टनम, विजयनगर और अन्य जैसे पहले से ही प्रगति पर है, इसके बाद ही एक पूरी तरह से विधर्भ में एक इस्पात संयन्त्र खोलने का विचार निश्चित रूप से करेंगे।

एक माननीय सदस्य : विधर्भ के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री वसंत साठे : वास्तविक रूप से चन्द्रपुर में राज्य द्वारा एक छोटा इस्पात संयन्त्र लगाया गया है और हम इसके लिए कुछ करने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं विद्युत की कमी के कारण इसमें कठिनाई आ रही है। जैसा कि मैंने उस दिन कहा था कि इसे महाराष्ट्र भी विद्युत नहीं दे रहा है। मैं केवल कर्नाटक का पक्षपात नहीं करता हूं। महाराष्ट्र भी चन्द्रपुर को विद्युत नहीं दे रहा है। चन्द्रपुर संयन्त्र की स्थिति डावांडोल है। वे हम से अनुरोध कर रहे हैं कि हम इसे अपने हाथों में ले लें। हम इसको अपने हाथ में लेने के लिए गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोयला क्षेत्र में निवेश

[अनुवाद]

***610 कुमारी पुष्पा देवी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में कोयला क्षेत्र में 203.50 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिन्हें उक्त धनराशि के निवेश से शुरू करने का विचार है;

(ग) क्या उक्त मंजूरी में मध्य प्रदेश की कोई भूमिगत कोयला परियोजना शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो हाल ही में मंजूर की गई मध्य प्रदेश की भूमिगत कोयला खनन परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां। मार्च, 1985 में सरकार ने रु० 203.50 करोड़ के कुल निवेश की स्वीकृति निम्नलिखित चार नई परियोजनाओं के विकास के लिए दे दी हैं :—

क्र० स०	नाम	स्थापना	निवेश (रु० करोड़)	क्षमता (लाख टन)
1.	सिलेवाड़ा	महाराष्ट्र	38.06	10.00
2.	चुर्चा वेस्ट	मध्य प्रदेश	32.64	6.00
3.	मनुगुरू II	आंध्र प्रदेश	132.00	27.50
4.	मनुगुरू III (अग्रिम कार्रवाई)	आन्ध्र प्रदेश	0.80	4.20
		कुल :—	203.50	47.70

(घ) उपर्युक्त चार परियोजनाओं के लिए 1985-86 में रु० 8.71 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

मध्य प्रदेश के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 13 भूमिगत खनन परियोजनाएं मंजूर की हैं और इन पर काम चल रहा है। वर्ष 1985-86 में इन परियोजनाओं पर खर्च के लिए रु० 20.20 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इनके अलावा सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 ओपेनकास्ट खनन परियोजनाएं मंजूर की थीं और मध्य प्रदेश में उन पर भी काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के लिए 1985-86 का बजट आबंटन रु० 106.20 करोड़ है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय

*611. श्री बल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय किस आधार पर खोले जाते हैं;

(ख) देश में इस समय ऐसे कितने क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ग) वित्तीय वर्ष 1985-86 में राज्य-वार ऐसे कितने कार्यालय खोलने का विचार है; और

(घ) उड़ीसा के बारे में उक्त प्रस्ताव कब कार्यान्वित किए जाएंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय शाखा समूह का मार्गदर्शन करने, उनकी प्रगति पर नजर रखने तथा उनके क्रिया-कलापों पर नियंत्रण रखने, के प्रयोजन से खोले जाते हैं। आमतौर पर एक क्षेत्रीय कार्यालय के नियन्त्रण के अधीन 40 से 70 के बीच शाखाएं होती हैं।

विशिष्ट क्षेत्रों में ऐसे कार्यालय खोलने की आवश्यकता का निर्णय सम्बन्धित बैंकों द्वारा कारोबार के स्तर, कार्य क्षेत्र और शाखाओं की संख्या जैसे मापदण्डों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। ऐसे कार्यालय खोलने से पहले, बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेने होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, फिलहाल देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों/क्षेत्रीय प्रबंधकों के कार्यालयों की संख्या 646 है। इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि वर्ष 1985-86 के दौरान वास्तव में कितने क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायेंगे। उड़ीसा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के वास्ते ऐसा कोई प्रस्ताव अमल किए जाने के लिए विचाराधीन नहीं पड़ा है।

जड़ाऊ स्वर्ण आभूषण बनाने और पन्नापरिष्करण यूनिटों के लिये निर्यातोन्मुखी यूनिट

*612. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जड़ाऊ स्वर्ण आभूषण बनाने और पन्ना परिष्करण यूनिटों के लिए निर्यातोन्मुखी यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के यूनिट स्थापित करने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(घ) इन यूनिटों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (घ) निर्यात के लिये स्वर्ण के आभूषण बनाने के लिये विशेष निर्यातोन्मुख कम्पलेक्स स्थापित करने की योजना दिनांक 12 सितम्बर, 1984 की सार्वजनिक सूचना सं० 54-आई० टी० सी० (पी०एन०) 184 के द्वारा

अधिसूचित की गई थी। आरम्भ में कम्पलेक्सों की अनुमति पांच केन्द्रों अर्थात् दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में दी जायेगी। चूंकि इन कम्पलैक्सों को व्यापार द्वारा अभिज्ञात किया जायेगा या राज्य सरकार अथवा सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा प्रायोजित किया जायेगा और सामान्य सुविधाओं पर व्यय का वहन अलग-अलग एकक करेंगे, अतः इन कम्पलैक्सों की स्थापना में केन्द्रीय सरकार द्वारा धन का कोई आवंटन किया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

इन कम्पलैक्सों में स्थापित किये गये स्वर्ण आभूषणों के निर्यातोन्मुख एककों द्वारा जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है, वह उद्योग और विदेशों में बाजारों की वास्तविक प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

जयपुर में पन्ना संसाधन एकक की स्थापना के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम का जो प्रस्ताव है उससे एक वर्ष में 2.5 करोड़ रु० के बराबर के निर्यात पैदा होने का अनुमान है।

खाद्यान्नों की नेपाल और बंगला देश को तस्करी

*614 श्री भोला नाथ सेन
श्री पीयूष तिरकी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई समाचार मिला है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से ऐसे बेईमान व्यापारियों की संख्या बेरोकटोक बढ़ गई है जो नेपाल और बंगलादेश को चावल और अन्य खाद्यान्नों के अवैध निर्यात में लगे हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नेपाल और बंगला देश को चावल और अन्य खाद्यान्नों की तस्करी करने वाले लोगों की कार्य-प्रणाली क्या है; और

(घ) सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करों की बढ़ती संख्या को रोकने और/अथवा नेपाल तथा बंगला देश को चावल और अन्य खाद्यान्नों की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, नेपाल तथा बंगला देश को चावल और अन्य खाद्यान्नों का गैर-कानूनी निर्यात करने का धन्धा करने वाले बे-ईमान व्यापारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, हालांकि माल पकड़े जाने की सूचना मिली है।

(ग) सीमा के निकट इन मदों की थोड़ी-थोड़ी मात्रा जमा करके रखी जाती है और देर रात को अप्राधिकृत रास्तों और नाव के जरिये नेपाल और बंगलादेश को उनका तस्कर का निर्यात किया जाता है।

(घ) तस्करों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान को तेज कर दिया गया है। सरकार ने सामान्यतया भू-सीमाओं के आर-पार तस्करी रोकने के लिए तस्करी-रोधी उचित उपाय किये हैं। तस्करी की प्रवृत्ति और तरीके की भी सतत् समीक्षा की जाती है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल बैठाकर तस्करी-निवारण हेतु अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों ही प्रकार के उचित उपाय किये जाते हैं।

रुग्ण एककों के सम्बद्ध में कार्यवाही करने के उपाय

*615. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या वित्त मंत्री रुग्ण एककों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के उपायों के बारे में उनके द्वारा दिए गए बजट भाषण के पैरा 27 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय और औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित बोर्ड की स्थापना की जाएंगी और अन्य उपाय भी किए जाएंगे;

(ख) क्या यह सच है कि प्योर ड्रिंक्स प्रा० लि०, प्योर ड्रिंक्स (कलकत्ता) लि०, साउदर्न बोटलर्स, पंजाब बेवरिजेज, मोहन मशीन्स लि० और मोहन बोटलिंग कं०, ये सभी रुग्ण एकक हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक और वित्तीय संस्थाओं ने इन कम्पनियों को बड़ी मात्रा में ऋण दिये हैं और अभी भी दे रहे हैं; और

(घ) इन कम्पनियों के प्रबंध को बदलने और उन्हें तथा इस प्रबंध द्वारा संबंधित कंपनियों को ऋण देना बन्द करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है।

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले उपबंधों और सरकारी वित्तीय संस्थाएं (विश्वस्तता और गोपनीयता के प्रति बाध्यता) अधिनियम, 1983 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं के किसी ग्राहक के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को खनिज और धातु व्यापार निगम की एक सहायक कम्पनी बनाने का प्रस्ताव

*619. प्रो० राम कृष्ण मोरे
श्री बलवंत राव गडाख पाटिल } : क्या खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को खनिज और धातु व्यापार निगम की एक सहायक कम्पनी बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसन्त साठे) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु औद्योगिक एककों द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

[हिन्दी]

*620. श्री सी० डी० गामित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बहुत से लघु औद्योगिक एककों द्वारा आयात लाइसेंस का दुरुपयोग करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ऐसे औद्योगिक एककों का विवरण क्या है जिन्होंने आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया ;

(ग) क्या इन एककों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई है या करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के परिणाम के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

[अनुवाद]

*621. श्री एस० जी० घोलप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा विश्व बैंक की ऋण सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार विश्व बैंक से प्राप्त सहायता की केवल 70 प्रतिशत राशि देती है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा ऋण को शत-प्रतिशत क्यों नहीं दिया जाता है; और

(ग) बंबई की जल सप्लाई परियोजना के लिए कितना ऋण दिया गया और विश्व बैंक से वास्तव में कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) संसाधनों को केन्द्र से राज्यों में अन्तरण के संबंध में भारत सरकार की एक सुनियोजित व्यवस्था है। वित्त आयोग केन्द्रीय करों से प्राप्त होने वाली धनराशियों को राज्यों के राजस्व में अन्तरण करने के प्रतिमानों को हर पांच वर्षों के बाद निर्धारित करता है। राज्यों की विकास आयोजनाओं, जिनमें विदेशी सहायता प्राप्त सभी परियोजनाएं शामिल हैं, को केन्द्रीय सहायता के जरिए मदद दी जाती है जिसका अधिकतर वितरण सामान्यतः संशोधित गाडगिल फार्मूले के नाम से जाने जाने वाले फार्मूले के आधार पर किया जाता है। देश की आयोजना के लिए कुल संसाधनों का निर्धारण करते समय विदेशों से मिलने वाली सहायता को भी हिसाब में लिया जाता है। इसलिए, राज्यों को दो जाने वाली केन्द्रीय सहायता में विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता को पहले ही हिसाब में ले लिया जाता है। परिणामस्वरूप, विदेशी सहायता प्राप्त किसी भी परियोजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता उससे कहीं अधिक होती है जो परियोजनाओं के विदेशी सहायता प्राप्त होने के कारण उन्हें दी जाने वाली 70 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रतिबिम्बित होती है।

(ग) परियोजना का नाम	ऋण की राशि (लाख डालर)	28-2-1985 तक संवितरित राशि (लाख डालर)	31-3-1985 तक भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को जारी की गई अतिरिक्त सहायता (करोड़ रुपए)
प्रथम बम्बई जलपूर्ति एवं मल-निकासी परियोजना ऋण संख्या–390—आई० एन०	550.0	550.0	32.735
द्वितीय बम्बई जलपूर्ति एवं मल-निकासी परियोजना ऋण संख्या 842 आई० एन०	1960.0	659.59	57.767

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई सहायता के बारे में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया गया अध्ययन

*622. श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता का लगभग 20 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों के वांछित परिवारों तक नहीं पहुंच रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन में क्या प्रमुख सिफारिशें की गई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि इस कार्यक्रम के आधीन जिन परिवारों को सहायता दी गयी थी उनमें से 15 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे नहीं आते थे और इस प्रकार वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिये लक्षित समूह में शामिल किए जाने के पात्र नहीं थे। अध्ययन रिपोर्ट में की गयी मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

5. प्रत्येक प्रखंड के लिए रखे जाने वाले लक्ष्य संसाधन क्षमता, उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और गरीबी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किये जाने चाहिएं।

2. निवेश संबंधी क्रियाकलापों का चयन करते समय' हिताधिकारियों की कार्य-कुशलता और उनकी क्षमता का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

3. समस्या के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे स्थानिक तथा कार्यात्मक अपेक्षाएं दोनों ही पूरी हो जायें।

4. बैंकों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को हिताधिकारियों पर तकनीकी विशिष्टियों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए।

5. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निवेश के जिस बड़े कार्यक्रम की परिकल्पना की गयी है, उसके समर्थन में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्ययन के निष्कर्षों पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विचार किया गया था और संबंधित प्राधिकारी को अध्ययन रिपोर्ट में बतायी गयी कमियों को दूर करने की सलाह दी गयी है।

ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई पर निगरानी रखने हेतु स्थापित कृतिक बल

*623. श्री बी० बी० देसाई : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई पर निगरानी रखने हेतु रेलवे बोर्ड, विद्युत और कोयला विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को मिलाकर एक कृतिक बल की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल के अन्य कार्य क्या होंगे;

(ग) इस कृतिक बल के द्वारा क्या मुख्य निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) सभी ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई करने में इसे कृतिक बल की स्थापना से कितनी सहायता मिली है?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां,। कोयला विभाग में दिनांक 30-3-1985 को सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया था कि बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की पुनरीक्षा करने के लिए एक "कार्य बल" (टास्क फोर्स) का गठन किया जाए।

(ख) से (घ) यह कार्य बल बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की पुनरीक्षा करता रहा है ताकि किसी भी समस्या को तुरन्त ही सुलझाया जा सके। जबसे कार्य बल का गठन किया गया है, उन बिजली घरों को कोयले की सप्लाई में आमतौर पर सुधार हुआ है जहां स्टाक कम हैं।

आंध्र प्रदेश में कपास का निर्यात कोटा

*624. श्री एम० सुब्बा रेड्डी : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा कपास की घबराहटपूर्ण बिक्री को रोकने के लिए सरकार का विचार, आंध्र प्रदेश के लिये भी कपास के निर्यात का कोटा निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा रुई की आपात बिक्री के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। भारतीय रुई निगम द्वारा प्रभावी कीमत समर्थन दिया जाता है।

कीमत समर्थन कार्यवाही के अतिरिक्त, भारतीय रुई निगम, घरेलू खपत के लिए तथा निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश में वाणिज्यिक खरीदारियां भी करता है। लम्बे तथा अतिरिक्त स्टैपल वाली रुई के निर्धारित बेशी माल में से, आंध्र प्रदेश के सहकारी विपणन परिसंघ को निर्यात के लिए 10,000 गांठें आवंटित की गई हैं।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड को सूखे मेवों का आयात करने हेतु तदर्थ लाइसेंस

*625. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 और उसके बाद मैसर्स राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड को सूखे मेवों का आयात करने हेतु तदर्थ आयात लाइसेंस जारी किये गये थे;

(ख) ऐसे लाइसेंस जारी किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन आयात लाइसेंसों को जारी करते समय कितने मूल्य का आयात निर्धारित किया गया था और तत्सम्बन्धी क्या शर्तें रखी गई थीं;

(घ) क्या लाइसेंसधारियों ने इन शर्तों को पूरा किया अथवा उनका उलंघन किया;

(ङ) क्या आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या इस मामले में कोई अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां । 1982-83 के दौरान और उसके बाद केवल एक लाइसेंस दिनांक 16-6-1982 को दिया गया था ।

(ख) बल्क खरीददारी तथा बिचौलियों को समाप्त करके उपभोक्ताओं को कम कीमत पर माल उपलब्ध कराने के लिए ।

(ग) एक करोड़ रु० (सी० आई० एफ०) ।

लाइसेंसधारी को केवल 5 प्रतिशत के लाभ पर सुपर बाजारों की मार्फत उपभोक्ता पैकों में आयातित सूखे फलों को वितरण करना अपेक्षित था ।

(घ) लाइसेंसधारी को शर्तों का उल्लंघन करते पाया गया ।

(ड़) से (च) लाइसेंसधारी तथा उसकी शाखाओं को पांच लाइसेंसिंग विधियों अर्थात् अप्रैल-मार्च, 1984 तक के लिए आयात लाइसेंसों, सीमाशुल्क किलियरेंस परमिट, सरणीकरण अभिकरण की मार्फत अथवा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित माल के आबंटन से विवर्जित कर दिया गया है ।

(छ) इस समय और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

इलायची के निर्यात में गिरावट

*626 श्री एन० डेनिस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां तो कितनी और कब से, तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में इलायची का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) गत 4 वर्षों के लिए इलायची का उत्पादन एवं निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन (मे० टन)	निर्यात (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1981-82	4100	2387	31.11
1982-83	2900	1021	16.23
1983-84	1600	258	5.44
1984-85 +	3500	2340	63.53

+ अनुमानित ।

1982-83 तथा 1983-84 के दौरान इलायची के निर्यात में गिरावट मुख्यत: अभूतपूर्व सूखा के कारण उत्पादन में कमी के फलस्वरूप आई । कम सप्लाई तथा ऊंची कीमतों से निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 1984-85 के दौरान मात्रा तथा आय दोनों रूपों में काफी वसूली हुई है । गत दस वर्षों में निर्यातों का कुल मूल्य अधिकतम रहा है ।

एल्यूमीनियम में आत्म निर्भरता

*627. श्री सोमनाथ रथ : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्यूमिनियम के मामले में कब तक आत्म निर्भर हो जायेगा;

(ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड उड़ीसा स्थित संयन्त्र द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ कर दिये जाने के बाद एल्यूमिनियम का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) उक्त संयन्त्र सम्भवत: कब तक अपना काम शुरू कर देगा ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) देश में एल्यूमिनियम उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता विद्यमान घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी है। लेकिन एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को अपर्याप्त और अनियमित बिजली पूर्ति के कारण उत्पादन स्थापित क्षमता से कम है और इसलिए एल्यूमिनियम का आयात करना पड़ रहा है। वर्तमान संकेतों के अनुसार नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी वर्ष 1986-87 के अन्त में एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा उत्पादन क्षेत्र में आ जाने के बाद एल्यूमिनियम का कुल सम्भावित उत्पादन इस प्रकार होगा :—

987-88	393,000 टन
1988-89	483,000 टन
1989-90	499,000 टन

एल्यूमिनियम धातु की वर्तमान प्रायोजित मांग और पूर्ति के अनुसार अगर मांग में और अधिक वृद्धि नहीं हुई तो, वर्ष 1988-89 और उसके बाद भारत में एल्यूमिनियम धातु अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध होने लगेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन का विस्तार

*628. श्री वाई० एस० महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की मर्चेंट बैंकिंग डिवीजनों की गतिविधियों को, जो जो इस समय केवल लिमिटेड कम्पनियों के शेयर/डिबेंचरों के सार्वजनिक निर्गमन की व्यवस्था करने तक सीमित हैं, बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मर्चेंट बैंकिंग डिवीजनों को निगमित परामर्श, ऋण "सिंडिकेशन" युरोडालर ऋण अनिवासी भारतीयों की धनराशि, सम्मेलन और विलयन जैसे कार्य सौंपने पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों का हटाया जाना

[हिन्दी]

4460. श्री पीयूष तिरकी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1985 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मंडलों के 95 सदस्यों को सेवा मुक्त कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की ओर पहले ही सरकार का ध्यान दिलाया था;

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाई गई आपत्तियों की ओर पहले ध्यान न दिए जाने के क्या कारण थे; और

(ङ) बैंकिंग प्रणाली में आवश्यक सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावशाली कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण योजना, 1970/1980 के उपबन्धों के सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार ने ऐसी अधिसूचनाएं जारी की हैं जिनके अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों के गैर-सरकारी निदेशक, जिन्होंने निदेशक के रूप में तीन वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो उस तारीख से अपने पद पर नहीं रहेंगे जिस दिन उनके नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी हो गई हो ।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परिचालन और प्रशासन के सम्बन्ध में सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बराबर परामर्श करती रहती है और जब कभी आवश्यक समा ता है तब उचित समय पर कदम उठाए जाते हैं ।

जीवन बीमा निगम की योजनाओं के अन्तर्गत कलकत्ता के लिये आवास-कार्यक्रम

[अनुवाद]

4461. श्री मानिक संयाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1984 में लोक सभा चुनावों से कुछ ही समय भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने कलकत्ता में सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया था कि सरकार जीवन बीमा निगम की योजनाओं के अन्तर्गत कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए मकानों का निर्माण करेगी, जैसा कि बम्बई और बंगलौर में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता में गम्भीर आवास समस्या को देखते हुए सरकार उक्त आश्वासन को कब क्रियान्वित करेगी; और

(ग) क्या अन्य डिवीजनों में भी इसी प्रकार के आवास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तत्कालीन वित्त मन्त्री ने, 18 दिसम्बर, 1984 को कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय तथा निवेश भवन का शिलान्यास करते समय जीवन बीमा निगम की स्कीमों के अन्तर्गत पालिसी-धारकों के लिए कलकत्ता में मकानों/फ्लैटों के निर्माण के सम्बन्ध में घोषणा की थी ।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम ने उपर्युक्त बात को उचित आवश्यक कार्रवाई हेतु नोट कर लिया है ।

महालेखाकार उत्तर प्रदेश के पास उचंत लेखों के अन्तर्गत राशि

[हिन्दी]

4462. श्री धर्मवीर सिंह त्यागी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पास कितनी राशि उचन्त लेखों के अन्तर्गत पड़ी है;

(ख) वर्ष 1970-71 से उचन्त लेखों के अन्तर्गत अलग अलग कितनी राशि है;

(ग) राज्य के कर्मचारियों के कितने दावे बिना निपटाये पड़े हैं और प्रत्येक मामला कितनी राशि का है तथा वे कब से लम्बित पड़े हैं;

(घ) इन दावों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस स्थिति के लिये जिम्मेवार कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक को छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया जाना

[अनुवाद]

4463. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक को छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निदेशक देवास स्थित मैं० रोल्टा इण्डस्ट्रीज का प्रवर्तक था जिसने स्टेट बैंक आफ इन्दौर से 2 करोड़ रुपए का ऋण लिया था और जिसमें से 40 लाख रुपए बट्टे खाते में डाल दिये गये थे, क्योंकि फर्म ने कभी भी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनर्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड-3 में केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों का गठन किये जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त खण्ड के उप खण्ड (च) के अनुसार, एक या एक से अधिक मामलों में, जो राष्ट्रीयकृत बैंक के काम में उपयोगी हो सकते हैं, विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों में से अधिक से अधिक 5 निदेशक नियुक्त किये जा सकते हैं। इस स्कीम में लघु उद्योगों के प्रतिनिधि के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक बोर्ड में निदेशक नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है :

उक्त स्कीम के खण्ड 3 (च) के अनुसार जनवरी 1982 में सरकार द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक बोर्ड में जो निदेशक नियुक्त किये गये थे, उनमें से एक निदेशक रोल्टा कम्प्यूटर एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक श्री के० के० सिंह थे।

बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा13 (1) में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को, कानून अथवा बैंकरों में प्रचलित रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं को छोड़ कर, अपने ग्राहकों और उनके कार्यों के सम्बन्ध में सूचना देने की मनाही है। इन परिस्थितियों में रोल्टा कम्प्यूटर एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खाते के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती है।

उड़ीसा में एन्टरप्रिनियरशिप डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया द्वारा एक केंद्र की स्थापना

4464. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था एन्टरप्रिनियरशिप डेवेलपमेंट इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया (ई० डी० आई०), अहमदाबाद शीघ्र ही उड़ीसा में एक केन्द्र स्थापित करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उद्यमवृत्ति विकास संस्थान अर्थात् एन्त्रेप्रेन्योरशिप डेंवलपमेंट, इंस्टिट्यूट (ई० डी० आई०) ने उड़ीसा में एक उद्यमवृत्ति विकास केन्द्र (एन्त्रेप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर) की स्थापना करने के उड़ीसा राज्य सर-

कार के प्रयत्नों का समर्थन करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्थानीय उद्यमवृत्ति का पता लगाने और उसका विकास करने में एक ठोस और समन्वित प्रयास करना तथा इस संस्थान अर्थात् ई० डी० आई०, द्वारा तैयार किए गए अर्हताप्राप्त, प्रशिक्षित प्रेरकों की सहायता से एक स्वायत्त, व्यावसायिक संगठन का निर्माण करना है। उद्योग निदेशालय, उड़ीसा द्वारा प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

चमड़ा, खालों और हाथीदांत की तस्करी

4465. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में चमड़ा, खाल और हाथीदांत की देश से बाहर तस्करी की जा रही है;

(ख) इस गैर-सरकारी कानूनी धंधे को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) 1984-85 में ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं और कितने रुपए का सामान जब्त किया गया है;

(घ) इस अवैध रूप से पशुओं की खाल उतारने को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को प्राप्त हुई सूचनाओं से यह संकेत मिलता है कि सर्प-चर्म, बकरी की खालें और कुछ वन्य पशुओं की खालें तस्करी के आकर्षण की वस्तुएं हैं। तथापि, हाथीदांत के बहुत बड़ी मात्रा में तस्कर-निर्यात के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) तस्करों के विरुद्ध अभियान को, सामान्य रूप से तेज कर दिया गया है। तस्करी के आशंका वाले क्षेत्रों में सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को कर्मचारी और उपकरण उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सम्बन्धित एजेंसियां सतर्क बनी रहती हैं और संयुक्त रूप से तस्करी-निवारण समुचित उपाय किए जाते हैं। मामले की समुचित कार्यवाही के लिए सतत् समीक्षा भी की जाती रहती है।

(ग) प्राप्त हुई सूचना के अनुसार वर्ष 1984 और 1985 (मार्च तक) के दौरान पकड़े गए मामलों की संख्या और अभिगृहीत माल का मूल्य इस प्रकार है :—

	वर्ष	मद	मामलों की संख्या	मूल्य (रुपयों में)
(1)	1984	सर्प-चर्म	16	1.04 करोड़
	1985	सर्प-चर्म	शून्य	शून्य
(2)	1984	अन्य वन्य पशुओं की खालें	3	14,200
	1985	अन्य वन्य पशुओं की खालें	शून्य	शून्य
(3)	1984	उपर्युक्त (1) और (2) से भिन्न खालें और चर्म	35	61,875
	1985	उपर्युक्त (1) और (2) से भिन्न खालें और चर्म	2	5,52,450

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(घ) सभी सम्बन्धित विभागों की सहायता से प्रवर्तन सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ बना दिया गया है ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। राज्य वन्य-जीव संगठनों ने शिकार-चोरों के खिलाफ अपनी गुप्तचर्या को तेज कर दिया है। जन-जागृति उत्पन्न करने और वन्य जीवों के संरक्षण के सिलसिले में सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य वन्य-संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, अंतर-राज्यीय और अंतर-राष्ट्रीय स्तरों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए वन्य-जीवों के शिकार की चोरी और उनके गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए एक नया केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

(ङ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

खानों का निरीक्षण

4466. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक चालू खान का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में एक वर्ष में एक बार लोह् अयस्क, मैंगनीज; अभ्रक आदि की कितनी खानों का निरीक्षण किया गया तथा प्रत्येक अयस्क के बारे में गत तीन वर्षों का वर्ष-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) इन निरीक्षणों के दौरान क्या प्रमुख उल्लंघन पकड़े गये और उन्हें ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1958 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रसंग में भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारी प्रति वर्ष अनेक खानों का निरीक्षण करते हैं। लगभग 3540 कथित खानों में से पिछले तीन वर्षों के दौरान लोह् अयस्क, मैंगनीज अभ्रक आदि की निम्नलिखित खानों का निरीक्षण किया गया है :—

खनिज	1982-83	1983-84	1984-85
लोह् अयस्क	175	131	152
मैंगनीज़ अयस्क	125	60	115
अभ्रक	188	161	131
अन्य*	1197	1288	1216
कुल	1685	1640	1614

*यथा चायनाक्ले, चूनापत्थर, फायरक्ले, सोपस्टोन, सिलिका सैंड, बाक्साइट, क्वार्टज, फेल्सपार आदि।

(ग) मुख्य उल्लंघन खानों को त्यागने के इरादे के विरुद्ध नोटिसों, ऐसे मामलों में प्लान तथा सेक्शन पेश करने, खानों को पुन: चालू करने, विस्फोटकों के बारे में तिमाही विवरण प्रस्तुत करने के नोटिस खानों के अनुरक्षण तथा खानों पर विवरण रखने के नोटिस, खनन इन्जीनियरों की नियुक्ति निर्देशों आदि की पालना के सम्बन्ध में नियमों के उल्लंघन को लेकर थे।

अधिकतर उल्लंघनों को बताए जाने पर दूर किया जा चुका है और उन पर अमल हो रहा है। तीन वर्षों के दौरान, दोषी खान स्वामियों के विरुद्ध न्यायालय में 170 मामले दर्ज किए गए हैं। 118 मामलों का विभाग के पक्ष में निर्णय हुआ है तथा 33 मामलों में क्षमा प्रदान की गई है।

निर्यात आय में वृद्धि करने के लिये नई नीतियां

4467. श्री भोला नाथ सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान, विशेष कर चालू वर्ष 1985 के दौरान निर्यात आय में वृद्धि करने के लिए नई नीतियां अपनाई हैं अथवा अपनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्यात में वृद्धि के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) इस दिशा में अब तक यदि कोई सफलता प्राप्त हुई है तो वह कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा नीति उपाय बराबर किये जा रहे हैं। अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये हाल ही में घोषित आयात तथा निर्यात नीति, निर्यातों को बढ़ावा देने के साथ साथ उचित आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई जा चुकी है। प्रमुख उद्देश्यों के रूप में नीति में निम्नलिखित व्यवस्था है :

(1) आयात और निर्यात नीति में निरन्तरता तथा स्थिरता लाना;

(2) उन विशिष्ट साधनों का जिनका आयात किये जाने की आवश्यकता है, आसान तथा शीघ्र मूल्यांकन करके अधिक उत्पादन को सुकर बनाना;

(3) निर्यात उत्पादन के लिये आधार को मजबूत बनाना और निर्यात की वृद्धि के लिये प्रयास करना;

(4) घरेलू उत्पादन को समर्थन देने के लिये आयातों में सभी सम्भव बचत करना तथा प्रभावशाली आयात प्रतिस्थापन का संवर्धन करना;

(5) उत्पादन में प्रौद्योगिकीकृत उन्नति तथा आधुनिकीकरण को सुकर बनाना; और

(6) लाइसेंसिंग को कम करना प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना तथा निर्णय लेने को विकेन्द्रीकृत करना जिससे समय और साधनों की लागत में कमी होगी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये निर्यात लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं। पांच वर्ष की अवधि के लिये निर्यातों में वृद्धि के लिये लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में निगमित किये जाएंगे जिसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

स्वदेशी काटन मिल्ज का राष्ट्रीयकरण

4468. डा० चन्द्र शेखर प्रसाद वर्मा : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्धाधीन स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के प्रत्येक एकक के आधुनिकीकरण और उसकी कार्य पूंजी के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) स्वदेशी काटन मिल्स की प्रत्येक मिल का कच्चे माल और तैयार माल का वर्तमान सूची स्तर क्या है; और

(ग) क्या भारतीय घाटा/देनदारियों तथा श्रमिकों/कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार का स्वदेशी काटन मिल्स का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

(करोड़ रु० में)

स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० के अन्तर्गत एकक का नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि 1985-90 के दौरान आधुनिकीकरण के लिए निधियों की अनुमानित जरूरत	पाठक समिति के मानदण्डों के अनुसार अनुमानित कार्यपूंजी, वर्तमान जरूरत
(1) रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स रायबरेली।	1.29	1.02
(2) स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी।	3.37	9 79
(3) उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर।	0.99	2.12
(4) स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन।	1.02	1.90
(5) स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी।	4.12	6.18
(6) स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर।	14.44	9.95
योग :	24.23	30.96

(ख) 28-2-85 की स्थिति के अनुसार स्वदेशी काटन मिल्स क० लि० के प्रत्येक एकक द्वारा रखी गई कच्चे माल और तैयार माल के सूची-स्तर नीचे दिये जा रहे हैं :

(लाख रु० में)

एकक का नाम	कच्चा माल	तैयार माल (अनन्तिम)
(1) रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली।	5.64	6.64
(2) स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी।	74.45	36.89
(3) उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	26.02	6.92
(4) स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन।	9.06	16.47
(5) स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी।	51.15	119.50
(6) स्वदेशी काटन मिल, कानपुर।	26.31	26.43

(ग) उपक्रमों के समूह के भावी ढांचे के संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाना

4469. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए पदों का सृजन करने अथवा वर्तमान रिक्त पदों को भरने पर उनके मन्त्रालय द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध हटाने के लिये लोगों/किसी राज्य सरकार ने मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है और उक्त प्रतिबंध किस तारीख तक हटा लिए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने कार्यभार में वृद्धि और कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभिन्न परियोजनाओं के सामान्य कार्य निष्पादन पर प्रतिबन्ध के प्रभाव और उसके कार्यकरण में गिरावट आने की ओर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) मुद्रा स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में जनवरी 1984 में भारत सरकार के मन्त्रालयों विभागों को नये पदों का सृजन न करने या वर्तमान रिक्तियों को न भरने की सलाह दी गई थी। इस सम्बन्ध में जारी किए गये अनुदेश 31 मार्च, 1985 तक वैध थे। परन्तु सरकारी व्यय में नितांत मितव्ययिता की निरंतर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त अनुदेशों को आगामी आदेशों तक बढ़ा हुआ समझा जाए। किसी राज्य सरकार ने प्रतिबंध उठाने के लिए प्रतिवेदन नहीं किया, जो कि सरकार की सार्वजनिक सेवाओं पर किसी प्रकार लागू नहीं होता। पदों के सृजन/रिक्तयों के भरे जाने के प्रस्तावों पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है और अत्यन्त अपवादीय परिस्थियों में रियायतें दी जाती हैं।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की ब्याज दर बढ़ाना

4470. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया सेवा निवृत्त लोगों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं आदि के लिए अपनी मासिक ब्याज भुगतान योजना के अन्तर्गत 12% ब्याज देता है;

(ख) क्या सरकार ने प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को 15% तक ब्याज देने की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं और क्या सरकार का मासिक ब्याज योजना के अन्तर्गत यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की ब्याज दर बढ़ाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मासिक आय यूनिट योजना के अन्तर्गत जो कि 55 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के लोगों, विधवाओं, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और कुछ एक अर्हक संस्थानों के लिए है, ट्रस्ट 12% प्रतिवर्ष की दर से मासिक आधार पर लाभांश देता है।

(ख) जी हां, कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 58 "क" के अधीन बनाये गए कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 के नियम 3(1) (ग) के उपबन्धों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियां निक्षेपों को आमंत्रित और/अथवा स्वीकार/नवीकृत कर सकती हैं परन्तु जिनकी ब्याज की दर 15% वार्षिक से अधिक नहीं होगी।

(ग) एक निवेश संस्थान के रूप में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी यूनिटों की तुलना निर्माण और अन्य कार्यकलापों में लगी हुई कम्पनियों में जमाराशि से नहीं की जाती। जबकि यूनिटों पर लाभांश, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा आगे किये गये निवेश पर प्राप्त आय के आधार पर दिया जाता है, किन्तु जमा राशियों पर ब्याज, कम्पनी की लाभदेयता का विचार किये बिना

ही दिया जाना होता है। इसके अतिरिक्त, यूनिटों पर लाभांश के मामले में कर सम्बन्धी कुछ रियायतें भी उपलब्ध हैं।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोले गये क्षेत्रीय कार्यालय

4471. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में स्टेट बैंक प्रशासन को मान्यता देने की नीति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के राज्य-वार कितने क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं;

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के तथा उसके अन्तर्गत आने वाले शाखा कार्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे स्थानों में भी क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं, जहां भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्यालय हैं और यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आदिवासी जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर उड़ीसा में कौन-कौन से क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोले गए क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक ने 15 क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे स्थानों पर खोले हैं जहां पर बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय हैं। ऐसे केंद्रों के नाम नीचे दिये गए हैं :—

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संख्या
केंद्र	
1. बम्बई	1
2. अहमदाबाद	1
3. भोपाल	1
4. बंगलौर	1
5. भुवनेश्वर	1
6. चण्डीगढ़	2
7. कलकत्ता	2
8. गोहाटी	1
9. हैदराबाद	1
10. लखनऊ	1
11. नई दिल्ली	1
12. मद्रास	1
13. पटना	1

(घ) यद्यपि आदिवासी जिले किसी एक या दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, उड़ीसा राज्य के आदिवासी जिले और आदिवासी क्षेत्र बैंक के भुवनेश्वर और संबलपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रणाधीन हैं।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोले गये क्षेत्रीय कार्यालयों की राज्यवार संख्या

राज्य	क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या
1. महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली का संघ राज्य क्षेत्र	4
2. गोवा संघ राज्य क्षेत्र और महाराष्ट्र के तीन जिले	1
3. तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ क्षेत्र	3
4. केरल	1
5. कर्नाटक	2
6. आंध्र प्रदेश	4
7. पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का संघ राज्य क्षेत्र	4
8. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के तीन जिले	1
9. उत्तर प्रदेश	7
10. राजस्थान	1
11. गुजरात	2
12. मध्य प्रदेश	4
13. बिहार	5
14. उड़ीसा	2
15. पंजाब	1
16. हिमाचल प्रदेश	1
17. जम्मू और कश्मीर	1
18. संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और हरियाणा के 9 जिले	1
19. मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम	1
20. असम और संघ राज्य क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश	1

पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात

4472. श्री अतीश चंद्र सिन्हा : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान बांगलादेश से और सिन्थेटिक वस्तुओं के मूल्यों से प्रतिस्पर्धा न कर पाने और/अथवा भारतीय पटसन निर्यातकों द्वारा प्राय: की गई संविदागत त्रुटियों के कारण पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) संविदागत त्रुटियों से रोकने और/अथवा पटसन की वस्तुएं बनाने वालों को राज-सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं। उठाने का विचार है ताकि भारतीय पटसन से बने उत्पाद अन्य देशों की सिन्थेटिक वस्तुओं और पटसन उत्पादों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सके ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) विगत कुछ वर्षों के दौरान भारत के जूट माल के निर्यातों पर मुख्यतः बंगलादेश की तुलना में अप्रतियोगी कीमतों तथा संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, व कि संविदात्मक त्रुटियों के कारण।

(ग) भारतीय जूट उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) उद्योग के बराबर के निष्पादन के आधार पर जूट कालीन अस्तर के कपड़े तथा यार्न के लिये उच्चतर नकद मुआवजा सहायता प्रदान करना;

(2) उत्तरी अमरीका को कालीन अस्तर के कपड़े निर्यातों के लिये 50 : 50 के अनुपात में हानि वहन करने के आधार पर एस० टी० सी० जूट उद्योग सार्थसंघ बनाना;

(3) आर० एण्ड डी० प्रयासों के जरिये निर्यात योग्य उत्पादों का विकास प्रोत्साहित करना; और

(4) आर० एण्ड डी० प्रयासों और निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जूट उपकर की आय में से जए-नए जे० एम० डी० सी० तथा एक जूट निधि की स्थापना करना।

नई भर्ती पर लगाई गई रोक के परिणामस्वरूप होने वाली बचत

4473. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगाने के परिणामस्वरूप राजकोष में होने वाली बचत का कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी राशि की बचत हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यदि नई भर्ती पर प्रतिबन्ध न लगा होता तो उस पर जो व्यय होता उसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। अतः इस कारण से बचाई गई राशि का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

पटना में केंद्रीय रेशम बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय

[हिन्दी]

4474. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय रेशम बोर्ड ने आम सभा में संकल्प पारित करने के बाद तथा योजना आयोग की मंजूरी के बाद बिहार में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिये बहुत पहले उनके मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या टसर उत्पादन के मामले में बिहार एक प्रमुख राज्य है;

(घ) यदि हां, तो बिहार को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपेक्षा करने के क्या कारण हैं कि सरकार की तुलना में रेशम का कम उत्पादन करने वाले राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय खोल रही है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार पटना बिहार में केंद्रीय रेशम बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है और यदि हां, तो कब ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) टसर रेशम के उत्पादन में बिहार प्रमुख राज्यों में से एक है और सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान बिहार के लिये पटना में एक क्षेत्रीय विकास कार्यालय खोलने के केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ।

भारत वियतनाम व्यापार सम्बंध

[अनुवाद]

4475. श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन मदों के बारे में भारत-वियतनाम व्यापार सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) भारत ने वियतनाम को रेलवे रोलिंग स्टाक वैगन, वस्त्र मशीनरी, गेहूं, चावल तथा सूत जैसी मदें निर्यात की हैं । वियतनाम से भारत को सीमेंट तथा टीन के निर्यात हुए हैं ।

एल्यूमिनियम के प्रति यूनिट उत्पादन में उपयोग में लाई गई ऊर्जा

4476. श्री श्रीहरि राव : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत में एल्यूमिनियम के प्रति यूनिट उत्पादन में विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके लिये क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रायमरी एल्यूमिनियम संस्थान लन्दन की रिपोर्ट (1983) के अनुसार, अग्रणी एल्यूमिनियम उत्पादक देशों में एल्यूमिनियम के उत्पादन में बिजली की औसतन खपत 15,655 यूनिट से लेकर 17,435 यूनिट प्रति टन है, जबकि भारत में तीन बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में बिजली खपत लगभग 16,410 यूनिट से लेकर 18,240 यूनिट प्रति टन है तथा सबसे छोटे एल्यूमिनियम उत्पादक अर्थात् मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लि० में बिजली खपत लगभग 20,200 यूनिट प्रति टन है । किसी प्रद्रावक में बिजली खपत प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तथा पर्याप्त एवं स्थिर बिजली पूर्ति पर निर्भर होती है । एल्यूमिनियम के उत्पादक बेहतर नियंत्रण तकनीकों तथा आधुनिकीकरण उपायों द्वारा प्रद्रावकों में ऊर्जा खपत कम करने के लिये प्रयास कर रहे हैं । नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा प्रद्रावक आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है और इसकी ऊर्जा खपत आधुनिक विदेशी प्रद्रावकों के बराबर होगी ।

कोयले के प्रति टन उत्पादन हेतु उपयोग की गई ऊर्जा और जनशक्ति

4477. श्री बी० बी० रमैया : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में कोयले के प्रति टन उत्पादन हेतु उपयोग की जाने वाली ऊर्जा और जनशक्ति विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो कुछ अन्य उन्नत अधिक कुशल देशों की तुलना में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासियों और जनजातियों के लोगों को मंजूर किया गया ऋण

[हिन्दी]

4478. श्री मोहर सिंह राठौड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती राज्यों के लिये 1984-85 के दौरान उद्योगों के लिये कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया और वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई;

(ख) इसमें से आदिवासियों और जनजातियों के लोगों के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई और वास्तव में उन्हें कितनी धनराशि दी गई;

(ग) गैर-आदिवासी लोगों के लिये कितना ऋण मंजूर किया और वास्तव में उन्हें कितना ऋण दिया गया तथा इसमें से नये उद्यमियों को कितनी धनराशि दी गई;

(घ) क्या स्वीकृत ऋण राशि वास्तव में नहीं दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से सरकारी क्षेत्र के बैंको के सम्बन्ध में उस प्रकार सूचना प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार प्रश्न में मांगी गई है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर, 1983 के अन्तिम शुक्रवार को, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 26887 लघु औद्योगिक एककों के नाम अग्रिमों की 42.32 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी। (आंकड़े अनन्तिम हैं।)

मधुबनी और दरभंगा (बिहार) में बैंकों के माध्यम से पम्प सेटों की उपलब्धता

4479. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी क्षेत्र के तत्कालीन संसद सदस्य ने दिनांक 17 नवम्बर, 1983 को स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर दरभंगा जिले के बहादुरपुर खण्ड में डीजल और बिजली के बिना चलने वाले एक पम्प सेट का उद्घाटन किया था और क्या तत्पश्चात् मधुबनी और दरभंगा जिलों में बैंकों के माध्यम से इस प्रकार के पम्प सेट उपलब्ध कराये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से पम्प सेटों को तुरन्त सारे बिहार राज्य विशेषकर गया, पटना और औरंगाबाद में चालू न किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में रबड़, काजू, इलायची, नारियल और काफी का उत्पादन

[अनुवाद]

4480. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में रबड़, काजू, इलायची, नारियल और काफी के कुल उत्पादन की तुलना में केरल का तत्संबंधी उत्पादन कितने प्रतिशत है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी ० ए० संगमा) : देश में कुल उत्पादन की तुलना में केरल में 1983-84 अवधि के लिये रबड़, काजू, इलायची, नारियल तथा काफी के उत्पादन की प्रतिशतता नीचे दी गई है :

उत्पाद	सम्पूर्ण भारत मे उत्पादन (एम० मे० टन)	केरल में उत्पादन (एम० मे० टन)	देश के कुल उत्पादन में केरल के उत्पादन की प्रतिशतता
रबड़	175,280	162,212	92.5%
काजू	उ०न०	उ०न०	उ०न०
इलायची	1,600	1,100	68.77%
नारियल	5,871.0 (10 लाख नारियल)	2,694.7 (दस लाख नारियल)	45.9 %
काफी	1,04,000	9,465	9.1 %

आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी नीति के कारण विदेशी मुद्रा की बचत

4481. श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी नीति के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस नीति से कुल कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है है और तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) आयात प्रतिस्थापित की प्रगति से अन्य बातों के साथ-साथ आयात-योग्य वस्तुओं के घरेलू उत्पादन की वृद्धि में दर्शित होती है। निम्नलिखित सारणी में 1980 के दशक के दौरान बल्क आयातों की प्रमुख मदों के घरेलू उत्पादन की प्रवृत्तियां दी गई हैं। ये चुनिन्दा मदें 1981-82 में कुल आयातों के लगभग 63 प्रतिशत रहीं और अनन्तिम व्यापार आंकड़ों के अनुसार 1983-84 में यह कुल आयातों के 50% रहीं।

बल्क आयातों की चुनिन्दा मदों का घरेलू उत्पादन

मद	1980-81	1983-84
1	2	3
कच्चा पेट्रोलियम (मिलियन मे० टन)	10.5	26.0
पेट्रोलियम शोधक उत्पाद (मिलियन मे० टन)	24.1	32.9
उर्वरक		
(क) नाइट्रोजेनयस (000 मे० टन)	2164	3485
(ख) फासफोटिक (000 मे० टन)	842	1048

1	2	3
इस्पात		
(क) परिष्कृत इस्पात (गौण उत्पादों सहित) (मिलियन मे० टन)	6.82	6.14
(ख) कच्चा लोहा (गौण उत्पादों सहित) (मिलियन मे० टन)	9.55	9.19
अलोह धातुयें		
(क) एल्यूमिनियम (000 मे० टन)	199.0	220.3
(ख) ब्लिस्टर तांबा (000 मे० टन)	25.3	35.4
सीमेंट (मिलियन मे० टन)	18.6	27.1
अखबारी कागज (000 मे० टन)	51.18	175.86
खाद्यान्न (मिलियन मे० टन)	129.59	151.54
जिनमें से गेहूं (मिलियन मे० टन)	36.31	45.15
तिलहन (मिलियन मे० टन)	9.37	12.81

पूंजीगत माल क्षेत्र तथा उपभोक्ता माल क्षेत्र सहित, जहाँ कि मात्रा बताना सम्भव नहीं है, आयात प्रतिस्थापन, अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्र में हो रहा है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना प्रलेख में घरेलू सप्लाइयों में आयातों के प्रतिशतता भाग के रूप में आयात प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में निम्नोक्त मूल्यांकन की व्यवस्था है। चुनिन्दा क्षेत्रों के ब्यौरे नीचे दिये जा रहे हैं :

आयात प्रतिस्थापन

(स्वदेशी सप्लाइयों में आयातों का प्रतिशतता भाग)

क्रम सं०	मद	योजनापूर्व 1950-51	1977-78
1.	खाद्यान्न	5.9	0.2
2.	लोहा तथा इस्पात	25.2	1.1
3.	मशीनरी**	68.9	15.3
4.	पेट्रोलियम+	92.5	63.1
5.	नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक	72.5*	27.5

**सकल निवेश के मशीनरी संघटक के प्रतिशत के रूप में आयात।

+कैलेंडर वर्ष के आधार पर।

1951-52 के लिये।

आयात प्रतिस्थापन नीति के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत की कुल राशि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

कोयले के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य

4482. श्री बी० भूपति : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के सम्बन्ध में किसी प्रकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले की खानों के श्रमिकों को शिक्षा स्वास्थ्य और आवास के रूप में उनको तथा उनके परिवारों को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) क्या उनके परिवारों को कोयला खानों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खनिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने और उन्हें कल्याण सुविधाएं देने के काम को पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 1984-85 के दौरान रु० 55.00 करोड़ की राशि कोल इण्डिया लि० ने आवास सुविधाएं बढ़ाने के आवंटित की थी। कोलियरी कर्मचारियो को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिये दिसम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार कोल इण्डिया लि० में 445 औषधालय, 3911 बिस्तरों वाले 65 अस्पताल, 544 एंबुलेंस गाड़ियां और 973 डाक्टर (इसमें विशेषज्ञों सहित) थे। इस समय कोयला क्षेत्रों में 845 शैक्षिक संस्थाएं चल रही हैं। कोलियरी के कर्मचारियो के आश्रितों की आवश्यकताएं पूरी करने वाले स्कूल और कालेज चलाने के लिये कोयला कम्पनियां वित्तीय और अन्य सुविधाएं भी दे रही हैं।

(घ) स्थानीय जनता (इसमें कोयला खनिकों के परिवार भी शामिल हैं) को रोजगार के अवसर देने की दृष्टि से कोल इण्डिया लि० की सहायक कम्पनियों ने कोयला यूनिटों में टोकरी आदि सामग्रियों के उत्पादन के लिये अनुषंगी यूनिटों का विकास किया है।

राजस्थान में खानों का विकास

[हिन्दी]

4483. श्री लाला राम केन : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी खानें केंद्रीय सरकार और उसकी निगमों के नियन्त्रणाधीन हैं तथा इन खानों से कितने श्रमिक जीविकोपार्जन कर रहे है;

(ख) क्या इन खानों के विकास के लिये केंद्रीय सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) भरतपुर में कितनी खानें हैं तथा वहां पत्थर खदान श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ग्राम जन के लिये सस्ते कपड़े का उत्पादन

[अनुवाद]

4484. श्री ओ० विजय रामा राव : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये कपड़े की सप्लाई करने हेतु हथकरघा उद्योग का उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पहले की नीति से इस तरह हटने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का यह जानकारी है कि लघु हथकरघा उद्योग के पास विभिन्न दूसरे देशों की विशेष मांग के लिये निर्यात करने की भारी क्षमता है और इसलिये इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर उन्मुख होने के बजाय निर्यातोन्मुख होना चाहिए; और

(घ) क्या सरकार का विचार आम जनता के लिये बहुत दिन तक चलने वाले सस्ते कपड़ों के उत्पादन के लिये बड़े पैमाने के कपड़ा उद्योग का उपयोग करने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार हथकरघा मदों के निर्यात की व्यापक गुंजाइश से अवगत है। तथापि, अभी हथकरघे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभिमुख नहीं हैं।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें 15 अगस्त, 1983 से नियंत्रित वस्त्र योजना के अन्तर्गत, 10.50 रु० प्रति मीटर के हिसाब से 8 मिलियन पोलिएस्टर मिश्रित काटन शर्टिंग का कपड़ा बना रही हैं।

सेंट्रल बैंक में जाली ड्राफ्ट जारी किया जाना

[हिंदी]

4485. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा करोड़ों रुपये मूल्य के जाली ड्राफ्ट जारी किये गये हैं;

(ख) क्या उक्त मामले में कोई जांच कराई गई; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 1984 में कुल 3,78,600/- रुपये मूल्य के 6 जाली ड्राफ्टों का उसकी बम्बई की तीन स्थानीय शाखाओं और जम्मू की तीन स्थानीय शाखाओं द्वारा समाशोधन में भुगतान किया गया था। बैंक ने आगे बताया है कि नागपुर में इसकी सात स्थानीय शाखाओं में कुल 3,07,700/- रुपये के सात जाली ड्राफ्ट प्रस्तुत किये गये थे। लेकिन बैंक इस धोखाधड़ी से बच गया और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बैंक ने स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि होने से सरकार को हुआ घाटा

[अनुवाद]

4486. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत में कतिपय स्रोतों से जब इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की आशंका पर इस्पात की भारी खरीद की गई थी और इसके फलस्वरूप सरकार को भारी घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस्पात की उक्त भारी खरीद कितने की थी और इसमें कितना घाटा हुआ था; और

(ग) क्या हाल ही में इस्पात के मूल्यों में हुई वृद्धि के दौरान भी वही स्थिति फिर सामने आई है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री क० नटवर सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 के दौरान जिन महीनों में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की गई थी, उन महीनों से पहले महीनों अर्थात् जून, 1984 और फरवरी, 1985 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस्पात की कुल मासिक घरेलू बिक्री के बारे में किये गये विश्लेषण से पता चला है कि मूल्यों में वृद्धि होने की प्रत्याशा के कारण इस्पात की कोई भारी अथवा असामान्य बिक्री नहीं हुई।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखों की लेखापरीक्षा

4487. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखों की चार्टेड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखा परीक्षा किये जाने की वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा कराये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) क्या इस तथ्य की दृष्टि से कि सरकारी उपक्रमों के सभी क्षेत्रों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सौंपने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

अधिक संख्या में चाय उद्योगों के लिये प्रस्ताव

4488. श्री आर० अन्नानाम्बी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को रोजगार के और अधिक अवसर मुहैय्या करने के लिये अधिक संख्या में चाय उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितने नये क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा):(क) से (ग) चाय उद्योग मुख्यतया गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। तथापि, 7वीं योजना में चाय उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से चाय की खेती के अधीन क्षेत्र बढ़ाने के लिये प्रोत्साहनों और विद्यमान चाय क्षेत्रों में पूंजी निवेश की व्यवस्था है।

रोपण के विस्तार के लिये 24,450 हैक्टार का लक्ष्य रखा गया है। चार प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों के सम्बन्ध में लक्ष्य निम्नोक्त प्रकार हैं :

असम	11,050 हैक्टार
पश्चिम बंगाल	3,500 हैक्टार
तमिलनाडु	1,900 हैक्टार
केरल	1,600 हैक्टार

चाय बागानों में रोजगार क्षमता लगभग 2.5 कामगार प्रति हैक्टार है।

कोयला खान श्रमिकों के कल्याण के लिये समझौता

[हिंदी]

4489. श्री सरफराज अहमद : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० डब्लू० ए०-III अध्याय 9 (सामाजिक सुरक्षा) के खंड संख्या

9.4.4 के अंतर्गत कोयला खान श्रमिकों के कल्याण के लिये संयुक्त द्विपक्षीय समिति के माध्यम से सरकार ने कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोल इण्डिया लि० ने कोयला खान श्रमिकों के कल्याणार्थ उक्त समझौते को कार्यान्वित नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) इस खंड में प्रावधान है कि सेवा-निवृत्त हो रहे कर्मचारी के एक आश्रित को रोजगार दिया जाएगा।

(ग) और (घ) इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में अफीम उगाने के लिये पट्टे पर जमीन का आवंटन

4490. श्री बालकवि बैरागी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के मन्दसौर और रतलाम जिलों में अफीम उगाने के लिये पट्टे पर जमीन आबंटित करने की नीति सम्बन्धी असंगतियों को दूर करने का है;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों को भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन किसानों के पट्टे भी रद्द कर दिये गये हैं जो प्राकृतिक विपदाओं के फलस्वरूप अफीम की फसल नष्ट हो जाने के कारण अफीम का निर्धारित औसत मात्रा का उत्पादन नहीं कर सके थे;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कब तक कोई नीति निर्णय करने का है ताकि किसानों के रद्द किये गए पट्टे उन्हें बहाल किए जा सकें; और

(घ) क्या सरकार ने मन्दसौर और रतलाम जिलों में अफीम को और अधिक क्षेत्र में पैदावार करने का फैसला किया है और उक्त निर्णय कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रत्येक वर्ष क लिए बनाये जाने वाले लाइसेंसिंग सिद्धान्तों में पोस्त की काश्त के लिये लाइसेंस जारी करने संबंधी नीति निर्धारित की जाती है। इन सिद्धान्तों के संबंध में कोई भी विसंगति सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिये दैवी आपदाओं आदि के कारण फसल को होने वाले नुकसान के मामले में, काश्तकार द्वारा दी जाने वाली न्यनतम उपज के संबंध में इन सिद्धान्तों में उचित राहत देने की भी व्यवस्था होती है। इस संबंध में नियत मानदण्डों का लाइसेंस जारी करते समय पालन किया जाता है।

(ग) और (घ) इस बात को देखते हुये कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अफीम को लगातार कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है तथा सरकारी कारखानों में अफीम का बहुत स्टाक पड़ा है, रद्द किये गये लाइसेंसों को बहाल करने तथा पोस्त की काश्त के क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान के लिये यूरेनियम की तस्करी

[अनुवाद]

4491. श्री राम रतन राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरेनियम की, जो कि अणु बम के निर्माण के लिये मूल सामग्री है, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कुछ अन्य भागों से पाकिस्तान को नेपाल के रास्ते अवैध ढंग से पाकिस्तान को तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि भारत से पाकिस्तान को नेपाल के रास्ते यूरेनियम का तस्कर-निर्यात हो रहा है।

(ख) और (ग) इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) खान तथा मिल परिसर से यूरेनियम की चोरी को रोकने के लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्यतया भारत-नेपाल सीमा के आर-पार तस्करी को रोकने के लिए तस्करी-निवारण संबंधी उचित उपाय किये गये हैं। अप्राधिकृत व्यापार को रोकने के लिए सहयोग संबंधी करार के तहत भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यवस्था भी मौजूद है। इस क्षेत्र में सीमाशुल्क विभाग के निवारण और आसूचना तंत्र को कर्मचारी तथा उपकरण उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियां उचित कार्यवाही करने के लिए सतर्क बनी रहती हैं।

खनिज और धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों को आवासों का आवंटन

4492. श्री राम पूजन पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली ने अपने कर्मचारियों को आवंटित करने हेतु अपनी आवासीय कालोनी का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने मकान (टाइप-चार) बनाये गये और किस तरह तारीख की नियुक्ति तक आवंटन (श्रेणी-वार) किया गया है;

(ग) कितने कर्मचारियों को अभी तक मकान आवंटित नहीं किए गए हैं और प्रत्येक श्रेणी में उनकी नियुक्ति की तारीखें क्या-क्या हैं;

(घ) क्या इन कर्मचारियों के लिए और अधिक फ्लैटों का निर्माण करने का विचार है जिन्हें अभी तक मकान आवंटित नहीं किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार खनिज और धातु व्यापार निगम को ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनके दिल्ली में अपने मकान नहीं हैं प्राथमिकता देने हेतु अनुदेश जारी करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी हां।

(ङ) निर्माण का प्रथम चरण 1985-86 के दौरान आरम्भ किए जाने की आशा है।

(च) इस विषय पर एम० एम० टी० सी० को, जिसके अपने आवंटन नियम तथा क्रिया-विधियां हैं, अनुदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

(ख) एम० एम० टी० सी० द्वारा निर्मित आवासीय स्थान (श्रेणी-वार) के साथ-साथ जिस तारीख तक कर्मचारियों को आवास मिल चुके हैं के ब्यौरे।

टाईप	कुल सं०	नियुक्ति की तारीख जिस तक कर्मचारियों को आवास मिल चुके हैं
'क'	64	जुलाई, 1980
'ख'	92	अगस्त, 1980
'ग'	52	मार्च, 1978
'घ'	20	अक्तूबर, 1975
'ङ'	10	नवम्बर, 1980

ऊपर बताए गए क्वार्टरों की संख्या मे एम० सी० ई० टी० टी० को आरम्भ में दिए गए फ्लैट शामिल नहीं हैं और सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा अपने रख-रखाव कार्यालयों (1 सं०), डाक्टर की क्लीनिक (1 सं०), रेजीडेंट (6 सं०), विशन (2 सं०) और प्रयोजन के लिए डोमिन-टरी वैलफेयर एस० किया जा रहा है।

(2 सं०) के उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिन्होंने आवेदन किया है परन्तु कालोनी में जिन्हें आवास नहीं दिए जा सके—

'क'	18	नियुक्ति की तारीख 14-7-1980 से 20-7-1983 तक।
'ख'	12	नियुक्ति की तारीख 15-12-78 से 10-11-1982 तक।
'ग'	13	नियुक्ति की तारीख 23-1-66 से 1-2-1984 तक।
'घ'	4	नियुक्ति की तारीख 27-5-63 से 16-4-1978 तक।
'ङ'	शून्य	

सातवीं योजना में जहाज तोड़ने के संबंध में नीति

4493. श्री एस० एम० भट्टम : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान जहाज तोड़ने के उद्योग में एल० डी० टी० (लाइट डिप्लेसमेंट टनेज) के रूप में लगभग 60% की गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में जहाज तोड़ने के संबंध में सरकार की नीति क्या है; और

(ङ) क्या जहाज तोड़ने वाली यूनिटों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए शुल्कों में कमी का कोई विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) (ख) और (ग) वर्ष 1984-85 में जहाज तोड़ने के उद्योग को 3.32 लाख एल० डब्ल० टी० भार के जहाज तोड़ने के लिए दिए गए थे जबकि वर्ष 1983-84 में 4.32 लाख एल० डी० टी० भार के जहाज दिए गए थे लेकिन 1-4-85 को जहाज तोड़ने के स्थलों पर 2.16 लाख एन० डी० टी० भार के जहाजों की सुपुर्दगी की जानी थी, जबकि 1-4-1984 को मात्र 21,548 एल० डी० टी० भार के जहाजों की सुपुर्दगी की जानी थी। इस प्रकार जहाज तोड़ने के कार्य में कोई गिरावट नहीं आई है।

(घ) जहाजों का आयात करने के लिए उनकी संख्या का निर्धारण वर्षानुवर्षी आधार पर मांग तथा देश में पुनर्बेलन योग्य सामग्री की उपलब्धि के आधार पर किया जाता है।

(ङ) सरकार जहाज तोड़ने से प्राप्त होने वाली पुनर्बेलन योग्य सामग्री के मामले में जहाज तोड़ने के उद्योग को उत्पाद-शुल्क से छूट देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4494. श्री अनादि चरण दास : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भुवनेश्वर के कार्यालय में 1 मार्च, 1982 तथा 1 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार कितने कर्मचारी थे;

(ख) इन तारीखों को उनमें से श्रेणीवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी थे;

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पक्ष में आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है और उसका रोस्टर रखा जाता है;

(घ) यदि उनकी संख्या में कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आरक्षित पद व्यपगत हुए और क्या इन मामलों में बकाया को आगे लाने संबंधी नियम लागू किए गए थे ?

इस्पात खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और भुगतान सतुलन

4495. श्री सी० पी० ठाकुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति के सम्बन्ध में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश की किस प्रकार सहायता की गई; और

(ख) इन कम्पनियों के आयात-निर्यात बिल का अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई समुद्र-तट पर सोने की तस्करी में अकस्मात वृद्धि

4496. श्री आर० एम० भोये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान बम्बई समुद्र तट पर विशेष रूप से कोलाबा जिले में सोने की तस्करी में अकस्मात वृद्धि हुई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के अल्प जिलों से भी सोने की तस्करी के समाचार प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से जिले हैं; और

(ग) सरकार को समुद्र-तटीय क्षेत्रों के ऐसे कौन-कौन से नये स्थानों का पता चला है जहां तस्करी संबंधी गतिविधियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सरकार को प्राप्त हुई सूचना से यह संकेत मिलता है कि भारत का पश्चिमी समुद्री-तट, विशेष रूप से बम्बई समुद्री तट, खासतौर पर सोने की तस्करी के अत्यधिक आशंका वाला क्षेत्र बना हुआ है। सोने के स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अपेक्षाकृत अधिक अंतर आ जाने के कारण वर्ष 1983 की तुलना में वर्ष 1984 में काफी अधिक मात्रा में सोना पकड़ा गया है। तथापि, अभिग्रहण, आदि के संबंध में जिला-वार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पश्चिमी समुद्री-तट के किसी क्षेत्र-विशेष में तस्करी की आशंका, अनेक कारकों के कारण, कम-ज्यादा होती रहती है।

निगम क्षेत्र के विकास के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना

4497. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के निगमित क्षेत्रों में पर्याप्त धनराशि का निवेश नहीं किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में निगमित क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रधान करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संघ सरकार निजी निगमित क्षेत्र में सीधे निवेश नहीं करती;

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता;

(ग) पूंजी बाजार में सुधार करने के लिए सरकार ने जो उपाय किए हैं उनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पूंजी बाजार में सुधार करने के लिए सरकार ने जो उपाय किए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) 16 मई, 1984 से तरजीही शेयरों के लाभांश की दर को 13.5% वार्षिक से बढ़ाकर 15% प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

(ii) ऋणपत्र निर्गमों के सम्बन्ध में अद्यतन मार्ग निर्देश जारी कर दिए गए थे। परिणाम स्वरूप ऋणपत्र बाजार के संवर्धन के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं—

(क) ऋणपत्रों के निर्गम से सम्बंधित उद्देश्यों को अब उदार बना दिया गया है और उनके अन्तर्गत विलयन, समेकन, पूजी के पुनर्गठन आदि की परिस्थितियों को भी शामिल कर दिया गया है।

(ख) अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों को सामान्य शेयर पूंजी से संयोजित किए जाने की अनुमति ऐसी दशा में दी जाती है जबकि ऋणपत्रों के ब्याज की दर 13.5% पर ही अवरुद्ध कर दी जाए।

(ग) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को जनता से ऋणपत्रों के द्वारा पूंजी जुटाने की अनुमति दी जाती है चाहे उनके शेयर स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध ना भी हों।

(घ) कम्पनियों को ऋण पत्रों के निर्गम की तारीख से पांचवें वर्ष से लेकर नवें वर्ष तक ऋणपत्रों को मोचन के लिए विकल्प किया गया था, जिसका अर्थ ऋणपत्रों की राशि की वापसी अदायगी को फैलाकर पूरा करना था।

(ङ) ऋणपत्रों के निर्गम के सम्बन्ध में अधिक अभिदान प्राप्त हो जाने की दशा में कम्पनियों को अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के मामले में प्राप्त अभिदान में से ऐसे मूल निर्गमों की तुलना में जिनके लिए पूंजी निर्गम नियंत्रक से मूलत: स्वीकृति प्राप्त की गई थी, अधिक से अधिक 50% तक के अभिदान को अपने पास रख लेने की अनुमति दे दी जाती है।

(च) छोटी कम्पनियों को अपेक्षतया अधिक आसानी से साधन जुटाने के योग्य बनाने के लिए; गैर—"एम० आर० टी० पी०" और गैर "फैरा" कंपनियों को जनता के समक्ष 15% से अनधिक ब्याज की दर पर परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करने की अनुमति प्राप्त है जबकि इससे पहले ब्याज की निर्धारित दर 13.5% थी।

(iii) लाभोपार्जन करने वाली विद्यमान अल्पजनधारित कम्पनियों को अपने शेयरों को स्टाक-एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करा सकने की सुविधा देने की दृष्टि से, सरकार ने हाल ही में इस मार्गनिर्देश में ढील दे दी है कि पूंजीकृत धनराशि में से बोनस सम्बन्धी निर्गम की अनुमति अधिक से अधिक 1:1 समानुपातिक आधार पर ही दी जा सकेगी। दूसरे शब्दों में यदि ये कम्पनियां अपने शेयरों को स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करा लेंगी तो इस समानुपात में कुछ ढील दिए जाने के पक्ष में विचार किया जायेगा।

(iv) कम्पनियों को अपने पूंजी निर्गमों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले अधिक अभिदान में से उस धनराशि के 25% के बराबर की धनराशि को अपने पास धारित कर लेने की अनुमति है जिसके लिए उनको केन्द्रीय सरकार की अभिस्वीकृति प्राप्त हुई थी।

(v) पूंजी बाजार का और अधिक विकास करने की दृष्टि में अधिक से अधिक कंपनियों को स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कराने के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसी विद्यमान गैर-"फैरा" कम्पनियों को जो कि 10 वर्षों से ज्यादा पुरानी हैं अथवा जो पिछले 5 वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों से लाभोपार्जन कर रही हैं, कम्पनी की जारी पूंजी के 49% भाग को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की वर्तमान अपेक्षा की बजाए जारी पूंजी के 40% भाग को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त पर सूचीबद्ध कर लिया जायेगा। एतत् पश्चात ऐसी कम्पनियां अपने विवेकानुसार शेयरों के सार्वजनिक प्रस्तावों को दो चरणों में निष्पादित कर सकेंगी अर्थात् पहले चरण में सूचीबद्ध किए जाने के समय पर 20% पूंजी जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और शेष पूंजी सूचीबद्ध किए जाने की तारीख से बाद तीन वर्षों की अवधि के अन्दर जनता के समक्ष उपस्थापित कर दी जायेगी।

(vi) पूंजी निर्गम (छूट) आदेश 1969 के अधीन 365 दिनों की अवधि के दौरान एक गैर-"एम० आर० टी० पी०" कम्पनी के द्वारा केवल मात्र 50 लाख रुपए की राशि तक की प्रतिभूतियों को जारी किया जा सकता था। अब पूंजी निर्गम नियंत्रक ने 50 लाख रुपए की इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है।

अगरतला में भारतीय जीवन बीमा निगम की कैरिअर/"डायरेक्ट एजेंटस ब्रांच की स्थापना करना

4498. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास शिक्षित नवयुवकों को बीमा एजेंसी चलाने को पेशे के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करने और उसके साथ-साथ लोगों को भी प्रभावकारी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु तथा व्यापार की नई संभावनाओं का पता लगाने के लिए अगरतला में भारतीय जीवन बीमा निगम की "कैरिअर एजेंट ब्रांच" अथवा "डायरैक्ट एजेंट ब्रांच" खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम की अगरतला में एक शाखा है जहां इस समय कुछ अनाश्रित (डायरैक्ट) एजेंट लगे हुए हैं। और शिक्षित युवक भी इस शाखा में अनाश्रित एजेंटों के रूप में काम कर सकते हैं। अगरतला शाखा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण वृत्तिक (कैरिअर) एजेन्ट स्कीम, 1979 भी लागू होती है। लेकिन, चूंकि अगरतला शाखा के अन्तर्गत काम करने वाले अनाश्रित एजेंटों और वृत्तिक एजेंटों की संख्या बहुत कम है इसलिए, जीवन बीमा निगम की इस समय अगरतला में ऐसे कार्यालय स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) इस मामले पर जीवन बीमा निगम द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्रों को प्रदान की गई सुविधायें

4500. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के किन-किन जिलों को पिछड़ा हुआ समझा जाता है तथा उनके विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और क्या सुधार किया जा रहा है; और

(ख) इन जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, जिला-वार और बैंक-वार प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यथाउपलब्ध सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी और मनुगुरु में नये कोयला खानों का विकास

4501 **श्री वी० सोमनाद्रीश्वरा राव** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप बिजली घरों में खपत के लिए अधिक कोयला उपलब्ध कराने हेतु सिंगरेनी और मनुगुरु में नई कोयला खानों के विकास के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी और मनुगुरु में शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम और उसकी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में कुल उत्पादन 12.3 मि० टन हुआ और इस उत्पादन का लगभग 45% कोयला ताप बिजली घरों को सप्लाई किया जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1984-85 से 1989-90) के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० का उत्पादन बढ़ाकर 24 मि० टन प्रतिवर्ष करने की योजना है और इसका लगभग आधा कोयला ताप बिजली घरों को सप्लाई किया जाएगा। इस क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान तीन नई कोयला परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इन परियोजनाओं के विवरण निम्नलिखित हैं—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लक्ष्य क्षमता (मि० ट०/वर्ष)	पूंजी लागत (रु० करोड़)
1.	बेलमपाली ओ० का० प०	0.35	11.28
2.	मनुगुरु ओ० का० प०-II	2.75	132.00
3.	मनुगुरु ओ० का० प०-III के लिए अग्रिम कार्रवाई	—	0.80

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के लिये कुछ अतिरिक्त नई योजनाएं निर्दिष्ट की गई हैं और इन योजनाओं की साध्यता रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

जीवन बीमा निगम के पास तरल परिसम्पत्तियां

4502. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के पास दिसम्बर, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त तक कुल कितनी तरल परिसम्पत्तियां थीं; और

(ख) किस प्रकार और विशेष रूप से किन क्षेत्रों में उनका निवेश किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1984 को समाप्त कैलेन्डर वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के पास 1510.10 करोड़ रुपये की नकदी परिसपत्तियां थीं; जिनका निवेश इस प्रकार से किया गया था—

विवरण

	रकम (करोड़ रुपये)
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	455.21
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	14.75
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	252.56
समाज-उन्मुख क्षेत्र	532.78
निजी क्षेत्र	190.95
बैंकों के पास मांग जमा में वृद्धि और बैंक शेष	63.85
जोड़—	1510.10

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामोदय योजना के लिए मन्जूर किये/दिये गये ऋण

4503. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामोदय योजना के लिए कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गये और वास्तव में कितनी राशि दी गयी ;

(ख) क्या इस बारे में कोई स्वतन्त्र मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (फरवरी, 1985 तक) में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1642.91 करोड़ रुपये के कुल सावधि ऋण दिये गये । वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किये गये अध्ययनों तथा मासिक प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायेंगे ।

निगमित क्षेत्र द्वारा परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के माध्यम से धन उगाहने की योजना

4504. श्री बी० वी० देसाई
श्री राम समुझावन } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित क्षेत्र को बाजार से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के माध्यम से धन उगाहने की अनुमति देने सम्बन्धी सरकार की योजना विफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये मार्गनिर्देशों का प्रारूप कानूनी जांच के मुताबिक सही साबित नहीं होता है;

(ग) क्या सरकार ने महसूस किया है कि प्रारूप में प्रस्तावित मार्गनिर्देशों को वर्तमान कानून के अन्तर्गत कार्यान्वित नहीं किया जा सकता;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार या तो कर कानूनों में या मार्गनिर्देशों में परिवर्तनों करने जैसे दो विकल्पों पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मार्गनिर्देशों को कार्यान्वित करने में प्रमुख बाधा शेयरों के परिवर्तन अनुपात से सम्बन्धित है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) परिवर्तनीय तरजीही शेयरों के माध्यम से निगमित क्षेत्र को बाजर में से धनराशि जुटाने की अनुमति देने की एक योजना के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली कार्यपद्धतियां तैयार की जा रही है और इस संबंध में मार्गनिर्देश बनाए जाने से पहले कानूनी पहलुओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा ।

सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा जापान से रोल्ड काइल्स का आयात

4505. प्रो० एम० आर० हाल्दर : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र जापान से "रोल्ड काइल्स" के आयात पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा "रोल्ड काइल्स" के आयात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और अथवा देश में अन्य किसी इस्पात संयंत्र में "रोल्ड काइल्स" के स्वदेशी उत्पादन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं—उठाने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सेलम इस्पात कारखाने के लिए गर्म बेलित क्वायलें निविदाएं मंगवाकर विश्व-व्यापी स्रोतों (जापान भी शामिल है) से आयात की जाती हैं। गत तीन वर्षों में सेलम इस्पात कारखाने द्वारा आयात की गई गर्म बेलित क्वायलों का ब्यौरा इस प्रकार है ,—

मात्रा —टनों में

क्रम सं०	देश	सेलम इस्पात कारखाने द्वारा किया गया आयात		
		1982-83	1983-84	1984-85
1.	फिनलैंड	7,665	1,911	7,539
2.	जापान	5,1 0	3,368	5,676
3.	इटली	796	—	1,185
4.	स्पेन	197	1,992	—
5.	पश्चिम जर्मनी	146	—	—
6.	फ्रांस	756	44	—
7.	ब्राजील	—	200	—
8.	बेल्जियम	—	55	—
	कुल :	14,690	7,570	14,400

(ग) दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयंत्र के विस्तार के दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। विस्तार कार्यक्रम में कारखाने में निरन्तर ढलाई के बेदाग इस्पात के स्लैबों का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। इन स्लैबों को सेलम इस्पात कारखाने को आदान-सामग्री के रूप, में सप्लाई करने हेतु इन्हें बोकारो इस्पात में गर्म-बेलित किया जाएगा। बोकरो इस्पात कारखाने में आयातित स्लैबों को परीक्षण के तौर पर बेलित किया गया है। मिश्र इस्पात संयंत्र से निरन्तर ढलाई के स्लैबों के वर्ष 1986-87 की अन्तिम तिमाही तक उपलब्ध होने की संभावना है। अन्तरिम व्यवस्था के रूप में मिश्र इस्पात कारखाने में उत्पादित बेदाग इस्पात पिण्डों की सीमित मात्रा का राउरकेला इस्पात कारखाने में बेलन किया जाता है ताकि उन्हें सेलम इस्पात कारखाने को सप्लाई किया जा सके। इस प्रक्रिया से उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

न्यू बैंक आफ इण्डिया, घंटाघर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जातियों को ऋण

[हिन्दी]

4506. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के कितने लोगों ने न्यू बैंक आफ इण्डिया, कोर्ट रोड, घंटाघर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में ऋण के लिए आवेदन किये और अब तक ऐसे कितने आवेदनों को मंजूर किया गया है;

(ख) क्या मंजूर किये गये सभी आवेदन-पत्रों पर ऋण दे दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) शेष आवेदकों को कब तक ऋण मंजूर कर दिया जाएगा और उन्हें कितना ऋण वितरित किया गया है ; और

(घ) शेष आवेदन पत्रों को निपटाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और बैंक को उक्त प्रत्येक आवेदन किस-किस तारीख को प्राप्त हुआ था ?

वित्त मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान सूचना प्रणाली के अनुसार, बैंकों को उनके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में शाखा-वार सूचना इस प्रकार नहीं भेजनी होती जिसमें प्राप्त किए गए, मंजूर किए गए, रद्द किए गए, विचाराधीन आवेदनों का ब्यौरा दिया गया हो ।

फिर भी बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं के ऋण आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक तथा तत्परता से कार्रवाई करें यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं का आवेदन रद्द किया जाना हो तो ऐसा शाखा स्तर के बजाए उससे ऊंचे स्तर पर किया जाना चाहिए । 25,000 रुपए तक के ऋणों के आवेदन एक पखवाड़े और 25 000 रुपए से अधिक के आवेदन 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटाने होते हैं । बैंकों से यह भी कहा गया है कि शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं अथवा यदि ऐसा करना संभव न हो तो कम से कम जिला स्तर पर ऐसा कर दिया जाना चाहिए ताकि समाज के कमजोर वर्गों के आवेदनों को किसी उच्च प्राधिकारी के पास भेजे बिना निपटाया जा सके । शाखाएं रद्द किए गए आवेदनों का रिकार्ड रखती हैं ताकि समक्ष प्राधिकारी इस बात की जांच कर सकें कि आवेदन वैध कारण से ही रद्द किए गए हैं ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत आनेवाली यूनिटों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी समयबद्ध अनुबन्धों की क्रियान्विति

[अनुवाद]

4507. एस० बी० श्री चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड और उसकी विभिन्न सहायक कम्पनियों द्वारा पिछले तीन कलैण्डर वर्षों के दौरान अपनी यूनिटों विशेष कि आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए दिए गये समयबद्ध अनुबन्धों की समुचित क्रियान्विति हुई है अथवा समय पर भुगतान न होने और प्राय: अनुबन्ध समझौतों में मूल्य-वृद्धि सम्बन्धी खण्ड न होने के कारण उनकी क्रियान्विति में विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या वर्तमान अनुबन्धों में इस्पात और अन्य मदों में होने वाली सांविधिक वृद्धि को स्थान नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन यूनिटों का ब्यौरा क्या है जिनमें आधुनिकीकरण योजनाओं की क्रियान्विति में अत्यधिक विलम्ब हुआ है; और

(घ) ऐसी योजनाओं की तेजी क्रियान्विति के लिए सहायता करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान एन० टी० सी० की आधुनिकीकरण परियोजनाएं अधिकांश मामलों में कार्यक्रम के अनुसार चली हैं। कुछ मामलों में विलम्ब हुआ परन्तु समय से भुगतान न होने अथवा संविदा करारों में कीमत-वृद्धि सम्बन्धी खण्ड की वजह से नहीं।

(ख) वर्तमान सिविल निर्माण संविदाओं में इस्पात तथा सीमेंट को छोड़कर कीमतों में सांविधिक वृद्धि के लिए एक खण्ड है जिनकी व्यवस्था करना एन० टी० सी० की जिम्मेवारी है। जहां तक मशीनरी सप्लाई आर्डरों का सम्बन्ध है, इनमें वृद्धि सम्बन्धी खण्ड निहित नहीं है क्योंकि कीमत को प्रत्येक बजट के बाद सप्लायरों के साथ अन्तिम रूप दिया जाता है और वर्ष भर के लिए वैध होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यान्वयन ध्यानपूर्वक मानीटर किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है,समुचित कार्यवाही की जाती है।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में किया गया सर्वेक्षण

[हिन्दी]

4508. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावती : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने हिमाचल की शिवालिक पर्वतमाला में सर्वेक्षण किया है जिसके परिणाणस्वरूप वहां सोना मिलने की संभावना है;

(ख) क्या ऊपरी शिवालिक क्षेत्र और मध्य शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली मारकंडा, सोम्ब, गंगासर, कोसी जैसी नदियों तथा इसकी सहायक नदियों में किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप उनमें सोना मिश्रित रेत पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वहां से सोना निकालने का कार्य शुरू किया जाएगा तथा वहां से कितनी मात्रा में सोना मिलने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। हिमालय की शिवालिक पर्वतश्रृंखला में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, मारकंड, साम्ब, गंगासर, कोसी और उसकी सहायक नदियों की तलछाटन में बजरी स्वर्ण कण होने का पता चला है।

(ग) अब तक प्राप्त स्वर्ण कण आर्थिक महत्व के नहीं हैं। लेकिन आगे खोज जारी है।

वस्त्र उद्योग में असंतुलन दूर करने के लिये कपास के माल भाड़े का समीकरण

[अनुवाद]

4509. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या पूर्ति तथा वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पूर्वी भारत में, विशेष कर पश्चिम बंगाल में वस्त्र उद्योगों के विकास में असंतुलन दूर करने के लिए माल भाड़े का समीकरण किया जाना आवश्यक है;

(ख) इस्पात और कोयला में समीकरण को देखते हुए कपास के लिए भी ऐसा ही कदम न उठाने अथवा इस्पात और कोयला में समीकरण को समाप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने मराठे समिति की सिफारिशों पर पहले विचार किया था तथा यह स्वीकार किया कि भाड़ा समानीकरण योजना रुई के लिए लागू करना अनुचित होगा। ऐसी किन्हीं वर्तमान योजनाओं को चलाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन नीति के संबंध में पांडे समिति की सिफारिशों को भी स्वीकार किया है।

छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों (मध्य प्रदेश) में खनिजों का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

[हिन्दी]

4511. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में खनिजों का कोई भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर कौन-कौन से खनिजों के मिलने की संभावना है; और

(ग) उनके दोहन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में अभी तक राक फास्फेट पाइरोफिलाइट, हीराकणयुक्त अल्ट्रामैफिक चट्टानें/भूबंध, आधार धातु अयस्क (सीसा-जस्ता-तांबा), खनिज मिट्टी, लौह अयस्क और बैराइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का पता चला है।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम फास्फोराइट और पायरोफिलाइट खनिज निक्षेपों पर पहले से ही विदोहन कर रहा है। अन्य खनिजों के औद्योगिक महत्व की पुष्टि हो जाने पर उनका वाणिज्यिक विदोहन किया जाएगा।

नारियल के तेल और नारियल-गिरी का आयात

[अनुवाद]

4512. **श्री थम्पन थामस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारत में विदेशों से कितना नारियल का तेल और नारियल गिरी का आयात किया गया;

(ख) नारियल के तेल और नारियल गिरी के आयात पर लगने वाले आयात शुल्क तथा अन्य करों की दरें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार की ओर से नारियल के तेल और नारियल गिरी के आयात पर प्रतिबंध पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1982-83 के दौरान दिसम्बर तक, 1152 एम० टी० नारियल के तेल का आयात किया और नारियल गिरी का कोई आयात नहीं किया गया। अप्रैल, 1984 में भारतीय राज्य व्यापार निगम ने 9,000 एम० टी० नारियल के तेल का आयात किया जबकि सरकार द्वारा 10,000 एम० टी० प्राधिकृत किया गया था।

(ख) नारियल के तेल पर 125% (आधार भूत) जमा 40% (सहायक) आयात शुल्क है। इसके अतिरिक्त 5 रु० प्रति क्विंटल की दर से उपकर लगाया जा सकता है। यदि नारियल के तेल को संशाधित किया जाए तो उस पर 100 रु० प्रति एम० टी० की दर से अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क भी लगेगा।

नारियल गिरी पर आयात शुल्क की दर 60% (आधार भूत) जमा 40% (सहायक) है। इसके अतिरिक्त 5 रु० प्रति क्विंटल की दर से उपकर लगाया जा सकता है।

(ग) जी हां।

(घ) चालू आयात एवं निर्यात नीति के अन्तर्गत नारियल के तेल और नारियल गिरी का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम व हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन के माध्यम से सरणीबद्ध है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों के वसूल न होने वाले ऋण

4513. श्री आर० एम० भोये
श्री सोमनाथ्रीसवरा राव } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों के वसूल न होने वाले ऋणों के कुछ मामले (31 दिसम्बर, 1984 तक) सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(ख) क्या बैंकों का विचार ऋण न चुकाने वालों के नामों और उनके नाम बकाया धनराशि के बारे में प्रति वर्ष घोषणा करने का है जैसाकि ब्रिटेन में किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित तुलन पत्र और लाभ हानि लेखों प्रपत्रों के अनुसार उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि और ब्यौरा प्रकट करने के संबंध में बैंकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है जिनके लिये लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गई हो, अत: अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती।

पान के पत्तों का निर्यात

4514. श्री सत्यगोपाल मिश्र
श्री हन्नान मोल्लाह } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान भारत से अन्य देशों को हुए पान के पत्तों के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में पान के पत्तों का निर्यात होने की और उससे कितनी आय होने की संभावना है; और

(ग) पान के पत्तों का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) संकलित किए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1984-85 में पान का 74 लाख रु० मूल्य के 448 मी० टन का निर्यात हुआ।

(ख) पान के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) पान का निर्यात बढ़ाने के लिए रियायती भाड़ा दरें लागू की गई हैं।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

[हिन्दी]

4515. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोले गए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 में इनमें से कुछ जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे तथा उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के "लीड" बैंकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोले गए हैं, उनके नाम नीचे दिए गये हैं—

1. बुलन्दशहर 2. चमोली 3. गाजियाबाद 4. मथुरा 5. मेरठ
6. पौड़ी गढ़वाल 7. सहारनपुर

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 में चमोली और पोड़ी गढ़वाल जिलों के लिये एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव है ।

अनुमोदित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय पौड़ी में होगा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रयोजक बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक है । सहारनपुर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को राज्य सरकार से बाकी चार जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं । राष्ट्रीय बैंक द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में अवैध खनन कार्य

[अनुवाद]

4516. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में, जहां आदिवासी जन-संख्या का बाहुल्य है, खनन क्षेत्र में जारी अवैध खनन कार्यों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इन अवैध खनन कार्यों से राजस्व तथा स्वामित्व रूप में तथा स्थानीय आदिवासी मजदूरों को नाम मात्र की मंजूरी का भुगतान कर उनके शोषण के रूप में कितनी हानि होती है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन अवैध कार्यों से हुई हानि और क्षति की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई जांच कराने का है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

जीवन बीमा निगम में बकाया पड़े परिपक्व दावे

4517. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या वित्त मंत्री जीवन बीमा निगम के पास पड़ी व्यपगत हुई जीवन बीमा पालिसियों तथा जीवन बीमा निगम के दिल्ली स्थित कार्यालयों में व्यपगत हुई बीमा पालिसियों के बारे में 10 अगस्त, 1984 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 2851 और 2937 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) प्रत्येक डिवीजन के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 1983 को परिपक्व की तारीख से 5 वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित, अतारांकित प्रश्न संख्या 2851 की सूची में शामिल व्यपगत हुई जीवन बीमा पालिसियों के बकाया परिपक्व दावों की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक डिवीजनल कार्यालय के ऐसे दावों की संख्या क्या है, जिन पर आपरेटिंग कार्यालय में कार्यवाही की जा रही है तथा दावेदारों से अपेक्षित सूचनाओं के अभाव में कितने दावे लंबित हैं;

(ग) परिपक्वता की तारीख तथा दावे के वास्तविक भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए प्रत्येक दावे के संबंध में जीवन बीमा निगम कुल कितने ब्याज भुगतान करता है; और

(घ) यदि कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम चुकता (पेड-अप) जीवन पालिसियों के अन्तर्गत परिपक्वता वाले ऐसे दावों की संख्या के संबंध मे अलग से आंकड़े नहीं रखता, जो परिपक्वता की तारीख से लेकर 5 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हैं। ऐसे सभी दावे जो 5 वर्षों से भी अधिक अवधि से बकाया पड़े हैं, क्योंकि नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद उनके लिए आवश्यक अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं और जिनको निकट भविष्य में निपटाए जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उन्हें, ऐसे दावों को निपटाने वाले अधिकारियों द्वारा "बिना दावा किए गए" (अनक्लेम्ड) दावे घोषित कर दिया जाता है। लेकिन, इसके बाद यदि जीवन बीमा-कृत/दावाकर्ता बाद में दावे को निपटाने के लिए आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा कर देता है तो ऐसे दावों को बहाल कर दिया जाता है और उनका भुगतान भी कर दिया जाता है।

31 मार्च, 1984 को प्रत्येक डिवीजनल कार्यालय में बकाया दावों और ऐसे दावों, जो दावाकर्ताओं से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण लम्बित पड़े हैं, की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

प्रत्येक दावे के सम्बन्ध में, परिपक्वता की तारीख तथा दावे के वास्तविक भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की कुल रकम अलग-अलग माम में अलग-अलग होती है चूंकि ब्याज की राशि दावे के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के पश्चात् प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है। जीवन बीमा निगम $7\frac{1}{2}\%$ प्रतिवर्ष की दर से उस अवधि के लिए जिसमें निगम के अपने कार्यालयों में दावों को निपटाने में देरी हुई हो, अनुग्रही ब्याज अदा करता है।

निगम इस मामले में ब्याज नहीं देता है जहां दावाकर्ता द्वारा अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण देरी हुई हो अथवा देरी के ऐसे कारण हों जो जीवन बीमा निगम के नियंत्रण के बाहर हों।

विवरण

31 मार्च, 1984 चुकता पालिसियों के अन्तर्गत बकाया परिपक्वता दावे

डिवीजनल कार्यालय	बकाया दावों की कुल सख्या	दावेदारों से आवश्यक कागजात न मिलने के कारण बकाया पड़े दावों की संख्या
1	2	3
1. अजमेर	1324	1180
2. चंडीगढ़	759	693
3. जयपुर	465	378

1	2	3
4. जालंधर	354	309
5. नई दिल्ली	741	654
जोड़—उत्तरी जोन :	3643	3214
6. आगरा	121	121
7. इन्दौर	498	394
8. जबलपुर	235	231
9. कानपुर	316	316
10. लखनऊ	372	286
11. मेरठ	815	815
12. रायपुर	104	103
13. वाराणसी	351	351
जोड़—केन्द्रीय जोन :	2812	2617
14. आसनसोल	1493	1373
15. कलकत्ता तथा आई० एच० ओ०	5039	3508
16. कटक	430	430
17. गौहाटी	1511	1459
18. जलपायीगुड़ी	986	767
19. जमशेदपुर	333	224
20. मुज्जफरपुर	887	887
21. पटना	727	727
22. सिल्चर	653	552
जोड़—पूर्वी जोन :	12059	9927
23. बंगलौर	1051	830
24. कोयम्बटूर	583	316
25. कुडप्पा	91	40
26. धारवाड़	362	303
27. हैदराबाद	764	565
28. कोजीकोड	395	303
29. मद्रास	536	489
30. मदुरै	735	583

1	2	3
31. मसूलीपटनम्	166	129
32. तंजावूर	217	149
33. त्रिवेन्द्रम	723	506
34. उडुपि	337	247
35. विशाखापत्तनम्	582	370
जोड़—दक्षिणी जोन :	6542	4830
36. अहमदाबाद	1811	1623
37. बम्बई	2425	2210
38. नागपुर	2139	2012
39. नासिक	1591	494
40. पुणे	546	391
41. राजकोट	55	34
42. सतारा	520	385
43. सूरत	1123	1041
जोड़—पश्चिमी जोन :	10210	8190
विदेश विभाग	2483	2469

मुरादाबाद के लिये ट्रकों द्वारा कोयले की ढुलाई

[हिन्दी]

4518. श्री हफीज मुहम्मद सिद्दकी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद हेतु कोयले की ढुलाई मुख्यत: ट्रकों द्वारा की जा रही है, रेलगाड़ियों से नहीं, जिसके फलस्वरूप इस पर अधिक लागत आती है और इस प्रकार कोयले की उत्पादन लागत बढ़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो रेल डिब्बों द्वारा कोयले की ढुलाई न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) मुरादाबाद को रेल द्वारा ही कोयले की ढुलाई का सुनिश्चय करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) मुरादाबाद जिले को और उत्तर प्रदेश के अन्य उन जिलों को कोयले का प्रेषण मुख्य तौर से रेल द्वारा किया जाता है जहां रेल-रख-रखाव सुविधाएं हैं। परन्तु कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की सप्लाई, विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता से कम है। इसलिए उन उपभोक्ताओं को रेल द्वारा उनकी जरूरत का पूरा कोयला नहीं पहुंच पाता है जिनका नम्बर प्राथमिकता सूची में बाद में आता है। उन्हें रेल द्वारा सप्लाई के साथ-साथ सड़क से भी कोयला लेना पड़ता है।

(ख) इसका मुख्य कारण यह है कि रेलवे वैगनों की पर्याप्त सप्लाई नहीं करती हैं।

(ग) मामले को सभी स्तरों पर लगातार उठाया जा रहा है ताकि पूरे देश में गन्तव्य स्थानों पर रेल द्वारा पर्याप्त कोयला पहुंचाने के लिए वैगनों की सप्लाई बढ़ाई जा सके।

काजू का उत्पादन

[अनुवाद]

4519. श्रीमती फूलरेणु गुहा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने क्षेत्र में काजू की खेती होती है और विभिन्न राज्यों में काजू उत्पादन से नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान काजू की घरेलू मांग क्या रही;

(ग) काजू की बिक्री से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है; और

(घ) यदि हां, तो काजू का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारत में काजू के क्षेत्र और उत्पादन के सरकारी अनुमान नहीं हैं। तथापि, 1981-82 में क्षेत्र और उत्पादन के मोटे अनुमान इस प्रकार थे :

राज्य	काजू की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टार में)	काजू का उत्पादन (एम० टी० में)
केरल	147363	118000
कर्नाटक	58299	18000
आन्ध्र प्रदेश	57279	20000
तमिलनाडु	94770	10500
गोआ	44139	8500
महाराष्ट्र	22692	10000
उड़ीसा	48601	8000
प० बंगाल	6698	2500
पाण्डिचेरी	363	200
त्रिपुरा	839	60
योग :	481043	195760

(ख) काजू की घरेलू मांग मुख्यत: काजू संसाधन उद्योग से है जो कि निर्यात अभिमुख है और जिसकी स्थापित क्षमता लगभग 4.5 लाख मै० टन प्रतिवर्ष है।

(ग) संकलित किए गए अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, 1984-85 में भारत से 155 करोड़ रु० मूल्य की काजू गिरी का निर्यात किया गया है।

(घ) काजू के लिए पैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना प्रमुख काजू उत्पादक राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। विश्व बैंक की सहायता से काजू विकास परियोजना केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में चल रही है।

छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये गये ऋण को बट्टे खाते में डाला जाना

4520. श्री आशुतोष लाहा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये गए ऋणों को, जो कई वर्षों से देय पड़े हैं, बट्टे खाते में डालने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक मामले में बैंकों को अपने आप निर्णय लेने होते हैं।

चौथे वेतन आयोग के कर्मचारी और उस पर खर्च की गयी धनराशि

4521. श्री काली प्रसाद पांडे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथे वेतन आयोग का मासिक वेतन बिल कितना होता है;

(ख) चौथे वेतन आयोग के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) वेतन आयोग द्वारा अब तक क्या प्रगति प्राप्त की गई है;

(घ) सरकार द्वारा चौथे वेतन आयोग के कर्मचारियों के वेतन और अन्य मदों पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बीच आयोग से इस सीमा के बारे में सूचना मांगी है जिसके अन्तर्गत वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1984-85 के दौरान औसत मासिक वेतन बिल 2.73 लाख रुपये का था।

(ख) (31.3.1985 की स्थिति के अनुसार)

राजपत्रित—48

अराजपत्रित—124

(ग) आयोग ने अपने कार्य के कुछ महत्वपूर्ण चरणों को पहले ही पूरा कर लिया है और आजकल कर्मचारी संघों के मौखिक साक्ष्य रिकार्ड करने में व्यस्त है तथा इसके बाद अधिकारियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

(घ) (i) (1983-84) लगभग 14.29 लाख रुपये।

(ii) (1984-85) लगभग 48.66 लाख रुपये।

(ङ) जी, हां।

हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम द्वारा विदेशों में व्यापार केंद्रों की स्थापना

4522. श्री टी० बशीर : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि० ने विदेशों में कुछ व्यापार केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) विदेशों में भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघे की वस्तुओं की बिक्री सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति तथा वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि० के विदेशों में पांच कार्यालय हैं। ये न्यूयार्क, पैरिस हमबर्ग, टोकियो तथा न्यूस में कार्य कर रहे हैं।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात के निगम के विदेशी कार्यालयों द्वारा 10.54 करोड़ रु० मूल्य के हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों की बिक्री हुई।

यूगोस्लाविया के साथ व्यापार सम्बन्ध

4523. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूगोस्लाविया के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने हेतु प्रयास किए हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कुछ विशेष व्यापार करार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत तथा यूगोस्लाविया के चिरस्थायी व्यापार सम्बन्ध हैं। व्यापार और आगे विकसित करने के लिए अगस्त 1984 में भारत-यूगोस्लावियाई संयुक्त समीक्षा समूह की एक बैठक नई दिल्ली में हुई और सन्तुलित आधार पर व्यापार करने के लिए दोनों देशों के बीच एक सम्पर्क सौदा प्रबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए। उपरोक्त प्रबन्ध को लागू करने के लिए दो नोडल अभिकरण, यथा, यूगोस्लाविया के सम्बन्ध में यूगोस्लावियाई आर्थिक चैम्बर (भारतीय विभाग) था। भारतीय पक्ष के संबंध में राज्य व्यापार निगम की सम्पर्क सौदों को समन्वित करने के लिए नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त यूगोस्लाविया का जैगोबैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के बीच बैंकिंग करार भी किया गया जिसके अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक, लन्दन में उनके प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत सम्पर्क सौदों के लिए विशेष खाता खोला गया।

कोल इण्डिया लि० द्वारा कोयला उत्पादन के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर समाचार देना

4524. श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 में 48 लाख टन से अधिक कोयले की स्टाक बट्टे खाते में डाल दिया गया क्योंकि वह या तो था ही नहीं या फिर बिक्री करने के लायक नहीं था;

(ख) क्या मैसर्स कोल इण्डिया लि० के अधीन कार्यरत सभी कोयला कंपनियों को वास्तविक उत्पादन आंकड़ों में 2.5 प्रतिशत जोड़ देने हेतु लिखित अनुदेश जारी किए गए थे जिसे खान मजदूरों को कोई अतिरिक्त मजदूरी दिए बिना ही उनसे अधिक काम करवा कर पूरा किया जाना था;

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित उपायों से आंकड़ों को बड़े व्यापक रूप से बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया और 20 लाख टन से अधिक कोयले की कमी होने की संभावना पैदा हुई जिससे धोखाधड़ी हेराफेरी के रास्ते खुल गए; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक है तो ऐसी कार्य-विधि अपनाने के लिए सरकार का विचार कोल इण्डिया लि० के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है ?

इस्पात खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वित्त कम्पनियों द्वारा कथित धोखाधड़ी

4525. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन वित्त कम्पनियों की जानकारी है जो जरूरतमंद लोगों को दीर्घावधि के ऋण, ब्याज की दर और अग्रिम ऋणों का प्रोत्साहन देने का प्रचार तो करती हैं परन्तु अनेक कदाचारों और भारी मांग के कारण, जटिल शर्तों के कारण ऋण लेने वालों को कोई ठोस लाभ प्रदान नहीं करती हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यापार धंधे को समाप्त करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत नियमित) विज्ञापन जारी करती हैं जिनमें जनता से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और प्रकीर्ण गैर बैंकिंग कम्पनियां (विज्ञापन) नियम 1977 में निर्दिष्ट दिशाओं के अनुरूप जमा की रकमें आमंत्रित की जाती हैं। इन कम्पनियों द्वारा जारी किये गए ऐसे विज्ञापन नहीं पाये गए हैं जिनमें दीर्घावधि ऋण दिए जाने लिए जाने वाले ब्याज की दरों आदि की बात कही गई हो ।

अलबत्ता, समाचार-पत्रों में ऐसे विज्ञापनों के उदाहरण मिलते हैं जो कतिपय वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किये गए होते हैं, जिनमें आसान शर्तों पर वित्त उपलब्ध कराए जाने का प्रचार होता है। ऐसी अनिगमित कंपनियों के मामले में ऋणों का दिया जाना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय-111 ग के उपबन्धों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता जिसमें ऐसे निकायों द्वारा कुछ सीमा को छोड़ कर, जमा राशियां स्वीकार करने की मनाही है ।

उड़ीसा में नाल्को, के आस-पास सहायक उद्योगों की स्थापना

4526. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कार्यरत नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) जैसी सरकारी क्षेत्र की वृहत परियोजनाओं के आसपास सहायक उद्योगों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को उद्यमियों से नालको की आवश्यकताओं के अनुसार सहायक उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनपत्र अभी भी स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं; और

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सहायक उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति में विलम्ब करने से परियोजना भारी पूंजी निवेश करने के पश्चात् अच्छी किस्म का उत्पादन पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने अनुषंगी उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) अनुषंगीकरण संबंधी गतिविधियों के समन्वय हेतु कम्पनी के अन्तर्गत एक वरिष्ठ कार्याधिकारी की देख-रेख में एक अनुषंगी विकास संगठन की स्थापना ।

(ii) निम्नलिखित 5 समितियों का गठन :—

1. संयन्त्र स्तरीय सलाहकार समिति (राज्य स्तर);
2. संयन्त्र स्तरीय समिति (कारपोरेट स्तर);
3. उद्यमी चयन समिति;
4. अंगुल संयन्त्र स्तरीय उप समिति;
5. दामनजोड़ी संयंत्र स्तरीय उप समिति ।

(ख) और (ग) लाइसेंस हेतु आवेदनपत्रों का समन्वय राज्य एजेन्सियों, यथा-उद्योग निदेशक, उड़ीसा का कार्यालय तथा उद्योग विकास तथा निवेश निगम द्वारा किया जा रहा है। नालको राज्य सरकार से सम्पर्क रखे हुए है और आशा है राज्य सरकार समय पर उचित कार्रवाई करेगी।

मांडला जिले में अमरकंटक के समीप बाक्साइट खानों का पट्टा

[हिन्दी]

4528. श्री एम० एच० झिकराम : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को कितने वर्षों के लिए मांडला जिले में अमरकंटक के समीप बाक्साइट खानों का पट्टा दिया गया है तथा यह पट्टा किस तारीख को दिया गया था;

(ख) अब तक बाक्साइट की कितनी मात्रा का खनन किया गया है तथा अभी कितनी मात्रा का करना शेष है; और

(ग) इस कंपनी से अब तक मध्य प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार को पृथक-पृथक कर के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को) जिला मांडला में अमरकंटक क्षेत्र में 2 बाक्साइट के पट्टों पर खनन कार्य कर रही है। एक पट्टा 12.9.1969 से 30 वर्ष की अवधि के लिए और दूसरा 30.3.1978 से 10 वर्ष की अवधि के लिए है।

(ख) इन पट्टा क्षेत्रों से 31.3.1985 तक 25.74 लाख टन बाक्साइट खनिज निकाला जा चुका है। अब मांडला जिले के समूचे पट्टा क्षेत्र में 16.09 लाख टन बाक्साइट ही खनन के लिए बचा है।

(ग) अमरकंटक खानों के चालू होने से 1983-84 तक खनिज बाक्साइट पर मध्य प्रदेश सरकार को 272 लाख रु० की रायल्टी, उपकर, लगान आदि के रूप में दी जा चुकी है। बाक्साइट खनन के लिए केन्द्र सरकार को कोई धनराशि नहीं दी जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जमा राशियों में वृद्धि करने का अभियान

[अनुवाद]

4529. श्री के० जी० आदियोडी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक जमा राशियां प्राप्त करने का अभियान चलाया करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रत्येक राज्य में बैंक-वार कितनी राशि जमा की गयी है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक के पास धन जमा कराने की ऐसी कोई योजनायें नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस योजना में भारतीय स्टेट बैंक को शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सभी बैंकों की वार्षिक जमा राशि और उनके द्वारा वितरित की गई राशि का राज्य वार तथा बैंकवार ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल है, अपनी जमा राशियों को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बैंक विभिन्न प्रकार के बचतकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार कर के जमा राशियां जुटाते हैं और प्रचार तथा शिक्षा के माध्यम से जमा खातों में अपनी रकमें रखे रखने के लिए प्रेरित करते हैं। बैंक जमाराशि जुटाने के अभियान भी चलाते हैं। इन अभियानों की आवृत्ति और अवधि प्रत्येक बैंक की परिचालन सम्बन्धी स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली में इन अभियानों के परिणामस्वरूप एकत्र की गई जमा राशियों के आंकड़ों का अलग से संग्रह करने का प्रावधान नहीं है।

अलबत्ता, जून 1984 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की जमाराशियों और बकाया अग्रिमों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राज्यवार जमा और अग्रिम (जून, 1984 के अन्त तक)*

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(राशि करोड़ रुपए)	
राज्य	जमा	अग्रिम
1. आन्ध्र प्रदेश	35,14	26,67
2. असम	6,78	3,12
3. बिहार	27,63	10,93
4. गुजरात	43,29	21,79
5. हरियाणा	11,49	7,93
6. हिमाचल प्रदेश	3,86	1,71
7. जम्मू और कश्मीर	3,04	1,19
8. कर्नाटक	28,81	24,43
9. केरल	18,87	13,54
10. मध्य प्रदेश	21,89	13,01
11. महाराष्ट्र	104,84	99,43
12. मणिपुर	23	14
13. मेघालय	94	23
14. नागालैंड	52	20
15. उड़ीसा	6,93	5,91
16. पंजाब	33,84	14,85
17. राजस्थान	14,22	10,17
18. सिक्किम	31	3
19. तमिलनाडु	35,31	34,17
20. त्रिपुरा	59	35
21. उत्तर प्रदेश	60,90	29,62
22. पश्चिम बंगाल	60,58	34,72
संघ राज्य क्षेत्र		
1. चंडीगढ़	4,75	10,88
2. दिल्ली	56,15	33,97
3. गोवा दमन और दीप	5,56	1,76
4. पांडिचेरी .	87	51
5. अन्य सभी**	94	19
आंकड़े अनंतिम जोड़	588,28	401,45

*भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंको तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंको सहित

**अंडमान निकोबार दीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली लक्षदीप और मिजोरम शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को 8 प्रतिशत तक ब्याज देने की पेशकश करने की अनुमति

4530. **श्री पी० चिदम्बरम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्वबैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को 15 दिनों से एक वर्ष की अवधि के लिए जमाराशि पर 8 प्रतिशत तक ब्याज देने की पेशकश करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या इंडियान बैंक्स एसोसिएशन ने भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के बावजूद एक समान ब्याज दरों की नीति का निरन्तर पालन करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन का यह निर्णय एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप है; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक का निदेश लागू कराने हेतु कोई कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 15 दिन और इससे अधिक लेकिन एक वर्ष से कम की अवधि की जमा राशियों पर अधिक से अधिक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने की अनुमति दी है।

(ख) भारतीय बैंक संघ का यह मत है कि परिपक्वता की अलग-अलग अवधि के अनुसार बैंकों द्वारा एक समान दरों पर ब्याज देना अपनाना वांछनीय होगा।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्ध सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम पर लागू नहीं होते।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश ये हैं कि अलग-अलग बैंक 15 दिन और इससे अधिक लेकिन एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अन्दर-अन्दर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है ऐसा करते समय, बैंकों को किसी भी समय अपनी सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों के लिए बिना किसी भेदभाव के एक समान दर अपनानी होगी। रिजर्व बैंक के निदेश में बैंकों को एक समान दरें अपनाने पर कोई मनाही नहीं है।

व्यय में कटौती लागू करना

4531. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बजट 1985-86 में भारी घाटे को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार का विचार परिहार्य व्यय में अत्यधिक नियन्त्रण रखने का है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में किन-किन उपायों पर विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार वरिष्ठ अधिकारियों को उनके निवास स्थान से कार्यालय तक लाने और उन्हें शाम को वापस उनके निवास स्थान पर पहुंचाने की मुफ्त सुविधा प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कितनी धनराशि व्यय होगी और राजकोष पर उसका कितना बोझ पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के बजट में दिखाया गया 3349 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण अपूरित अनुमानित घाटा वित्तीय वर्ष 1984 85 में दिखाये गये घाटे की तुलना कम है और यह उचित समझा गया है। योजना व्यय जो अनिवार्यत: विकासोन्मुख प्रकृति का है उसमें कटौती करना वांछनीय नहीं होगा। बजट में शामिल किए गए योजना-भिन्न व्यय के प्राक्कलनों को, सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद न्यूनतम रखा गया

है। तथापि, अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय में कमी करने के उपाय करना सरकार के लिए एक क्रमिक प्रक्रिया है। हाल ही में सरकार ने अत्यन्त अपवादीय परिस्थितियों को छोड़कर पदों के सृजन/रिक्त स्थानों को भरने पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किये थे। वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक/विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के आन्तरिक कार्य अध्ययन एककों द्वारा संचालित कार्य मापन अध्ययनों के माध्यम से अतिरिक्त कर्मचारियों को पहचान करने और पता लगाने और परिहार्य पदों के सृजन को रोकने के प्रयास किए जाते हैं। टेलीफोन, नया फर्नीचर, मनोरञ्जन, कार, पेट्रोल की खपत और गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा, हवाई जहाज से यात्रा करने जैसे कार्यालय व्यय में कमी करने के उपाय भी किए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकारी कागजातों को गुप्त रखने और उनकी गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यकता के सन्दर्भ में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस प्रकार के कागजात प्राय: अपने निवास स्थान पर ले जाने पड़ते हैं, इसलिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सरकारी कार में कार्यालय और आवास के बीच की गई यात्रा का ड्यूटी यात्रा के रूप में वर्गीकरण करने के लिए फरवरी, 1985 में अनुदेश जारी किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप इन अनुदेशों का वित्तीय प्रभाव न्यूनतम रहने की सम्भावना है, क्योंकि ये आदेश केवल सामर्थ्य प्रदान करने के उपाय के रूप में हैं और इससे रोजाना सुविधा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। स्टाफ कारों की खरीद या पेट्रोल की तिमाही खपत के बारे में वर्तमान प्रतिबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कलकत्ता में जीवन बीमा भूमि और भवन का एक होटल को पट्टे पर दिया जाना

4533. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम कलकत्ता में अपनी भूमि और 13 मंजिला भवन किसी होटल को पट्टे पर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पट्टे की शर्तों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केवल भूमि की ही कीमत पांच करोड़ रुपये है तथा जीवन बीमा निगम ने भवन बनाने के लिये इस पर 75 लाख रुपये की धनराशि और खर्च की है, जबकि पट्टे किराए के रूप में सभी प्रभारों सहित केवल 65,235.84 रुपये वसूल कर रहा है;

(घ) भवन का ब्योरा क्या है तथा इसकी साज-सज्जा पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ङ) क्या होटल की ओर दो करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है और जीवन बीमा निगम इसे वसूल नहीं कर सका है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च). जीवन बीमा निगम ने चौरंगी रोड, कलकत्ता स्थित दोबारा बनाए गए अपने 13 मंजिला भवन को मैसर्स रिट्ज कान्टिनेन्टल होटलज लि०, कलकत्ता, जो इसी प्लाट पर बने हुए पुराने भवन के 1958 से पट्टाधारी थे, को फिर से पट्टे पर दिया था। यह पट्टा 15 मई, 1971 से 25 वर्षों की अवधि के लिए 56,116.09 रुपये के मासिक किराए पर दिया गया था। भवन तथा इसके संयत्रों के रख-रखाव के प्रभार तथा सभी कर पट्टाधारी द्वारा दिए जाने थे। इस पट्टे की अन्य शर्तें जीवन बीमा निगम के मानक पट्टा करार के अनुसार थी।

इस भूमि का खाता मूल्य 12.32 लाख रुपए है और 1973 में की गई सजावट सहित भवन निर्माण पर किया गया कुल व्यय 75.02 लाख रुपए है। इस भवन में भूमि-तल पर दुकानें हैं और 13 तलों पर 86 एक कमरे वाले, सैट, 22 दो कमरों वाले सैट और 10 तीन कमरों वाले सैट हैं।

मैसर्स रिटज कान्टिनेन्टल होटलज लिमिटेड ने अप्रैल, 1974 पट्टे कराया और अन्य देनदारियों का भुगतान नहीं किया है और नवम्बर, 1984 तक जीवन बीमा निगम को देय धनराशि 1,33,28,384 रुपए की थी। इस के अतिरिक्त, होटल प्राधिकारियों द्वारा 30 नवम्बर, 1984 तक नगरपालिका कर और उन पर देय ब्याज की राशि 41,39 420 रुपए की थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने असफल लेनदारों की शिकायत पर इस कम्पनी को 1980 में बन्द करने के लिए आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय द्वारा एक सरकारी समापक नियुक्त किया गया है। जीवन बीमा निगम ने जनवरी, 1981 में उच्च न्यायालय में इस आशय की एक याचिका दायर की थी कि सरकारी समापक को यह निदेश दिए जाएं कि इस सम्पत्ति का कब्जा तत्काल निगम को दे दिया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सामने होटल को फिर से चलाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है।

गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं का कार्यकरण

4534. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं है ;

(ख) उन शाखाओं ने उन क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को ऋण की कितनी राशि वितरित की है ;

(ग) ऋण देने की क्या शर्तें हैं; और

(घ) आज की तारीख तक गुजरात में आदिवासी क्षेत्रों में कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को शाखाओं की संख्या के बारे में जिला-वार आंकड़े रखे जाते हैं और उसके पास आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अलग से कोई ब्यौरा नहीं है अलबत्ता गुजरात के उन जिलों में, जहां आदिवासी/जनजातियों के लोग भारी संख्या में हैं, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या और उनके द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गये अग्रिमों से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

जिला	31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या	सितम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिये गये अग्रिम	
		खातों की संख्या	रकम (लाख रुपये)
डांगस	3	115	4
बुलसर	25	1457	30
सूरत	28	8840	340
भड़ौच	23	7710	180
पंचमहल	15	1844	26

ऋण संवितरण की शर्तें ऋण के प्रयोजन और उसकी राशि के अनुसार अलग-अलग होती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये शर्तें अलग-अलग किस्म के ऋणों के लिये अलग-अलग निर्धारित की गयी हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित ऋणकर्ताओं के लिये ऋण की शर्तें अपेक्षाकृत अधिक उदार हैं।

कृषि उत्पादों का निर्यात

4535. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुल कितने मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया और किन किन देशों को इन कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) क्या दूसरे देशों में भारतीय कृषि उत्पादों की भारी मांग है ;

(ग) किन किन चीजों का निर्यात किया जा रहा है ; और

(घ) भविष्य में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान संकलित अस्थायी आंकड़ों के अनुसार समुद्री उत्पाद, चाय और काफी को छोड़कर, कृषि उत्पादों के निर्यात मूल्य नीचे दिए अनुसार हैं :—

वर्ष	निर्यात का मूल्य (करोड़ रु० में)	प्रमुख गन्तव्य स्थान
1982-83	1350	यूरोप, मध्य-पूर्व तथा पूर्वी एशिया
1983-84	1400	
1984-85	1450	

(ख) और (ग) विभिन्न बाजारों में भारत के कृषि उत्पादो की मांग है। निर्यात की गई प्रमुख मदें हैं, तम्बाकू, मसाले, काजू, अरण्डी का तेल, आयल मिल्स, साधित खाद्य और चावल।

(घ) निर्यातों को बढ़वा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों में शामिल हैं, नए बाजारों का पता लगाना, विदेशों में मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण तथा वित्तीय व अन्य प्रोत्साहन प्रदान करना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गये ऋण की अदायगी के लिये खाद्य और उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता का बन्द किया जाना

4536. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गये ऋणो की अदायगी करने में समर्थ होने के उद्देश्य से खाद्य और उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता बन्द करने जा रही है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने राजसहायता बन्द का सुझाव दिया है;

(ग) इस प्रयोजन के लिये धनराशि जुटाने हेतु क्या अन्य कदम उठाये गये हैं; और

(घ) चालू वर्ष में 6000 करोड़ रुपये के व्यापार घाटे को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति ऋण संबंधी देनदारियों को पूरा करने में, जब कभी वे उत्पन्न होंगी, कोई कठिनाई आने की प्रत्याशा नहीं है। सरकार देश के भुगतान-शेष की प्रवृत्तियों की लगातार पुनरीक्षा करती रहती है और निर्यात-प्रोत्साहन और आयात-प्रतिस्थापन द्वारा आयात पर निर्भरता को कम करने के उपाय करके भुगतान-शेष को सक्षम बनाए रखने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जाते रहते हैं।

मुक्त व्यापार क्षेत्र के एककों को मिलने वाली रियायतें

4537. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुक्त व्यापार क्षेत्र के एककों को मिलने वाली कुछ रियायतों को दूसरे क्षेत्रों में भी देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुक्त व्यापार उद्योग को इससे कितनी सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में एककों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने संबंधी कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें करावकाश की अवधि बढ़ाना तथा देश के भीतर माल बेचना भी शामिल है। कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में पाये गये खनिज भंडार

[हिंदी]

4538. श्री पीयूष तिरकी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में राज्यवार किन-किन खनिजों के भंडार पाये गये हैं;

(ख) क्या इन खनिज भंडारों का समुचित रूप से दोहन किया जा रहा है;

(ग) क्या इनका निर्यात भी किया जा रहा है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन खनिज भंडारों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को कितनी आय हुई ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) देश में विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में पाए गए खनिज भंडार निम्नलिखित हैं :—

राज्य	खनिजों का नाम
1. आंध्र प्रदेश	चूनापत्थर, मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, कोयला, बाक्साइट, चायनाक्ले, फायरक्ले, एपेटाइट, ग्रेफाइट, ग्लास सैंड, वर्मीक्यूलाइट टिटेनियम और टंगस्टन।
2. बिहार	लौह अयस्क, चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, कोयला, तांबा अयस्क, क्रोमाइट, मैंगनीज अयस्क, फायरक्ले, चायनाक्ले, अभ्रक, एस्बेस्टस, एपेटाइट, कायनाइट, ग्रेफाइट, बैराइट तथा सिलिका सैंड।
3. गुजरात	चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, सीसा जस्ता अयस्क, मैंगनीज अयस्क, लिग्नाइट, फ्लोराइट, ग्रेफाइट, फायरक्ले, चायनाक्ले तथा सिलिका सैंड।
4. हिमाचल प्रदेश	चूनापत्थर, जिप्सम, मैग्नेसाइट तथा एन्टीमनी।

1	2
5. मध्य प्रदेश	लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, कोयला, बैराइट, फास्फोराइट, तांबा अयस्क, स्वर्ण अयस्क, केसीटेराइट (टिन अयस्क), टाक-स्टेटाइट-सोपस्टोन, फ्लूराइट, चायनाक्ले, फायरक्ले, सिलमैनाइट, सिलिका सैंड तथा ग्रेफाइट।
6. महाराष्ट्र	कोयला, चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट लोह अयस्क, तांबा अयस्क, बैराइट, फायरक्ले, चायनाक्ले तथा सिलिका सैंड।
7. उड़ीसा	कोयला, लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, चूनापत्थर, बाक्साइट, तांबा अयस्क, सीसा अयस्क, फायरक्ले, चायनाक्ले वेनेडीफैरस मैग्नेटाइट, निकिल अयस्क, टिन अयस्क, टिटेनियम अयस्क, ग्रेफाइट, सिलिका सैंड तथा सिलिमेनाइट।
8. राजस्थान	चूनापत्थर, तांबा अयस्क, मैंगनीज अयस्क, फ्लूराइट, ग्रेफाइट, एस्बेस्टस, चायनाक्ले तथा टाक स्टेटाइट-सोपस्टोन।
9. आसाम	चूनापत्थर तथा कोयला।
10. मेघालय	चूनापत्थर, कोयला, आधार धातु, चायनाक्ले, एपेटाइट तथा सिलिका सैंड।
11. मिजोरम	चूनापत्थर, (लघु भंडार)।
12. अरुणाचल प्रदेश	चूनापत्थर, डोलोमाइट, कोयला तथा ग्रेफाइट।
13. नागालैंड	चूनापत्थर तथा कोयला।
14. मणिपुर	चूनापत्थर, क्रोमाइट तथा लिग्नाइट के लघु भंडार।
15. त्रिपुरा	चायनाक्ले, ग्लास सैंड तथा चूनापत्थर के लघु भंडार।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेशम के उत्पादन को दुगना करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

4539. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में रेशम के उत्पादन को दुगना कर देने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या अच्छी किस्म के रेशम की खेती करने और तत्संबंधी विकास योजनाओं के संबंध में कोई प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) 1979-80 के अन्त में भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन 48.05 लाख किया था और छठी योजना (1980-85) के लिए संशोधित उत्पादन लक्ष्य 67.54 लाख किग्रा था। छठी योजना के दौरान वर्ष-वार उपलब्धि निम्नोक्त प्रकार थी :—

वर्ष	उत्पादन (लाख किग्रा में)
1980-81	50.41
1981-82	52.49
1982-83	57.00
1983-84	64.23
1984-85	उपलब्ध नहीं

(ग) और (घ) बेहतर किस्म के कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) परम्परागत बहुचक्रीय रेशम उत्पादक क्षेत्रों में द्विचक्रीय रेशम कीड़ा जाति के पालन को आरम्भ करना।

(2) राष्ट्रीय रेशम कीड़ा बीज परियोजना की मार्फत अच्छी किस्म के रेशम कीड़ा/बीज का उत्पादन करना तथा पालकों को सप्लाई करना।

(3) रेशम कीड़ा पालन की सुधरी तकनीकों तथा बीमारियों पर नियंत्रण के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए विस्तार कार्य चलाना जिसके परिणामस्वरूप अच्छी किस्म के कोयों का उत्पादन हो सके।

(4) रेशम यार्न तथा वस्त्रों की किस्म सुधारने के लिए कोयों के संसाधन, रीलिंग तथा कताई में अनुसन्धान करने के लिए केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्थान की स्थापना।

कछारी क्षेत्र में सोने की खोज के लिये किया गया सर्वेक्षण

4540. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने का पता लगाने के लिये देश के कछारी क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विभिन्न राज्य सरकारी एजेंसियों ने केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में तथा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सिवालिक पट्टी सहित विभिन्न राज्यों के कछारी क्षेत्रों में बजरी स्वर्ण के लिए सर्वेक्षण किए हैं। भारतीय भू-सर्वेक्षण और राज्य सरकारों द्वारा पहले की गई खोजों के परिणाम इस प्रकार हैं :—

स्थान	प्राप्त परिणाम
केरल की नीलाम्बर घाटी।	0.1 ग्राम घन/मीटर स्वर्ण वाले 38.0 मिलियन घनमीटर कंकड़।
ईब, मैनी, सोनाझेरी (म०प्र०) आदि नदियों के बहाव क्षेत्र।	कंकड़ों में 0.1 से 0.8 ग्राम प्रतिटन स्वर्ण अनुमानित।
जिला रायगढ़ (म०प्र०) के भूभाग।	अनेक नमूनों के विश्लेषण कंकड़ों में 0.1 से 0.8 ग्राम प्रति टन स्वर्ण।
जिला सिरमूर (हिमाचल प्रदेश) के कुछ भू-भाग।	बलुआ रेत और कंकड़ में 0.1 से 0.7 ग्राम प्रति टन स्वर्ण।
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमूर, हरियाणा के जिला अम्बाला और उत्तर प्रदेश के नैनीताल और देहरादून जिलों में मारकण्ड, घाघर यमुना, बटा और कोसी जैसी बड़ी नदियों के क्षेत्र।	नदी तलछाटन के एक घनमीटर गर्त के बहुल नमूनों से प्रतिटन 0.1 से 0.4 ग्राम स्वर्ण का पता चला है। मारकण्ड और त्रिलोखुर नदी के मुहानों से प्रति टन 1.6 ग्राम तक स्वर्ण होने के संकेत हैं।
उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में कोसी नदी धारा का तलछाटन।	0.0004 से 0.4 ग्राम प्रति टन स्वर्ण।

हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में गिरावट

4541. श्री एन० डेनिस : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की आय की दृष्टि से हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में कोई गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक तथा कब से वर्ष-वार; और

(ग) देश मे हथकरघा क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सूती हथकरघा वस्त्रों से निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु० में)
1982	66.35
1983	52.24
1984	96.39

(स्रोत : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद)

(ग) अन्यों के साथ-साथ, बुनकर सेवा केंद्र तथा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान हथकरघा वस्त्रों की उत्पादकता तथा क्वालिटी सुधारने के लिए निरन्तर अनुसंधान में लगे हुए हैं। फिनिश तथा पहनने योग्य गुणों में सुधार लाने के लिए सरकार की सहायता से प्रोसेसिंग सुविधाएं भी सृजित की जा रही हैं। राज्य हथकरघा अभिकरण तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम बुनकरों को उचित कीमतों पर यार्न का वितरण करने का कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा विभिन्न किस्मों के कपड़े का उत्पादन

4542. श्री एन० डेनिस : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान देश में "सुपरफाइन" "फाइन" और "मीडियम" किस्म के कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा "मीडियम" किस्म का कितने प्रतिशत कपड़ा बनाया गया;

(ग) क्या "मीडियम" किस्म का कपड़ा देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा कम आय वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1983-84 के दौरान मिल क्षेत्र में कपड़े का कुल उत्पादन निम्नोक्त प्रकार रहा :

श्रेणी	(मिलियन मीटर में)
सुपर फाइन	111.46
फाइन	79.40
मीडियम	2209.39

(ख) मिल क्षेत्र द्वारा कपड़े की मीडियम किस्म के कुल उत्पादन का लगभग 38% एन० टी० सी० द्वारा उत्पादित किया जाता है।

(ग) तथा (घ) कपड़े की मीडियम किस्म, अर्थात् वह कपड़ा जिसमें 17 से 40 काउन्ट्स का प्रयोग होता है, जो निम्न आय वर्गों सहित लोगों और गरीबी की रेखा से कम जीवन-स्तर वाले लोगों के लिये उपयुक्त है। 1983-84 के दौरान कुल मिल उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक भाग मीडियम किस्म का था। राष्ट्रीय वस्त्र निगम को इमदादी कीमतों पर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन कार्य भी सौंपा गया है।

राष्ट्रीय बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की सार्वजनिक जांच

4543. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की सार्वजनिक जांच कराने हेतु सरकार से आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अखिल-भारतीय बैंक कर्मचारी संघ से संबद्ध कुछ यूनियनों ने सरकार को ऐसे पत्र भेजे हैं जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों में किये गये धोखाधड़ी के मामलों की सार्वजनिक जांच कराये जाने की मांग की गई है।

(ख) बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में जांच एक निरन्तर प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपने यहां सतर्कता विभाग स्थापित किये हैं जिनका अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। यह अधिकारी प्रायः महा प्रबन्धक के स्तर का होता है। अपने ग्राहकों के कार्यों के संबंध में सूचना देने के विषय में कानूनों के उपबन्धों और बैंकों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार सभी बैंकों को गोपनीयता का विशेषाधिकार प्राप्त है। अतः इस प्रकार की सार्वजनिक जांच सम्भव नहीं

है। लेकिन, बैंक, यदि आवश्यक हो, धोखाधड़ी के मामले की स्थानीय पुलिस अथवा केंद्रीय जांच ब्यूरो की सहायता से छानबीन करते हैं और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलवाने के लिए कार्रवाई करते हैं। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को अपनी-अपनी निगरानी और नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करने, अपनी प्रबन्ध व्यवस्था तथा सतर्कता तंत्र में सुधार करने तथा दोषी पाये गये कर्मचारियों को निरोधक सजा देने का परामर्श दिया गया है।

वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

4544. श्री मूल चंद डागा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने के कारण जाली पार्टियों और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कितने मामले पंजीकृत किये गये;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में लाइसेंस रद्द कर दिये गये और उन पार्टियों के नाम काली सूची में दर्ज कर लिये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान आयात (नियंत्रण) आदेश की धारा 8 के अन्तर्गत आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा 1445 पार्टियों के खिलाफ विवर्जित आदेश पारित किए गए। वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान 67 मामलों में वित्तीय दण्ड लगाया गया और 601 लाइसेंस रद्द किए गए।

मध्य प्रदेश के कोयला खान क्षेत्र में सड़कों को मजबूत और चौड़ा करने का प्रस्ताव

4545. श्री दिलीप सिंह भूरिया } श्री बालकवि बरागी } : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1982 में केंद्रीय सरकार को मध्य प्रदेश के कोयला खान क्षेत्र में सड़कों को मजबूत और चौड़ा करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव की आरम्भिक परीक्षा पूरी कर ली गई है। परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सकड़ों के निर्माण की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई परियोजना के लिए धनराशि के साधन पता लगाने पर निर्भर करेगी।

ठेका और भुगतान कार्य पूरा करने में लिया गया समय

4546. श्री मूल चन्द डागा : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी ठेके के लिए मांगपत्र प्राप्त होने की तारीख से अंतिम भुगतान किये जाने तक उसे पूरा करने में औसतन कितना समय लगता है;

(ख) सबसे अधिक लम्बे समय से लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है और यह कब से लंबित पड़ा हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्ति और निपटान के महानिदेशक के कार्यालय में जरूरत से अधिक कर्मचारी हैं;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों की संख्या कम करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूर्ति विभाग रक्षा मंत्रालय से रक्षा पूर्ति विभाग के कार्यों को अपने हाथ में लेने की योजना बना रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय एक केन्द्रीय क्रय और निपटान संगठन है, जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा तथा राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भी मांगी गई सामान्य प्रकार की विभिन्न मदों के लिए प्रति वर्ष लगभग 12,000 ठेके करता है। 70% से अधिक माल की सप्लाई की व्यवस्था पूर्तिकर्ताओं के साथ दर संविदाएं कर के की जाती है, जिनके अन्तर्गत सीधे मांग अधिकारी स्वयं पूर्ति आदेश देते हैं और परस्पर सहमत सुपुर्दगी अवधि में सप्लाई प्राप्त करते हैं। सामान की लागत को 95% या 98% राशि का भुगतान निरीक्षण किये गए सामान के प्रेषण का प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जाता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकों के परिनिश्चय और भुगतान रिलीज करने पर लगने वाले औसत समय से संबंधित प्रश्न, विकास संबंधी आदेशों और विशिष्ट प्रकार की ऐसी वस्तुओं, जो कि आम प्रयोग में नहीं है तथा जिनकी मांग सुनिश्चित अवधि में प्राप्त नहीं होती, उनके लिए तदर्थ मांगपत्रों से संबंधित, निदेशालय में अवशिष्ट कार्य के बारे में है। इस प्रकार के मामलों में लगने वाले सामान्य औसत समय की जानकारी प्राप्त कर लेने से, न तो विभाग की कार्य प्रणाली के संबंध में और न इस प्रकार के ठेकों के परिनिश्चय में होने वाली सामान्य कठिनाइयों के संबंध में उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के औसत निकालने के आधार पर कोई मानोटरिंग नहीं की जा रही है। तथापि यह सुनिश्चय करने के लिए कि टेंडरों पर कार्यवाही की जाए तथा टेंडरों की पहले वैधता अवधि में ही आर्डर दे दिये जाएं, कड़ी नजर रखी जाती है। कुल प्राप्त टेंडरों में से 69% में पहली वैधता अवधि में निर्णय ले लिया जाता है। इसी प्रकार यदि सबसे पुराने लम्बित मामले का संबंध ऐसे मामले से है जिसके भुगतान नहीं किया गया है तो संभवतः इसका संबंध ऐसे मामले से है जिसमें फर्म ने प्रेषण का प्रमाण प्रस्तुत कर देने के बाद 95%-98% राशि प्राप्त कर लेने पर शेष 2%-5% राशि के भुगतान के लिए अपने दावे पर बल नहीं दिया। अन्तिम भुगतान इन बातों पर निर्भर करता है—निर्माण सम्बन्धी अनुसूची पर स्थिर रहना : सामान को कमीशनिंग करना तथा उस पर कार्य करना, इडेंट किये गये सामान की सम्पूर्ण मात्रा प्राप्त हो जाना, वारंटी अवधि और सप्लाई में दोष होने पर मध्यस्थता फर्म को काली सूची में डालना तथा ठेके के अधीन अन्य प्रकार की कानूनी कार्यवाही करना। इसलिए लगने वाले समय का केवल औसत ही इस बात का द्योतक नहीं है कि अदायगी कितनी शीघ्रता से की जाती है। वस्तुतः 90% अदायगी सामान्यतः प्रेषण के प्रमाण के प्रस्तुत कर दिये जाने पर दो सप्ताह के अन्दर कर दी जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक के मुख्यालय में तत्काल उपलब्ध रिकार्डों की जांच करने पर सबसे पुराना ऐसा मामला जिसमें अन्तिम अदायगी का दावा नहीं किया गया है/ अदायगी नहीं की गयी है, वह दि० 31-5-65 का तदर्थ टेंडर सं० एस० ई-3/9237 है जो कि 517.92 रु० की राशि है, जो कि ठेके के कुल मूल्य का 5% है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऊपर "ग" में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी मदें, जो किन्हीं केन्द्रीय सरकारी विभागों के लिए विशेष महत्व की हैं, उनकी सीधी खरीद के लिए उन विभागों जैसे डाक और तार, रेलवे तथा रक्षा विभाग को अनुमति दे दी गई है। अब केवल साधारण एवं सामान्य प्रकार की मदों से ही पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का संबंध है। अत: ऐसे विभागों, जिनमें रक्षा-पूर्ति विभाग भी शामिल है, द्वारा खरीदी जा रही मदों में से, किसी भी मद को लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की लेखा परीक्षा में 22.44 करोड़ रुपये की कथित हेरा फेरी

4547. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (एक सरकारी कंपनी) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 1982 की लेखा परीक्षा किये जाने के दौरान विभिन्न वस्तुओं पर किये गए 20.44 करोड़ रुपये के व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं करा सका;

(ख) यदि हाँ, तो कंपनी में इतनी बड़ी रकम के गबन के लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में अब तक क्या कारंवाई की गई है?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) यह रु० 20.44 करोड़ का खर्च उन उपकरणों और भंडार सामग्री का खरीद-मूल्य है जिन्हें सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० के लिए कोल इंडिया लि० ने खरीदा था। यह भुगतान शुरूआत में कोल इंडिया लि० ने किये थे और बाद में इन्हें सेन्ट्रल कोल फील्डस लि० के नाम डाल दिया गया था। चूंकि प्रारंभिक भुगतान कोल इंडिया लि० की खाता-पुस्तकों में रिकार्ड किया गया था अत: इस खरीदारी से संबन्धित मूल वाउचर कोल इंडिया लि० ने रख लिए थे और इसीलिए लेखा परीक्षकों को रु० 20.44 करोड़ के संबन्ध में डेबिट ऐडवाइस और अन्य समर्थन विवरण दिखाए गये थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन भुगतानों से संबन्धित मूल वाउचर कोल इंडिया लि० ने अपने लेखा परीक्षकों को दिखाने के लिये रख लिए थे और परिणामस्वरूप सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० इन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका था। कोल इंडिया लि० धारक कम्पनी है और सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० सहित सभी सहायक कम्पनियों की ओर से उपकरणों और भंडार सामग्री की केन्द्रीकृत खरीद करती है। सहायक कम्पनियों को प्रेषित उपकरणों और भंडार सामग्री की कीमत बाद में उनके नाम डाला जाता है और यह कारंवाई डेबिट मीमो और अन्य समर्थन विवरण भेजकर की जाती है।

लेखा परीक्षकों द्वारा उठाया गया मुद्दा केवल तकनीकी आधार पर है और इसमें कोई गबन नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कारंवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

[हिन्दी]

4548. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 1983 के अपने पांचवें प्रतिवेदन में सरकारी क्षेत्र के सभी 215 उपक्रमों में वित्तीय अनियमितताओं और लेखों के अनुचित रख-रखाव का उल्लेख किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्य) 1983 खण्ड-5, के अनुसार, 215 सरकारी कम्पनियों, जिनमें उनकी सहायक कम्पनियां भी शामिल हैं, में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने टिप्पणियों अथवा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के परिशिष्ट के प्रयोजनार्थ 174 सरकारी कम्पनियों एवं उनकी सहायक कम्पनियों को चुना था। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने खंड-1 के अन्तर्गत लेखा परीक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों में उल्लिखित "महत्वपूर्ण बातों" को सूचीबद्ध किया है। उन्होंने खंड-2 में इन रिपोर्टों के बारे में कुछ टिप्पणियां दी हैं। इन्हें अधिकाधिक, सरकारी कम्पनियों और धारा 619 ख की कम्पनियों की लेखा परीक्षा के दौरान पकड़ी गई "गलतियां/भूलचूक" कहा जा सकता है। इन्हें वित्तीय अनियमिततायें अथवा लेखों का अनुचित रखरखाव नहीं माना जा सकता है। सरकारी लेखा परीक्षा के दौरान लेखों के विषय में की गई टिप्पणियों के आधार पर सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा 44 सरकारी कम्पनियों के लेखे परिशोधित किये गये हैं।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में असंतोष

[अनुवाद]

4549. श्री आर० अन्नानाम्बी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी है कि बोर्ड स्तर के लिये सेवा निवृत्ति होने के कम से कम दो वर्ष की अवधि वालों को ही नियुक्त करने के निर्णय के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में उच्च स्तर पर असंतोष उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस की भी जानकारी है कि इस निर्णय का अधिकतर तकनीकी पदों पर सीधा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या तर्क है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) निदेशक मण्डल स्तरीय पदों के लिए सेवा-निवृत्ति होने में कम से कम दो वर्ष की सेवा-अवधि वालों को ही नियुक्त करने की नीति से सम्बद्ध उद्यमों के नीति निर्णायक शीर्ष स्तरीय पद की निरन्तरता का प्रयास सुनिश्चित करना है, जो कि आवश्यक है। यह निदेशक मण्डल स्तरीय सभी पदों पर समान रूप से लागू होता है।

राजस्व और जिला प्रशासन का दर्जा बढ़ाने के लिये आवंटन

4550. श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से 12 राज्य हैं जिन्हें राजस्व और जिला प्रशासन के मानकों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस प्रयोजन से सातवें वित्त आयोग ने 1979-84 की अवधि के लिए 64.41 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की थी;

(ख) उपरोक्त प्रावधान का राज्य-वार आवंटन क्या है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों ने राजस्व और जिला प्रशासन का दर्जा बढ़ाने के लिये इस प्रावधान का उपयोग कर लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राजस्व और जिला प्रशासन के मानकों के उन्नयनिकरण के लिए सातवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई राशियों

तथा राज्यों को अब तक जारी की गई राशियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। अनुदानें राज्यों द्वारा सूचित किए गए व्यय की प्रगति के आधार पर जारी की गयी थीं।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य का नाम	सिफारिश किए गए कुल अनुदान	अब तक जारी किए गए कुल अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	250.00	250.00
2.	असम	470.00	329.19
3.	बिहार	1263.00	1134.61
4.	हिमाचल प्रदेश	40.00	40.00
5.	जम्मू तथा कश्मीर	250.00	216.11
6.	मध्य प्रदेश	444.00	387.34
7.	मणिपुर	500.00	500.00
8.	मेघालय	150.00	146.26
9.	नागालैंड	74.00	74.00
10.	उड़ीसा	450.00	371.65
11.	राजस्थान	400.00	400.00
12.	उत्तर प्रदेश	2150.00	2150.00
	जोड़ :	6441.00	6002.16

आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को आदिवासी क्षेत्र भत्ता

[हिन्दी]

4551. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को आदिवासी क्षेत्र भत्ता नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार का उन्हें इस प्रकार का भत्ता देने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों द्वारा सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने आदिवासी क्षेत्र के श्रेणी उन्नयन योजना के कार्यान्वयन के लिए आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उपयुक्त गुण और योग्यता वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है। चूंकि ऐसे क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी आदिवासी विकास योजना से सीधे सम्बद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें इस प्रकार का भत्ता देना न्यायसंगत नहीं माना गया है। गुजरात के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुसूचित/आदिवासी क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता स्वीकार किया गया है। अनुसूचित/आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिपूरक भत्ता आंध्र प्रदेश में डाक तार और रेलवे कर्मचारियों को स्वीकार किया गया है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, वे सेवा नियमों/विनियमों तथा विभिन्न पंचाटों और द्विपक्षीय समझौतों से शासित होते हैं। इस प्रकार इन नियमों और पंचाटों तथा समझौतों में सभी आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते की अदायगी का प्रावधान नहीं है। तथापि, कुछ विशेष स्थानों पर बैंक कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक भत्ता मिलता है, जिसमें कुछ आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां रहन सहन की परिस्थितियां कठिन हैं।

सीमा शुल्क समाहर्ता कलकत्ता के विरुद्ध लम्बित न्यायालय की अवमानना के मामले

[अनुवाद]

4552. श्री अमाविचरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क समाहर्ता, कलकत्ता के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में न्यायालय की अवमानना के कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) इतनी बड़ी संख्या में न्यायालय की अवमानना के मामले लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा विभिन्न न्यायालयों के फैसलों को न मानने के क्या कारण हैं जिसके कारण ये अवमानना के मामले हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सीमाशुल्क गृह, कलकत्ता, से प्राप्त सूचना के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय में संबन्धित पार्टियों द्वारा सीमाशुल्क समाहर्ता कलकत्ता के खिलाफ न्यायालय अवमान के कारण दायर की गई 21 दरख्वास्तें उक्त न्यायालय में फैसले के लिए पड़ी हैं। किसी भी मामले में कलकत्ता उच्च-न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय ने सीमाशुल्क समाहर्ता कलकत्ता को न्यायालय-अवमान के कारण दोषी नहीं ठहराया है।

(ख) तथा (ग) चूंकि मामले न्यायाधीन हैं इसलिए मामलों के गुणदोषों के आधार पर विचार व्यक्त करना वांछनीय नहीं होगा। फिर भी आमतौर पर, न्यायालय अवमान के कारण दरख्वास्तें अन्य बातों के साथ-साथ उन आयातकर्ताओं और व्यापारियों द्वारा दायर की गई हैं जिन्होंने आयातित माल, पकड़े गये दस्तावेजों और सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में अपने पक्ष में अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए थे। लेकिन समाहर्ता ने राजस्व के हित में, ऐसे अंतरिम आदेशों का पालन करने से पहले इन मामलों में सही और सम्पूर्ण तथ्य बताते हुए आदेशों के संशोधन के लिए न्यायालय में दरख्वास्त दायर कर दी थी। कुछ मामलों में न्यायालय अवमान के कारण याचिकाएं कार्मिक प्रशासन, कलकत्ता पत्तन न्यास को देय घाट-किराया और अखबारों में छपी उन खबरों के सम्बन्ध में भी दायर की गयी थीं जिनमें समाहर्ता पर आरोप लगाए गए थे।

पंचाट फैसलों के द्वारा मामलों का निपटारा

4553. श्री मूल चन्द डागा : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पंचाट फैसले के लिए वर्ष बार कुल कितने मामले आए तथा प्रत्येक वर्ष में कितने मामले निपटाए गए;

(ख) कितने मामले दस वर्षों से भी ज्यादा समय से लम्बित पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) जिस वर्ष मामले प्राप्त हुए उसी वर्ष में उससे दो वर्षों के दौरान, तथा तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों पर औसतन कितना व्यय हुआ; और

(घ) मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पंच फैसले के लिए भेजे गये मामलों की सं०, जिन्हें पंचाट के लिए दिया गया, निम्न प्रकार है :—

वर्ष	भेजे गए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जो पंचाट को दिए गये
1982-83	145	122
1983-84	144	97
1984-85	125	109

(ख) दस वर्षों से अधिक समय से मध्यस्थों के पास लम्बित मामलों की संख्या छः (6) है।

कारण :

मामलों के फैसले में देरी के अनेक कारण हैं—जैसे कि न्यायालय की कार्रवाइयों और स्थगन आदेशों का बीच में आ जाना, ठेकेदारों द्वारा अपेक्षित स्थगन और मध्यस्थ का बदल जाना आदि।

टिप्पणी :

आदान/प्रदान और दस वर्षों से अधिक के लम्बित मामलों के आंकड़े मुख्यालय से सम्बन्धित हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) पंच फैसलों के मामलों का संचालन पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के मुकदमा-बाजी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। मध्यस्थों आदि द्वारा सुनवाई करने के लिए मुकदमाबाजी अधिकारियों द्वारा पंच फैसले के मामलों की तैयारी और संचालन में खर्च किये गये समय के आंकड़े धन के रूप में देने संभव नहीं हैं। सरकारी परामर्शदाता ऐसे मामलों में लगे रहते हैं जो उच्च दावों से संबन्धित होते हैं अथवा जिनमें कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य निहित होता है। इसी प्रकार मध्यस्थों द्वारा लिये गए समय के आंकड़े देना भी सभव नहीं है।

(घ) समय की बचत करने और न्यूनतम स्थगनों/बैंक रेफ्रेंसों का सुनिश्चय करने की दृष्टि से प्रक्रियाओं का मानकीकरण करते हुए, क्रियाविधि के विलम्बों को कम करने के लिए विभाग की ओर से कुछ उपाय किए गए हैं।

हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी समझौता-वार्ता समितियां गठित की जाएं, जो कि सरल तथा शीघ्र ही समझौते करवा सकें ताकि मुकदमेबाजी के कार्य के वर्तमान बोझ को कम किया जा सके।

यह भी निर्णय किया गया है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की पंच फैसला संबन्धी प्रक्रिया के नियमों को, भारतीय पंच फैसला परिषद् द्वारा अपनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए।

भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों की तुलना में विदेशों में काम कर रहे भारतीय बैंक

4554. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विदेशी बैंक काम कर रहे हैं, उन बैंकों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक बैंक की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) विदेशों में कितने भारतीय बैंक काम कर रहे हैं, उन बैंकों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक बैंक की कितनी शाखाएं हैं;

(ग) क्या उपरोक्त मामलों में बैंकों का खोला जाना आदान प्रदान के आधार पर है;

(घ) यदि हां तो क्या हमारे देश में आस्ट्रेलियाई बैंक काम कर रहे हैं और आस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने देश में हमारे बैंकों की शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं दी है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना अनुबन्ध एक में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1101/85]

(ख) सूचना अनुबन्ध दो में दी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1101/85]

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) इस समय आस्ट्रेलिया में निगमित कोई बैंक भारत में कार्यरत नहीं है। अभी तक किसी भारतीय बैंक को आस्ट्रेलिया में शाखा खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। अलबत्ता, बैंक आफ बड़ौदा का आस्ट्रेलिया में प्रतिनिधि कार्यालय है।

भवन निर्माताओं और उनके कलकत्ता स्थित सहयोगियों द्वारा कर अपवंचन

4555. श्री सी० माधव रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री विजय कुमार यादव
श्री आनन्द सिंह
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च, 1985 के 'टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आयकर अधिकारियों ने भवन निर्माताओं और उनके कलकत्ता स्थित सहयोगियों द्वारा 15 करोड़ रुपये के कर अपवंचन का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयकर विभाग ने फरवरी 1985 में एक बिल्डर के मामले में बम्बई और कलकत्ता में तलाशियां ली थीं जिनमें प्रथम दृष्टया लगभग 52.94 लाख रु० की लेखा बाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गयीं। राजस्व के हितों की रक्षा करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 281 ख के अंतर्गत संपत्तियों की अनन्तिम कुर्की किए जाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं।

रबड़ के मामले में आत्म-निर्भरता

4556. श्री के० मोहनदास : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह समझती है कि भारत के रबड़ के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने की संभावना है; और

(ख) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1999-2000 तक प्राकृतिक रबड़ में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना संभव हो सकेगा।

(ख) देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) रबड़ के नए रोपण तथा पुनर्रोपण को गति प्रदान करने के लिए रबड़ बागान विकास योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है :

(i) छोटे उपजकर्ताओं को 5000/-रु० प्रति हेक्टार और बड़े उपजकर्ताओं को 3000/-रु० प्रति हेक्टार की दर से नकद उपदान ।

(ii) छोटे धारकों को, जिनके पास 6 हेक्टार से अधिक भूमि नहीं है, अतिरिक्त सहायता जिसमें शामिल हैं : प्रयोग की गई रोपण सामग्री की लागत का, अपरिपक्वता अवधि के दौरान डाले गए उर्वरकों की लागत के आधे का पुनर्भुगतान तथा भूमि संरक्षण कार्य के लिए 150 रु० प्रति हेक्टार तक उपदान ।

(iii) नाबार्ड से प्राप्त किए गए ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज उपदान ।

(iv) रोपण तथा रख रखाव के सम्बन्ध में सभी उपजकर्ताओं को परामर्शी समर्थन देना ।

(2) ऊंची फसल देने वाली सामग्री बढ़ाना तथा उसका वितरण करना ।

(3) रेन गार्डेड टैंपिंग, बीमारियों के विरुद्ध छिड़काव को लोकप्रिय बनाना तथा रबड़ पेड़ों में टैंपिंग के लिए प्रशिक्षण देना ।

(4) उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में रबड़ बागान के विकास को तेज करने के लिए 1984 में सरकार ने एक परियोजना अनुमोदित की है ।

(5) रबड़ बोर्ड के अन्तर्गत रबड़ अनुसंधान संस्थान रबड़ की खेती तथा उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कर रहा है ।

(6) अण्डमान में रबड़ अनुसंधान-सह-विकास केन्द्र भी कार्य कर रहा है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागान के लिए 1000,000 हेक्टार तथा पुनर्रोपण के लिए 35,000 हेक्टार के प्रस्तावित लक्ष्य हैं । अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार करने के प्रस्ताव है जिसमें गैर परम्परागत क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है ।

रबड़ की घरेलू मांग का आंकलन

4557. श्री के० मोहनदास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है कि उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा पेश की जाने वाली रबड़ की मांग कई बार बढ़ा चढ़ा कर के की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या मांग के औचित्य की पुनरीक्षा के बगैर कभी आयात करने की मंजूरी दी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू मांग का सही आंकलन करने के लिये क्या कार्रवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार रबड़ के लिए मांग का पूर्वानुमान औद्योगिक विकास विभाग और रबड़ बोर्ड के साथ परामर्श करके तथा पिछली खपत की प्रवृत्ति और भविष्य की संभाव्यताओं को भी ध्यान में रखते हुए करती है । इस प्रकार, किए गए पूर्वानुमानों की समीक्षा वास्तविक तथा दैनिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर की जाती है । आयात सप्लाई और मांग के बीच के अन्तराल के अन्तर्गत विनियमित किए जाते हैं । रबड़ अधिनियम, 1947 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार रबड़ का

प्रयोग करने वाले सभी विनिर्माताओं को रबड़ बोर्ड से लाइसेंस लेना होता है तथा उन्हें रबड़ की खपत, खरीद और धारणा स्टाक आदि का ब्यौरा देते हुए बोर्ड को सही मासिक विवरणी भेजनी होती है। इनकी परस्पर जांच होती है तथा निरीक्षकों द्वारा उनके कारखानों का दौरा करके प्रमाणित किए जाते हैं। इसलिए प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा रबड़ के लिए मांग को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिये भावी योजना

4558. **श्री के० मोहनदास :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई भावी योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) 7वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित बागान फसलों संबन्धी कार्यदल के रबड़ संबन्धी उप-समूह ने अपनी रिपोर्ट 1984 में प्रस्तुत की। रबड़ का उत्पादन बढ़ाने और उसकी प्रोसेसिंग तथा उसके विपणन में सुधार लाने के लिए उप-समूह को महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) सातवीं योजना के दौरान रबड़ की खेती के विस्तार के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 1,00,000 हेक्टार है जिसमें से 39,000 हेक्टार परम्परागत क्षेत्रों में हैं और 61,000 हेक्टार गैर-परंपरागत क्षेत्रों में हैं। पुनर्रोपण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 35,000 हेक्टर है।

(2) उपजकर्ताओं को अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 9 अतिरिक्त नर्सरियों का खोला जाना।

(3) विस्तार तथा प्रशिक्षण क्रियाकलापों का तीव्रीकरण।

(4) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रबड़ की खेती के विकास को गति देने सम्बन्धी योजना में 1984-85 से 1989-90 तक के दौरान 24,000 हेक्टार क्षेत्र में रबड़ रोपण की व्यवस्था है।

(5) लघु जोतों को रबड़ की प्रोसेसिंग में सुधार लाने के लिए आई० डी० ए० द्वारा वित्त प्रेषित केरल कृषि विकास परियोजना का रबड़ प्रोसेसिंग संघटक जारी रहेगा।

(6) गैर-परंपरागत क्षेत्रों की जरूरतों के बारे में गवेषणा क्रियाकलापों का तीव्रीकरण।

(7) सातवीं योजनावधि के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय 150.42 करोड़ रु० है।

नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिये स्वीकृत ऋण सीमायें

4559. **श्री सुभाष यादव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का विचार राज्य सहकारी बैंकों पर उनके "नाबार्ड" द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा का लाभ उठाने से पहले (राज्य सहकारी बैंकों के मामले में 25 और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मामले में 40 प्रतिशत) न्यूनतम सम्बद्धता की शर्त लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्तावित विचार बहुत पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत स्थिति से हट कर है; और

(ग) क्या उपरोक्त सन्दर्भ में क्या नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण को मात्र अनुपूरक स्वरूप का कहा जाने की मांग की गई जो नाबार्ड विधेयक की प्रस्तावना के विपरीत है जिसमें नाबार्ड की भूमिका को एक ऐसी प्रमुख वित्तीय संस्था की भूमिका माना गया है जो ग्रामीण ऋण देने वाली संस्थाओं को छोटी, मध्यम तथा लम्बी अवधि के ऋण देती है; और यदि हां, तो फिर नाबार्ड का अस्तित्व बने रहने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 1985-86 से राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के आंतरिक उधार योग्य साधनों में क्रमशः 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की अतर्ग्रस्तता के न्यूनतम स्तर का निर्धारण करने का निश्चय किया है। उन बैंकों के मामले में जिनकी उधार योग्य आंतरिक साधनों की अंतर्ग्रस्तता और कृषि ऋणों का स्तर अनुशंसित मापदण्डों से इस समय कम है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायेगा और शुरू में अतर्ग्रस्तता का एक उपयुक्त स्तर निर्धारित करेगा जिसे क्रमबद्ध रीति से बढ़ाया जाएगा ताकि किसी बैंक को अनावश्य कठिनाई न हो। राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता सातवीं योजना की अवधि के दौरान प्राप्त की जाएगी। राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कृषि ऋणों के लिए अपने आंतरिक साधनों का कुछ प्रतिशत लगाना होगा जैसाकि वर्ष 1984-85 के उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर 1985-86 के लिए शुरू में निर्धारित किया जाएगा।

(ख) और (ग) शुरू में भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का हमेशा यह मत रहा है कि और जिसे राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समय-समय पर स्पष्ट रूप से बता भी दिया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधाएं बुनियादी तौर पर ऐसी पूरक किस्म की हैं मानों वे ऐसे ऋणदाता हैं, जिनका केवल अंत में ही सहारा लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का यह निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की प्रस्तावना के विरुद्ध नहीं है क्योंकि किसानों की ऋण सबन्धी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने और विभिन्न अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के वित्त पोषण के लिए सहकारी ऋण संस्थाओं की पुनर्वित्त की सुविधाएं बराबर उपलब्ध होती रहेंगी।

सहकारी बैंकों की अग्रिम राशियों की शर्तों को कृषि क्षेत्र के लिये हटाना

4560. श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृषि वित्त में विपणन, प्रोसेसिंग और भंडारण जैसी गतिविधियों के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम राशियों पर विचार नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्रोतों जिनका उपयोग गैर कृषि क्षेत्रों में ऋण देने में हो सकता है, का पर्याप्त अश अवरुद्ध पड़ा है और गैर कृषि वित्त का प्रमुख अंश का वाणिज्यिक बैंकों की ओर किया गया है और सहकारी बैंकों के विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों को शुरू करने की योग्यता पर रोक लगा दी है;

(ग) सहकारिता में विकसित राज्यों के विकास कार्यों में कम से कम दखल देने की शर्त से विकास गति कितनी धीमी पड़ेगी और क्या सहकारिता में अविकसित राज्यों में अवरुद्धता की स्थिति आयेगी; और

(घ) सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिये उपरोक्त शर्तों को हटाने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ख) विपणन संसाधन और भंडारण जैसे कार्यों को कृषि से सम्बद्ध कार्य माना जाता है और राज्य सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा इन कार्यों के लिए दिये जाने वाले वित्त को उनके साधनों पर उचित प्रभार के रूप में माना जाता है। सहकारी बैंक, सहकारी क्षेत्र के कृषि-भिन्न कार्यों के लिए अपने साधनों से वित्त व्यवस्था करने के वास्ते स्वतंत्र हैं। लेकिन बैंकों से कृषि वित्त पोषण को प्राथमिकता दिय जाने की अपेक्षा की जाती है जबकि सहकारी बैंकों के ऋण परिचालनों में इसे उच्च प्राथमिकता प्राप्त है। सहकारी बैंकों को अपने साधनों का मिला-जुला विवेकपूर्ण प्रयोग करना होता है। वर्तमान नीतियों से कृषि विकास करने में सहकारी बैंकों की क्षमता पर रोक लगाने के प्रश्न और संभावना की कोई बात नजर नहीं आती।

(ग) और (घ) राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के उधार योग्य आंतारिक साधनों में क्रमश: 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता की प्रस्तावित परिकल्पना से विकास की प्रक्रिया के लिए धीमी हो जाने की कोई आशंका नहीं है। अलबत्ता, कृषि कार्यों के वित्त पोषण के लिए अंतर्ग्रस्तता के न्यूनतम स्तर का निर्धारण कर दिये जाने के बाद राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सरकारी बैंकों के पास कृषि से भिन्न ग्रामीण विकास कार्यों का वित्त पोषण करने के लिए उधार योग्य अपने आंतरिक साधनों का क्रमश: 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत हिस्सा फिर भी बच रहेगा। उन बैंकों को कठिनाइयों से बचाने के लिए, जिनकी अंतर्ग्रस्तता न्यूनतम परिकल्पित स्तर से इस समय कम है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य कार्यों पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शुरू में अंतर्ग्रस्तता के निम्न स्तर निर्धारित करेगा जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से ऊपर उठाया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण

4561. श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को गत दो वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से वर्ष-वार कितनी उधार स्थिरीकरण निधि मिली;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से कितना ब्याज मुक्त ऋण मिला;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भाग (ख) में उल्लिखित इस ब्याज मुक्त कोष में से राज्य सहकारी बैंकों से संपरिवर्तित ऋण पर ब्याज लेता रहा है;

(घ) क्या राज्य सहकारी बैंकों ने राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण और विकास बैंक से यह प्रस्ताव किया था कि उन्हें उक्त कोष में से ब्याज मुक्त ऋण दिये जायें, जिससे कि वे प्राकृतिक विपदाओं वाले वर्षों में किसानों को अल्पावधि ऋणों को ब्याज मुक्त ऋण में बदल सकें;

(ङ) क्या इस प्रस्ताव को विचार और स्वीकृति के लिए निदेशक बोर्ड के सम्मुख रखा गया है क्योंकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को यह प्रस्ताव प्राप्त हो चुका था; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना पर भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि (स्थिरीकरण) निधि में जमा 365 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि को अंतरित कर दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक इस निधि को अपने वार्षिक लाभों में से रकमें देता रहता है। गत 2 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी राशियों का ब्यौरा इस प्रकार है—

1983-84	75 करोड़ रुपये
1984-85	80 करोड़ रुपये

चूंकि यह निधि राष्ट्रीय बैंक के स्वामित्व में है इसीलिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इस निधि की राशि पर कोई ब्याज दिये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि से अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तन करने के लिये बैंक दर से 3% कम ब्याज दर पर ऋण दिये जाते हैं। राष्ट्रीय बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों पर जो ब्याज लिया जाता है उसकी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समग्र नीति के अनुसार तय की जाती है और इसका धनराशियों का एक हिस्सा प्राप्त करने की लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ), (ड़) और (च) राज्य सहकारी बैंक के राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ब्याज मुक्त पुनर्वित्त की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया है ताकि वे सावधि ऋणों के रूपांतरण की लागत को पूरी कर सकें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस अनुरोध पर विचार किया था। अल्पावधिक उत्पादन ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तन करने की सुविधा दिये जाने के दो उद्देश्य हैं एक, विपदाग्रस्त किसानों को अपने ऋण की रकम 3 से 5 वर्ष तक की अवधि में चुकाने के योग्य बनाना और दूसरा, उन्हें नये उत्पादन ऋणों का पात्र बनाना। इस प्रकार ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज न लेना अथवा मौसमी कार्यों के लिए दिये जाने वाले अल्पावधिक ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज से कम दर पर ब्याज लेने का सवाल पैदा नहीं होता। महासंघ और महाराष्ट्र सरकार सहकारी बैंक को इसकी सूचना दे दी गई थी। चूंकि, उपर्युक्त निर्णय ऐसे ऋणों के दिये जाने के वर्तमान नीति विषयक ढांचे के अंतर्गत आता था, इसलिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस मामले को निदेशक बोर्डों के सम्मुख रखना जरूरी नहीं समझा।

सहकारी बैंकों के स्रोतों के निर्धारण के बारे में नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को प्राप्त अभ्यावेदन

4562. श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट को सहकारी बैंकों की दीर्घकालीन स्रोतों की उपलब्धता का निर्धारण करने के मानदण्ड के बारे में इस बीच कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जमा राशि स्रोतों के विशेष स्वरूप को ध्यान में रखकर इन अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने जून 1983 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ यह सवाल उठाया था कि लम्बी अवधि के लिए दिए जाने वाले साधनों को कैसे आंका जाए। राष्ट्रीय बैंक द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया था और नवम्बर, 1983 में राज्य सहकारी बैंक को स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल उन्हीं जमा राशियों को लम्बी अवधि के लिए दिए जाने वाले साधनों के रूप में माना जाएगा जो हिसाब लगाने के दिन 3 वर्ष या अधिक समय से उनके पास जमा हों। ऐसे साधनों का आंकने का यह मापदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और मान्य बैंकिंग व्यवहार के अनुरूप है।

भारत से निर्यात के लिये जापानी बाजार का अध्ययन

4563. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को हमारे देश में निर्यात बढ़ाने के लिए उसके बाजार का कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :(क) और (ख) जापान के बाजार का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया। किन्तु जापान को हमारे निर्यातों के संवर्धन के लिए सरकार स्तर के साथ-साथ व्यापार स्तर पर सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। गत कुछ वर्षों के दौरान जापान के साथ चार सरकारी स्तर पर बैठकें की जा चुकी हैं तथा भारतीय वाणिज्य एवं चैम्बर संघ ने वार्षिक आधार पर द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा के लिए जापान में अपने प्रतिपक्षियों के साथ एक संयुक्त व्यापार परिषद बनाई है। इन बैठकों में हमारे निर्यातों के विविधीकरण और विस्तार के लिए नई सम्भावनाओं का पता लगाया जाता है भारत तथा जापान दोनों देशों में समय-समय पर आयोजित व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेते रहे हैं।

भारत और स्पेन के बीच व्यापार

4564. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्पेन के साथ हमारे व्यापार की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों तक भारत और स्पेन के व्यापार का संतुलन भारत के प्रतिकूल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्पेन में बाजार की संभावनाओं का कोई अध्ययन किया गया है;

(ड़) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(च) क्या प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के अन्तरण की संभावनाओं का पता लगाया गया है; और

(छ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के अन्तरण के लिए कोई बातचीत चल रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ग) इस समय, भारत मुख्यत: चमड़ा, सूती और हथकरघा परिधानों, वयस्क और सान्द्रणों जैसी परम्परागत मदों का निर्यात करता है। स्पेन से आयात की जाने वाली प्रमुख मदें हैं— वनस्पति तेल, संश्लिष्ट रेशे, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, आदि। भारत का स्पेन की तुलना में प्रतिकूल व्यापार

संतुलन को नीचे देखा जा सकता है—

		(करोड़ रुपए में)
1981-82	—	62.81
1982-83	—	61.12
1983-84	—	89.91
1984-85 (अप्रैल-सितम्बर)	—	32.28

(घ) और (ङ) कई निर्यात संवर्धन संगठन बाजार क्षमता का मूल्यांकन कर रहे हैं और बाजार सर्वेक्षण, संपर्क संवर्धन कार्यक्रमों और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के आदान-प्रदान आदि जैसे व्यापार संवर्धनात्मक उपाय कर रहा है।

(च) और (छ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ट्राउलर्स और समुद्री साधन विकास से संबंधित तकनीकी जानजारी देने के लिए तथा साथ ही टूना मछली पालन के संयुक्त उद्यमों में स्पेन ने रुचि दिखाई है।

तीसरे विश्व के देशों के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता

4565. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे विश्व के देशों की विकास योजनाओं का कोई अध्ययन और विश्लेषण किया है तथा ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां भारतीय प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्यात नीति तैयार करने की कोई योजना बनाई है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ग) तीसरे विश्व के देशों की विकास योजनाओं और उपलब्ध अवसरों को विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में सामान्य तौर पर सरकार के ध्यान में लाया जाता है और इन मामलों पर संयुक्त उद्यमों की बैठकों में तथा प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान के समय मोटे तौर पर विचार विमर्श भी किया जाता है। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद भी अपने विदेशी कार्यालयों की वाणिज्यिक रिपार्टों की मार्फत तीसरे विश्व के देशों की विकास योजनाओं से अवगत रह रही है। तीसरे विश्व के देशों में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीका विकास बैंक आदि जैसे वित्त व्यवस्था करने वाली बहुपक्षीय अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अपने पाक्षिक बुलिटिन "प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट न्यूज" की मार्फत नियमित रूप से किया जाता है अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, यूनीडो आदि परामर्श करने वाले संगठनों का एक रोस्टर रखते हैं जिनको भागीदारी के लिए आगामी कार्यक्रमों को भेजा जाता है।

सरकार की नीति तीसरे विश्व के देशों में आगामी परियोजनाओं और परामर्शी कार्यों में भारतीय कंपनियों की अधिकतम भागीदारी को सुकर बनाने की है।

भारत और चीन के बीच व्यापार

4566. श्री ब्रज मोहन महंती
श्री के० प्रधानी } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के चीन के साथ व्यापार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया;

(ग) क्या चीन के बाजार का गहराई से अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो भारत किस क्षेत्र में अपने निर्यात व्यापार में सुधार कर सकता है; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चीन को प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का निर्यात करने की कोई संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1976 में चीन के साथ राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंधों के पुनरारम्भ के बाद, वर्ष 1977 में द्विपक्षीय व्यापार पुन: आरम्भ हुआ। वर्ष 1978-79 तक भारत का चीन के साथ अनुकूल रूख व्यापार शेष था। उसके पश्चात् व्यापार शेष का रूख चीन के पक्ष में हो गया। चीन को भारत के निर्यातों में रूई, कच्चे खनिज, लोहा और इस्पात, चीनी, अनिर्मित तम्बाकू, शीट ग्लास, क्रोम अयस्क, लोह अयस्क तथा तार के रस्से शामिल हैं। भारत को चीन के निर्यातों में रेशम, रसायन तथा सम्बन्धित उत्पाद, जिंक तथा अलोह धातुएं शामिल हैं। एक दूसरे को परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करने के लिए 15 अगस्त, 1984 को भारत और चीन ने एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा है।

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान आयात और निर्यात का स्तर निम्नोक्त प्रकार से है —

वर्ष	चीन को निर्यात	चीन से आयात
1983-84	572	7579
1984-85 (अप्रैल-सितम्बर अनन्तिम)	04	2754

(ग) और (घ) हाल ही में चीनी बाजार का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। ऐसे संकेत हैं कि द्विपक्षीय व्यापार में सुधार लाने के यथेष्ट अवसर हैं। कुछ मदों का पता इंजीनियरिंग क्षेत्र में तथा अन्य खनिज अयस्कों जैसे लौह अयस्क, क्रोम अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात की संभाव्यता विद्यमान है।

(ङ) और (च) चीन को प्रौद्योगिकी तथा सुविज्ञता के निर्यात की गुंजाइश है। इस संबंध में संभाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है।

इंजीनियरिंग निर्यात के लिये नकद पूर्ति योजना

4567. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् ने सरकार से नकद प्रतिपूर्ति योजना मार्च, 1985 के पश्चात् भी जारी रखने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् ने, यह बताते हुए कि वर्ष 1982 में नकद प्रतिपूर्ति सहायता की दरें निर्धारित करते समय विचाराधीन लागतें कम नहीं हुई हैं बल्कि काफी बढ़ी हैं, और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता तीव्र हुई है, इंजीनियरी माल पर नदक प्रतिपूर्ति सहायता की वर्तमान दर को 3/5 वर्षों की और अवधि के लिए जारी रखने का सुझाव दिया है।

(ग) सरकार ने इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद को नकद प्रतिपूर्ति सहायता निर्धारित करने के लिए 31 दिसम्बर, 1985 के बाद के लागत आंकड़े देने के लिए कहा है।

ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य-वार स्वीकृत सहायता और वितरित राशि

4568. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांविधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं में से प्रत्येक द्वारा 31 मार्च, 1985 तक राज्य-वार कितनी सहायता मंजूर की गई और कितनी राशि वितरित की गई है;

(ख) इस धनराशि में से प्रत्येक राज्य का हिस्सा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की सहायता देने में क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय सावधि ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय ओद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय ओद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) द्वारा राज्य-वार स्वीकृत तथा संवितरित सहायता और स्वीकृत और संवितरित कुल सहायता में प्रत्येक राज्य के हिस्से के संबध में मार्च, 1984 के अन्त की तुरत उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली सहायता का प्रवाह बराबर इसलिए नहीं होता क्योंकि वित्तीय संस्थाएं अपनी धनराशियों का राज्य-वार आवंटन नहीं करती बल्कि वे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, वाणिज्यिक अर्थक्षमता और प्रौद्योगिकी व्यवहार्यता को मद्दे नजर रखते हुए औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता देती हैं। उद्यमवृत्ति पर जिन विभिन्न बातों का प्रभाव पड़ता है उनमें, आधारभूत सुविधाओं की कमी, किसी स्थानीय कच्चे माल की अनुपलब्धता, बिजली की कमी, बाजार से दूरी और खराब औद्योगिक सबंध शामिल हैं।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य	स्वीकृत राशि			संवितरित राशि		
		आई. डी. बी. आई.	आई.एफ. सी.आई.	आई.सी. आई.सी. आई.	आई.डी. बी.आई.	आई.एफ. सी.आई.	आई. सी. आई. सी. आई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	942.40	185.84	154.23	605.75	123.79	119.43
2.	असम	103.40	22.33	14.14	72.45	13.47	7.27
3.	बिहार	332.71	59.84	101.17	201.61	45.42	82.27
4.	गुजरात	1694.74	223.65	367.04	1114.26	121.89	251.54
5.	हरियाणा	356.91	64.02	67.81	247.68	40.94	48.75
6.	हिमाचल प्रदेश	109.83	20.75	13.72	78.68	14.77	9.13
7.	जम्मू और कश्मीर	109.66	4.33	4.63	90.68	4.02	3.80
8.	कर्नाटक	806.66	151.28	189.65	658.59	125.25	150.13
9.	केरल	388.87	62.23	42.57	282.39	52.31	34.12
10.	मध्य प्रदेश	408.86	68.66	88.99	296.35	44.73	58.47
11.	महाराष्ट्र	1700.01	314.78	677.83	1289.11	248.21	552.68
12.	मणिपुर	3.48	—	—	3.48	—	—
13.	मेघालय	13.29	2.74	0.54	12.28	2.74	0.54
14.	नागालण्ड	8.10	0.66	0.17	5.52	0.50	—
15.	उड़ीसा	360.14	58.12	53.95	222.98	40.96	37 27
16.	पंजाब	395.26	81.51	63.93	280.15	62.60	50.60
17.	राजस्थान	584.93	117.74	110.96	409.14	78.60	80.55
18.	सिक्किम	3.79	1.00	1.00	0.96	—	—
19.	तमिलनाडु	1268.33	183.71	242.92	944.62	133.44	194.61
20.	त्रिपुरा	9.45	1.16	0.56	8.09	1.16	0.55
21.	उत्तर प्रदेश	878.09	210.73	151.55	631.46	158.86	109.08
22.	पश्चिम बंगाल	603.80	116.86	136.30	433.69	84.40	114.89
23.	संघ राज्य क्षेत्र	388.71	41.56	69.40	318.99	34.14	60.07
		11471.79*	1993.49	2553.06	8209.20**	1432.20	1965.75

*भूटान को 1980-81 और 1983-84 में स्वीकृत क्रमश: 25 लाख रु० की और 12 लाख रु० की सहायता सम्मिलित है।

**भूटान को 1980-81 और 1983-84 में संवितरित क्रमश: 20 लाख रु० और 9 लाख रु० सहित।

आई० डी० बी० आई०—कुल सहायता राशि/संवितरित राशि में निर्यात बिल के अंतर्गत दी गई सहायता शामिल नहीं है। वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अंशदान, बीज पूंजी और गारन्टियां भी शामिल नहीं हैं।

आई० सी० आई० सी० आई०—वर्ष 1981-82 और 1982-83 की गारन्टियां शामिल नहीं है।

अखबारी कागज उद्योग द्वारा अतिरिक्त आयात की मांग

4569. श्री बी० बी० देसाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में अखबारी कागज उद्योग द्वारा लगभग 60,000 टन के पिछली बकाया जरूरत को पूरा करने के लिए की गई अतिरिक्त आयात की मांग को नामंजूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा स्रोतों पर पड़ने वाले दबाव को ध्यान में रखते हुए सरकार पिछले वर्षों से बकाया चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने के पक्ष में नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय का कागज उद्योग पर भारी कुप्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या कागज उद्योग ने पिछली बकाया को पूरा करने के लिए पूरी धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) क्या अखबारी उद्योग की मदद के लिए कोई बीच का मार्ग खोजा जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) देश उपलब्धता की अनुपूर्ति के लिए आयात की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की आवश्यता का निर्णय, विदेशी मुद्रा संसाधनों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् लिया जाता है । जहां तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है, 1984-85 में 2.12 लाख मैट्रिक टन की मात्रा का आयात करने का निर्णय लिया गया था और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा जारी कर दी गई थी । अखबारी कागज से सम्बन्धित आबंटन नीति और उसका वास्तविक आबंटन तथा समाचार-पत्र उद्योग से सम्बद्ध अन्य मामलों पर निर्णय सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा लिया जाता है ।

भारत में ब्रिटिश पूंजीनिवेश

4570 श्री बी० बी० देसाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रोद्योगिकी का समावेश करने के बारे में केन्द्र सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप ब्रिटिश पूंजीनिवेश बढ़ाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा नीति में बरती गयी उक्त उदारता के कारण ब्रिटिश पूंजीनिवेशकों ने भारत पूंजी निवेश करने में ज्यादा रुचि दिखायी है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में कितना ब्रिटिश पूंजीनिवेश होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विदेशी निवेश और विदेशी सहयोग के बारे में सरकार ने चयनात्मक आधार की नीति को ही जारी रखा हुआ है और इसी बात को जनवरी, 1983 में घोषित प्रोद्योगिकी नीति सम्बन्धी वक्तव्य में भी दुहराया गया है । इस नीति की परिधि में, ब्रिटिश स्रोतों से होने वाले तदनुरूप पूंजी के निवेश का स्वागत किया जाएगा । क्योंकि निवेशों सम्बन्धी निर्णय विदेशी निवेशकों द्वारा उनकी अपनी ही कटौतियों और मूल्यांकनों के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए किसी वर्ष विशेष में सम्भावित निवेश की मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं होगा ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1983-84 में निर्यात बिक्री में रिकार्ड उपलब्धि

4571. **श्री बी० वी देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने 1982-83 वर्ष को 631 करोड़ रुपये की निर्यात बिक्री की तुलना में 1983-84 में 796 करोड़ रुपये की सर्वकालीन रिकार्ड बिक्री की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य व्यापार निगम के कुल कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1984-85 में कुल कितना कार्य निष्पादन बढ़ाया गया है ?

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित किए गए निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या तरीके अपनाये गए हैं; और

(ङ) कुल कार्यनिष्पादन में इससे कितनी मदद मिली है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां, ।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य व्यापार निगम के निष्पादन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

निर्यात बिक्रियां	करोड़ रु० में
सरणीबद्ध	362
असरणीबद्ध	434
योग	796
आयात बिक्रियां	
सरणीबद्ध	1402
असरणीबद्ध	1
योग :	1403
घरेलू बिक्रियां	16
कुल योग :	2215

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान अनुमानित 677 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात निष्पादन हुआ। निर्यातों में कमी मुख्य रूप से सरकार के अनुरोध पर चीनी के निर्यातों में रुकावट तथा शैलक के असरणीकरण के कारण हुई ।

(घ) प्रचलित मदों के लिए राज्य व्यापार निगम ने कई नई मदों को आरम्भ किया तथा कई नये बाजारों में प्रवेश किया ।

(ङ) इससे राज्य व्यापार निगम के कार्यनिष्पादन के सुधार में सहायता मिली तथा चीनी और शैलक को छोड़कर निर्यात निष्पादन वर्ष 1983-84 के 569 करोड़ रु० से बढ़कर 1984-85 में 634 करोड़ रु० (अनुमानित) हो गया । इसके अतिरिक्त कुल कारोबार 1983-84 के 2215 करोड़ रु० से बढ़कर 1984-85 में 2798 करोड़ रु० हो गया ।

कोरापुर जिले के मालकानगिरी सब-डिवीजन में टिन अयस्क की खोज

4572. श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात, खान कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरापुर जिले के मालकानगिरी सब-डिवीजन में टिन अयस्क हेतु खोज-कार्य पूरा हो गया ;

(ख) वहां पर कितनी मात्रा में टिन अयस्क का पता चला है ;

(ग) इस अयस्क की तस्करी को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) क्या तस्करी का कोई मामला दर्ज किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात, खान कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) कोरापुर जिले के मलकानगीर संभाग में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा टिन अयस्क की खोज जारी है ।

(ख) चूंकि खोज अभी जारी है, अतः भंडारों का अन्तिम अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता किन्तु मार्च, 1985 के अन्त तक उड़ीसा खनन निगम ने 82 टन टिन अयस्क का खनन किया है ।

(ग) से (ङ) तस्करी की रोकथाम के लिए राजस्व, खनन और पुलिस प्राधिकारियों ने अनेक उपाए किए हैं । कथित तस्करों के विरुद्ध अब तक 59 मामले दर्ज हुए हैं उनमें से 17 मामले दोष रहित पाए जाने पर समाप्त कर दिए गए, 32 मामलों में मुकद्दमा चल रहा है और 10 मामलों में जांच की जा रही है । राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा 175 क्विटल टिन अयस्क बरामद किया गया है

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में निदेशक के लिए दो वर्ष की अवधि का प्रतिबन्ध

4574. श्री वाई० एस० महाजन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाप्रबन्धकों और वरिष्ठ कार्यकारियों की निदेशक मण्डल में पदोन्नति पर उनके कार्यकाल की अवधि दो वर्ष निर्धारित कर दी है;

(ख) क्या कुल वरिष्ठ कार्यकारियों ने इस प्रतिबन्ध के कारण और इस तथ्य के कारण भी कि अभी उनको 10 अथवा उससे अधिक वर्ष की सेवा करनी है, निदेशक बनाने से मना कर दिया है ; और

(ग) क्या सरकार इस विचार से सहमत नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सफल कार्यकरण के हित में लम्बी कार्यविधि वांछनीय है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तरीय पूर्णकालिक पदों पर संविदागत नियुक्तियां की जाती हैं । सरकार की नीति यह है कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों का प्रारम्भिक कार्यकाल दो वर्ष का रखा जाये तथा उनका कार्य-निष्पादन सन्तोषजनक होने पर उनकी सेवा-अवधि पांच वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के बाद संविदाओं का नवीयन किया जा सकता है। सेवा-काल बढ़ाना अथवा संविदा का नवीकरण अधिवर्षिता की सामान्य आयु तक ही सीमित रखा जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार निदेशक मण्डल स्तरीय पूर्णकालिक पदों पर नियुक्त कुछ व्यक्तियों ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पदों का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ।

(ग) वर्तमान व्यवस्था पूर्णतया सन्तोषजनक पाई गई है ।

संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्तनों पर रुके पड़े काली मिर्च के प्रेषण

4575. श्री आर० अन्नानाम्बी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत से भेजे गए कालीमिर्च के संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्तनों पर रोक लिये गए थे क्योंकि फंगस से ग्रसित समझा गया था;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में गिरावट की इस बाजार स्थिति का हल्दी, सौंठ आदि जैसे अन्य मसालों के मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा था; और

(ग) यदि हां; तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ग) हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फंगस से ग्रसित होने के कारण अमरीकी पत्तन पर हाल हो में भारतीय काली मिर्च की कोई खेप नहीं रोकी गई थी। काली मिर्च की कीमतों में हाल में वृद्धि हुई है। सौंठ तथा हल्दी की कीमतें भी बढ़ गई हैं।

इस्पात की आवश्यकता, उत्पादन तथा आयात

4576. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में इस्पात की कितनी आवश्यकता है;

(ख) देश में इस्पात कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ इस्पात का आयात करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कितने इस्पात का आयात करने का प्रस्ताव है और उसका मूल्य क्या होगा; और

(ङ) कौन-कौन से देशों से इस्पात का आयात करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात, विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) लोहे और इस्पात से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1985-86 में देश में तैयार इस्पात की मांग 112 लाख टन होगी जबकि इसकी अनुमानित देशीय उपलब्धि 99 लाख टन है। सामान्यत: इन्जीनियरी उद्योग तथा अन्य उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न मदों का पर्याप्त मात्रा में आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(ङ) सामान्यत: इस्पात का आयात कई देशों, जिनमें आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, बल्गारिया, कनाडा, चेकोस्लावाकिया, फ्रांस, हालैंड, हंगरी, इटली, जापान, लक्समबर्ग, उत्तरी कोरिया, नार्वे, रोमानिया, दक्षिणी कोरिया, स्पेन, स्विटजरलैंड, इंग्लैंड, अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी शामिल हैं, से किया जाता है।

शहरी/ग्रामीण बैंकों का 20-सूत्री कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य न करना

4577. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई समाचार मिले हैं कि अनेक शहरी और ग्रामीण बैंक अब भी 20-सूत्री कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए ऋणों के आवेदन पत्रों और वितरण पर विचार करने के लिए शिल्पियों श्रमिकों, किसानों, अनुसूचित जातियों, अल्प-संख्यक समुदायों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं आदि की समितियों का गठन करने का है, ताकि लोगों को 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार अधिकतम लाभ मिले; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितम्बर 1983 में जारी किये गये निर्देशों के अनुसार शहरी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों जिसमें 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के हिताधिकारी भी आ जाते हैं किन्तु जून 1985 तक उनके कुल अग्रिमों के 60% से कम नहीं होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि शहरी बैंक उपर्युक्त मार्गनिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं ने सामान्यतः ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी और बढ़ा दी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने अगस्त 1983 में, सभी राज्यों में खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन किये जाने का परामर्श दिया था। इन समितियों में खण्ड पंचायत समिति का अध्यक्ष खण्ड विकास अधिकारी और बैंक तथा राज्यों के प्रतिनिधि व स्थानीय विधायक होते हैं और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋणकर्त्ताओं की शिकायतें देखने के लिए उप समूह गठित किए जाएं जिनमें अग्रणी जिला अधिकारी, कृषक सहकारी समितियां, कारीगरों, शिल्पियों, संघों और गैर सरकारी सदस्य शामिल हों। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों के मण्डल/क्षेत्रीय प्रबन्धकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे शाखा प्रबन्धकों द्वारा रद्द किए गए प्रस्तावों की जांच करें। इसके अलावा हिताधिकारियों का पता लगाया जाता है और उनके ऋण प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा बैंकों को भेजे जाते हैं।

1 अप्रैल, 1985 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उदारीकृत पेंशन लाभ देना

4578. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि हाल ही में सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1985 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त हुए, कर्मचारियों के लिए घोषित उदारीकृत पेंशन लाभ 1 अप्रैल, 1985 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को भी दिए जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में सरकार का क्या विचार है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन के मामले में पुराने और नए सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव अथवा भिन्न व्यवहार न किया जाए, क्या कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भिन्न-भिन्न तारीखों से अर्थात् 1-1-1985/28-2-1985/सेवा-निवृत्ति की तारीख का विचार किए बिना विभिन्न व्यक्तियों/संघों द्वारा लाभ का दावा किया गया है।

(ग) सामान्य नीति के अनुरूप सरकार का पिछली तारीख से लाभ देने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए गणनायोग्य परिलब्धियों में अन्तर होने के कारण पेंशन में अन्तर होना स्वाभाविक है।

फुटबाल प्रतियोगिता के लिये विदेशी मुद्रा अनुदान

4579. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि "फीफा" द्वारा जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप इन्वीटेशन टूर्नामेंट (फुटबाल) के नाम से मान्यता प्राप्त देश में प्रतिवर्ष आयोजित सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए विदेशी मुद्रा अनुदान आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा के आवश्यक अनुदान दिए गए हैं; और

(ग) क्या खेल संवर्धन और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिवर्ष नियमित रूप से दो लाख पचास हजार डालर का अनुदान आरक्षित किया जा सकता है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) भारत और विदेशों में खेलों का आयोजन करने के लिए विदेशी मुद्रा, उसकी कुल उपलब्धता और अर्थ-व्यवस्था के लिए उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है। ऐसे सभी प्रस्तावों पर गुणवत्ता के आधार पर तथा युवक कार्य और खेलकूद विभाग की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1982, 1983 और 1984 के दौरान, जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप इन्वीटेशन टूर्नामेंट (फुटबाल) के आयोजकों को क्रमशः 1,00,000 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर, 75,000 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर और 3,18,000 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की राशि की विदेशी मुद्रा जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, एफ० आई० एफ० ए० तथा ए० एफ० सी० को प्रेषणाओं के लिए भी विदेशी मुद्रा सुविधा प्रदान की गई थी।

(ग) किसी एक विशेष टूर्नामेण्ट के लिए विदेशी मुद्रा नियमित आधार पर आरक्षित करना संभव नहीं है चूंकि ऐसे प्रस्तावों पर, विदेशी मुद्रा की कुल मांग की तुलना में उसकी उपलब्धता को देखते हुए विचार किया जाता है।

काली मिर्च प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना

4581. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में काली मिर्च प्रोसेसिंग उद्योगों की स्थापना नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह काली मिर्च के उत्पादों का निर्यात न बढ़ने के लिए उत्तरदायी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में काली मिर्च प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना करने का है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) भारत में काली मिर्च ओलिओरेजिन व तेल और निर्जलित हरी काली मिर्च के उत्पादन के लिए काली मिर्च प्रोसेसिंग हेतु अनेक एकक स्थापित किए गए हैं।

काली मिर्च तेल, ओलिओरेजिन और निर्जलित हरी काली मिर्च के निर्यात का मूल्य जो 1980-81 में 1.85 करोड़ था, 1983-84 में बढ़कर 2.31 करोड़ रु० हो गया।

निर्जलीकृत कच्ची काली मिर्च का निर्यात

4582. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों में निर्जलीकृत कच्ची काली मिर्च की मांग की संभावनाओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की काली मिर्च का इस समय निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) यूरोपीय देशों में निर्जलीकृत हरी काली मिर्च की मांग पर कोई अलग अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) निर्जलीकृत हरी काली मिर्च के हमारे निर्यात का प्रमुख भाग पश्चिमी यूरोपीय देशों को है। 1983-84 के दौरान निर्जलीकृत हरी काली मिर्च के निर्यात 46.29 लाख रु० मूल्य के 100 मे० टन के हुए जबकि 1982-83 में ये 29.92 लाख रु० मूल्य के 64 मे० टन हुए थे।

खली का निर्यात

4583. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितनी खली का निर्यात किया गया;

(ख) किन-किन देशों को खली का निर्यात किया जा रहा है और किस दर पर;

(ग) क्या खली के निर्यात से हमारी खपत पर कोई प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) खली के निर्यात के लिए सरकार की 1985-86 के लिये नीति क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) तथा (ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान संकलित अस्थायी आंकड़ों के अनुसार तेल-रहित खली (निस्सारण) के भारत के निर्यातों की मात्रा एवं मूल्य का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

मात्रा लाख मे० टन
मूल्य रु० करोड़

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1982-83	14.50	168.32
1983-84	14.47	190.03
1984-85 (अनुमानित)	14.39	181.47

तेल रहित खली के प्रमुख निर्यात बाजार ये सोवियत संघ, रूमानिया, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतन्त्रिक गणराज्य, ब्रिटेन, हालैण्ड, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरब।

(ग) तथा (घ) वर्तमान निर्यात नीति के अधीन (I) मूंगफली के तेल की खली (एक्सपेलर किस्म) (II) 1% से अधिक तेल वाली तेल रहित मूंगफली की खली, तथा (III) बिनौला एक्सपेलर खली को छोड़कर सभी किस्मों की एक्सपेलर खली के निर्यात की अनुमति नहीं है।

तेल-रहित चावल भूसी (चावल भूसी निस्सारण), (II) तेल-रहित मूंगफली की खली (निस्सारण), (III) विलायक निस्सारित बिनोला खली (छिलका रहित एवं गैर-छिलका रहित) तथा बिनोला एक्सपेलर खली के निर्यात की अनुमति घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें से प्रत्येक मद के लिए निर्धारित सीमित मात्रा के भीतर है। सोयाबीन निस्सारण आटा पशु एवं कुक्कुट यौगिक चारा-दाना, साल बीज, महुआ, कोकम, सूर्यमुखी बीज तथा तोरिया के बीज के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है।

पीतल के मूल्य में वृद्धि

4584. श्री मोहन भाई पटेल : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पीतल का मूल्य बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लघु उद्योगों पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और पीतल के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) पीतल का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। यह तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु है। इन दोनों धातुओं के मूल्य में वृद्धि का अन्त: पीतल के मूल्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तांबा और जस्ता के मूल्य मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक की अध्यक्षता में मूल्य निर्धारण समिति द्वारा समय-समय पर तय किए जाते हैं।

(ग) और (घ) अधिकतर लघु उद्योग स्थानीय रूप से उपलब्ध पीतल की फूट (स्क्रैप) का उपयोग करते हैं। पीतल की फूट के मूल्य या वितरण पर कोई विशिष्ट नियंत्रण नहीं है।

इन्जीनियरिंग सामान का निर्यात

4585. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से इन्जीनियरिंग सामान का आयात कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितनी धनराशि का इंजीनियरिंग सामान निर्यात किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान भारतीय वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 1985-86 के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के संबंध में विदेशी बाजार में अपने प्रभुत्व जमाने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारत से इन्जीनियरी माल के आयातक देशों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) 1982-83 से 1984-85 के दौरान इन्जीनियरी माल के निर्यात के अनन्तिम आंकड़े, जो इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् से प्राप्त हुए हैं, निम्नलिखित है :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रु०
1982-83	1250.00
1983-84	1170.00
1983-84 (अप्रै—दिस०)	800.00
1984-85 (अप्रै—दिस०)	905.00

(ग) दिसम्बर, 1984 तक उपलब्ध आंकड़े 1983-84 की तुलनात्मक अवधि से निर्यातों में 13.1% की वृद्धि दर्शाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 1985-86 के दौरान इन्जीनियरी माल के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पुनर्भुगतान योजना जारी रखना, निर्यात उत्पादन के लिए आयातों का उदारीकरण, विदेशी सहयोग तथा प्रौद्योगिकी के आयात में उदारीकरण, तथा आयात व निर्यात नीति का एक वर्ष से तीन वर्षों के लिए विस्तार।

विवरण

अफगानिस्तान	हंगरी	पुरितोरिको
अल्जीरिया	इण्डोनेशिया	कतार
ए आर ई	ईरान	रूमानिया
अर्जेंटीना	इराक	रवांडा
आस्ट्रेलिया	आयरलैंड	स० अरब
आस्ट्रीया	इटली	सनेगल
बहरीन	आयवरीकोस्ट	साइचलैंस
बंगला देश	जमाइका	सिरियालिओन
बारबडोज	जापान	सिंगापुर
बेल्जियम	जोर्डन	सोमालिया
बेनिन	केन्या	द० कोरिया
बोलीविया	कुवैत	द० यमन
ब्राजील	लाओस	पी डी आर वाई
बुल्गारिया	लेबनान	स्पेन
बर्मा	लेसोथो	श्रीलंका
कम्बोदिया	लाइबेरिया	सूडान
कैमरून	लीबिया	सूरिनाम
कनाडा	मालागेसे	स्वीजीलेंड
कैनरी महाद्वीप	मलावी	स्वीडन
चिलि	मलयेशिया	स्वीट्जरलैंड
चीन पी आर	मालदीव	सीरिया
कोलम्बिया (कम्बूचिया)	माल्टा	ताइवान
कूबा	मौरिशस	तंजानियाव
सेप्रेस	मैक्सिको	थाइलैंड
चेकोस्लोवाकिया	मोरक्को	तोगोद्वीप
डेनमार्क	मोजाम्बीक	त्रिनीडाड
इकाडोर	नेपाल	ट्यूनीशिया
इथोपिया	न्यू क्लेडन	टर्की
फिजी	न्यू ग्यूनिया	युगांडा

फाइनलैंड	एण्ड पापुआ	स० अ० अमीरात
फ्रांस	न्यूजीलैंड	(आबूदाबी तथा दुबई)
जाम्बिया	नाइजीरिया	ब्रिटेन
जर्मनी डी आर	उ० कोरिया	अमरीका
जर्मनी एफ आर	नार्वे	सोवियत संघ
घाना	ओमान (मस्कट)	युरोग्वे
ग्रीक	पाकिस्तान	वेनेजुला
ग्वाटेमाला	पनामा	वियतनाम
ग्वीनिया	पारगुए	यमन अ० गणराज्य
ग्वीआना	पीरू	यूगोस्लाविया
हालैंड	फीलिपीन	जेरे
हांगकांग	पोलैंड	जाम्बिया
		जिम्बाबवे

चालू वर्ष के दौरान निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण मदें

4586. श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान हमारे देश किन-किन महत्वपूर्ण मदों का निर्यात किया जाता है;

(ख) किन-किन देशों को निर्यात किया जाना है;

(ग) कितनी मात्रा में निर्यात किया जाना है;

(घ) कितने मूल्य का निर्यात किया जाना है; और

(ङ) क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अथवा नहीं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) मूल्य क्रम (1983-84) के अनुसार भारतीय निर्यातों की मुख्य वस्तुओं में शामिल है : कच्चा तेल पेट्रोलियम पदार्थ, रत्न तथा आभूषण, सिले-सिलाए परिधान, चाय, मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर, लौह अयस्क, चमड़ा तथा चमड़ा-उत्पाद, समुद्री उत्पाद, सब्जियां तथा फल (काजू गिरी सहित), रसायन तथा संबद्ध उत्पाद, सूती वस्त्र, धातु उत्पाद (लोहा तथा इस्पात के अलावा), अपरिष्कृत तम्बाकू, कपास तथा खली ।

जहां तक निर्देशात्मक पैटर्न का संबन्ध है 1983-84 के दौरान भारतीय निर्यातों के प्रमुख बाजारों में ये शामिल थे :—संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, हांग कांग, बेल्जियम, सिंगापुर, नीदरलैण्ड तथा इटली ।

1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के पूर्वार्द्ध के लिए वस्तुवार तथा देशवार निर्यात-आंकड़े वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय की 1984-85 की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं । अप्रैल-सितम्बर, 1984 के बाद के वस्तुवार ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं । हमारे निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र तथा रुपया भुगतान क्षेत्र को किए जाते हैं ।

मैक्सिको द्वारा भारत से "स्टील पैलेट्स" का आयात

4587 श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सिको द्वारा भारत से स्टील पैलेट्स का आयात करने हेतु मैक्सिको के साथ कोई करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) मैक्सिको को स्टील पैलेट्स कब तक प्राप्त होने लगेंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) भारत से लौह अयस्क पैलेट्स का निर्यात करने विषयक कोई करार मैक्सिको के साथ नहीं किया गया है।

मैक्सिको के एक प्रतिनिधि दल ने, जो मार्च, 1985 के तीसरे सप्ताह में भारत की यात्रा पर आया हुआ था, 18-19 मार्च 1985 को इस्पात विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया, उस समय मैक्सिको को लौह अयस्क पैलेट्स का निर्यात करने विषयक प्रश्न विचार-विमर्श के लिए आया। मैक्सिको पक्ष ने कुदरेमुख से लगभग 0.5 टन पैलेट्स का आयात करने में रुचि दर्शाई। उनको मंगलौर स्थित पैलेट्स यंत्र में बनाई जाने वाली पैलेट्स की क्वालिटी मानदण्ड से अवगत कराया गया और यह भी सूचित किया गया कि कुदरेमुख मंगलोर पैलेट संयन्त्र से अक्तूबर-नवम्बर, 85 तक ही पैलेट्स सप्लाई कर सकेगा। संविदा का अन्तिम रूप परीक्षण परिणामों पर निर्भर करेगा, जो संयन्त्र के उत्पादन आरम्भ करने के बाद मैक्सिको पक्ष द्वारा की जायेगी।

उड़ीसा में टसर रेशम का उत्पादन

4588. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन जिलों में टसर रेशम का उत्पादन होता है; और

(ख) क्या उड़ीसा के कुछ अन्य जिलों में इस टसर रेशम का उत्पादन शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) उड़ीसा में टसर उत्पादन में लगे प्रमुख जिले हैं :—मयूरभंज, सुन्दरगढ़, क्योंझर और संभलपुर। कटक, बालासोर और ढेनकेनाल जिलों में भी छोटे टसर उत्पादक क्षेत्र पाए गए हैं।

(ख) राज्य के सभी सक्षम क्षेत्रों में टसर उत्पादन के विस्तार के लिए कार्यक्रम हैं।

सीमा शुल्क विभाग के गोदामों में पड़े सामान के लिये निपटान के लिये निदेशालय की स्थापना

[हिन्दी]

4589. प्रो० चंद्रभानु देवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीमा शुल्क विभाग के विभिन्न गोदामों में पड़े सामान के समय पर और शीघ्र निपटान के लिये सरकार का विचार एक निदेशालय स्थापित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी, नहीं।

जीवन बीमा निगम के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सुविधाएं

4590. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत माह जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगों के बारे में निगम के उच्च अधिकारियों और कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां तो निगम के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। फरवरी, 1985 में जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों और कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई थी।

(ख) प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच हुए समझौते के आधार पर सरकार ने 11 अप्रैल, 1985 को भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की थी जिसके द्वारा निगम के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक खोलने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड में परिवर्तन

4591. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश के पर्वतीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक खोलने के लिए इस समय अपनाए जाने वाले मानदंड में परिवर्तन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि इन क्षेत्रों के अधिकांश भागों को इन बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सुविधाएं पर्वतीय क्षेत्रों के सभी भागों में उपलब्ध हों, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) शाखा विस्तार नीति का मूल उद्देश्य यह रहा है कि बैंक रहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक कार्यालयों का विस्तार करने की गति को तेज किया जाए। अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के लिये शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों, कम आबादी वाले क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया और ऐसे क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के मामले में अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण अपनाया गया। आमतौर पर बैंक कार्यालय खोलने के लिए केन्द्रों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और उनसे यह आशा की जाती है कि वे पर्वतीय क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेंगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की शाखा विस्तार नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मन्त्रालयों द्वारा विभिन्न परियोनाओं के लिए मंजूर राशि को अन्यत्र व्यय किया जाना

[अनुवाद]

4592. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1984-85 के लिए विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों के लिए मंत्रालय-वार क्रमशः कितनी राशि मंजूर की और 31 मार्च, 1985 को कितनी राशि व्यपगत हो गई ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं कि मन्त्रालयों ने वर्ष 1984-85 के दौरान मंजूर राशि को अन्य परियोजनाओं और कार्यों पर काम किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 के विनियोग लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लोक सभा की कार्य सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार, 1984-85 के विनियोग लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने की निर्धारित तारीख 30 नवम्बर, 1985 है।

तथापि, यह कहा जा सकता है कि सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किए गए परियोजनाओं के प्राक्कलनों का अनुमोदन व्यय वित्त समिति/सार्वजनिक निवेश बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया जाता है और बजट में निधियों का प्रावधान वार्षिक योजना कार्यवाही के एक भाग के रूप में योजना आयोग आदि द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद किया जाता है। 1984-85 के लिए अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशियां संसद में प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों/मंत्रालय-वार अनुदान मांगों में दिखाई गई थीं। 31 मार्च, 1985 तक वास्तव में खर्च की गई राशियां और उस तारीख को जो निधियां व्यपगत हो गई थीं उनका संकलन संबंधित विभागों के अपने अपने लेखा-प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इन आंकड़ों का वित्तीय वर्ष वार संकलन किया जाता है और यथा-समय विनियोग लेखों में संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाता है। वार्षिक योजना में यथा-स्वीकृत राशियों के उपयोग का एक परियोजना के लिए स्वीकृति राशियों का किसी अन्य परियोजना के लिए उपयोग, यदि कोई हो, के बारे में वित्त मन्त्रालय केन्द्रीय तौर पर कोई आंकड़े नहीं रखता।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में कपूराड़ी गांव लिग्नाइट के भंडारों का पता चलना

4593. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खनिज गवेषण निगम लिमिटेड तथा भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से राजस्थान के बाड़मेर जिले में कपूराडी गांव में व्यापक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां लिग्नाइट का अनुमानतः कितना भण्डार पाया गया और तत्सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिनांक 1-10-1984 तक किए गए समन्वेषण और प्रयोगशाला कार्य के आधार पर, खनिज समन्वेषण निगम ने कपुरदी में कुल 78.67 मिलियन टन के कुल लिग्नाइट भण्डारों का अन्तरिम अनुमान लगाया है। यह अनुमान लिग्नाइट के संयुक्त और मिडिल संस्तरों के लिए है और लिग्नाइट तथा ऊपरी मलबे के बीच 1 : 15 अनुपात की सीमा में है। लिग्नाइट के खनन के लिए परियोजनाएं तभी बनाई जा सकती हैं जबकि अधिक नजदीक से ड्रिलिंग कार्य पूरा हो जाए।

लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋण के ब्याज को बट्टे खाते में डालना

4594. **श्री आशुतोष लाहा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण लघु उद्योगों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋण पर जमा हुई ब्याज की धनराशि को, जो कई वर्षों से बकाया चल रही है, बट्टे खाते डालकर केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में उद्योगों की दयनीय स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सरकार का रुग्ण उद्योगों द्वारा किए गए ऋणों के मामले में बैंक ब्याज कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों द्वारा लिए गए ऋणों का ब्याज कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंकों को अपने विवेकानुसार, अलग-अलग मामलों में, जहां किसी रुग्ण एकक को फिर से खड़ा करना अर्थक्षम समझा जाए, और आवश्यकतानुसार, ब्याज दर कम करने की अनुमति दे रखी है।

सनफ्लैग इस्पात संयंत्र का भंडारा से स्थानांतरण

4595. श्री मुकुल वासनिक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्याप्त जल की अनुपलब्धता के कारण सनफ्लैग इस्पात संयंत्र को भण्डारा से अन्यत्र ले जाने के समाचार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र को भंडारा में ही बनाए रखने के लिए क्या कार्रवाही की गई है ?

इस्पात, विभाग में राज्य-मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं। सनफ्लैग इस्पात संयंत्र को भंडारा से अन्यत्र ले जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सप्ताह में सातों दिन काम करने वाली खानें

4596. श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोल इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत आने वाली खानों में खान अधिनियम को अवलोकन करते हुए, समयोपरि भत्ते के रूप में भारी धनराशि का भुगतान करके खान श्रमिकों से सप्ताह में सातों दिन काम लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1982 से फरवरी, 1985 तक की अवधी के दौरान खान श्रमिकों को प्रतिमाह समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) सरकार का विचार खान श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन का आराम दिए बगैर सप्ताह के सातों दिन काम करने के लिए सभी कोयला खानों के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) कोल इण्डिया लि० के अधीन कोयला खनिकों को खान अधिनियम के उल्लंघन में सप्ताह के सातों दिन काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। ओपेनकास्ट खानों में सप्ताह के सातों दिन काम किया जाता है लेकिन वहां कामगारों को बदल बदल कर साप्ताहिक विश्राम का दिन दिया जाता है और इस प्रकार खान अधिनियम के प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाता है। कुछ भूमिगत खानों में भी कभी कभी अनुरक्षण कार्य आदि करने के लिए साप्ताहिक विश्राम के दिनों में काम किया जाता है लेकिन ऐसे मामलों में कामगारों को प्रतिपूरक अवकाश दिया जाता है और साथ ही उन्हें खान अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार उस दिन सामान्य मजदूरी से दुगनी मजदूरी भी दी जाती है।

(ख) विश्राम के दिनों के लिए कामगारों को दी गई मजदूरी के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि के विकास के लिये भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

4597. कुमारी पुष्पा देवी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ण रूप से कृषि विकास संबन्धी कार्य करने वाली शाखाएं खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में कृषि के विकास के लिए अब तक कितनी शाखा खोली गई हैं;

(ग) उक्त राज्य में भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास बैंक शाखाओं द्वारा 1984-85 में कितनी राशि के ऋण तथा अन्य सहायाता प्रदान की गयी; और

(घ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राज्य में कृषि विकास के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने मुख्यत: कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए कृषीय विकास शाखाएं खोली हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में इस प्रकार की 31 शाखाएं कार्यरत हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना नहीं मिलती।

(घ) पिछले वर्षों में भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी बैंकों ने कृषि क्षेत्र को अपने ऋण बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें ऋण आवेदन फार्मों को सरल बनाना, जमानत और मार्जिन मापदण्ड में ढील देना, शाखा प्रबन्धों को पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियां देना, ऋण आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर निपटाना, छोटे किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल है।

मध्य प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिये जारी किये गये दिशानिर्देश

4598. कुमारी पुष्पा देवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं के कार्यकरण में सर्वांगीण सुधार करने की बहुत आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं में विद्यमान सेवाओं जैसे ग्राहक सेवाओं, अनुशासन और समय की पाबंदी लागू करने में सुधार लाने के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान कार्यालय को क्या दिशानिर्देश भेजे गए हैं;

(ग) भारती स्टेट बैंक ने मध्य प्रदेश में अपनी शाखाओं को उक्त दिशा निर्देश को लागू करने के लिए क्या निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में सेवायें बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मध्य प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के कार्यकरण के बारे में सरकार को कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) से (घ) ग्राहक सेवा में सुधार करने, समय की पाबन्दी, अनुशासन बनाए रखने आदि पर जोर देने के लिये सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के नाम समय समय पर आदेश जारी किये जाते हैं बैंकों की शाखाओं के कार्य को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से

अभी हाल ही में बैंकों के वरिष्ठ और उच्च कार्यपालकों से कहा गया है कि वे बैंक शाखाओं और कार्यालयों का मुख्य रूप से कार्यालयों के शुरू होते समय और कार्यालयों के बन्द होते समय अचानक दौरा करें।

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश मध्य प्रदेश में स्थित शाखाओं सहित सभी कार्यालयों को भेज दिए हैं और इनका अनुपालन किया जा रहा है।

भद्रावती, कर्नाटक स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण

4599. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रावती, कर्नाटक स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड वर्ष 1984-85 के दौरान घाटे में चल रहा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त घाटे के क्या कारण रहे; और

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा उक्त उद्यम का प्रबन्ध अपने हाथ में लिए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान हानि होने के प्रमुख कारण थे : इस्पात उद्योग में मन्दी, आयातित कच्चे माल की अधिक लागत, कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबन्ध, बिजली-प्रभार में वृद्धि और अन्य परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि।

(ग) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० का अधिग्रहण करने के लिए कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार ने अनुरोध किया है। अधिग्रहण का मामला विचाराधीन है।

विदेशों द्वारा स्थापित सम्पर्क कार्यालयों को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत लाना

4600. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों ने भारत में अपने संपर्क कार्यालय स्थापित किए हैं;

(ख) क्या इन संपर्क कार्यालयों को आयकर अथवा संपत्ति कर से छूट दी जाती है हालांकि वे भारत में बहुत सा धन कमा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इन संपर्क कार्यालयों को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत लाने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 1-4-1985 की स्थिति के अनुसार भारत में विदेशी कंपनियों के 282 संपर्क कार्यालय काम कर रहे थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊष्म-सह-मिट्टी स्रोतों का उपयोग

4601. श्री सी० पी० ठाकुर : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा बिहार में कोयला खनन का कार्य किया जा रहा है;

(ख) क्या कोयले के साथ-साथ उष्म-सह्-मिट्टी मिलती है और जब कोयला खानों से बाहर निकाला जाता है तो इस ऊष्म-सह्-मिट्टी को व्यर्थ की वस्तु समय कर हटाया जाता है और फेंक दिया जाता है; और

(ग) ऊष्म-सह्-मिट्टी के इस निरर्थक खनन को रोकने के लिए तथा बिहार में उपलब्ध ऊष्म-सह्-मिट्टी के स्रोतों का रिफैक्ट्री उद्योग स्थापित करने को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार में खनन कार्य करने वाली तीन सहायक कोयला कंपनियों अर्थात् भारत कोकिंग कोल लि०, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के बारे में सूचना निम्नलिखित है :—

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०

कुछ ओपेनकास्ट कोयला खानों के ऊपरी मलबे में कहीं कहीं फायरक्ले (अग्नि मृत्तिका) पाई गई है। यह भंडार छोटे-छोटे और अलग-थलग पड़े स्थानों में होते हैं अथवा स्थानीय टुकड़ों में सीमित पतले क्रमहीन और बी आकार थक्कों के रूप में होते हैं। जब कोयला निकाला जाता है तो फायरक्ले की यह पतली परतें भी ऊपरी मलबे के साथ निकल जाती हैं। ओपेनकास्ट खानों में मशीनों का बहुत प्रयोग होता है और वहां बड़ी संख्या में विस्फोट किए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह बहुत कठिन है कि कोयले के खनन कार्य में बाधा डाले बिना फायरक्ले की पतली परतों को अलग से निकाला जा सके।

भारत कोकिंग कोल लि०

ऊपरी मलबा हटाते समय/नई खान खोदते समय सभी स्थानों पर हमेशा फायरक्ले नहीं मिलती है और जब मिलती है तो इसकी किस्म और मात्रा हमेशा ऐसी नहीं होती कि इसका व्यापारिक स्तर पर प्रयोग हो सके।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

कुछ स्थानों पर कोयले के साथ फायरक्ले भी मिलती है और जब कभी ओपेनकास्ट प्रणाली से खान से कोयला निकाला जाता है तो यह फायरक्ले ऊपरी मलबे की तरह हटा दी जाती है। चूंकि फायरक्ले के परत की मोटाई अधिक नहीं होती है और फायरक्ले की किस्म घटिया होती है, इसलिये इस फायरक्ले की खुदाई के लिये कोई अलग प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है।

(ग) आमतौर से फायरक्ले और कोयला एक साथ प्राप्त होते हैं और इन्हें संबन्धित खनिज कहा गया है। कुछ अनुदेश पहले ही राज्य सरकार को उनके विचार के लिए इस अनुरोध के साथ भेज दिए गये हैं कि फायरक्ले के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंसों/खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय उन मुद्दों पर विचार किया जाए। वे अनुदेश हैं :—

(1) यदि कोई फायरक्ले का क्षेत्र किसी ऐसे कोयलेधारी क्षेत्र के सबसे ऊपर है जिसमें कोई कोयला कंपनी पहले खनन कार्य कर रही है तो किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया जाए। परन्तु यदि फायरक्ले की खुदाई, इस खनिज पर निर्भर कुछ उद्योगों की मांग पूरी करने के लिए आवश्यक ही हो तो भूमिगत खनन-कार्य करने वाली कोयला कम्पनी को फायरक्ले की खुदाई करने और उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कहा जाए।

(2) यदि कोई फायरक्ले किसी कोयलाधारी क्षेत्र के सबसे ऊपर है परन्तु उसमें खनन नहीं हो रहा है तो भी साधारणतया खनन-पट्टा संबन्धित कोयला कंपनी को ही दिया जाए। कोई क्षेत्र विशेष कोयला धारी क्षेत्र है या नहीं यह बात राज्य सरकारें जिन सगठनों से पता लगा सकती हैं वह हैं—भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता; खनिज समन्वेषण निगम, नागपुर; केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, रांची; संबंधित कोयला कंपनी और राज्य सरकार का भूतत्व विभाग। इन एजेन्सियों के लिये यह निर्दिष्ट करना संभव होना चाहिए कि क्षेत्र विशेष के नीचे कोयला है या नहीं।

परन्तु राज्य खनन निगम, फायरक्ले का खनन कोयला कंपनी की सहमति लेकर उन शर्तों के आधार पर कर सकता है जो कोल इण्डियन लि० को मान्य हों। इस बारे संबन्धित कोयला कंपनी के साथ एक करार किया जाये जिसमें यह शर्तें शामिल की जाएं।

बिहार में खनन कार्य करने वाली कम्पनियों अर्थात् भारत कोकिंग कोल लि०, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० ने सूचित किया है कि :—

(1) किसी भी गैर-सरकारी पार्टी ने फायरक्ले की अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनका आवेदन नहीं किया है।

(2) राज्य सरकार की किसी एजेंसी अथवा राज्य खनन निगम ने कोयला धारी क्षेत्रों में फायरक्ले के खनन के लिये इन कंपनियों से अनुमति नहीं मांगी है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रेक्टिस कर रहे कास्ट एकाउण्टेंट की सेवाओं का उपयोग

4602. श्री विष्णु मोदी
श्री शांति धारीवाल } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम,-भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम जैसे सभी वित्तीय संस्थान उनसे सहायता प्राप्त करने वाले ऋण औद्योगिक एककों की रुग्णता का पता लगाने और उन्हें उपचारात्मक उपाय सुझाने तथा पुनर्वास योजनाओं को शुरू करने के लिए ऋणकर्त्ता उद्योगों की समवर्ती लागत लेखा परीक्षण के लिए प्रेक्टिस कर रहे कास्ट एकाउण्टेंटों की सेवाओं का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उपाय उपेक्षित हद तक कब तक क्रियान्वित किया जाएगा और क्या राष्ट्रीयकृत बैंक भी उनसे सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी उपक्रमों के संबन्ध में अपने ढग से उपरोक्त उपाय का अनुकरण करने पर विचार करेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउण्टेंट्स आफ इण्डिया से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम आदि जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने, जब कभी आवश्यक समझा जाए, रुग्ण एककों के संबन्ध में निदानात्मक अध्ययन करने और उन्हें फिर से खड़ा करने के बारे में काम हाथ मे लेने के लिए लागत लेखाकारों की सेवाओं का उपयोग करने पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) इस समय भारतीय रिजर्व बैंक का इस विषय पर वाणिज्यिक बैंकों के नाम अनुदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन वाणिज्यिक बैंक, अपने विवेकानुसार और यदि वे आवश्यक समझें, लागत लेखाकारों की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं।

सेठिया फर्म द्वारा धनराशि का विचलन

4603. श्री भोला नाथ सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 26 मार्च, 1985 के टाइम्स आफ इण्डिया में असम गवर्नमेंट फीअर्ज डाइवर्सन आफ फण्डज बाई सेठिया फर्मज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सेठिया फर्म द्वारा धनराशि का विचलन करने और अथवा जोखाई इण्डिया में राजेन्द्र सेठिया के उन शेयरों को, जो कि उसके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की लंदन शाखा से लिए गये करोड़ों पाउण्ड स्टर्लिंग के ऋण के एक भाग के समक्ष समर्थक ऋणधार के तौर पर रखे हुए हैं, को बेचने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सेठिया फर्म द्वारा धनराशि का विचलन रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है; और

(च) इस बारे में असम सरकार के क्या सुझाव हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां, सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जोखाई होल्डिंग्स लिमिटेड के, जिसका जोखाई इण्डिया लि० नामक एक भारतीय कंपनी में 74 प्रतिशत हिस्सा है, शत-प्रतिशत शेयर पंजाब नेशनल बैंक की लन्दन शाखा के पास सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में है। यह प्रतिभूति बैंक की शाखा द्वारा इसल कमेडिटीज लिमिटेड (समापनाधीन) को दिये गये अग्रिमों में से कुछ अग्रिमों के संबंध में हैं। चूंकि ऋणकर्त्ता कंपनियों का नवम्बर, 1984 में अपनी-अपनी कंपनी बंद करने के आदेश दे दिये गये थे। इसलिये बैंक उपलब्ध प्रतिभूतियों को बेच कर अपने प्रतिभूत अग्रिमों के वसूली के लिये कुछ कदम उठाना चाहेगा। भारत में कुछ पार्टियां, पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी पड़े जोखाई इंडिया के शेयर खरीदने की इच्छुक है। अलबत्ता भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना जोखाई होल्डिंस के शेयर न बेचने की हिदायत दी है।

(च) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को इस संबन्ध में असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मै० इण्डियन मेटल्स एण्ड फेरो एलायज लि० उड़ीसा द्वारा उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया जाना

4604. श्री सीताराम जे० गावली
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित मै० इण्डियन मेटल्स एण्ड फेरो एलायज लि० अपेक्षित लाइसेंस और केन्द्रीय सरकार की अनुमति लिए बिना ही "चार्ज क्रोम" का उत्पादन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस फर्म द्वारा उत्पादन नियन्त्रण अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मै० इण्डियन मेटल्स एण्ड फैरो एलायज लि०, उड़ीसा, को "चार्ज क्रोम" के निर्माण के लिए अगस्त 1983 में एक केंद्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंस दिया गया है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क कानन के उपबन्धों के अधीन उक्त लाइसस में सशोधन के लिए उक्त कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया है।

कोयला खानों में भूमिगत आग लगना

4605. श्री बी० वी० रमैया : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में लंबे समय से भूमिगत आग लगाने की घटनायें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार भूमिगत आग लगने के कारण अब तक की कुल कितनी क्षति होने का अनुमान है; और

(ग) इस संबन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। भारत कोकिंग कोल लि० की खानों में कुछ भूमिगत स्थलों पर आग लगी हुई है। इनमें से अधिकांश स्थलों पर आग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पहले से लगी हुई है। इन अग्नि-स्थलों की सीलबन्दी और अन्य उपयुक्त उपाय करके आग को नियंत्रित रखा जा रहा है।

(ख) भूमिगत आग के कारण लगभग 0.115 मि० टन कोयले नष्ट होने का अनुमान है। फिर भी, कोयले के कुछ भण्डारों को कुछ समय के लिए बन्द कर दिया जाता है और सीलबन्द इलाके में परिस्थितियां अनुकूल होते हीं उन्हें खुदाई के लिए फिर खोल दिया जाएगा।

(ग) भूमिगत आग को नियंत्रित करने के लिए सुधार के निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(i) वर्तमान भूमिगत आग के लिए

(1) प्रभावित क्षेत्रों के चारों ओर अलगाव/अग्निरोधी दीवालों का निर्माण करके भूमिगत आग को सील कर दिया गया है।

(2) अग्निरोधी दीवालों के पीछे के वातावरण की लगातार निगरानी की जाती है ताकि आग की स्थिति का पता लग सके।

(3) प्रभावित क्षेत्रों में अग्निरोधी दीवालों का मजबूत बनाना, अग्निरोधी दीवालों के पीछे की निष्क्रिय गैर (नाइट्रोजन, कार्बनडाइआक्साइड) निकालना, वहां बेंटोल नाइट/सीमेंट भरना आदि।

(ii) भूमिगत आग लगने से रोकना

भूमिगत खानों में आग लगने से रोकने के लिए वह सावधानी बरती जाती है जो कोयला खान विनियमों में दी गई हैं, जैसे—पैनल बनाना अग्निरोधक सामग्रियों का प्रयोग, भूमिगत खुदाई के साथ साथ रेत भराई, आदि। यदि आग लग जाती है तो अग्नि-शमन की सभी आधुनिक तकनीकें अपनाकर स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए तुरन्त और प्रभावी उपाय किए जाते हैं, जैसे—

(क) अग्नि-रोधी दीवालें बनाकर संबन्धित क्षेत्र को सील कर देना;

(ख) अग्नि-स्थल पर कार्बन डाइआक्साइड (सी ओ$_2$) अथवा नाइट्रोजन प्रवेश करना;

(ग) अग्निरोधी दीवालों के समीप पिलरों में बेन्टोनाइट और सीमेंट भरना।

(घ) गलियारों में रेत-भराई करना।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गया जिले के निवासियों की सावधि जमाराशि

[हिन्दी]

4606. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में वहां के निवासियों की 31 मार्च, 1985 को सावधि जमाराशि कितनी थी;

(ख) इस सावधि जमाराशि की कितनी प्रतिशत राशि जिले के निवासियों को ऋण के रूप में दी गयी है; और

(ग) गया जिले में किसानों को कृषि उपकरणों और उर्वरकों को खरीदने के लिए कितना ऋण वितरित किया गया है तथा लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए धनराशि दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गया जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास सावधि जमाराशियों का ब्यौरा उसके पास उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, गया जिले में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पिछले तीन वर्षों की कुल जमाराशियां, अग्रिम और ऋण जमा अनुपात का ब्यौरा इस प्रकार है—

(राशि करोड़ रुपये)

	मार्च 1982	मार्च 1983	मार्च 1984
1. जमाराशियां	64.73	76.99	89.88
2. अग्रिम	20.78	25.70	29.31
3. ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	32.1	33.4	32.6

(ग) गया जिले में किसानों को कृषि उपकरणों और उर्वरकों की खरीद के लिये दिये गये ऋणों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, गया जिले की जिला ऋण योजना 1983-85 के अन्तर्गत सभी बैंकों द्वारा किसानों को कृषि तथा सहायक धन्धों के लिये कुल 591.84 लाख रुपये की रकम संवितरित की गयी। वर्ष 1985 की वार्षिक कार्रवाई योजना में, गया जिले में कृषि तथा सहायक धंधों के लिये ऋण देने के वास्ते 420.45 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

जिला ऋण योजना 1983-85 के अन्तर्गत लघु उद्योगों (जिनमें कुटीर उद्योग भी शामिल हैं) के लिये 117.82 लाख रुपये की रकम संवितरित की गयी और वर्ष 1985 की वार्षिक कार्रवाई योजना में गया जिले के लिये 188.78 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है।

कोयला उत्पादन

4607. श्री लाला राम केन : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खानों से माह-वार कितना साफ्ट कोक प्राप्त होता है;

(ख) इसमें से राजस्थान को उसकी वास्तविक मांग की अपेक्षा कितना साफ्ट कोक दिया गया;

(ग) खानों से प्राप्त इस कोयले को साफ्ट् कोक में बदलने की क्या प्रक्रिया है और इसे उपभोक्ताओं को कैसे सप्लाई किया जाता है;

(घ) क्या विगत कुछ वर्षों से इस कोयले की किस्म दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है;

(ङ) क्या उपभोक्ताओं को उनके राशन कार्डों पर दिये जाने वाले कोयले में 25 प्रतिशत मांग पत्थर और धूल होती है; और

(च) यदि हां, तो उसकी किस्म सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान कोल इण्डिया लि० की खानों में साफ्ट कोक का कुल उत्पादन 15.88 लाख टन हुआ था जिसके आधार पर उत्पादन औसत 1.32 लाख टन प्रति माह बनता है।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान राजस्थान को साफ्ट कोक का प्रेषण 17,700 टन था जबकि इसकी तुलना में मांग 36,000 टन की थी।

(ग) कोक कर कोयले और अकोक कर कोयले को ढेरों में एक साथ इकट्ठा करके और उन्हें जलाकर साफ्ट कोक का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में कोयले का वाष्पशील अंश छूट जाता है। इस प्रकार 72 घंटे जलने के बाद आग को पानी से बुझा दिया जाता है और इस प्रकार कोयला साफ्ट कोक में बदल जाता है। राज्यों को साफ्ट कोक का प्रेषण, रेलवे द्वारा वैगनों के आवंटन के लिये नियत सीमा के अनुसार किया जाता है। शेष कोयला यदि राज्य सरकारें चाहती हैं तो सड़क से भेजा जाता है। इसके बाद राज्य सरकारें अपनी वितरण प्रणाली के अनुसार इसका वितरण जनता में करती हैं।

(घ) साफ्ट कोक की किस्म में ऐसी कोई गिरावट नहीं आई है।

(ड़) जी नहीं।

(च) कोयला कंपनियां किस्म का नियमित निरीक्षण करती हैं। इस उद्देश्य के लिए कोयला कंपनियों में "किस्म नियंत्रण विभाग" हैं। शिकायतों की जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यकता होती है वहां सुधार की कारंवाई की जाती है।

फिल्मी हस्तियों पर आय-कर की बकाया राशि

[अनुवाद]

4608 श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, निर्माताओं निर्देशकों तथा फिल्मी दुनियां के अन्य जाने माने लोगों पर 31 मार्च, 1985 को आय-कर की बकाया राशि का ब्यौरा क्या था;

(ख) क्या ऐसी फिल्मी हस्तियों से जिन्हें आयकर की भारी बकाया राशि का भुगतान करना था और इस बीच जिनकी मृत्यु हो गई, आय कर की बकाया राशि वसूल की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विभाग ऐसे फिल्म अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, निर्माताओं, निर्देशकों तथा अन्य फिल्मी हस्तियों के मामलों में फाइलें रखता है जिनकी तरफ 1 लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया होती है। 31.12.1984 की स्थिति के अनुसार, ऐसे कर-निर्धारितियों की तरफ 12.38 करोड़ रुपये की बकाया थी।

(ख) तथा (ग) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित ऐसी फिल्मी हस्तियों के आठ मामले हैं जो जीवित नहीं हैं और जिनकी तरफ 31.12.1984 की स्थिति के अनुसार 58.26 लाख रुपये की आयकर की मांग बकाया थी। इसमें से 22.48 लाख रुपए की रकम वसूली योग्य नहीं है।

ये मांगें, मुख्यत: अपील अधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष अपीलें/संदर्भ याचिकाएं विचाराधीन होने के कारण बकाया थीं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सतर्कता तंत्र

4609. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास भी सतर्कता तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक अपने सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं;

(ग) क्या बैंकों के सतर्कता तंत्र को मजबूत करने संबन्धी व्यवस्था के संतोष जनक नहीं होने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का आयात और निर्यात

4610. श्री एम० जी० धालप : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी की 3 लाख टन मात्रा आयात करने के एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में चीनी के मूल्य में गिरावट आई है;

(ग) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान चीनी की कितनी मात्रा का आयात और निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य क्या था;

(घ) क्या सरकार ने चीनी के आयात और निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम की हानि की प्रति पूर्ति के लिए 200 करोड़ रु० की व्यवस्था की है; और

(ङ) एक ही समय में चीनी का निर्यात और आयात दोनों कृत्य करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अप्रैल से अगस्त, 1985 की अवधि में आयात के लिए चीनी की 5 लाख एमटी की मात्रा की संविदा की गई ।

(ख) फरवरी, 1985 से चीनी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत गिरती जा रही है तथा इस समय अमरीकी डालर 130-135 प्रति मे० टन एफ० ओ० बी० पूर्वी यूरोपियन पत्तन पर प्रभावी है ।

(ग) 1984-85 में चीनी के निर्यात और आयात नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

	मात्रा लाख मे० टन में	मूल्य करोड़ रु० में
निर्यात	1.54	35.84 एफ० ओ० बी०
आयात	4.96	113.50 सी० आई० एफ०

(घ) 1984-85 के दौरान चीनी के निर्यात पर हानियों की क्षतिपूर्ति के रूप में एस टी सी को 34.48 करोड़ रु० की राशि रिलीज की गई । 1984-85 के दौरान चीनी के आयात पर हानियों की क्षतिपूर्ति के रूप में 1.87 करोड़ रु० की राशि रिलीज की गई ।

(ङ) निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय करार को आंशिक रूप में पूरा करने के लिए किया गया था । आयात की व्यवस्था घरेलू उपलब्धता और कीमत वृद्धि को रोकना सुनिश्चित करने के लिए की गई थी ।

अफीम का उत्पादन और निर्यात

[हिन्दी]

4611. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अफीम की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया;

(ख) किन-किन देशों को उसका निर्यात किया गया; और

(ग) वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विगत तीन वर्षों में उत्पादित अफीम की मात्रा इस प्रकार है :—

फसल वर्ष	90 डिग्री गाढ़ता पर मात्रा (मी० टनों में)
1981-82	935
1982-83	997
1983-84	447

(ख) अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, फ्रांस, बंगलादेश ताईवान, पुर्तगाल, हालैंड, नार्वे, फेडरल रिपब्लिक जर्मन और इटली को अफीम का निर्यात किया गया था।

(ग) अर्जित हुई विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा (रुपयों में)
1981-82	21, 69,02,491
1982-83	27,77,64,121
1983-84*	22,73,31,000
जोड़	72,19,97,612

(*वर्ष 1983-84 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में बेहतर अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु मार्ग निर्देश

[अनुवाद]

4613. प्रो० एम० आर० हाल्वर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में परियोजना निर्माण और मूल्यांकन में बेहतर अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु कोई मार्गनिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देने और अथवा इसमें होने वाले विलम्बों को समाप्त करके परियोजना लागत में वृद्धि को रोकने हेतु लिये गये समय के लिये क्या मार्ग निर्देश हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने और मूल्यांकन में अनुशासन को कड़ा करने के लिए अगस्त, 1984 तथा मार्च, 1985 में जारी किए गए मार्गनिर्देशों में शामिल मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :—

(i) 12 प्रतिशत से अधिक प्रतिफल की वित्तीय तथा आर्थिक दरों वाली परियोजनाओं को ही सार्वजनिक निवेश बोर्ड में रखा जाना है। प्रतिफल की आर्थिक दर का परिकलन करों और शुल्कों को निकाल कर, विदेशी मुद्रा पर 25 प्रतिशत के प्रीमियम को अपनाते हुए तथा ऊर्जा,

परिवहन आदि के लिए आभाषी मूल्य मान कर किया जाता है। यदि प्रतिफल की वित्तीय दर अथवा प्रतिफल की आर्थिक दर में से कोई भी 12 प्रतिशत से नीचे गिर जाती है तो ऐसी परियोजनाओं को चलाए जाने के कारणों की गहराई से जांच की जानी चाहिए।

( ) सार्वजनिक निवेश बोर्ड के विचारार्थ सभी प्रस्तावों में विदेशी मुद्रा की बचत के "आन्तरिक संसाधन लागत" की संगणना की जानी चाहिए।

(iii) कार्यान्वयन में विलम्ब के प्रभाव और प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता पर बढ़ी लागत को दिखाने के उद्देश्य से, परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट में यह दिखाया जाना चाहिए कि बढ़े समय और बढ़ी लागत के विभिन्न स्तरों द्वारा परियोजनाओं की व्यवहार्यता किस प्रकार प्रभावित होगी, जहां तक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पिछला रिकार्ड रखने वाले उपक्रमों का सम्बन्ध है, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाए जाने वाले "औसत" विलम्ब को उपयुक्त कार्यवाही के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए।

(iv) यह देखने में आया कि सम्भाव्यता रिपोर्टों में निवेश निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त सूचना होती है जिससे निर्धारित लागत और समय में वृद्धि होती है। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि परियोजना के अनुमोदन भविष्य में दो चरणों में किए जाने चाहिएं। प्रथम चरण में, सार्वजनिक निवेश बोर्ड की समिति द्वारा दी जाने वाली सम्भाव्यता रिपोर्टों के तैयार करने का अनुमोदन करने का संबंध, जोकि प्रारम्भिक कार्यों के लिए अपेक्षित व्यय को भी प्राधिकृत करेगी, विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तयार करने से था। दूसरे चरण में, सार्वजनिक निवेश बोर्ड विस्तृत संभाव्यता रिपोर्टों पर आधारित परियोजनाओं के संबंध में विचार करेगा तथा निवेश संबंधी निर्णय लेगा। संभाव्यता रिपोर्टों की तैयारी पर किए जाने वाले व्यय के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में जिनकी लागत 20 करोड़ रु० से अधिक न हो, 5 लाख रुपए की विद्यमान सीमा से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।

(v) साधारणतौर पर, प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों को सार्वजनिक निवेश बोर्ड के सामने ज्ञापन के प्राप्त होने की तारीख से लगभग चार से छ: सप्ताहों में उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ताकि मूल्यांकन करने वाली एजेंसियों को अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ऐसे प्रस्तावों के अनुमोदन में लगने वाले समय को कम करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि अन्त: मंत्रालयों की बैठकों में प्रथम चरण के अनुमोदन के प्रस्तावों पर विचार किए जाने को समाप्त कर दिया जाए।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त किया गया सोना

[हिन्दी]

4614. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 और 1983-84 के दौरान सीमाशुल्क विभाग द्वारा देश में तस्करी का कितना सोना जब्त किया गया;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान सीमाशुल्क विभाग द्वारा कितना सोना जब्त किया गया;

(ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान सोने की जब्ती कम मात्रा में होने के क्या कारण हैं और वर्ष 1984-85 के दौरान सोने की तस्करी अचानक बढ़ जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में अत्यधिक मात्रा में सोने की तस्करी होने की खबरों को ध्यान में रखते हुए सोने की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान सीमा-शुल्क अधिनियम के तहत पकड़े गए सोने की मात्रा निम्नोक्त हैं :—

(किलोग्राम में)

वर्ष	मात्रा
1982-83	748
1983-84	331
1984-85	1117 (अनन्तिम)

(ग) मांग और पूर्ति, जिन्स-विशेष के संबंध में लाभ की गुंजाइश, तस्करी के आकर्षण वाली विभिन्न जिन्सों के सम्बन्ध में आपेक्षिक लाभ की गुंजाइश जैसे विभिन्न कारकों के कारण तस्करी के रुख और उसके परिणामत: पकड़े गए माल की मात्रा में समय-समय पर घट-बढ़ होती रहती है। सोने की तस्करी में लाभ की गुंजाइश वर्ष 1983 में कम हो गई थी, और वर्ष 1984-85 में बढ़ गई।

(घ) तस्करी के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क विभाग की निवारक और आसूचना मशीनरी की जन-शक्ति और उपकरण मुहैया करके सुगम्य क्षेत्रों में मजबूत बना दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल स्थापित करके अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक उचित तस्करी-निवारण उपाय किए जाते हैं। विभिन्न मदों, जिनमें सोना भी शामिल है, की तस्करी के रुख पर भी उचित कारंवाई के लिए सतत समीक्षा की जाती है।

वर्ष 1984 के दौरान आयातित सीमेन्ट की अवैध बिक्री

[अनुवाद]

4615. डा० वी० विजय रामाराव
श्री सीताराम जे० गावली
श्री एन० रघुमा रेड्डी
श्री थम्पन थामस
: क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 के दौरान आयातित सीमेंट की अवैध बिक्री का लगभग 15 करोड़ रुपयों का एक घोटाला पकड़ा गया था जो आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक को ठगने का षड्यन्त्र था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच उक्त मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) इस आरोप की, कि 14,99,70,586/- रु० के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंस के आधार पर राज्य व्यापार निगम, सिक्किम द्वारा सीमेंट का आयात और आयात लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उसका बेचना, अभी भी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

मतदान के दिन अवकाश के लिये कपड़ा मजदूरों की
मंजूरी का भुगतान

4616. श्री विजय कुमार मिश्र : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में कुछ कपड़ा मिलों में 24 दिसम्बर, 1984 के मतदान के दिन को अवकाश का दिन घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अधिकांश मिलों, जिन्होंने इस दिन को वेतन सहित अवकाश के दिन के रूप में घोषित किया था, ने इस दिन की मंजूरी का भुगतान नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस दिन की मंजूरी का भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"रेंज ऑफ वाटर सप्लाई मेन्स टु कार्मिक भवन" के निर्माण कार्य के लिये
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा आमंत्रित टेंडर

4619. प्रो० मधु दण्डवते : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने "रेन्ज ऑफ वाटर सप्लाई मेन्स टु कार्मिक भवन" के निर्माण कार्य के लिए टेण्डर आमन्त्रित किए थे;

(ख) किस कम्पनी को यह कार्य सौंपा गया था;

(ग) क्या कंपनी ने यह निर्माण कार्य पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कंपनी ने बिल प्रस्तुत कर दिए हैं तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने उनका भुगतान कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) यह काम मैसर्स एल० के० आहूजा एण्ड कंपनी, कानपुर, उत्तर प्रदेश, को सौंपा गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) मैसर्स एल० के० आहूजा एंड कंपनी ने भारत कोकिंग कोल लि० को बिल प्रस्तुत कर दिए हैं परन्तु अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका है क्योंकि पाइप लाइन के परीक्षण का काम चल रहा है। बिलों का भुगतान पाइप लाइनों का परीक्षण पूरा हो जाने पर किया जाएगा। आशा है कि यह काम मई, 1985 के प्रथम सप्ताह में पूरा हो जाएगा।

रिकोगनिशन आफ स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड आर्डर शीर्षक से समाचार

4620. श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1985 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' तथा 15 मार्च के 'इण्डिया टुडे' में स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड में श्री राजाराम जयपुरिया का कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रवेश के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) उसके, विशेष रूप से स्वदेशी पोलीटेक्स व्यावसायिक प्रबंध तथा कार्यकारी बोर्ड के संबंध में न्यायिक अभिनिर्णयों को देखते हुए, क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अब सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रश्न उल्लिखित दोनों समाचारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(ख) और (ग) मैसर्स स्वदेशी पोलीटेक्स लि० के निदेशक मंडल का पुनर्गठन सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार किया गया है। इस संबंध में सरकार द्वारा कोई विशेष कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

जमशेदपुर बेवरेज द्वारा उत्पादक-शुल्क का अपवंचन

[हिन्दी]

4621. **श्री राम बहादुर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर बेवरेज के (बिहार) ने 20 लाख रुपये मूल्य के उत्पाद-शुल्क का अपवंचन किया है जिसका 1984-85 के दौरान जाँच और छापों के दौरान पता चला;

(ख) यदि हां, तो कब से कर अपवंचन का कार्य चल रहा है और किन वर्षों से संबंधित रिकार्डों की जाँच की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि कर अपवंचन का कार्य उत्पाद-शुल्क विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ में चल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इतने लंबे समय तक कर-अपवंचन का पता न चलने के क्या कारण हैं और उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा वर्ष 1984-85 में मैसर्स जमशेदपुर बिवरेजेज (बिहार) पर कोई भी छापा नहीं मारा गया था।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इनके प्रश्न नहीं उठते।

सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों के लिये पृथक् अभियोजन निदेशालय की स्थापना

4622. **प्रो० चन्द्र भानु देवी**
श्री अमर सिंह राठवा
श्री ई० एम० एस० फकीर मोहम्मद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क से संबंधित हजारों मामले उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और देश के अन्य न्यायालयों में विचाराधीन हैं;

(ख) क्या इन मामलों के अनिर्णीत पड़ने के कारण सरकार करोड़ों रुपये मूल्य का राजस्व वसूल करने की स्थिति में नहीं है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि की वसूली की जानी है;

(घ) क्या सरकार का विचार सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विभागों के लिए पृथक् अभियोजन निदेशालय स्थापित करने का है, ताकि इन मामलों को तेजी से निपटाया जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध सूचना के संकलन को मद्देनजर रखते हुए 31 दिसम्बर, 84 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पादन शुल्क के लगभग 15000 मामले विचाराधीन हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) अधिकतर मामलों का संबंध शुल्क-दर मूल्यांकन संबंधी मुद्दों से है तथा कुछ केंद्रीय उत्पादन शुल्क मामलों का संबंध उत्पादों की उत्पादन शुल्क देयता संबंधी मुद्दों से है। प्रत्येक मामले में कितना राजस्व अन्तर्ग्रस्त है, यह बता पाना केवल तभी संभव होगा जब उन मामलों में न्यायालयों द्वारा निर्णय दे दिये जाएंगे।

(घ) और (ङ) अभियोजन निदेशालय की स्थापना करने से इन मामलों को शीघ्र अंतिम रूप देने के कार्य में कोई मदद नहीं मिल सकती क्योंकि इन मामलों का निपटान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाना है। तथापि, सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी ऐसे मामलों पर कार्यवाही करने हेतु राजस्व विभाग और सीमाशुल्क गृहों/केंद्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालियों में संगठनात्मक ढांचे मजबूत बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

लागत लेखाकारों को कर लेखा परीक्षा के लिये लेखाकार की परिभाषा में सम्मिलित करने हेतु अभ्यावेदन

[अनुवाद]

4623. श्री विष्णु मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर लेखा परीक्षा करने के उद्देश्य से जिसे सरकार ने गत वर्ष आयकर अधिनियम की धारा 44 ए बी में संशोधन करके अनिवार्य बना दिया था लागत लेखाकारों को लेखाकार की परिभाषा में सम्मिलित करने हेतु सरकार को विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। भारतीय लागत और निर्माण-कार्य लेखाकार संस्था ने इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन भेजे हैं।

(ख) यह दावा किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 44क ख के प्रयोजनों से खातों की लेखा-परीक्षा करने के लिये भारतीय लागत और निर्माण-कार्य लेखाकार संस्था के सदस्य उतने ही योग्य और सक्षम होते हैं जितने कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्था के सदस्य। इसलिए, यह निवेदन किया गया है कि उन्हें सनदी लेखाकारों के बराबर समझा जाए।

(ग) सनदी लेखाकार के पास व्यावसायिक योग्यता और खातों की लेखा-परीक्षा करने और जांचे गये खातों, तुलन-पत्र और लाभ-हानि खातों पर रिपोर्ट देने की सुविज्ञता होती है जबकि लागत लेखाकार की सुविज्ञता मुख्यतः उत्पादों की लागत का निर्धारण और नियतन करने में होती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, सिर्फ सनदी लेखाकार ही कंपनी के

खातों की लेखा-परीक्षा करने के लिए सक्षम है। इसलिए, आयकर अधिनियम के प्रयोजनार्थ लागत लेखाकारों को, खातों की लेखा-परीक्षा करने की अनुमति देना उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

राजस्थान के जिला भरतपुर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

*[हिंदी]

4624. श्री लाला राम केन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय जिलावार कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान के भरतपुर जिले में भविष्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का है;

(ग) भरतपुर जिले में मार्च, 1985 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त बैंकों की विभिन्न योजनाओं के परिणामस्वरूप अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मई, 1984 के अन्त की स्थिति के अनुसार राजस्थान में खोली गई वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक सातवीं योजना अवधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भरतपुर में बैंकों की और शाखाएं खोलने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करेगा।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना, प्रणाली से उस प्रकार सूचना नहीं मिलती जिस प्रकार से प्रश्न में पूछी गई है। अलबत्ता, वर्ष 1983 और 1984 की वार्षिक कारंवाई योजनाओं के अन्तर्गत भरतपुर जिले के लिये निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों से संबंधित उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

	वार्षिक कारंवाई योजना 1983		वार्षिक कारंवाई योजना 1984	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (जून 1984 तक)
कृषि और सम्बद्ध कार्य	807.07	703.30	844.98	605.43
लघु उद्योग	88.88	82.53	86.68	51.94
अन्य क्षेत्र कार्य	69.87	181.11	208.48	111.40
जोड़	965.82	966.94	1140.14	768.77

विवरण

मई, 1984 के अंत की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में खोली गई शाखाओं की जिला-वार संख्या

क्रम सं०	जिला	निम्नलिखित केंद्रों में शाखाओं की संख्या			
		ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	जोड़
1.	अजमेर	56	24	37	117
2.	अलवर	88	7	21	116
3.	बांसवाड़ा	41	8	—	49
4.	बाड़मेर	31	10	—	41
5.	भरतपुर	56	25	—	81
6.	भीलवाड़ा	46	18	—	64
7.	बीकानेर	34	5	30	69
8.	बून्दी	23	8	—	31
9.	चित्तौड़गढ़	38	15	—	53
10.	चूरू	52	39	—	91
11.	धोलपुर	12	9	—	21
12.	डूंगरपुर	30	8	—	38
13.	गंगानगर	60	57	—	117
14.	जयपुर	100	24	124	248
15.	जैसलमेर	8	5	—	13
16.	जालोर	44	7	—	51
17.	झालावाड़	33	11	—	44
18.	झुन्झूनु	52	24	—	76
19.	जोधपुर	52	9	50	111
20.	कोटा	61	10	44	115
21.	नागौर	63	29	—	92
22.	पाली	81	22	—	103
23.	सवाई माधोपुर	65	19	—	84
24.	सीकर	51	29	—	80
25.	सिरोही	33	10	—	43
26.	टोंक	23	16	—	39
27.	उदयपुर	100	9	34	143
	जोड़	1333	457	340	2130

उद्योगों को रुग्ण बनाने के लिये जिम्मेवार प्रबन्धकों और वित्तीय संस्थानों को दंड देने की नीति

[अनुवाद]

4625. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को रुग्ण बनाने के लिए जिम्मेदार प्रबंधकों और वित्तीय संस्थाओं को दण्ड देने के संबंध में अपनी नीति तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) औद्योगिक रुग्णता के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए सरकार इस समय आवश्यक कानून पर विचार कर रही है।

नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

4626. श्री थम्पन थामस : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों के निर्यातकों को सरकार द्वारा क्या निर्यात प्रोत्साहन दिए गए; और

(ग) सरकार का विचार नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कयर तथा कयर उत्पादों का निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा है :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1982-83	30133	26.17
1983-84	27949	24.34
1984-85	25725 (अनन्तिम)	25.59 (अनन्तिम)

(ख) कतिपय कयर उत्पादों के निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता और आयात प्रतिपूर्ति उपलब्ध है। कतिपय कयर निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में सहायक विभिन्न अन्तर्निविष्ट साधनों के लिए शुल्क वापसी भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कयर की मदों के बल्क निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से लघु तथा बड़े मूल्य की संविदाओं के लिए न्यूनतम कीमत में अन्तर निर्धारित किया है।

(ग) भारत से कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यातों में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित प्रयासों में शामिल हैं उत्पादन की तकनीकें उन्नत बनाना, उत्पाद-विकास, भारतीय कयर तथा कयर उत्पादों के लिए प्रचार बढ़ाना और विदेशों में मेलों में भाग लेना।

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के नये उद्योग

4627. श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने देश में गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के कितने नये उद्योग शुरू किये; और

(ख) उनमें से कितने उद्योग कर्नाटक में स्थित हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के लोक उद्यम सर्वेक्षण में यथाउपलब्ध सूचना के अनुसार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र से अधिग्रहीत उपक्रमों सहित कुल 17 उपक्रमों की देश में स्थापना की गई है। इनमें से 2 उपक्रम कर्नाटक में स्थित हैं। उनके प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय उसी राज्य में स्थित हैं।

चीन को खाद्यान्न की तस्करी

4628. श्री राम रतन राम
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कुमाऊं हिल्स के सीमा क्षेत्रों से भारत से चीन को बहुत बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है तथा अनुमानत: कितने खाद्यान्न की तस्करी हुई है; और

(ग) इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

(ग) तस्करों के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है । भू-सीमाओं के आर-पार तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए आमतौर पर सरकार द्वारा तस्करी-निवारण सम्बन्धी उपयुक्त उपाय किये गये हैं । इसके अतिरिक्त, तस्करी के ढंग और तौर-तरीकों की सतत समीक्षा की जाती है और केंद्र और राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करके तस्करी निवारण संबंधी अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपयुक्त उपाय किये जाते हैं ।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : महोदय, पाकिस्तानी कमांडो पंजाब में घुस गये हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाइये । मैं एक-एक कर बुलाऊंगा । मैं आपको समय दूंगा ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिसे सबसे पहले लिया जाना चाहिये ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, शून्य काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता । (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आपको ऐसा किसने बताया ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, कृपया बैठ जाइये । उनका व्यवस्था का प्रश्न है ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, शून्य काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता । किस बात की व्यवस्था का प्रश्न है ?

प्रो० मधु दंडवते : मुझे उन्हें बताना है, न कि आपको । मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कोई मद नहीं लिया है और इसलिये व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता । क्या यह 12 बजे तक के किसी प्रश्न से संबंधित है ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मेरी बात सुनिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो मैं समझ सकता हूं कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, अभी-अभी हमें कार्यवाही का रिकार्ड प्राप्त हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अभी व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठा सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको पहले का उदाहरण दे सकता हूं। शून्य काल के दौरान मेरे द्वारा तीन बार व्यवस्था के प्रश्न उठाये जा चुके हैं। मैंने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और मुझे नियम बताया गया है। मैं आपको पूर्वोद्धरण दिखा सकता हूं। यदि आप संतुष्ट हों कि इसकी गुंजाइश है तो आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकते हैं। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : जी नहीं, महोदय।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप प्रो० तिवारी से मार्गनिर्देशन लें। मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कृपया मुझे सहयोग दीजिये।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यहां तक मध्यावकाश में भी व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये अध्यक्षपीठ से अनुमति मांगनी होती है। महोदय, मैंने आपकी अनुमति पाने के लिए आपको पत्र लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस प्रयोजन के लिए आप मेरी अनुमति चाह रहे हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको बता दूंगा, महोदय। दो मदों के बीच, यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहे तो वह अध्यक्षपीठ की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मुझे बतायेंगे कि जिस विषय के बारे में मैंने आपको लिखा है, उस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न मैं किस समय उठा सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे बताइये कि किस समय मैं व्यवस्था के प्रश्न को उठा सकता हूं जिसके लिये मैंने आपको लिखित सूचना दी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मेरी अनुमति के बिना आप कैसे उठा सकते हैं। मैंने कोई कार्यवाही नहीं ली है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप तक आऊंगा। कृपया बैठ जाइये।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, पंजाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है। हम लोगों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने की सूचना दी है। पंजाब में एक हजार कमांडो गिरफ्तार किये गये हैं। उनसे अस्त्र बरामद किये गये और उन पर पाकिस्तान की मुहर लगी है। जम्मू और काश्मीर की स्थिति को बिगाड़ने के लिये उत्तरोत्तर तैयारी की जा रही है। इसलिए, हमारा अनुरोध है कि इन पाकिस्तानी कमांडों की गिरफ्तारी के बारे में गृह मन्त्री को वक्तव्य देने को कहा जाय। वे लोग परेशानियां पैदा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने लिखित में दिया है?

प्रो० के० के० तिवारी : जी हां। मैंने लिखित में दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैंने एक सूचना दी है। दक्षिण दिल्ली, कलकत्ता और भारत के अन्य भागों में पीलिया और हैजा फैल गया है। अनेक बच्चे मर चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि एक ध्यानाकर्षण स्वीकार कर लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे पढ़ूंगा और मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री जैनुल बशर : मैं भी पाकिस्तानी कमांडों का मामला उठा रहा था। स्पष्ट है कि इसमें विदेशी हाथ है और गुप्त रूप से गुप्तचर कार्य कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे पढ़ूंगा। आप कृपया बैठ जाइए। मैंने कहा कि मैं विचार करूंगा। श्री पनिका, क्या आप भी वही मामला उठाना चाहते हैं ?

श्री राम प्यारे पनिका : जी हां, महोदय। वही मामला। यह बहुत महत्वपूर्ण है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैं आपको कह चुका हूं। कृपया बैठ जाइए। मैं आप सबको आमन्त्रित करूंगा। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको आमन्त्रित करूंगा।

श्री ललित माकन (दक्षिणी दिल्ली) : तेजी से मूल्य बढ़ने के कारण 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष है और आन्दोलन चल रहा है। महंगाई भत्ते की दो किस्तें बकाया हैं और अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त भी दी जानी है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप भी इसके बारे में ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव देना चाहते हैं ?

श्री ललित माकन : मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री हस्तक्षेप करें और महगाई भत्ते की दो किस्तें तथा अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त तुरन्त मुक्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने सूचना दी है ? आप इस मामले को इस तरह नहीं उठा सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री ललित माकन : आन्दोलन हो रहा है। स्थिति के नियन्त्रण से बाहर जाने से पूर्व, मैं वित्त मन्त्री से इन मांगों को मान लेने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर मैं आपको आमन्त्रित करूंगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए भी आवाज उठानी पड़ी है। यह दुर्भाग्य की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आपनें एक लिखकर दिया है। उस मामले को, आपको यहां उठाने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) मैं आपको ही कह रहा हूं। क्या मैं दोबारा स्पष्ट करूं। आपने जो लिखकर दिया है, उसके बारे में मैं आपको पुन: स्पष्ट करना चाहता हूं। कल भी, आपने कुछ मामले उठाए थे। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप मुझे इस तरह टालना क्यों चाहते हैं ? मैं उस मामले पर जोर नहीं डाल रहा हूं। कार्यवाही वृत्तांत से निकालने के अध्यक्षपीठ के अधिकार के बारे में, सामान्य प्रक्रिया के बारे में···

उपाध्यक्ष महोदय : इसे निकाला नहीं गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं···

प्रो० एन० जी० रंगा : वह आपको बताने की चेष्टा कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : कष्ट न करें। रंगा गुरु आप व्यर्थ में क्यों परेशान हो रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० रंगा, कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान) जैसा कि आप कह रहे हैं, मैंने कोई भी मामला कार्यवाही वृत्तांत से निकाला नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : वह आपको धौंस दे रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं ऐसा नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कार्यवाही वृत्तांत से कोई मामला नहीं निकाला है। जब आपने कुछ मामले उठाए थे, तब आप बोलते ही रहे। तब मैंने आपको कहा था, 'मैं इस पर विचार करूंगा।' तब आपने फिर वही बात दोहराई। मैंने कहा कि उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाए। जब मैंने कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करने को कहा, तब उन्होंने उसे रोक दिया।

प्रो० मधु दंडवते : खेद है, कि आप जो कह रहे हैं वह गलत है। मैं यह बात सादर कहता हूं। जब किसी के आगे तारा का चिह्न लगा दिया जाता है और नीचे यह लिख दिया जाता है कि कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया तो इसका मतलब यह है कि उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है। वहाँ तारा के एक नहीं चार चिह्न लगे थे। मेरे भाषण का अंश कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। जब मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री लाल-बहादुर शास्त्री के बारे में बोलने लगा था···

उपाध्यक्ष महोदय : तत्काल ही मैंने कहा था कि मैं उस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आपका कहना है कि कार्यवाही वृत्तांत से कुछ भी नहीं निकाला गया है। किन्तु इसे निकाल दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने दोबारा आरम्भ किया था तब तत्काल मैंने कहा था कि, "आप आयें और मेरे साथ चर्चा करें।"

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको यह बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि आपने क्या किया है? किन्तु उनका कहना है कि मैं आपको धौंस देने की चेष्टा कर रहा हूं। (व्यवधान) कार्यवाही वृत्तांत में यह कहा गया है कि "सम्मिलित नहीं किया गया।" और सम्मिलित नहीं किया गया का अर्थ होता है कि कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया। आप देख सकते हैं। क्या आप इसे अभी देखना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख चुका हूं।

प्रो० मधु दंडवते : जैसे आपने उन किताबों को देखा था वैसे ही आप मेरी प्रति भी देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं आपको कह चुका हूं कि मैं इन बातों की अनुमति नहीं दूंगा···

प्रो० मधु दंडवते : आप यहां भविष्य में अधिकारों की रक्षा और भावी पीढ़ियों की रक्षा के लिये बैठे हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कार्यवाही वृत्तान्त से कभी नहीं निकाला। जब आपने इस मामले पर बोलना आरम्भ किया तभी तुरन्त मैंने कहा था कि "मैं इस पर विचार करूंगा।" इसलिये उसके तत्काल बाद कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

प्रो० मधु दंडवते : आपने गलत कहा आपने यह कहा था कि आपने कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाला है। कार्यवाही वृत्तांत से पता चलता है कि इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलते ही रहे तब मैंने तुरन्त कहा था कि कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

प्रो० मधु दंडवते : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। केवल कुछ वाक्य निकाले गये हैं। क्या आप उसे देखना चाहेंगे ? कृपया उसे देखिये। पांच वाक्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है। किन्तु जब मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री लाल-बहादुर शास्त्री के बारे में बोलने लगा···

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने उनके बारे में बोलना ही शुरू किया था तब मैंने तत्काल आपको कहा था कि "मैं विचार करूंगा।"

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है। आप यही कर। किन्तु आप गलत न कहें कि आपने इसे निकाला नहीं है। तारा चिह्न लगाने का मतलब ही निकाल दिया गया। जवाहर लाल नेहरू को रखा गया है और श्रीमती इन्दिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री···

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने जवाहर लाल नेहरू के बारे में कहना ही शुरू किया था तब तत्काल मैंने कार्यवाही वृत्तांत में उसे लिखने को बन्द करने को कहा था। इसीलिए श्री जवाहर लाल नेहरू का नाम लिखा गया है अन्य का नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : जवाहर लाल नेहरू लिखा गया। खर है, कि आपने जवाहर लाल नेहरू को नहीं निकाला। आपने इन्दिरा गांधी और लाल बहादुर को निकाल दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने इस मामले पर बोलना शुरू किया था···आपने यह बात लिखित में दी थी। आप यही कहना चाहते थे। तत्काल, आपने पत्र भी दिया था।

प्रो० मधु दंडवते : आप सभी चीजें छोड़ सकते थे···

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने यह बात कही थी, तभी तकात्काल मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि आप एक बार पुन: उसी विषय पर बोलना चाहते हैं जिस पर पहले बोले थे। इसीलिये मैंने तत्काल कहा था कि मैं चाहता हूं कि उसे कार्यवाही वृत्तांत में लिखना बन्द किया जाये।

प्रो० मधु दंडवते : मैं तो आपको नियमों की वास्तविकता बताना चाहता हूं तब सदस्यगण यह महसूस करते हैं कि मैं आपको धौंस देना चाहता हूं। एक दफा जो नियम नष्ट हो जायेंगे वे हमारी अगली पीढ़ी के लिये नष्ट हो जायेंगे। मैं तो न रहूंगा किन्तु नियम रहेंगे। पीठासीन अधिकारी के हाथों में सदस्यों का नुकसान नहीं होने देना चाहता हूं। मैं यहीं करने की चेष्टा कर रहा हूं। बस इतना ही।

प्रो० के० के० तिवारी खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के प्रतिकूल नहीं चला हूं। मुझे खेद है कि प्रो० दण्डवते आप ऐसा कह रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : श्री तिवारी मैं आपके अधिकारों की रक्षा कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा। मैं नहीं चाहता कि आगे और कोई बोले। इतना ही बहुत है। बात समाप्त हो गई है।

(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)। पहले, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न बहुत साधारण है । प्रो० दण्डवत का वाद-विवाद···

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले से सम्बन्धित कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न की जाये । मैं और कोई बात कहने की अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रो० मधु दण्डवते के मामले से संबंधित कोई बात है तो मैं अनुमति नहीं दूंगा । व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं लिया जाएगा । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इससे संबन्धित कोई मामला उठाना चाहते हैं, तो मैं अनुमति नहीं दूंगा । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा । कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ?

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उसी बात को उठा रहे हैं तो मैं उस मामले को अस्वीकार कर चुका हूं ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे बार-बार सुनता नहीं रहूंगा ।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यदि प्रो० तिवारी का कोई व्यवस्था का प्रश्न है, तो आपको सुनना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मैं सुनने को तैयार हूं। मैंने श्री तिवारी को कहा था··· श्री तिवारी, आप क्या चाहते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैं वही बात कहना चाहता हूं, जो प्रो० दण्डवते ने आपके समक्ष रखी है । उनका कहना है कि, उन्होंने जो एक विशिष्ट वाक्य का उल्लेख किया था, वह कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है; और आपकी तरफ दौड़े थे और इसे आपके समक्ष रखा था । तब वह बात समाचार पत्र में कैसे प्रकाशित हुई, प्रो० मधु दण्डवते ने जो बातें यहां उठाई थीं वे सभी सार्वजनिक रूप से प्रकट हो गई हैं । उनका कहना है कि उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया था और आपने उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया था, तो क्या मैं यह समझूं कि श्री दण्डवते सभा से बाहर गये और उन्होंने उसे समाचार पत्रों को दिया, यद्यपि उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया था ? आप इस बात की जांच कराने का आदेश दें ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने जो कुछ कहा था, उसे पूरी सभा ने सुना था । आपने भी सुना था ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि किसी सदस्य का कोई कथन कार्यवाही वृत्तान्त म सम्मिलित नहीं किया पर फिर भी वह बाहर प्रकाशित हो जाता है और वह प्रेस में चले जाते हैं; तो यह इस सभा के विशेषाधिकारों की सबसे बड़ी अवमानना है। मैं उनके विशेषाधिकार की अवमानना का मामला उठाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में श्री तिवारी···

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उन्हें विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिये।

प्रो० के० के० तिवारी : यह किस प्रकार से हो गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित रूप में दीजिये। मैं इस पर विचार करूंगा। हम इस पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : सभी लोगों ने इसे सुना है। सभी सदस्यों ने इसे सुना है। प्रेस ने इसे सुना है। मैं···नहीं करता हूं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया···आप सब बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया···आप सब बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी बात को कार्यवाही में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं आपसे सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे शांत रहें।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायें।

12.15 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की तत्संबंधी टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 782/85]

(ख) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1983-84 संबन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की तत्संबन्धी टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 783/85]

भारतीय साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं भारतीय साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 784/85]

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैटर्लजिकल एंड एंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता तथा मैटेल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षायें और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात विभाग में कोयला मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) मैटर्लजिकल एण्ड एंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड, रांची, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैटर्लजिकल एण्ड एन्जीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड, रांची का वर्ष 1983-84 संबन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की तत्संबन्धी टिप्पणियां।

[ग्रंथालय, में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 785/85]

(ख)(एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 संबन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की तत्संबन्धी टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 786/85]

(ग) (एक) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 संबन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की तत्संबन्धी टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 787/85]

खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली तथा तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षायें एवं वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 788/85]

(2) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर, के वर्ष 1983-84 संबन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति ।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 789/85]

आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा सूती कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश के अन्तर्गत अधिसूचनायें

युवा-कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 18 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का० आ० 179 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 790/85]

(6) सूती कपड़ा (नियंत्रण) आदेश, 1984 के खण्ड 20 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एफ० सं० 22/4/81-सी० टी० आई० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 2 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 791/85]

12.19 म०प०

विधेयक पर अनुमति

[अनुवाद]

महा-सचिव : महोदय, मैं वर्त्तमान सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणीकृत प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1985 ।

(2) संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1985 ।

(3) संपदा शुल्क (वितरण) विधेयक, 1985 ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं है । अगला मद । अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे । मैंने किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दी है । नियम 377 के अधीन मामले ।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास-मध्य) : महोदय, मैं कल नियम 377 के अधीन एक मामले में हुए गलत बयान के बारे में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित रूप में दीजिये। हम इस पर ध्यान देंगे।

नियम 377 के अधीन मामले।

श्री जैनुल बशर।

---

12. 20 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तथा बलिया नगरों को गंगा कार्य योजना में सम्मिलित करने की मांग

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत गंगा नदी से प्रदूषण दूर करने के लिए 27 शहरों को लिया गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का बहाव सबसे अधिक दूरी तय करता है। उत्तर प्रदेश के केवल छह शहरों को लिया गया है जबकि पश्चिमी बंगाल के 17 शहरों को लिया गया है। गंगा नदी में प्रदूषण के बारे में जो वैज्ञानिक खोज की गई है उसमें बताया गया है कि सबसे अधिक प्रदूषण वाराणसी क्षेत्र में है। वाराणसी क्षेत्र में इलाहबाद से लेकर बलिया तक के क्षेत्र आते हैं। जबकि, मिरजापुर और वाराणसी को एक्शन प्लान में शामिल कर लिया गया है, गाजीपुर और बलिया शहरों को छोड़ दिया गया है। एक्शन प्लान में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद, मिरजापुर, बिहार के छपरा तथा पश्चिमी बंगाल के अनेक छोटे नगरों को प्रथम श्रेणी का क्षेत्र मानकर प्लान में शामिल किया गया है। गाजीपुर और बलिया भी इन्हीं के समकक्ष शहर है।

गंगा एक्शन प्लान में गजीपुर और बलिया शहरों को शामिल न किए जाने से वहां के लोगों में बड़ा क्षोभ है। गाजीपुर शहर तो गंगा के तट पर बसा हुआ है। शहर की सारी गन्दगी और अफीम कारखाने व जिले में स्थित चीनी व शराब मिलों के रसायनयुक्त-पदार्थ गंगा में जाते हैं। बलिया नगर की भी स्थिति ऐसी ही है। गंगा प्रदूषण का बुरा असर वाराणसी से लेकर बलिया के किनारे बसे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। अभी पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि गंगा प्रदूषण के कारण वाराणसी में ऐसी महामारी फैल सकती है जो पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगी। अतः प्रधान मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि वाराणसी क्षेत्र के गाजीपुर और बलिया शहरों को भी गंगा एक्शन प्लान में शामिल किए जाने हेतु अवश्य कार्यवाही करने का कष्ट कर दें।

(दो) गुजरात में डांग जिले को छोड़कर मोचियों को अनुसूचित जातियों की सूची से निकालने की आवश्यकता

श्री नरसिंह मकवाना (ढडुका) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में मोची जाति को अस्पृश्य नही माना जाता क्योंकि यह जाति गुजरात में अस्पृश्य नहीं है और आर्थिक दृष्टि से वह हरिजनों से कई गुना ज्यादा समृद्ध हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में वह सवर्णों के साथ रहते हैं। सवर्ण और मोची के रहन-सहन में कोई फर्क नहीं है और सवर्ण उनको नीची जाति का नहीं मानते।

मोची जाति को महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति में गिना जाता है और वह लोग कच्चे चमड़े का काम करते हैं और अस्पृश्य माना जाता है। जब डांग जिला गुजरात में आया तो वहां थोड़े मोची लोगों की वजह से अदालत ने टेक्निकल कारणों से गुजरात में रहने वाले सभी मोचियों को अनुसूचित जाति में रख दिया। इस वजह से गुजरात में हरिजनों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है क्योंकि संविधान के तहत उनको मिलने वाला लाभ मोचियों को ज्यादा मिलने लगा है क्योंकि उसमें पढ़ाई भी ज्यादा है और प्रशासन में उनके लोग रहने के कारण और भी जितनी सुविधा मिल सकती है उन्हें ही दी जाती हैं और उनका रहन-सहन भी अच्छा है और वे लोग हरिजनों को मिलने वाले सारे लाभ ले रहे हैं।

इस हालत में गुजरात में अनुसूचित जाति के लोगों की लिस्ट में से डांग जिला को छोड़ कर सारे गुजरात में से मोची जाति को निकाल देना चाहिए और इसके लिए विधेयक लोक सभा में इसी सत्र में लाने के लिए मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं।

(तीन) वन्य पशुओं से फसलों की रक्षा करने तथा वन्य पशुओं का परिरक्षण करने की भी आवश्यकता

डा० चंद्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न विषय इस सदन में उठाना चाहता हूं।

देश के विभिन्न भागों में आये दिन वन्य पशुओं द्वारा फसल को नुकसान पहुंचना आम बात बन चुकी है। जो कृषि भूमि वनों के आस-पास स्थित है वहां पर यह शिकायत आम तौर पर देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के बस्ती और गोंडा जिले में किसानों की काफी फसल नील गाय नामक वन्य पशु द्वारा नष्ट कर दी जाती है। यहां पर नील गायों की संख्या इतनी अधिक है कि किसानों के लिए अपनी फसल की रक्षा करना एक विकट समस्या बन चुकी है और किसान अपनी फसल की चाहे जितनी रक्षा कर ले किन्तु इनके द्वारा कुछ-न-कुछ नुकसान होना स्वाभाविक है। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए ऐसे वन्य पशुओं की हत्या कर देता है जिनकी संख्या देश में बहुत कम है और सरकार उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए लाखों रुपया प्रतिवर्ष व्यय कर रही है। इस प्रकार जहां एक ओर किसानों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है वहीं पर दूसरी ओर देश में दुर्लभ वन्य पशुओं की हत्या कर दी जाती है।

अत: मैं माननीय कृषि मन्त्री जी का जहां किसानों की फसल की रक्षा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा वहीं पर वन्य पशुओं की रक्षा के लिए कोई कठोर कदम की मांग करते हुए आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री महोदय अवश्य इस दिशा में कोई आवश्यक कदम उठायेंगे जिससे किसनों की फसल की रक्षा हो सके और अन्य पशुओं को बचाया जा सके।

(चार) गोरखपुर उर्वरक संयंत्र को लगातार पहले की तरह नियमित रूप से बिजली की सप्लाई देने की आवश्यकता

श्री मदन पांडेय (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अपना विषय इस सदन के सामने रख रहा हूं।

देश में कृषि उत्पाद की वृद्धि तथा कृषि क्रांति में प्रमुख रूप से आधुनिक उर्वरकों तथा सिंचाई साधनों का योगदान रहा है। यदि हमारे खाद कारखानों को विद्युत का अनवरत आपूर्ति होती रहे तो वर्तमान उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है तथा बाहर से उर्वरक आयात किए जाने में जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है उसे बचाया जा सकता है। मुझे

सूचना मिली है कि गोरखपुर के उर्वरक कारखाने की विद्युत आपूर्ति में बुरी तरह से कटौती की जा रही है जिससे उर्वरक का उत्पादन ठप्प हो गया है तथा श्रमिकों के ले-ऑफ किए जाने का खतरा पैदा हो गया है उक्त कारखाने को 53 एम० वी० ए० विद्युत आपूर्ति पहले हुआ करती थी,- 21-2-85 को 60 प्रतिशत कटौती हो गई । कोशिशों के बाद भी 7-3-85 को 30 प्रतिशत कटौती जारी रही, 25 मार्च को पूरी कटौती कर दी गयी । पुन: 7-4-85 को 10 एम० वी० ए० आपूर्ति हुई । मैं स्वयं ऊर्जा मन्त्री से मिला तो 10-4-85 से 25 एम० वी० ए० की आपूर्ति हुई । इस कारखाने में लगभग 3 करोड़ 50 लाख का घाटा तथा 13 अप्रैल तक 28000 मैट्रिक टन उत्पादन का नुकसान हो चुका है ।

अत: इस नोटिस द्वारा मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब हस्तक्षेप कर पूर्ण विद्युत आपूर्ति कराने की व्यवस्था करावे तथा राज्य में यदि विद्युत उपलब्ध न हो तो पड़ोस के राज्यों से विद्युत आपूर्ति कराने की व्यवस्था करें

(पांच) तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपास निगम के शोरूम्स कर्मचारियों को समयबद्ध वेतन देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० ए० कलानिधि (मध्य मद्रास) : तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शोरूम में लगभग 500 कर्मचारी कार्यरत हैं । उन्हें वेतन की एक समेकित राशि दी जाती है । उन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम का फैक्ट्रियों में कार्यरत अन्य व्यक्तियों की भाँति समयबद्ध वेतनमान नहीं दिया जाता है । मुझे पता चला है कि पटना डिविजन के राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शोरूम के कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान दिया जता है । भारत में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शोरूम में कार्यरत कर्मचारियों के लिये समयबद्ध वेतनमान निर्धारित करने की समान नीति क्यों नहीं अपनाई जा रही है ? इन शोरूम में कार्यरत कर्मचारी केन्द्र सरकार तथा इसके उपक्रमों में कार्य रत कर्मचारियों की भांति ही काम कर रहे हैं । जब राष्ट्रीय कपड़ा निगम का एक डिवीजन अपने शोरूम कक्षों के कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान दे रहा है तो तमिननाडु में स्थित राष्ट्रीयकपड़ा निगम को अपने कर्मचारियों को इसे न देने का कोई कारण नहीं है । ऐसी स्थिति में तथा इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कि भारत एक है और यहां पर वर्ण, जाति क्षेत्र, आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेद-भाव नहीं होना चाहिये । मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस स्वयं सम्बन्ध में दिलचस्पी लें और कोशिश करें कि यह भेद-भाव तुरन्त दूर हो तथा तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कर्मचारियों को तुरन्त समयबद्ध वेतनमान दिया जाये ।

(छ:) बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स, मद्रास के प्रत्येक कामगार को भारतीय स्टेट बैंक से 2,000 रुपये का ऋण दिलाने की आवश्यकता

श्री के० आर० नटराजन (डिन्डिगुल) : मैसर्स बिन्नी लिमिटेड मद्रास दी बकिंघम एण्ड कर्नाटक मिल्स दक्षिण भारत की सबसे पुरानी टेक्सटाइल मिलों में से एक है । इस मिल में 8000 कामगार मद्रास में कार्यरत हैं ।

इस मिल के समक्ष कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं, सर्वथा इसलिए क्योंकि वहां पर पुरानी मशीनरी काम में लाई जा रही है । इस मिल के 1981-82 में बन्द होने का सकट आया था, परंतु माननीय वाणिज्य मन्त्री महोदय ने अपने सद्भाव से ऐसा नहीं होने दिया । तथापि 1984 में एक बार फिर इस मिल को 11 मास के लिए बन्द कर दिया गया था । इन बन्दों के परिणामस्वरूप कामगारों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था । जीवन निर्वाह करने के लिए उन्हें ऋण

लेने पड़े थे। अब इस मिल ने काम करना आरम्भ कर दिया है। उन्होंने सन्तोष की सांस ली है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने ऋणों का भुगतान तो करना ही है।

कामगारों ने प्राधिकारियों से प्रत्येक को 2000 रुपये का ऋण प्रदान करने की सिफारिश की है जो कि उनके वेतनों में से कटौती करके किश्तों में वापिस लिया जा सकता है।

अब सरकार को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से निवेदन करता हूं कि वह तत्काल प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2000/- रुपये के ऋण का प्रबन्ध करके उनकी समस्या का हल करें।

(सात) दिल्ली में मलेरिया की रोकथाम के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : मेनन्जोटिस बीमारी के प्रकोप से पीछा छूटा था कि मलेरिया और हैजा जैसी अन्य बीमारियों ने दिल्ली के लोगों में आतंक फैलना आरम्भ कर दिया है। यह बड़े दुःख की बात है कि दिल्ली जैसे स्थान पर भी इन घातक बीमारियों का उन्मूलन नहीं किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री महोदय ने अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के उत्तर में बताया है कि मलेरिया के कारण 1983 में 52 और 1984 में 40 व्यक्ति मरे। यद्यपि बरसात अभी शुरू नहीं हुई है मलेरिया अपना भयानक सिर उठा चुका है। सरकारी कालोनियों, झुग्गी-झोपड़ियों, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की कार्रवाही अभी तक आरम्भ नहीं की गई है।

मैं इस बीमारी की रोक-थाम के लिए सरकार से निम्नलिखित उपाय करने का निवेदन करता हूं :

(1) बुखार के मामलों का पता लगाने के लिए और रक्त के धब्बों के परीक्षण हेतु सभी गांवों में, झुग्गी झोंपड़ी कोलोनियों और पिछड़े क्षेत्रों में छोटे स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिये।

(2) कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिये।

(3) औषध विवरण केन्द्रों की अविलम्ब स्थापना की जानी चाहिये।

(4) विषय के प्रति सार्वजनिक जागरुकता और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिये।

(आठ) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नई भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार के कार्यालयों और उपक्रमों में मौजूदा खाली पदों की भर्ती पर पाबन्दी के आदेश का नवीनी करण किया है, जिससे हमारे देश में रोजगार के क्षेत्र में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

खर्च को कम करने के लिए 1982 में आदेश जारी किये गए थे। इस तरह लाखों बेरोजगार युवकों को नौकरी के अवसरों से वंचित रखा गया। बेरोजगारी की समस्या गम्भीर है और इस तरीके से यह और अधिक गम्भीर बन गई है।

केन्द्रीय सरकार के संगठन में खाली स्थान की गणना कार्यभार ने हिसाब से की जाती है। इस प्रकार अगर प्रत्येक अनुभाग में काफी समय तक यह खाली रहेंगे तो इन कार्यों को कौन करेगा ? कार्यालय का अनुशासन कैसे बनाए रखा जा सकता है ? कार्यालय कैसे नई जिम्मेदारियां निभा सकते हैं ? कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह पद भरा नहीं जा सकता।

भारत सरकार के सभी केन्द्रीय संगठनों में तीन वर्षों से अधिक समय के लिए सभी प्रकार की भर्ती सम्बन्धी रोक से इस देश में बेरोजगारी की समस्या और गम्भीर हो गई है पश्चिम बंगाल में ही इस समय केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 30 000 से अधिक पद खाली पड़े हैं।

ऐसी परिस्थितियों में, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्र ही यह प्रतिबन्ध समाप्त करें और हमारे देश के युवकों को, इस अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में, रोजगार के मौजूदा अवसर प्रदान करें।

(नौ) राजस्थान में सूखे की स्थिति तथा पीने के पानी की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए हैण्ड पम्पों के लगाने हेतु राज्य को विशेष सहायता देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के तहत केन्द्र सरकार का ध्यान, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में भयंकर सूखे की स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। सम्पूर्ण राजस्थान अकाल की भयंकर छाया से ग्रसित है। दक्षिणी राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला अकाल होने के साथ ही भयंकर पीने के पानी के संकट से गुजर रहा है। गरमी शुरू नहीं हुई, फिर भी लोग गांव छोड़कर पीने के पानी की खोज में जा रहे हैं। नदी, नाले, तालाब सब सूख गए हैं। अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगी कि राजस्थान को अकाल की भयंकरता से छुटकारा दिलाने के लिए विशेष सहायता प्रदान करें तथा पीने के पानी के लिए दक्षिणी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अधिक से अधिक हैंडपम्प अतिशीघ्र लगवाए जावें वरना पशुधन तथा मानव को जीवित बचाना कठिन हो जाएगा।

(दस) कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर धर्मपुरा के दुकानदारों को, उनके लिए नई दुकानों का निर्माण होने तक, अपना कारोबार करते रहने की अनुमति देने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कालका से शिमला राष्ट्रीय मार्ग का विस्तार किया जा रहा है और इस पर भारत सरकार की ओर से काफी रुपया खर्च किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण में स्थान धर्मपुर, कुमारहट्टी इत्यादि जगह को जिसमें लोगों की दुकानें बनी हुई हैं और पुश्तों से उन दुकानों में अपना व्यापार का कार्य करते हैं। आज उनके सामने एक बड़ी समस्या यह खड़ी हो गई है कि जिन लोगों की दुकानें इस मार्ग में आती हैं, वे अपने आपको असहाय पा रहे हैं। सरकार ने उन्हें कुछ थोड़ा मुआवजा भी दिया है जिसको उन्होंने प्रोटेस्ट (विरोध) कर के थोड़ा-थोड़ा पैसा लिया है और अब वह अदालतों का दरवाजा खटका रहे हैं, ताकि वह अपने कारोबार से न रह जाएं। मैं उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि धर्मपुर जो सोलन जिले का केन्द्र स्थान है वहां लगभग 500 लोगों की आबादी अपने कारोबार से हाथ धो बैठेगी। मैं उनकी समस्याओं को उचित समझते हुए भारत सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें कारोबार के लिए (राज्य सरकार से) अलग भूमि दिलाई जाए और जब तक उनकी दुकानें बन कर तैयार नहीं हो जातीं उस समय तक उन्हें उन्हीं दुकानों पर काम करने की अनुमति दी जाए ताकि उन्हें काम करने में कोई मुश्किल न हो।

मुझे आशा है कि संबंधित मन्त्रालय इस पर तुरन्त कार्यवाही कर लोगों की मांग को पूरा करने का कष्ट करेगा।

12.35 म०प०

अनुमानों की मांगें*—1985-86 (—जारी)

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 से 13 पर चर्चा करेगी और उन्हें पारित करेगी। इस कार्य के लिए छह घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

माननीय सदस्य जो इस समय सभा में उपस्थित हैं और जिनके अनुदानों की मांगों के लिए कटौती प्रस्ताव परिचालित किये गये हैं, अगर वे अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के अन्दर कटौती प्रस्तावों के क्रमांक बताते हुए पर्चियां सभा पटल पर भेज दें।

सूचना पटल पर उन कटौती प्रस्तावों की क्रमांक सूची शीघ्र ही लगा दी जाएगी, जिन्हें कि पेश किया हुआ माना जाएगा। अगर किसी माननीय सदस्य को सूची में असंगति नजर आए तो, बिना किसी दरी के उसे टेबिल आफिसर को सूचित करे।

प्रस्तुत प्रस्ताव हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ-2 में दिखाई गई वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 से 13 के संबंध में 31 मई, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा को दी पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति जायें।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

मांग	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखा अनुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
	वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
10.	वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय	57,33,00	——	2,86,69,000	——
11.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,35,87,38,000	18,20,58,000	6,85,97,69,000	91,52,93,000
12.	सूती वस्त्र, हाथकरघा और हस्तशिल्प	43,75,32,000	36,62,97,000	2,19,86,63,000	1,83,14,85,000
13.	पूर्ति और निपटान	2,54,05,000	——	12,70,28,000	——

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री श्रीहरि राव बोलेंगे ।

*श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय हैं । इसका विशेष महत्त्व है क्योंकि देश की प्रगति से इसका सीधे संबंध है । देश की अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ हो सकती है जब इसका वाणिज्य और व्यापार सुदृढ़ होगा । हम जो आयात और निर्यात नीति अपनाते हैं, उसी पर व्यापार निर्भर करता है । इसलिए आयात और निर्यात नीति मजबूत और स्थायी होनी चाहिए । इसे अर्थव्यवस्था में भागीदार होना चाहिए। नीति इस प्रकार होनी चाहिए जिससे हमारे निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी हो, लेकिन, दुर्भाग्य से हम आज बिलकुल विपरीत देख रहे हैं । निर्यात में काफी कमी आ रही है जबकि आयात में भारी वृद्धि हो रही है । अगर आज हमारा भुगतान शेष संतोषजनक है तो इसके लिए विदेशों में रह रहे भारतीय जिम्मेदार हैं । निर्यात से हमें काफी कम आमदनी होती है और यह आयात-बिल के भुगतान के लिए भी काफी नहीं है । इस स्थिति में सुधार के लिए अब हमें काफी मेहनत करनी होगी । हमारे निर्यात में वृद्धि करने के लिए हमें ठोस प्रयत्न करने होंगे ।

श्रीमन्, देश में संसाधनों की कमी नहीं है । इन संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल करके हम लगातार प्रगति कर सकते हैं । हमारे पास अपार मानव शक्ति है । लेकिन हम अधिक उत्पादन के लिये इस मानवशक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं । इस मानवशक्ति का उन वस्तुओं के निर्माण के लिए सही उपयोग किया जाना चाहिए जिनकी विदेशी-बाजार में मांग है । इन वस्तुओं को विदेशों में निर्यात करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए । इस तहर से हम काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं । अतः मानवशक्ति का अच्छी प्रकार से उपयोग करने को बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश में निर्यात करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की जा सके ।

पिछले दो वर्षों में आयात-निर्यात इस प्रकार रहा—

	आयात	निर्यात	(घाटा)
1982-83	14355.76 करोड़ रु०	8902.25 करोड़ रु०	5448 करोड़ रु०
1983-84	15762.95 करोड़ रु०	9867.57 करोड़ रु०	5895 करोड़ रु०
1984-85 (दिसम्बर तक)	11746.1 करोड़ रु०	8146.2 करोड़ रु०	3600 करोड़ रु०

श्रीमन्, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहन दे रही है, यह प्रोत्साहान हैं 10% की नकद राजमहायता, उत्पाद शुल्क में छूट आयात आपूरण । लेकिन ये प्रोत्साहन काफी नहीं हैं । देश में निर्यात कर्त्ताओं को आकर्षित करने के लिए और प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए। जो प्रोत्साहन दिये जाते हैं वे और तर्कसंगत होने चाहिए । प्रत्येक मद पर अलग से विचार किया जाना चाहिए, और उन मदों पर उदारता से राजसहायता दी जानी चाहिए जिन्हें विदेशी-बाजार में कड़ा मुकाबला करना पड़ता है ताकि विदेशी-ग्राहकों को उचित-मूल्य पर ये सामान मिल सके । 10% की राज सहायता पर्याप्त नहीं है । यह कम से कम 25% होनी चाहिये और प्रत्येक मद पर अलग-अलग होनी चाहिये । जापान में राजमहायता को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे निर्यात की जानी वाली वस्तुओं को दी जाने वाली राजसहायता के प्रोत्साहन के ढांचे का पुनर्गठन करें।

श्रीमन्, कच्चे माल के निर्यात की वर्तमान नीति सही नहीं है और इसे शीघ्र बन्द कर देना चाहिए। कच्चा माल निर्यात करने की बजाय हमें तैयार माल निर्यात करने के प्रयास करने चाहिए, इससे हमें अधिक विदेशी-मुद्रा मिलेगी। औद्योगिक माल और अन्य सामान निर्यात कर हम अधिक विदेशी-मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। कच्चे माल से हमें नाममात्र ही विदेशी-मुद्रा मिलती है। अतः, अब समय आ गया है कि हम कच्चे माल को निर्यात करने संबंधी अपनी नीति को बदले। उदाहरण के तौर पर काकीनाडा पत्तन से जापान को नारिलय-जटा का निर्यात किया जाता है। हम उस देश से ब्रुशों का आयात करते हैं। सारे नारियल-जटा के निर्यात से जितनी विदेशी-मुद्रा हमें प्राप्त होती है, वह आयात के बिल को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम अपने ही देश में अपनी मानवशक्ति का उपयोग कर ब्रुश तैयार करें तो, हमें न केवल इन ब्रुशों का आयात ही बन्द करना पड़ेगा, बल्कि हम इन वस्तुओं का निर्यात कर, बहुमूल्य विदेशी-मुद्रा भी कमा सकते हैं। यह एक उदाहरण है। अतः, हमें कच्चे माल के स्थान पर तैयार माल और मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए।

श्रीमन्, मैं सरकार के हाल ही में कई वस्तुओं के सरणीबद्ध न करने और उन्हें खुले-सामान्य लाइसेंस प्रदान करने के फैसले का स्वागत करता हूं। यह एक अच्छा कदम है। अब निर्यातकर्ता उन वस्तुओं का सीधे ही आयात कर सकते हैं, जिनका कि प्रयोग उन्हें निर्यातोन्मुखी माल के लिए करना है। उन्हें अब बिचौलियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह एक उत्साहवर्धक कदम है, लेकिन श्रीमन्, कई और वस्तुएं ओ० जी० एल० के अन्तर्गत लाई जा सकती हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री और वस्तुओं को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत सूची में लाने के लिए प्रयास करेंगे।

सरकार द्वारा निर्यात नीति को आगामी तीन वर्षों के लिए लागू रखने की प्रणाली एक अच्छी प्रणाली है। पहले हर छह माह बाद निर्यात-नीति बदल जाती थी।

इसके परिणामस्वरूप गैर-कानूनी लेन-देन हुआ करते हैं बेईमान व्यापारी आयातित सामान को छुपाकर रखते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस तरह उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हो जाती है। अन्य कुछ अवसरों पर जब नीति में परिवर्तन किया गया तो निर्यातकों को हानि उठानी पड़ी है। अब यह पुरानी बात हो गई है। चूंकि निर्यात नीति 3 वर्षों के लिए प्रभावी होगी यह निरन्तरता और विदेश व्यापार में स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए मदद देगी। यह निश्चय ही निर्यातकों के विश्वास में सहायता देगी। अब निर्यातक की हानि उठाने के भय के बिना निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा का आयात करने को सोच सकते हैं।

महोदय शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी वस्तुओं में सीमा शुल्क देने के बाद कुल उत्पादन का 25% तक देश के भीतर बेचो जाने की अनुमति दी जाए। देश के भीतर बेची जाने के लिए देशो निर्मित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के भुगतान का कुछ भाग अकल्पनीय है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब निर्यातोन्मुखी वस्तुएं देश के अन्दर बेची जाती हैं तो उन पर सीमा शुल्क हटा देना चाहिये।

महोदय देश में मुक्त व्यापार क्षेत्र अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। मद्रास, कोचीन, फाल्टा और नोयडा को कांडला के साथ जोड़ दिया गया था और सान्ताक्रूज जो पहले से कार्य कर रहा था। बिना किसी अपवाद के ये सभी ठीक कार्य कर रहे हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री से बिशाखापटटनम को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने के लिए अनुरोध करता हूं। आज देश में 'विजाग' औद्योगिक केन्द्रों में सबसे पहले बहुत तेजी से सामने आ रहा है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड के अतिरिक्ति, विजाग में कई अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र के उद्योग स्थित हैं। यह शांतिपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। वहां कोई औद्योगिक विवाद नहीं होते हैं। अतः यह सभी तरह से मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिये पात्र है। इसके पत्तन नगर होने के कारण कई लाभ हैं। यह हमारे निर्यात को भी पर्याप्त मदद करेगा। हमें याद रखना चाहिए कि अन्य जगहों की अपेक्षा समुद्र तट के पास मुक्त व्यापार क्षेत्र अधिक लाभदायक है। विदेशी व्यापार को बढ़ाने में पत्तन शहर अन्य स्थानों की अपेक्षा निश्चय ही अधिक सहायता करेगा। अन्य देशों को निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी पहले से ही सिफारिश कर दी है और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि विजाग को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि केन्द्रीय सरकार ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। अब समय आ गया है कि विजाग को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाए। मैं माननीय मंत्री से आशा करता हूं कि वह बिना किसी विलंब के विजाग को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करेंगे।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में हमारे भाग लेने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 1984-85 के दौरान हमने विदेशों में 38 मेले में भाग लिया और स्वयं तीन मेले आयोजित किए। लगभग 31 लाख रुपए का सामान बेचा गया। 257 करोड़ रुपये के आर्डर बुक किये थे और 480 करोड़ रुपये के अन्य आर्डरों की बातचीत चल रही है। इन सब बातों के होते हुए भी हम अधिक व्यापार प्राप्त नहीं कर सकें। हम मेलों के दौरान अधिक व्यापार क्यों नहीं कर सके, इसका एक मुख्य कारण यह है कि हमने व्यापार की अपेक्षा सांस्कृतिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया। हमने उत्पादन की गए वस्तुओं की अपेक्षा देश के एक भाग या अन्य भाग की सांस्कृतिक गतिविधियों को चित्रित करने में अधिक दिलचस्पी दिखलाई जो मेजबान देश और अन्य भाग लेने वाले देशों के बाजार में जगह पा सकती हैं। हमारा उद्देश्य व्यापार होना चाहिए न कि सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी। व्यापार के अलावा कोई व्यापार नहीं होना चाहिये। आपको एक समिति का गठन करना चाहिये और इसे उन देशों में भेजना चाहिए ताकि वे वहां व्यापार की स्थिति का मूल्यांकन कर सके। उन देशों को जो वस्तुयें निर्यात की जानी है इस पर निर्णय लिया जाना चाहिये। निर्यात के लिये वस्तुओं का पता लगाने के बाद सरकार को देश में निर्यातकों को इन वस्तुओं के निर्यात में उत्साहित करने के लिए आगे आना चाहिये। फिलहाल केवल कुछ प्रभावशाली लोग अपनी वस्तुओं के निर्यात करने का प्रबन्ध करते है। ऐसा नहीं होना चाहिये। इस प्रकार की शर्तें होनी चाहिए कि छोटा या बड़ा कोई भी निर्याता बिना किसी रुकावट के अपनी वस्तुओं को निर्यात करने की स्थिति में होना चाहिये। इस तरह का वातावरण पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि निर्यात योग्य सामान पर उत्पाद शुल्क में छूट होनी चाहिये तभी हम प्रतियोगी मूल्य पर विदेशी खरीददारों को सामान का प्रस्ताव कर सकते हैं। यह निर्यात बढ़ायेगा। देश समृद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में आंध्र प्रदेश रेशा और लम्बे रेशों वाली कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लेकिन यह देखते हुए बहुत आश्चर्य होता है कि केवल महाराष्ट्र और गुजरात

जैसे राज्यों को दूसरे देशों के साथ कपास का निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है। काफी आग्रह के बाद सरकार ने राज्य से कपास की 17,000 गांठों का निर्यात करने की अनुमति दी है। मैं केन्द्र की इस कार्यवाही का स्वागत करता हूं। लेकिन महोदय यह उस राज्य के लिये बहुत कम मात्रा है जो कपास की अच्छी किस्म के उत्पादन में प्रथम है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि 17000 गांठों के वर्तमान स्तर से कम से कम 1 लाख गांठों का निर्यात कोटा बढ़ाया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर सहमत होगी।

इस तर्क पर कि हमारे गोदामों में गेहूं सड़ रहा है, सरकार ने हाल ही में अन्य देशों को गेहूं के निर्यात का निर्णय लिया है। यह बहुत अच्छा है, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन सरकार के इस निर्णय से केवल उत्तरी भारत के किसानों को लाभ पहुंचा है। हमारे गोदामों में गेहूं की तरह चावल का अधिक भंडार है। हमारे गोदामों में लाखों टन चावल सड़ रहा है। इस स्थिति से बचने के लिये चावल का भी निर्यात क्यों नहीं किया जाता? हमें चावल का निर्यात बासमती तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये। महोदय, सरकार को बासमती चावल के साथ उत्तम और बहुत बढ़िया किस्म के चावल के निर्यात की मंजूरी देनी चाहिये। इस निर्णय से पूरे कृषि समुदाय को लाभ होगा चाहे वे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों। यह हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी प्राप्त करायेगा।

महोदय, देश में उत्पादित आम के गूदे के लिए अच्छी मांग है। सरकार को आम के गूदे का निर्यात करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। अब इस मद के निर्यातक इसको निर्यात करने के लिए बहुत महंगा समझ रहे हैं। 'कंटेनर चार्ज' बहुत अधिक हैं। इसलिए रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए 'कंटेनर चार्ज' में कमी करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिए और इस मदद की अधिक बड़े 'कंटेनर' में निर्यात करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो आम के गूदे के निर्यात में वृद्धि होगी।

प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्य तेल का आयात किया जा रहा है। आयातित तेल का 65% भाग देशी उत्पादकों की उपेक्षा करके वनस्पति उत्पादकों को आवंटित किया जा रहा है। यह अनुचित है। पिछले आम चुनाव के दौरान आयातित तेल का 95% भाग वनस्पति उत्पादकों को दिया गया था जिसके बदले सत्ता दल ने अपने दल के कोष के लिए अधिक राशि प्राप्त की है। इस तरह दल के कोष के लिए करोड़ों रुपया जमा किया गया था। यह बिलकुल अनुचित है कृपया खाद्य तेलों का आयात बन्द किया जाए। स्थानीय उत्पादकों को जो खाद्य तेल का उत्पादन करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसकी तुरंत आवश्यकता है।

महोदय शीरे का बिना किसी तुक या कारण से निर्यात किया जा रहा है। क्योंकि इस मद के पूरा निर्यात होने से देश में एल्कोहल उत्पादन ने बुरी तरह से नुकसान उठाया है। अब एल्कोहल की कमी हो गई है। ऐसा पता चलता है कि आपके पास निर्यात करने और कितना निर्यात करना है के लिए कोई निश्चित योजना नहीं है। वस्तुओं का निर्यात इस तरह होना चाहिए कि घरेलू बाजार में इन वस्तुओं का अभाव न हो। अतः शीरे का अविवेकी निर्यात बन्द करना चाहिए।

महोदय साम्यवादी देशों के साथ व्यापार करने के बारे में मुझे कहते हुए दुःख होता है कि यह पूर्णरूप से कुछ व्यक्तियों के हाथों में है। साम्यवादी देशों के साथ सीधा व्यापार संबंध स्थापित करने की किसी व्यक्ति को इजाजत नहीं होनी चाहिए। साम्यवादी देशों के साथ विदेशी व्यापार सरकारी स्तर पर होना चाहिए। केवल तभी आप उन सभी के साथ न्याय कर सकते हो जो

व्यापार में लगे हुए हैं यह पूरी तरह से हमारे विदेशी व्यापार में सहायता करेगा। अत: मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि साम्यवादी देशों के साथ व्यापार समझौते केवल सरकारी स्तर पर होने चाहिये।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था में विकास लाने के लिये निर्यात का विकास बहुत आवश्यक है। लोगों को अधिक रियायतें देकर उन्हें अधिक निर्यात करने के प्रोत्साहन देने हेतु सभी संभव उपाय करने चाहिए। माल-भाड़ा आदि उचित होना चाहिये। युक्ति संगत आधार पर राज सहायता दी जानी चाहिए। एक समान दर के स्थान पर प्रत्येक वस्तु की गुणवत्ता और प्रतियोगिता पर निर्भरता के अनुसार मूल्य होना चाहिए। 10% उत्पाद छूट की मौजूदा नकदी राज सहायता और आयात आपूरण पर्याप्त नहीं है। आदर्श स्थिति बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये जहां निर्यात व्यापार विकसित हो सकें।

महोदय, हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री ईमानदार और कुशल प्रशासक है। वस्तुत: इस समय वह सदन में उपस्थित नहीं है। वह अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री राजीव जी देश को 21 वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। 21 वीं सदी में देश का संचालन करने के लिये आपके पास नया दृष्टिकोण होना चाहिये। दिमाग में इस आदर्श विचार के साथ ही प्रत्येक नीति को बनाना चाहिए। हमारी निर्यात नीति इसी तरह की एक नीति है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वाणिज्य मंत्री हमारी भावी नीतियों को बनाने में पर्याप्त राजनीतिज्ञता दिखाएंगे।

महोदय, इस, महत्वपूर्ण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मुझे वाद-विवाद शुरू करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कटौती प्रस्ताव

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[गरीब लोगों को रियायती दरों पर कपड़े की सप्लाई करने की आवश्यकता।] (2)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं।

"कि वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्ति विभाग के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के प्रवर श्रेणी लिपिकों को पर्याप्त संख्या में, धन तथा लेखाशास्त्र के प्रशिक्षण के लिये साचिविक प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन संस्थान में भेजने की आवश्यकता।] (28)

"कि वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

[केन्द्रीय सचिवालय सेवा से सम्बन्धित पूर्ति विभाग के सहायकों को पर्याप्त संख्या में उनके लिए आशंवित तथा साचिविक प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये भेजने की आवश्यकता।] (29)

"कि वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पूर्ति विभाग संवर्ग से संबन्धित अनुभाग अधिकारियों को साचिविक प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए भेजने की आवश्यकता ।] (30)

"कि वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[सहायकों के सीधी भर्ती के कोटा मे से न भरे गये रिक्त पदों को पूर्ति विभाग के चयनसूची के सहायकों से भरने की आवश्यकता ।] (31)

"कि वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग मे 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नियमित उम्मीदवार उपलब्ध न कराये जाने तक, पूर्ति विभाग के निम्न श्रेणी लिपिकों को प्रवर श्रेणी लिपिकों के पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति देने की आवश्यकता] (32)

"कि वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पूर्ति विभाग की केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्गों के सभी श्रेणियों की वरिष्ठता सचिया प्रतिवर्ष प्रकाशित करने की आवश्यकता] (33)

"कि वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पूर्ति विभाग में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के उन आशुलिपिकों को, जिन्होंने श्रेणी "घ" में 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, श्रेणी "ग" में पदोन्नत करने की आवश्यकता] (34)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[7-4-85 को कार्मिक संघों एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता] (35)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (मुख्यालय) में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में कमरा-शीतकों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (36)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (मुख्यालय) में सफाई तथा स्वास्थ्यकर स्थिति कायम रखने की आवश्यकता ।] (37)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (मुख्यालय) के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि के विवरण नियमित रूप से देने तथा अप्राप्त राशियों सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता ।] (38)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (मुख्यालय) के कर्मचारियों के लिए विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में, पेयजल का समुचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता ।] (39)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[कार्यालय परिषद (संयुक्त सलाहकार व्यवस्था) में प्रतिनिधित्व पाने वाले मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों/एसोसिएशनों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करने की आवश्यकता ।] (40)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पूर्ति विभाग से सम्बद्ध लेखा नियंत्रक के कार्यालय को उसी परिसर में, जहां पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय है, स्थानान्तरित करने की आवश्यकता, जिसकी मांग कर्मचारी संघों द्वारा की गई है ।] (41)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (मुख्यालय) में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को, उनके लिये आरक्षित रिक्त पदों पर पदोन्नत करने की आवश्यकता ।] (42)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए नये फर्नीचर की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (43)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए नये फर्नीचर की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (43)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (मुख्यालय) में काम करने वाले ड्राफ्टसमैनों के वेतन-मानों में संशोधन करने की आवश्यकता ।] (44)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (मुख्यालय) में जूनियर प्रोग्रेस आफिसरों (कनिष्ठ प्रगति अधिकारियों) समेत विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता ।] (45)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।"

[दस वर्षों से अधिक समय से तदर्थ आधार पर प्रबन्ध सूचना सेवा निदेशालय में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं का पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (मुख्यालय) में नियमित करने की आवश्यकता ।] (46)

"कि पूर्ति और निपटान शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (मुख्यालय) में तदर्थ आधार पर काम कर रहे जूनियर प्रोग्रेस अधिकारियों (कनिष्ठ प्रगति अधिकारियों) की सेवाओं को नियमित करने की आवश्यकता ।] (47)

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव भी सदन के समक्ष हैं ।

अब, श्री श्यामलाल यादव ।

[हिन्दी]

श्री श्यामलाल यादव : (वाराणसी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के संबन्ध में प्रस्तुत मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं । यद्यपि यह विभाग अनेक कार्यों को करता है, वाणिज्य और व्यापार से संबन्धित, निर्यात और उस को बढ़ावा देने का काम, देश से जो विदेश व्यापार होता है उसका संगठन, उसका विकास और नियन्त्रण, इन तमाम कामों की देखरेख इस मंत्रालय के अधीन होती है । हमारी बहुत सी ऐसी उपज है, फसलें हैं या चीजें हैं जो हम पैदा करते हैं, उनका निर्यात करना, उनकी देखरेख करना, इस मंत्रालय के अधीन है, जैसे चाय, काफी, रबड़, इलायची, समुद्री उत्पाद की चीजें या इस तरह की अन्य चीजें हैं । इनकी अच्छी क्वालिटी जाय, उस का इंस्पेक्शन भी करता है और उन के लिए प्रोत्साहन भी देता है ।

12.56 म०प०

(श्री वी० पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

मैं इस अवसर पर विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं—उन्होंने कामर्स मिनिस्ट्री से अलग करके टैक्सटाइल मिनिस्ट्री को कायम किया है । जब बजट पेश किया गया था उस समय नहीं, लेकिन बाद में एक बहुत ही सक्षम और अनुभवी व्यक्ति को टैक्सटाइल मिनिस्ट्री का काम सौंपा । टैक्सटाइल मिनिस्ट्री हमारे देश के बहुतायत लोगों से संबन्ध रखती है, क्योंकि हर व्यक्ति कपड़ा पहनता है, इसलिए सभी से उसका सम्बन्ध है । जो भी मनुष्य पैदा होता है, जन्म से मृत्यु तक, यानी कब्र तक आपकी मिनिस्ट्री के कपड़े का सदुपयोग करता है । इस दृष्टि से यह मिनिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात की भी द्योतक है कि प्रधान मंत्री जी ने इसके महत्त्व को, इसके स्थान को समझा और तभी इसको अलग किया, क्योंकि टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से संबद्ध चाहे टैक्सटाइल मिलें हों, चाहे हैण्डलूम्ज हों, पावर-लूम्ज हों, इन सब में करोड़ों लोग काम पाते हैं, उनकी जीविका चलती है और उसका बहुत बड़ा लाभ हर व्यक्ति को मिलता है । इसलिए मैं आज के दिन, मान्यवर टैक्सटाइल मंत्रालय से संबद्ध बातों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि जितना समय है उसके अंदर सभी विभागों की बातों को नहीं उठा सकता हूं और न उनके संबन्ध में अपने विचारों को प्रकट कर सकता हूं ।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं—मेरा वाराणसी शहर, जहां का मैं हूं और जिस का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, वह इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने रेशम उद्योग के लिए, रेशम के बने हुए कपड़ों के लिए विख्यात है । वहां पर हजारों परिवार

इस उद्योग में लगे हुए हैं। रेशम का उद्योग हमारे नगर के जन-जीवन से संबद्ध है। उसकी सबसे बड़ी जरूरत रेशम के धागे की है। हम वहां पर रेशम के धागे को पैदा नहीं करते हैं, मुख्यतया रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। और हाल में हमारे उत्तर प्रदेश के देहरादून और उसके आस पास के इलाकों में इस बात का प्रयास किया गया है कि कुकून्ज पैदा किए जाएं। लेकिन अभी छोटे रूप में वह काम चल रहा है। मुख्यतया रेशा कर्नाटक में पैदा होता है और वहां से हमारे यहां आता है। हर माह लगभग 25 टन रेशम कर्नाटक से और 25 टन इंपोर्ट किया जाता है।

1.00 म०प०

लेकिन कर्नाटक सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की बनी कि वहां पर जो रेशम के धागे का उत्पादन होता है, वह हमारे शहर को बहुत कम आ रहा है और कभी कभी उतना इंपोर्ट भी नहीं होता, जितना होना चाहिए, जिसका परिणाम यह होता है कि रेशम धागे का मूल्य आसमान छूने लगता है। कुछ दिन रेशम के धागे का भाव 400 रुपए प्रति किलोग्राम था लेकिन आज के दिन हमारे शहर में रेशम धागे का भाव 600 रुपए प्रति किलोग्राम, 650 रुपए प्रति किलोग्राम और अच्छे किस्म के रेशम धागे का भाव 700 रुपए प्रति किलोग्राम हो रहा है और संभावना यह है कि इसमें बराबर वृद्धि होती चली जाएगी। आज से दो, तीन वर्ष पहले यही स्थिति उत्पन्न हुई थी जब रेशम के धागे का भाव 800 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था और उस समय हमारे शहर में बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी इन दिनों भी बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बेकारी बढ़ रही है और इस भाव में रेशम खरीदकर करघे नहीं चल सकते और वे बन्द हो जाएंगे और जो कपड़ा तैयार होगा, उसके लिए कोई मार्केट नहीं रह जाएगा। तीन साल पहले जब यह संकट पैदा हुआ था, तो यहां पर केंद्रीय स्तर पर विचार-विमर्श हुआ और तत्कालीन कामर्स मिनिस्टर ने तुरन्त रेशम के धागे का इंपोर्ट किया और दो महीने के अन्दर भाव गिर गये थे और फिर बराबर गिरते रहे।

हमारा सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड इस काम को देखता है लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल सिल्क अखिल भारतीय स्वरूप खो चुका है। वह केवल एक या दो प्रदेशों की ही सिल्क की आवश्यकताओं को देखता है और उसी प्रकार की नीति का निर्धारण करता है और हम लोगों के प्रदेश को अपनी नीतियों से एकदम बाहर कर देता है। इसलिए इस संबन्ध में मेरा एक सुझाव है और यह सुझाव मेरा ही नहीं है बल्कि जो हमारा बनारसी साड़ी और बनारसी वस्त्र उद्योग संघ है, उसके जो दूसरे अधिकारी हैं, उनका भी यही सुझाव है और वे इस बात की इच्छा रखते हैं कि एक सिल्क बैंक की स्थापना की जाए। उन्होंने सरकार को लिखा है और मैंने एक पत्र उनके प्रतिवेदन के साथ भेजा है, जिसमें यह लिखा है कि जरूरत इस बात की आ गई है कि चाहे आल इण्डिया हैण्डलूम बोर्ड और चाहे सरकार एक सिल्क बैंक की स्थापना करे जिसमें देश के अंदर जो सिल्क पैदा होता है, वह सिल्क आए या जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वह भी उसमें रखा जाए और उस की एक दुकान हमारे शहर में रखी जाए। वह दुकान सभी कारीगरों को, जो उत्पादक हैं, सिल्क यार्न की बिक्री करे और बिचौलियों को बीच से हटा दिया जाए। अगर हम कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं कि यह उद्योग धीरे धीरे संकट में पड़ता जाएगा। बनारस में जो साड़ियां बनती हैं, जो सिल्क बनता है, वह देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर वे तत्काल ध्यान दें और जैसे भी हो, तुरन्त सिल्क यार्न वहां उपलब्ध कराएं और बाहर से भी अगर रेशम

का धागा मगाना पड़े, तो उसको मंगाएं ताकि उसका भाव नियन्त्रित हो सके। मैं यह नहीं कहता कि हर वक्त सिल्क यार्न को बेचा जाए बल्कि उसका एक बफर स्टाक बना ले और अगर बाजार में भाव ठीक है, तो उस पर रेशम बिकने दें लेकिन ज्यों हो बाजार में तेजी आ जाए और सिल्क यार्न के भाव बढ़ने लगें, तो सिल्क यार्न को बेचना शुरू कर दें ताकि भावों का बढ़ना रुक सके। आज जितना तैयार माल बाहर निर्यात करते हैं उसके बदले उसका रिपिलिनिसमेंट लाइसेंस मिलता है और उस लाइसेंस के एगेन्स्ट सिल्क यार्न इम्पोर्ट करते हैं और यह भी हुआ है कि लोगों का जितना पिछला एक्सपोर्ट था, उसको देख कर एडवान्स्ड लाइसेंस दे दिया जाता है। वे तमाम सिल्क यार्न मंगा कर जमा कर लेते हैं, जखीरेबाज सिल्क यार्न इकट्ठा कर लेते हैं और इस प्रकार से आर्टीफिशल बनावटी तरीके से कमी दिखा कर बाजार में मूल्य बढ़ा देते हैं और जो स्टाक जमा कर रखा है उसको फिर बेचना शुरू कर देते हैं और उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार सिल्क यार्न इंपोर्ट करे और सिल्क बैंक स्थापित करे। अगर सिल्क बैंक की स्थापना में विलंब हो तो तत्काल किसी-न-किसी प्रकार से सिल्क यार्न मंगा कर बेचना शुरू करे जिससे कि सिल्क यार्न का भाव गिरे। हमारे वाराणसी का प्रतिनिधि मंडल भी यहां आने वाला था लेकिन वह नहीं आ सका। इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि सिल्क यार्न की जो क्वालिटी हमें चाहिये और वह जितनी मिकदार में हमें चाहिए उतनी मिकदार में वह यहां आना चाहिए तब हमारी जरूरत पूरी हो सकेगी और फिर हमारे यहां सिल्क का उत्पादन पूरी मात्रा में हो सकेगी और फिर हमारे यहां सिल्क का उत्पादन पूरी मात्रा में हो सकेगा और उसे हम निर्यात कर सकेंगे।

एक बात मैं हेण्डलूम के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे देश में करोड़ों लोग हेण्डलूम में लगे हुए हैं। हमारे देश में हेण्डलूम में 6 हजार मिलियन मीटर कपड़ा बनना चाहिए था जिसमें से 3 हजार मिलियन मीटर कपड़ा हेण्डलूम में बनाया जाता है। हमारे देश में 50 लाख करघे हैं लेकिन इनके सामने भी बहुत बड़ा संकट है विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश में जहां कि शायद ही कोई ऐसा गांव हो या महत्व का ऐसा कस्बा हो जहां कि बुनकर न रहते हों। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का आर्थिक ढांचा इन हेण्डलूम के बुनकरों से बहुत प्रभावित है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। टेक्सटाइल की जो नई नीति बन रही है, मेरा विश्वास है कि उसमें इसको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

मान्यवर, बहुत दिनों से यह मांग रही है कि हेण्डलूम के लिए विशेष प्रकार के कपड़े नियत कर दिये जाएं जो कि हेण्डलूम में ही बनाये जाएं, पावरलूम में न बनाये जाएं। हेण्डलूम की मिल और पावरलूम से ऐसी प्रतिस्पर्द्धा है कि उसके मुकाबले में हेण्डलूम नहीं ठहर पाता है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हेण्डलूम के लिए कुछ कपड़े एकदम रिजर्व कर दिये जाएं जो न पावरलूम में बन सकें न मिल्स में बन सकें। इन्टरनल मार्किट के लिए भी यह जरूरी है कि हैण्डलूम के लिए कुछ कपड़े रिजर्व कर दिये जाएं।

हेण्डलूम और पावरलूम के कपड़े विदेशों में भी भेजे जाने चाहिए। पावरलूम में तो सिन्थेटिक फेब्रिक का भी प्रयोग हो सकता है। अगर वह इसका प्रयोग करे तो वह अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हेण्डलूम में काम करने वाले बुनकरों को उनकी जरूरत के इनपुट्स ठीक तौर से सप्लाई की जाएं ताकि उन्हें सूत वगैरह: की कमी न रहे। उसकी कमी की वजह से उसके भाव बराबर चढ़ते जाते हैं और वह ठीक भाव पर बुनकरों को नहीं मिलता है। जब सूत का भाव

तेज होता है तो विचौलिये उसका फायदा उठाते हैं। आपने कोआप्रेटिव्ज स्थापित की है लेकिन मैं समझता हूं कि कोआप्रेटिव्ज भी इस काम में सफल नहीं रही हैं। सरकार को सूत सीधे बुनकरों को देना चाहिए। और बीच में से विचौलियों को हटा देना चाहिए। बुनकरों को कर्जे देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

एक बात में मार्किटिंग के बारे में कहना चाहूंगा। जब तक हेण्डलूम के कपड़े की मार्किटिंग का इन्तज़ाम ठीक नहीं होगा तो उसके कपड़े की बिक्री नहीं होगी। हेण्डलूम कारपोरेशन के गोदामों में लाखों-लाखों मीटर कपड़ा पड़ा हुआ है। उसकी बिक्री नहीं हो रही है। यह एक बहुत बड़ा संकट देश में हेण्डलूम के सामने है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसके लिये विशेष व्यवस्था करें जिससे कि हेण्डलूम की मार्किटिंग के लिये जो संकट पैदा हो गया है वह दूर हो सके। वरना इसके बुनकरों को कोई फायदा नहीं होगा।

आप हेण्डलूम के कपड़े पर वर्ष में 60 दिन रिवेट देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना स्टाक आज गोदामों में जमा है उसके लिए अगर साल भर रिवेट दी जाये तो शायद उसकी बिक्री हो जाए और गोदाम खाली हो जाए।

आपने छठी पंचवर्षीय योजना में यह कहा था और इसमें भी यह कहा है कि बुनकरों को रहने के लिये मकानों की व्यवस्था की जायेगी। चूंकि शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिये वहां उनके रहने के लिये जमीन नहीं है। इसलिये उनको बसाने के लिये विशेष कालोनीज बनानी चाहिये ये कालोनीज बनाने के लिये टेक्सटाईल विभाग और भारत सरकार विशेष व्यवथा करे ताकि उनको पैसा मिल सके और उनके मकान बन सकें।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कपड़ों का रिजर्वेशन दिया जाये। कपड़ों की जो प्रतियोगिता है उसमें हेण्डलूम के मुकाबले में पावरलूम में इतना अंतर हो गया है कि हैण्डलूम का उसके आगे टिकना मुश्किल हो रहा है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में एक स्टडी ग्रुप बना था और उसने सुझाव दिए थे, उन सुझावों को मैं कोट करना चाहता हूं —

[अनुवाद]

> "ग्रुप ने आगे अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी करते हुए कि हथकरघा क्षेत्र में निम्नलिखित किस्म के वस्त्र बनाए जा रहे हैं, प्रस्ताव रखा था कि उन्हें इसी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा जाए। वे वस्त्र इस प्रकार है : कम से कम तीन किस्म का गद्दे का कपड़ा कुछ किस्म की धोती तथा साड़ियां, सूती तथा स्टैपल लुंगियां कई किस्म का पर्दे का कपड़ा तथा चादरें, रोएंदार कालीन, दरियां, जेकार्ड चादरें, रंगीन तंतु (सिथेटिक रंगीन तंतुओं को छोड़कर) से बने सभी तरह के कपड़े, टैरी तौलिये तथा गमछे।"

[हिंदी]

ये ऐसी चीजें हैं जो हैण्डलूम सैक्टर के लिए रिजर्व की जा सकती हैं। अन्त में दो बातों को जो इस विभाग से संबन्धित हैं, संक्षेप में कहना चाहता हूं। इस विभाग में कस्टोडियन आफ एनिमी प्रापर्टी का दफ्तर बम्बई और कलकत्ता में है। मुझे वाराणसी के एक बुजुर्ग पत्रकार की प्रापर्टी के सिलसिले में अवसर मिला था, इस विभाग में लगभग 35-40 हजार आवेदन पत्र पड़े हैं, उनको निपटाने में बीसियों साल लग जाएंगे। इससे जिन लोगों को फायदा होने वाला है, उनकी अधिकांश की उम्र 50,55,60 साल से ऊपर हो रही है इसलिए इस काम को जल्दी निपटाने का कोई विशेष प्रबंध करें। कस्टोडियन आफ एनिमी प्रापर्टी के पास जो मुकदमे पड़े हैं, उनको शीघ्रता से

निपटाया जाए और कोई टाइम लिमिट निर्धारित की जाए। इन शब्दों के साथ मैं मांग का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री आर० प्रभु (नीलगिरि) : महोदय, मैं इस सम्माननीय सदन के समक्ष मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत का योगदान हर साल कम होता जा रहा है। 1970 में विश्व-व्यापार में हमारी प्रतिशतता .65% थी और आज 5 प्रतिशत से भी कम है। यह प्रतिशतता मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों के विश्व-व्यापार प्रतिशतता से भी कम हैं।

मेरे राज्य तमिलनाडु में अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरह अपना निर्यात क्यों नहीं बढ़ा सकता। इसका उत्तर बड़ी आसानी से दिया जा सकता है लेकिन मालूम नहीं कि इस दिशा में स्थिति में सुधार हेतु कितनी कार्रवाई की जाएगी।

विश्व में दो शक्तिशाली गुट हैं। एक का नेतृत्व अमरीका जापान तथा दूसरे का सोवियत संघ-पूर्वी यूरोप के देश करते हैं। भारत पारम्परिक रूप से गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का पालन करता है। हम महाशक्तियों के प्रति एक तटस्थ रवैया अपनाया है और किसी भी महाशक्ति की ओर अधिक झुकाव किए बिना उनके साथ एक से सबंध रखे हुए हैं हम सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात कर लगे हैं। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े उद्धत करूंगा। इनके साथ हमारा व्यापार हर साल बढ़ता जारहा है। 1970-71 में उन्हें 304 करोड़ रुपए लागत का निर्यात तथा 238 करोड़ रुपए लागत का आयात किया गया। 1983-84 में 1563 करोड़ रुपए लागत का निर्यात तथा 2392 करोड़ रुपए लागत का आयात किया गया। इनके साथ हमारे व्यापार संबंध अच्छे हैं और उन्हें काफी चाय कपड़ा, चमड़ा, ऊनी वस्तुएं जैसे पारम्परिक सामान तथा इंजीनियरी वस्तुएं तथा खाद्यान्न जैसी गैर पारम्परिक वस्तुएं भी निर्यात की जाती हैं। हम यह नीति अपनाई है कि पूर्वी यूरोप के देशों के साथ किए जाने वाले व्यापार में भुगतन रुपयों में किया जाएगा। ऐसा करके हम अमरीकी डालर की उच्च कीमतों में आने-वाले उतार चढ़ाव से मुक्त हो गए हैं। लेकिन महोदय, हम पश्चिमी ओ०ई०सी०डी० देशों के साथ अपना निर्यात नहीं बढ़ा पाए हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए यहां मैं कुछ आंकड़े उद्धत करूंगा। 1970-71 में इन देशों के साथ हमने 769 करोड़ का निर्यात और 1042 करोड़ रुपए का आयात किया। और 1983-84 में 3462 करोड़ रुपए लागत का निर्यात तथा 8099 करोड़ रुपए लागत का आयात किया। हम पश्चिमी देशों तथा अमरीका के साथ उस तरह के व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं कर पाए हैं जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे-छोटे देशों ने उनसे स्थापित कर लिए हैं। सभी जानते हैं कि अमरीका एक पक्षपात करने वाला खरीददार है। उसकी क्रय शक्ति अधिक है तथा उस क्रय शक्ति को उस अपनी विदेश नीति का एक मोहरा बनाया हुआ है। सभी जानते हैं कि अमरीका के दक्षिण कोरिया सिंगापुर मलेशिया आदि सभी एशियाई देशों में आर्थिक रक्षा संबंधी स्वार्थ निहित हैं। अमरीका द्वारा ऐसा अनुकूल व्यवहार करने के कारण ही ये देश इतना अधिक निर्यात कर. में समर्थ हो सके हैं। इन राज्यों को अमरीका की बाह्य चौकियां या उनके ग्राहक राज्य ही माना जाना चाहिए। देश के निर्यात निष्पादन के संबंध में निर्णय लेते समय विदेश नीति के समक्ष पेश आने वाली इन आधारभूत कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इसी कारण, गुटनिरपेक्ष देशों के साथ हमारे बढ़ते संबंध तथा दक्षिण-दक्षिण संबंध बहुत महत्व रखते हैं। विश्व को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है : (1) आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से समर्थ राष्ट्र (2) ऐसे देश जिनकी अर्थ व्यवस्था तो मजबूत नहीं है लेकिन जो प्रौद्योगिकी की दृष्टि से समर्थ है जैसे भारत (3) ऐसे देश जो आर्थिक दृष्टि से समर्थ हैं लेकिन प्रौद्योगिकी की दृष्टि से समर्थ नहीं है जैसे अरब देश और (4) तृतीय विश्व के कुछ ऐसे देश जो आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी दोनों दृष्टि से समर्थ नहीं हैं।

महोदय अधिकतर दक्षिणी देशों ने उच्च प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में हमारी तरह उन्नति नहीं की है। लेकिन आयात का भुगतान, पैट्रो डालर काफी हो के कारण कर देते हैं। महोदय, भारत के पास विशाल तकनीकी जनशक्ति है। हम इस जनशक्ति को बाहर भेज तथा निर्माण और इंजीनियरी उद्योगों में 'टर्न की' परियोजनाएं शुरू करने की स्थिति में हैं। महोद्रय दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से हम विकासशील देशों को विकसित कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। यह बात इसलिए अधिक प्रासंगिक है क्योंकि दक्षिण अमरीका तथा लेटिन अमरीका के देशों में व्यापार अभी फैला नहीं है इसलिए कृषि और संभवत: 'टर्नकी' औद्योगिक परियोजनाओं में भी हम इन देशों के साथ सहयोग कर सकते हैं। गुट निरपेक्षता तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग की हमारी इस नीति के कारण अमरीका से हमारा व्यापार कम हो सकता है अत: हमें अपनी विदेश नीति में इन आधार भूत कठिनाइयों को ध्यान में रखकर निर्यात बढ़ाना होगा। 1983-84 में कुल 9868 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात तथा 15,763 करोड़ रुपए लागत का आयात किया गया। अर्थात् व्यापार असतुलन में 6000 करोड़ रुपए का अन्तर हुआ। वास्तविक घाटा तो वैसे 5996 करोड़ का हुआ है। अत: इस घाटे को कम करने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए और निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं माननीय वित्त तथा वाणिज्य मंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं जो उन्होंने आयात निर्यात के संबंध में एक नीति वक्तव्य में दिया था। यह नीति हमारे युवा तथा गतिशील माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पद ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा घोषित की गई निरन्तरता तथा परिवर्तन की नीति की पुष्टि करती है। आयात-निर्यात संबंधी यह नीति कुछ मदों को लाइसेंस की एक श्रेणी से हटा कर दूसरी श्रेणी में लाने के लिए ही नहीं है बल्कि इसके द्वारा उद्योग सरकारी नीतियों के अनुसार अपनी आन्तरिक नीतियां तैयार कर सकेंगे। इसीलिए नीति संबंधी वक्तव्य में तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। यही बात वित्त मंत्री के बजट भषाण में भी देखी जा सकती है जिसमें उन्होंने दीर्घ कालीन वित्तीय नीति की जरूरत पर जोर दिया है। खासकर आयात-निर्यात् नीतियों की प्रक्रियाओं में जो सरलता लाई गई है वह और खासकर वास्तविक उपयोगकर्ता जिस आसानी से कच्चा माल आयात कर सकते हैं तथा आयात निर्यात पास बुक योजना लागू की गई है प्रशंसनीय है।

माननीय वित्त मंत्री, जिन्होंने इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग में इतनी रुचि ली है से मेरा अनुरोध है कि वे इस पास बुक योजना को कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रणाली में भी लागू करें ताकि काम जल्दी हो पुरानी फाइलें नहीं ढूंढनी पड़े तथा समय अधिक न लगे। मेरी कामना है कि व्यवसायी वर्ग को जो अवसर दिया गया है, उसके बदले में वे आयात-निर्यात व्यापार में एकीकरण की उच्च भावना का परिचय दें। वास्तव में इस समय सरकार तथा व्यावसायिक वर्ग के मध्य सहयोग का अभाव है इसे सहायता तथा मार्ग दर्शन द्वारा दूर किया जा सकता है। सबसे

अधिक उन्नति कर रहे एशियाई देश जापान की अर्थ व्यवस्था की विशेषता ही यही है। निर्यात वढ़ा ा की दिशा में जापान ने एक मिसाल कायम की है। लेकिन जापान के बारे में शायद ही लोग जानते हों कि जापान की आंतरिक अर्थ व्यवस्था बहुत अधिक विनियमित है। जापानी अर्थ व्यवस्था को अगर बहुत करीब से देखा जाए तो पता चलेगा कि वहां उनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय जापान में व्यवसाय को बढ़ा ा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वह जापानी उद्योगों को निर्देश दे । के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है।

मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि वाणिज्य मन्त्रालय का विकास भी उसी प्रकार से हो जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालय का हुआ है तथा हमारे निर्यात को प्रोत्साहित कर ा में सहायता करें।

महोदय, एक माननीय सांसद का भाषण तब तक पूरा नहीं होगा तब तक वह अप निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं बोलता। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात नीलगिरी, तमिलनाडु में बड़े बड़े चाय बागान हैं। वास्तव में सन् 1983-84 में चाय का निर्यात 501 करोड़ रु० की राशि से भी अधिक था। चाय में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 28.61 प्रतिशत है जो कि किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा सबसे अधिक है। चाय उद्योग के बारे में जिस चीज का शायद अधिक पता नहीं है वह यह है कि चाय उद्योग बहुत अधिक रोजगार उत्पन्न कर वाला उद्योग है। चाय उद्योग में लगभग एक 10 लाख लोग कार्य करते हैं। केवल मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में इस उद्योग में एक लाख लोग कार्य करते हैं। सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से असंख्य महिलायें इस उद्योग में कार्य करती हैं तथा इस उद्योग में काम कर ा वाले लगभग 50 प्रतिशत श्रमिक, महिलायें ही हैं। हमारी प्रिय स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सन् 1671 में यह घोषणा की थी कि चाय उद्योग में पुरुष तथा महिला श्रमिक दोनों को समान वेतन दिया जाना चाहिए। चाय उद्योग ने बहुत अधिक लाभ कमाया है तथा अब इसे और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना है क्योंकि इसे सरकार की सहायता प्राप्त है तथा वित्त मन्त्री ने भी अपने हाल के बजट भाषण में ऋण आदि के चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए ऋण और रियायतें दी हैं। दुर्भाग्यवश, यह सच है कि चाय उद्योग में श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है तथा उनके काम कर की दशा दयनीय है। चाय उद्योग में प्रतिश्रमिक औसतन उत्पादन 900 किलोग्राम प्रति वर्ष है जो पैसे की दृष्टि से लगभग 27000 रु० है। चाय उद्योग प्रपिवर्ष 4800 रु० प्रति श्रमिक देता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के निगम प्रतिवर्ष औसतन 20,000 रु० प्रति श्रमिक देते हैं। मेरे पड़ोसी जिले, अर्थात् कोयम्बटूर, में कपड़ा-उद्योग श्रमिक को वेतन के रूप में 40 रु० प्रतिदिन मिलता है जबकि चाय उद्योग में एक श्रमिक को प्रतिदिन 15 रु० से भी कम वेतन मिलता है। अत: महोदय, देश में विभिन्न उद्योगों की वेतन-प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इस पर विचार करें कि क्या वह चाय उद्योग के श्रमिक के न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर सकते हैं तथा उनके काम कर की दशा में सुधार कर सकते हैं। यह विशेष रूप से 10 करोड़ रुपए से अधिक के चाय-बागानों में किया जाना चाहिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिणी दिल्ली) : सभापति महोदय, टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज की हालत आज पूरे हिन्दुस्तान में काफी खराब है। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे अहमदाबाद की हो या

बम्बई की बात हो, सब जगह यह देख में मिल रहा है कि मिलें या तो बन्द हो रही हैं या वहां पर लॉक-आउट हो रहा है, हजारों मजदूरों को रिट्रेंच किया जा रहा है। इसलिए इस बात की आज बड़ी सख्त जरूरत है कि सरकार इसके बारे में सोचे, इसके कारण जाने कि कपड़ा मिल उद्योग जो कि हिन्दुस्तान का सबसे पुराना उद्योग है, और मैं समझता हूं कि इसी इण्डस्ट्री की वजह से देश के बड़े-बड़े उद्योग पतियों ने यहाँ से करोड़ों रुपया कमाकर दूसरे कारखाने लगाए, दूसरी बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज खड़ी कीं, लेकिन आज वही टैक्सटाइल इण्डस्ट्री स्वयं इस समय बड़े नाजुक दौर में से गुजर रही है।

जहां तक मैंने देखा है, मैंने इसके कारण समझने की कोशिश की, उसमें मुझे एक सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिल रहा है वह यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर छोटे-छोटे जो हमारे शेड लूम वीवर हैं जिन्हों दस-दस, बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस लूम्स अपने घरों में लगा रखे हैं, छोटी-छोटी जगहों में लगा रखे हैं और वहां पर वे बहुत सस्ता कपड़ा बुनते हैं, जिसकी वजह से आज कोई कपड़ा मिल का मालिक अपनी मिल के अन्दर कपड़ा बनाने को तैयार नहीं है। क्योंकि सरकार की जो नीति है छोटे लूम वीवर्स के लिए, वह यह है कि सरकार उन्हें बहुत कन्सेशंस दे, जिसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी बहुत कम है। इस कारण इनमें इतना सस्ता कपड़ा बनाया जा सकता है कि उस कीमत पर बड़ी-बड़ी टैक्सटाइल मिलों में वह कपड़ा नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए कपड़ा मिल के मालिक सिर्फ रुई बनाना चाहते हैं, यार्न बनाना चाहते हैं, लेकिन कपड़ा नहीं बनाना चाहते हैं।

दिल्ली के अन्दर ही एक कपड़ा मिल है जिसका नाम बिरला मिल है। उसमें पिछले तीन सालों से कपड़ा नहीं बन रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनका नाम कपड़ा मिल है, लेकिन उस कपड़ा मिल में पिछले तीन सालों में एक मीटर भी कपड़ा नहीं बनाया गया है। जो वीविंग डिपार्टमेंट है, उसको बन्द कर दिया गया है, मशीनों को बन्द कर दिया गया है और जो स्पीनिंग डिपार्टमेंट है, जो यार्न पैदा करता है, रुई पैदा करता है, वह चल रहा है। रुई को बाजार में बेचा जाता है क्यों कि रुई के अन्दर ज्यादा दाम मिलते हैं, ज्यादा मुनाफा मिलता है और कपड़ा जो छोटे-छोटे लूमवीवर्स टैक्सटाइल मिलों में सस्ता बनाते हैं और टेक्सटाइल मिल में अगर उसको बनाया जाए, तो वह मेंहगा पड़ेगा इसलिए कपड़ा बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए वे क्या करते हैं कि छोटे-छोटे लूम वीवर्स से कपड़ा खरीद कर वे अपनी मिल में लाते हैं और अपनी मिल की मुहर लगाते हैं और उसको डाइंग करके, बाजार में बेचते हैं। इस प्रकार इस समय यह एक बहुत बड़ी चुनौती छोटे-छोटे लूम वीवर्स और टैक्सटाइल मिल में है।

मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि जो कन्सेशन्स छोटे-छोटे लूम वीवर्स को दिए गए हैं, वे बन्द कर दिए जाएं या जो पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर लगभग 6 लाख छोटे-छोटे लूम वीवर्स हैं, या मजदूर हैं, जो इन शेड्स के अन्दर काम करते हैं, उनको बेकार कर दिए जाएं। मैं यह भी नहीं चाहता कि जो टैक्सटाइल इन्डस्ट्री है, पूरे हिन्दुस्तान में जो वीविंग डिपार्टमेंट है, उसमें लगभग तीन लाख लोग काम करते हैं, इन तीन लाख लोगों को बचाने के लिए उन 6 लाख लोगों की रोजी-रोटी छीन ली जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार को अपनी एक नीति बनानी पड़ेगी, एक पॉलिसी बनानी, पड़ेगी ताकि वे 6 लाख भी जिन्दा रहें और ये 3 लाख भी जिन्दा रहें। इस के लिए यह जरूरी है और मैं चाहूंगा कि आज हमारे टैक्सटाइल मिनिस्टर और कॉमर्स दोनों मिनिस्टर, दोनों यहां मौजूद हैं, उनसे कि वे कोई ऐसी नीति बनाएं, कोई ऐसी पॉलिसी

बनाएं जिससे कि जो छोटे-छोटे लूम वीवर्स हैं, वे ऐसा कपड़ा बनाएं जिसे गरीब लोग खरीदते हैं जिसे आम मजदूर खरीदें और जो बड़ी-बड़ी टैक्सटाइल मिल्स हैं, इनको कहा जाए कि ये फाइन क्लॉथ बनाएं, ताकि आपस में कोई क्लैश न हो, कोई झगड़ा न हो और एक दूसरे के मार्केट पर कोई बुरा असर न पड़े, ताकि छोटी और बड़ी दोनों इण्डस्ट्रीज जिंदा रहें।

मैं यह समझता हूं कि आज जो हालत चल रही है, इसके अन्दर सरकार को आगे बढ़-कर यह फैसला करना पड़ेगा कि पूरे हिन्दुस्तान की टैक्सटाइल इन्डस्ट्री को सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और आज ऐसा वक्त भी आ चुका है। आज जो सबसे पुरानी कपड़ा इण्डस्ट्री है उसके ऊपर काले बादल छाए हुए हैं और उसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि सरकार को इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

मैं, माडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं। इस समय जो पुरानी इण्डस्ट्रीज हैं, आप उनका अध्ययन करें, उनकी स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि इन टैक्सटाइल मिलों से करोड़ों रुपयों का मुनाफा इन उद्योगपतियों ने, जो बड़ी-बड़ी कपड़ा मिलें चलाते हैं, इन्होंने इन उद्योगों से निकाला है।

करोड़ों रुपया टैक्सटाइल इण्डस्ट्री से निकालने के बाद दूसरी इण्डस्ट्रीज में लगा दिया। उन्होंने उसको टाइमली माडर्नाइज नहीं किया, उन पर पैसा खर्च नहीं किया गया और उस पैसे को लेकर पूरे मुनाफे के साथ उन्होंने जगह-जगह पर अपने उद्योग बनाये, जिसके कारण ये मशीनें पुरानी पड़ गईं। 25,30,40 साल के बाद आज वह माडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसका मतलब यह हुआ कि हजारों मजदूरों की छंटनी होगी।

सरकार को चाहिये कि पूरे हिन्दुस्तान की जितनी भी ट्रेडयूनियन्स हैं, उनको बुलाकर कहे कि हम इस इण्डस्ट्री को अपने हाथ में लेने को तैयार हैं, लेकिन हम इसका माडर्नाइजेशन करना चाहते हैं अगर सरकार अपनी राय, अपनी मन्शा पूरी जिम्मेदारी के साथ हिन्दुस्तान की तमाम ट्रेड यूनियन के सामने रखे कि वह इन तमाम टैक्सटाइल मिलों का माडर्नाइजेशन करना चाहती है, उसमें मुनाफा हो, नुक्सान न हो, लेकिन उसके साथ-साथ मजदूरों को गारन्टी भी दे, विश्वास दिलाये कि एक भी मजदूर की छंटनी नहीं की जायेगी तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि तमाम ट्रेड यूनियन्स सरकार की मदद करने के लिये तैयार होंगी, हिन्दूस्तान की इन्डस्ट्री को बचाने के लिये तैयार होंगी।

लेकिन दुःख इस बात का है कि बम्बई में 16 टैक्सटाइल मिलों को टेक-ओवर किया गया है जो कि नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के अन्दर आती हैं, उसमें मजदूरों की छंटनी की जाती है। अगर यह बिरला करता, टाटा करता, चरत-राम भरत राम करते या कोई और उद्योगपति करता तो बात समझ में आ सकती थी, क्योंकि उन्होंने मजदूरों का खून चूसकर अपना काम कर लिया है, लेकिन सरकार पहले टैक्सटाइल मिलों को टेक-ओवर करती है और उसके बाद हजारों मजदूरों की छंटनी करती है, यह पॉलिसी गवर्नमेंट की मेरी समझ में नहीं आती है।

मैं चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की जो सबसे पुरानी टैक्सटाइल इण्डस्ट्री है, इसको बचाना चाहिये। अगर इसे हम उद्योगपतियों के जिम्मे छोड़ देंगे तो यह इण्डस्ट्री कभी बच नहीं सकती है। दिल्ली में दिल्ली क्लाथ मिल, हिन्दुस्तान में शायद 100 साल पुराना मिल है, आज उसको बन्द करने का नोटिस दे दिया गया है। जुलाई में बन्द किया जायेगा। 18 हजार मजदूर उसमें काम करते हैं, 50 हजार लोग उस कालोनी में रहते हैं मजदूरों के साथ जो कि उनके परि-

वार के हैं। पहले दिल्ली क्लाथ मिल बन्द होगा, फिर बिड़ला मिल बन्द होगा और फिर स्वतंत्र भारत मिल बन्द होगा। आज कोई भी कपड़ा मिल का मालिक इन मिलों को चलाना नहीं चाहता है क्योंकि इनमें करोड़ों रुपया मुनाफा वह निकाल चुके हैं, जो कुछ उसमें था, उसे वह चूस चुके हैं और जो बचा हुआ है, उसको अप कन्धों पर लेना नहीं चाहते हैं। अब वह इन मिलों को गिराकर वहां कर्मशियल हाउसेज, कर्मशियल बिल्डिंग्ज बनाना चाहते हैं। मेरा कहना है कि इससे पहले कि इन उद्योगपतियों के हाथ इन कपड़ा मिलों पर पड़ें और वहां आलीशान बिल्डिगें बना दी जायें, मजदूरों को सड़क पर ला दिया जाये, सरकार इन टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज को अप हाथ में ले और यह नीति बनाये, ट्रेड यूनियन्स को कहे कि हम इनका माडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं ताकि हमारा कपड़ा विदेशों में बिके और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आये। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की ट्रेड यूनियन्स सरकार की मदद करेंगी, लेकिन सरकार को विश्वास दिलाना होगा कि सरकार की नीति एम्प्लायमेंट दे की रोजगार दे। की है मजदूरों की छंटनी नहीं की जायेगी। कोई रिट्रेंन्चमेंट नहीं होगी जैसी कि बम्बई में की गई है।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि भारत की जो सबसे पुरानी इण्डस्ट्री है, सरकार उसको बचाये और ऐसी पालिसी बनाये जिससे जो छोटे-छोटे लूम वीवर्स हैं जिनकी संख्या 6 लाख है जो कपड़ा बना रहे हैं और दूसरी तरफ 3 लाख मजदूर टैक्सटाइल मिल में हैं वह अपने रोजगार में लगे रहें। आज जो कपड़ा मिल बना रहे हैं, वह मंहगा है, आज उसको कोई खरीदने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार को चाहिये कि ऐसी पालिसी बनाये कि जो 6 लाख छोटे लूम वीवर्स हैं, वह मोटा कपड़ा टैक्सटाइल इण्डस्ट्री को बनाने के लिये कहा जाये ताकि दोनों का आपस में क्लेश न हो, दोनों का झगड़ा न हो और दोनों इण्डस्ट्री जिन्दा रहें और हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी इण्डस्ट्री को बचाया जा सके

[अनुवाद]

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुझा) : हमें आजादी मिल चुकी है, परन्तु, दुर्भाग्यवश केरल राज्य में, जो दिल्ली से बहुत दूर है, हम अभी भी उपनिवेशी जीवन व्यतीत कर रहे है। हम जिस किसी भी कृषि की वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, सरकार इन सभी चीजों का आयात करने का प्रयास कर रही है तथा काश्तकारों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दे रही है। आसाम वर्षों तक उपेक्षित रहा तथा सरकार को आसाम आंदोलन का सामना करना पड़ा। अब, समस्त धनराशि उत्तर-पूर्व राज्यों को उनके विकास के लिए भेजी जा रही है। केरल का एक छोटा-सा राज्य कितनी विदेशी मुद्रा कमा रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हम इलायची बेच रहे हैं, हम रबड़ का उत्पादन कर रहे हैं, हम चाय का उत्पादन कर रहे हैं। फिर हम कोका, रबड़ तथा नारियल का उत्पादन करके बहुत मात्रा में विदेशी मुद्रा को बचा रहे हैं तथा नारियल के तेल की दशा देखिए।

हिन्दुस्तान लीवर या टाटा आयल कम्पनी के कुछ लोग यहां हैं। वे भारत सरकार को अधिक मात्रा में तेल का आयात करने के लिए मजबूत कर रहे हैं। भूमि-सुधारों के बाद, केरल राज्य के पास केवल बहुत ही सीमांत तथा छोटे फार्म हैं जिनकी भूमि एक एकड़ से भी कम 20 या 30 सेंट है। पिछले वर्ष हमें जो भी कीमतें मिली थीं हमें उनसे अब 50% दाम कम मिले। नारियल का तेल बहुत मात्रा में आयात किया जाता है तथा वितरित किया जाता है। दो वर्ष

पहले हमने केरल में सूखा की बहुत गंभीर स्थिति का सामना किया तथा उस सूखा ग्रस्त स्थिति के कारण बहुत से बागान नष्ट हो गए। दीर्घ कालीन काश्तकारी के लिए हम काली मिर्च, रबड़, नारियल तथा इलायची का उत्पादन कर रहे हैं। इन फसलों से आय प्राप्त होने में 5-10 वर्ष का समय लग जाएगा। उत्तर में कृषि बिल्कुल भिन्न है। वे कृषि में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं। यदि उन्हें मूंगफली की लाभकारी कीमत नहीं मिलती तो वे गेहूं, या चावल बोना शुरू कर देंगे अर्थात वे आसानी से इसे बदल सकते हैं। परन्तु दीर्घकालीन कृषि जैसे नारियल, आदि में आय होने में 8-10 वर्ष का समय लग जाता है। यदि किसानों को अच्छे दाम अर्थात उचित दामों का आश्वासन न दिया जाए तो वे उस प्रकार की खेती करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए, भारत सरकार को दीर्घकालीन खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए। केरल राज्य बहुत छोटा है परन्तु यह हमारे देश में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। मौसम के शुरू में रबड़ की कीमत देखिये। मौसम के शुरू में, कीमत लगभग 19 रुपये प्रति किलो थी। परन्तु मौसम के आने पर दूसरी ओर के लोगों के दबाव के कारण हमने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रबड़ का आयात किया तथा वितरण किया। कीमत 19 रु० से गिरकर 14 रु० हो गई।

90 प्रतिशत रबड़ किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम भूमि है। मैं विशेष रूप से ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग 50 प्रतिशत रबड़ के उत्पादन करने वाले लोग मेरे ही निर्वाचित क्षेत्र से हैं। वे स्वयं ही इसकी खेती करते हैं। वे बहुत ही ईमानदार लोग हैं। वे सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं तथा रबड़ की खेती से अपनी प्रतिदिन की आय कमाते हैं दुर्भाग्यवश, कीमतें गिर गई हैं तथा मौसम के आने पर राज्य व्यापार निगम ने आयात किये गये रबड़ को वितरित कर दिया है तथा जिसके कारण उन्हें बहुत धक्का लगा है।

दो वर्ष पहले सूखा के कारण बहुत से रबड़ के पेड़ नष्ट हो गए थे तथा सरकार ने कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया। रबड़ या उत्पाद शुल्क तथा उपकर के कारण रबड़ बोर्ड के पास काफी पैसा है। परन्तु क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी के कारण निरीक्षण ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है तथा हमें राजसहायता भी नियमित रूप से नहीं मिल रही है।

पिछले वर्ष, हमारे माननीय मन्त्री आए थे तथा उन्होंने कोट्टायम में रबड़ बोर्ड के भवन का शिलान्यास किया। परन्तु, दुर्भाग्यवश, मजूरी नहीं दी गई तथा निर्माण-कार्य की लागत बढ़ रही है। मुझे नहीं पता कि दोबारा निविदा कब मांगे जाएंगे तथा कार्य कब शुरू होगा। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह शीघ्र ही रबड़ बोर्ड के भवन के निर्माण का कार्य शुरू कराएं।

जायफल तथा लौंग जैसी विलासिता की वस्तुएं इस देश में आयात की जाती हैं। हम अपनी विदेशी मुद्रा को क्यों नष्ट करें? वे खाने में जायफल, लौंग या काजू डालकर पुडिंग तथा बिरयानी का आनन्द क्यों लें? हमारे गरीब देश भारत ने विदेशी मुद्रा के लिए संघर्ष किया है। हम जायफल तथा लौंग के आयात के लिए अपनी विदेशी मुद्रा को क्यों नष्ट करें? मैं यह बात समझ नहीं पाया।

औषधि तथा पेट्रोलियम उत्पाद वस्तुओं के लिए हम बहुत मात्रा में विदेशी मुद्रा खो देते हैं। इसीलिए मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह इन वस्तुओं का यहां उत्पादन करके इस विदेशी मुद्रा को बचायें।

अब, दीर्घकालीन कृषि की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। इस देश में अन्य स्थानों की अपेक्षा केरल में श्रमिकों की मजदूरी सबसे अधिक है।

केरल राज्य श्रमिकों को अधिक मजदूरी दे रहा है तथा उन्हें, अधिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए वहां किसान को उचित कीमत अवश्य मिलनी चाहिए। परन्तु, दुर्भाग्यवश, कीमतों में उतार-चढ़ाव बहुत अधिक हो रहा है। एक दिन कीमत 20 रु० प्रति कि० ग्राम होगी तो अगले दिन या एक सप्ताह बाद यह कीमत गिर जाती है। लोग इस पर निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि वे सभी गरीब काश्तकार हैं।

केरल में चावल की खेती सफल नहीं है। नारियल के पेड़ जड़ के रोग से ग्रस्त हैं। नारियल के लिए भी उचित कीमत मिलनी चाहिए। नारियल के लिए भी न्यूनतम कीमत निर्धारित की जानी चाहिए। रबड़ की कीमतें भी लाभकारी नहीं हैं। आयात किए गए रबड़ की कीमत भारत में उत्पादित रबड़ की अपेक्षा 50 से 60 प्रतिशत अधिक होनी चाहियें। किसानों को रबड़ के लिए एक किलोग्राम पर 14 रु० कम मिल रहे हैं। इन सभी बातों पर विचार करते हुए, मैं समझता हूं कि और अधिक कीमत देने की काफी गुंजाइश है।

अब, अन्य राज्य भी रबड़ का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे—उड़ीसा, उत्तर-पूर्वी राज्य, कोंकण क्षेत्र तथा कर्नाटक के कुछ हिस्से। इसीलिए रबड़ के उत्पादन की पूरी-पूरी गुंजाइश है। रबड़ की खेती के लिए सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

पहले रबड़ बागान पर छिड़काव करने के लिए राजसहायता दी जाती थी। परन्तु यह अब समाप्त कर दी गई है। मुझे इसका कारण नहीं पता। यदि मौसम में छिड़काव ठीक तरह से नहीं किया जाता है तो इससे समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। इसीलिए, मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि रबड़ बागान में छिड़काव करने के लिए राज-सहायता फिर से देनी शुरू की जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 90 प्रतिशत किसान छोटे तथा सीमांत हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : डा० वी० एम० राजहंस।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति जी, मैं कामर्स और सप्लाई मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं वाणिज्य मंत्री जी की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पालिसी की चर्चा करूंगा। मेरे खयाल से आजादी के बाद इतनी अच्छी पालिसी कभी नहीं आई। इस पालिसी में सबसे अच्छी बात तो यह हुई कि तीन वर्षों के लिए लोग निश्चिन्त हो गए कि सरकार की नीति क्या होगी। कंप्यूटर इम्पोर्ट को आसान बनाया गया और एक्सपोर्टर के लिए कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट करना आसान हो गया। एक बड़ी बात यह हुई कि टर्न-की प्रोजेक्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स में, जिन्होंने कैपिटल गुड्स खरीदे हुए थे विदेशों में, उनको वे आसानी से ओ०जी०एल० में हिन्दुस्तान ला सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी बहुत सी सुविधायें दी गईं तथा और भी अनेक बातें की गई हैं। लेकिन एक बड़ी भयानक भूल भी हुई है। इस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पालिसी में जाने या अनजाने, इस पालिसी में, जो फोटो कम्पोजिंग था, उसको ओ०जी०एल० से निकाल दिया गया है। एक ओर आप कहते हैं कि आप देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाना चाहते हैं लेकिन अनजाने में आप इसको 14 वीं सदी में ले जा रहे हैं।

मैं नहीं कह सकता कैसे यह बात हुई। या तो कोई ब्यूरोक्रैटिक भूल हुई होगी या और कोई बात हुई होगी क्योंकि आज के जमाने में जो अखबार से थोड़ा सम्बन्ध रखता है, प्रिंटिंग टेक्नालाजी से जिनका थोड़ा सा भी सम्बन्ध है वे समझ सकते हैं कि बिना फोटो कम्पोजिंग के कोई अखबार या कोई किताब का उद्योग कैसे चलेगा। यदि आप थोड़ा सा समय दें तो मैं बताऊं कि ट्रेडीशनल एक्सपोर्टस का मार्केट आपका खराब हो रहा है। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि आपको आज या कल नान-ट्रेडीशनल एक्सपोर्टस में जाना होगा और उसका एक बड़ा एरिया आपके पास है बुक एक्सपोर्ट का। बाहर से लोग मेनुस्क्रीप्ट टाइप कराकर भेजते हैं, वह यहां फोटो कम्पोजिंग में कम्पोज होता है और आफ-सैट में प्रिन्ट होता है और धड़ल्ले से एक्सपोर्ट होती हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात का पता लगा लें। यदि आप ओ जो एल से फोटो कम्पोजिंग को निकाल देंगे, तो लोग किस तरह कम्पोज करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप इस से देश को कहां ले जाना चाहते हैं। अखबारों में बड़े जोरों से चर्चा है कि ओ जी एल से फोटो कम्पोजिंग को निकाल देंगे, इससे जाहिर होता है कि आप प्रेस की आजादी को खत्म करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा विचार माननीय मंत्री महोदय का नहीं है और यह शायद अनजा में हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि ओ जी एल में फोटोकम्पोजिंग को फिर से डाला जाए। इसी प्रकार पिछले साल भी ब्यूरोक्रैटिक भूल से आफसैट प्रिन्टिंग की बड़ी मशीनों को ओ जी एल से निकाल दिया गया था। माननीय मंत्री जी से लोगों . निवेदन किया था और मंत्री जी । उसकी व्यावहारिकता को समझते हुए फिर उसे ओ जी एल में डाल दिया था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता है कि इस सारे समाचार पत्र उद्योग की तरफ से आप ओ जी एल में फोटो कम्पोजिंग को फिर से डाल दीजिए।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सचमुच ही आप की रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है। आप कहा है कि एक्सपोर्ट आपका बढ़ रहा है आपने इसमें लिखा है :—

[अनुवाद]

तथापि वर्ष 1984-85 प्रारम्भ से ही उत्साहजनक रहा है। चार वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के नौ महीनों में उपलब्ध अस्थायी व्यापार आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर 1984, में पिछले वर्ष की तुलना में 6858 करोड़ रुपये के स्थान पर 8146 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है, इसके परिणाम स्वरूप 18.8 प्रतिशत की वृद्धी हुई है।

[हिन्दी]

मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें आप लिखा है कि इंजीनियरिंग गुड्स के कारण आपके एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग गुड्स में एक्सपोर्ट के बढ़ा की बहुत संभावनायें हैं। लाइट इंजीनियरिंग गुड्स में भी और हैवी इंजीनियरिंग गुड्स में भी। प्रश्नकाल के दौरान आप माननीय मंत्री जी कहीं चले गए थे, जब एक माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछा गया था—इंजीनियरिंग गुड्स की क्वालिटी को आप कैसे बढ़ायेंगे ? क्वालिटी पर सरकार द्वारा ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है ? इस पर माननीय मंत्री जी . कहा कि हम टैक्नोलाजी को इम्पोर्ट करेंगे, टैक्नोलांजी बढ़ायेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी। श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक्सपोर्ट में काम किया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें होता क्या है। मान लीजिए-लाइट इंजीनीयरिंग में पंक्खा का आप सैम्पल विदेश भेजा है। जो पंखा आपने सैम्पल के रूप में भेजा, उस पर आपको विदेश से आर्डर

मिल जाता है, लेकिन माल जब एक्सपोर्ट किया है तो इन्फीरियर क्वालिटी का माल एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। हमारे यहां एक्सपोर्ट माल की चैकिंग की एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल है, इस संस्था को कुछ ले-देकर माल निकाल दिया जाता है और बदनामी सरकार की होती है। इसी प्रकार गारमेंट इन्डस्ट्री में भी और रैडीमेड गुड्स में भी क्वालिटी पर कन्ट्रोल होना चाहिए। नमूना कुछ भेज दिया जाता है, माल कुछ भेजा जाता है, जिसकी वजह से माल विदेशों में पड़ा रहता है। इस ओर मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे ध्यान दें।

सभापति महोदय, आप बोल के लिए समय बहुत कम दिया है, इसलिए मैं दो-तीन बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र को मिथिला कहते हैं। मिथिला की पेंटिंग या मधुवनी की पेंटिंग का सारे संसार में नाम है। कुछ साल पहले हिन्दुस्तान से इनका बहुत ऐक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। इस पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक बात यह भी एग्रो वेस्ट इन्डस्ट्री का भी एक्सपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि एस.टी.सी है, उसी प्रकार एग्रो बेस्ट इन्डस्ट्री भी होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे उत्तर बिहार में आम बहुत होता है। इसका एक्सपोर्ट कर के लिए आप आम के दिनों में एक प्लेन वहां से सीधा बन्दी बम्बई ले जाए और फिर वहां से बाहर देश में ले जायें। इस का बहुत स्कोप है, क्योंकि मैंने गल्फ कन्ट्रीज की एम्बेसीज से बात की है। इस तरह आम के एक्सपोर्ट कर की व्यवस्था करने से वहां के लोगों को बहुत एन्करेजमेन्ट मिलेगा, साथ ही गल्फ-कन्ट्रीज के लोगों को सस्ता आम मिलेगा।

इसी तरह से बहुत से हैंडीक्राफ्ट्स का विदेशों में बहुत स्कोप है। समय बहुत कम है इस लिए एक बहुत जरूरी चीज कहना चाहता हूं—हमारी कंस्ट्रक्शन इण्डस्ट्री ने विदेशों में बहुत फारन-ऐक्सचेंज कमाया है, लेकिन पब्लिक सैक्टर दोनों की अनेक कंस्ट्रक्शन कम्पनियों की विदेशों में बहुत बदनामी भी हुई है। इन लोगों ने वहां काफी घपला किया है। जो भी कम्पनी किसी टर्न-की प्रोजेक्ट का ठेका ले या कंस्ट्रक्शन के काम का ठेका ले, उन के बारे में पूरी जांच होनी चाहिये, जिससे वे विदेशों में घटिया काम न कर सकें।

मेरे पास कहने के लिये बहुत सी बातें थीं, लेकिन आप ने समय नहीं दिया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां बुनकरों की हालत बहुत खराब है। हमारे श्री श्याम लाल यादव जी ने भी उन की तरफ आप का ध्यान दिलाया है। हमारे मन्त्री महोदय—चन्द्रशेखर बाबू—भागलपुर से आते हैं जहां रेशम का बहुत बड़ा उद्योग है। रेशम उद्योग पर ध्यान दिया जाना चाहिये। वहां पर इतनी सम्भावनायें हैं कि जिस तरह से बनारस का रेशम उद्योग बढ़ रहा है, उसी तरह से भागलपुर का भी बढ़ सकता है। इस में बिचौलियों को स्थान नहीं मिलना चाहिये। भागलपुर के रेशम की विदेशों में बहुता मांग है, इस लिये कामर्स मिनिस्ट्री को इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं मिनिस्ट्री आफ कामर्स तथा टेक्सटाइल्ज की डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं।

समय की कमी को देखते हुए मैं केवल दो-तीन प्वाइण्ट्स को ही टच करना चाहता हूं। खास तौर से टैक्सटाइल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। टेक्सटाइल इण्डस्ट्री की हालत पिछले छः वर्षों से काफी खराबी रही है। आज देश में कम से कम 74 मिलें बन्द पड़ी हुई हैं और उन बन्द मिलों के लगभग एक लाख मजदूर बेरोजगार हैं। इस के सम्बन्ध में भारत सरकार

ने कई प्रकार के प्रयास किये हैं—खास तौर से उन के माडर्नाइजेशन के बारे में, उन के रिहबिलिटेशन के बारे में, मगर उस व्यवस्था को माकूल तरीके से लागू नहीं कर पाये हैं। मैं इस मौके पर खास तौर से अपने क्षेत्र की मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पहले भी मैं कई बार मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं और आज फिर कहने जा रहा हूं। 1968 में इस मिल को गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने अण्डरटेक कर लिया था, 6-7 साल तक यह मिल आप के पास रही, उस को माडर्नाइज भी किया और उस ने काफी प्राफिट भी कमाया, परन्तु बाद में पता नहीं किन कारणों से आपने उस मिल को वापस लौटा दिया। मैंने उस फाइल के बारे में पहले भी आप से कहा था, आप के विभाग के लोगों ने उस में काफी गड़बड़ की है। इतने समय तक अपने पास रख कर किस कारण से उस को वापस लौटाया गया और अब फिर से उन लोगों ने उस का सत्यानाश कर दिया है। आज उस मिल पर फिर से काफी कर्जा हो गया है। वह यूनिट एक वायाबिल यूनिट है, अगर उस को ठीक से चलाने की कोशिश करें तो वह आज भी कमाई देने वाली इण्डस्ट्रीज है। आप के डिपार्टमेंट ने राजस्थान सरकार को लिखा भी था कि इस इण्डस्ट्री को रिवाइव किया जाय। राजस्थान सरकार ने उस पर एक्शन लिया, रिलीफ-अण्डरटेकिंग के तहत लेकर 50 हजार रुपया राजस्थान सरकार ने देने का तय किया। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को भी लिखा कि जो आप लोन दिलवायेंगे उस की गारन्टी उद्योग की एक्सट्रा जमीन को बेचकर एक करोड़ रुपये के लगभग एसटेस इकट्ठे किये जायेंगे।

अब उस में कठिनाई क्या आ रही है। उस में जो लूम शेड्स हैं, उन के बारे में लोन देने वाली संस्था री-फाइनेंशिंग कारपोरेशन कलकत्ता में है, वह कहती है कि आर लूम शेड चलाया जाएगा, तो यह इण्डस्ट्री प्रोफिट नहीं कमा पाएगी क्योंकि सब जगह लूम शेड नुकसान देते हैं। उन का कहना है कि अगर हम लूम शेड न चलाएं और स्पिंडिल्स चलाएं, तो वे लोन दे सकते हैं। राजस्थान सरकार ने वहां एक चैयरमैन भी बैठा दिया है, मिस्टर कावड़या, जो आई० ए० एस० हैं और वे इस के सम्बन्ध में जानकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम लूम शेड नहीं चाहते हैं, तो निश्चित तरीके से पैसा मिल जाएगा। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि लूम शेड के बारे में वहां के मजदूरों ने कावड़या साहब से बात की और यह कहा कि अगर लूम शेड नुकसान देते हैं, तो नुकसान की सारी जिम्मेवारी मजदूरों की होगी। हम उन से एग्रीमेंट करने को तैयार हैं कि जितना भी नुकसान होगा लूम शेड से, वह मजदूरों की तन्खव्वहों से कटवाएंगे और पूरा प्रोडक्शन देकर प्रोफिटेबिलिटी मिल में लाने की पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे। जब इस प्रकार का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं और राजस्थान की सरकार आप के लोन की गारन्टी दे रही है, तो री-फाइनेंसिग कारपोरेशन को लोन देने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वहां पर यह चलाना चाहिए क्योंकि ढाई हजार मजदूर भूखे मर रहे हैं। अगर उस को चलाने की व्यवस्था की जाती है, तो ढाई हजार मजदूर काम पर लग जाएंगे और यह मिलें जो हैं, वह नुकसान देने वाली नहीं है।

मैं मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूं कि वहां से जो चादरें बनकर निकलती हैं, सारे हिन्दुस्तान में और यहां तक कि विदेशों में जाती हैं और मीटैक्स बनियान वहीं पर बनता है, जो कि बहुत मशहूर है। अगर इन दो डिपार्टमेन्ट्स में प्रोफिट होता रहे, तो यह मिल घाटे में नहीं जा सकती।

यह मिल कम्पोजिट मिल है। अगर लूम शेड को बन्द कर दिया जाए, तो उस की कम्पोजिटनैस समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से व्यापार और अन्य ट्रेड वहां पर चलती हैं, वे इस मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की वजह से पनपी हैं। इसलिए इस मिल को चलाना बहुत आवश्यक है। आप स्वयं जानते हैं कि यह मिल सब से पहले 1935 में चालू हुई थीं और उस के बाद कई टैक्सटाइल मिलें वहां पर स्थापित हुई हैं और यह इन्डस्ट्री पनपी है। भीलवाड़े के अन्दर राजस्थान में सब से ज्यादा टैक्सटाइल मिलें हैं चाहे स्पिनिंग मिलें और चाहे कम्पोजिट मिलें हों। इस इण्डस्ट्री की वजह से सारे का सारा डेवलपमेंट वहां पर हुआ है। इसलिए इस मिल को चलाना नितान्त आवश्यक है और मैं समझता हूं कि आप कृपा करके री-फाइनेंसिंग कारपोरेशन से कर्जा दिला कर इस व्यवस्था को करेंगे। हम लिखित में दे सकते हैं और एग्रीमेंट करने को तैयार हैं क्योंकि मैं वहां की ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष हूं और मैंने कावड़या जी से सम्पर्क कर के उन से एग्रीमेंट करने की बात कही है। इसलिए इस कारपोरेशन को आप उस को कर्जा देने के आदेश दे दें। मैंने आपसे निवेदन किया था और आप ने कहा था कि हम उन से बात करेंगे। इसलिए इस मिल को आप जल्दी से जल्दी चालू करने की कृपा करेंगे तो निश्चित तरीके से उस क्षेत्र पर बहुत बड़ा आप का अहसान होगा। एक साल से वह मिल बन्द पड़ी है और ढाई हजार मजदूर बेकार हैं, जिन के पीछे उन के परिवारों के 12-15 हजार सदस्य हैं। वे सब एक साल से भूखे मर रहे हैं। अगर वह मिल चालू हो जाएगी, तो उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी और हम इस बात की गारन्टी ले सकते हैं कि यह मिल कभी नुकसान में जाने वाली नहीं है।

एक और निवेदन करना चाहूंगा। टैक्सटाइल कमिश्नर आर के दफ्तर में बैठता है। उसकी जिम्मेवारी है कि जो मिल सिक होती हैं और जो सिक होने की हालत में हैं, उनको वह अपनी देखरेख में रखें।

2.00 म.प.

हमने एस्टीमेट्स कमेटी में टेक्सटाइल्स कमिश्नर को एग्जामिन किया था और उससे पूछा था कि आपकी इन मिलों के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं तो उसने हमें बताया था कि उसके विभाग का काम केवल रेगुलेट करने का है। अगर कोई मिल बीमार पड़ जाए, या किसी मिल में असेट्स में घपला हुआ हो तो उस प्रकार के मामले को देखने की जिम्मेदारी आपके टैक्सटाइल कमिश्नर की नहीं है। ऐसा वे कहते हैं लेकिन आपकी रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी सारी जिम्मेदारी है। उसके क्षेत्र में जितनी भी मिलें सिक होती हैं, मेनेजमेंट की गड़बड़ी की वजह से सिक होती हैं या उसके असेट्स में घपले की वजह से सिक होती हैं तो वह देखने की वजह से सिक होती हैं तो यह सब देखने की जिम्मेदारी आपके टेक्सटाईल कमिश्नर की है। यह सब आपकी रिपोर्ट में कहा गया है।

अगर आपका टेक्सटाइल कमिश्नर अपने क्षेत्र में, अहमदाबाद में या राजस्थान के अन्दर जहां जहां मिलें बीमार पड़ी हैं उनको नहीं देखता है तो वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है। आपकी यह अफसरशाही है जिसने कि तवज्जो नहीं दी और इतनी मिलें सिक हो गई या बीमार पड़ गई।

ये मिलें मेनेजमेंट द्वारा असेट्स में गड़बड़ी करने की वजह से हुई है। अगर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि टेक्सटाइल कमिश्नर अपने अपने क्षेत्र में. मिलों की देखभाल करें, उन पर

निगरानी रखें तो मिलें ठीक प्रकारसे चलेगी और सारा मामला व्यवस्थित रहेगा। आप टेक्सटाइल कमिश्नर के काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करें ताकि वे इन मिलों पर निगरानी रखते रहें।

पूंजीपतियों की यह आदत होती है कि एक इण्डस्ट्री से पहले जितना चाहा कमा लिया। उसके बाद उसके असेट्स निकाल कर दूसरी इण्डस्ट्री में लगा दिये और पुरानी इण्डस्ट्री को सिक कर दिया। इससे हजारों मजदूर बेघर हो जाते हैं, उनमें भुखमरी फैल जाती है। इस प्रकार की हालत हमें बहुत सी मिलों में देखने को मिलती है। इसलिए मैं साफ तौर से आपसे निवेदन करूंगा कि इस पोस्ट को आपको स्ट्रैंगदन करना चाहिए ताकि ये लोग अपने अपने क्षेत्र में टेक्सटाइल मिलों की व्यवस्था की देखरेख ठीक से कर सकें।

हमारे यहां एक मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है। जिसके मेनेजिंग डाइरेक्टर सम्पतमल लोढ़ा को चार करोड़ रुपया आपके डाइनेंशयल इन्स्टीट्यूशन ने दिया। यह रुपया उनको जब दिया जबकि वह मिल बन्द पड़ी हुई थी। मुझे नहीं मालूम ऐसी हालत में आपके किस अधिकारी ने उनको यह पैसा दिला दिया। आज वह पैसा भी मिल के काम में नहीं आ रहा है। उस चार करोड़ रुपये की भी उस मिल के मालिकों ने सफाई कर दी है इस तरीके के आपके अफसर बैठे हुए हैं जो कि गलत तरीके से पूंजीपतियों को पैसा दिला देते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी मिल को चालू करने के लिए पैसा दिलाया जाए तो तरह तरह की उलझने आपके अधिकारियों द्वारा डाली जाती हैं। उस पूंजीपतियों को चार करोड़ रुपया दिला दिया गया जिसका एक पैसा भी मिल में इनवेस्ट नहीं हुआ। उस सारे पैसे का दुरुपयोग हुआ। माननीय मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था को ठीक करें नहीं तो आपके अधिकारी पूंजीपतियों से मिल कर आपकी सारी मिलों को बीमार बना देंगे। इससे सारी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ होगी। आप इसकी व्यवस्था ठीक करें और इन मिलों का चालू करने में जितना भी सहयोग दे सकते हैं उतना सहयोग दें तभी इनकी बीमारी दूर होगी और ज्यादा लोग काम में लगेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन मिलों को जल्दी से जल्दी चालू कराएं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

डा० के० जी० आदियोड(कालीकट) : महोदय मैं वाणिज्य मन्त्रालय की माँगों का समर्थन करता हूं। 1984-85 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि छठी योजना की विकास दर औसतन 5.2 प्रतिशत हैं जो कि योजना लक्ष्य के बराबर है। हमारे रिकार्ड खाद्य उत्पादन तथा औद्योगिक विकास में संतोषजनक वृद्धि एवं निर्यात से ज्यादा मुनाफा हुआ है परन्तु व्यापार अन्तर को कम करने के लिये हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन सुविधा के लिये समझौता करना पड़ा है। भारी मत्रा में कच्चे तेल के आयात में कमी करने की वजह से हम देश के निकास के लिये अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। हम सब बातों को ध्यान में रखते हुये, छठी योजना के दौरान समायोजन प्रयास विशेषरूप में 1977 से 1980 की अवधि में, काफी हद तक सफल हुये हैं। विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय उपायों के परिणामस्वरूप धन संचित हुआ, 31-1-1985 तक सोना तथा विशेष आहरण अधिकारों की राशि 547 करोड़ रुपये थी आहरण में 101 करोड़ रुपये की कमी हुई है तथा अवशिष्ट वित्तीय अन्तर 446 करोड़ रुपये है। वर्ष 1982-83 के दौरान मुख्य आवश्यक फसलों का आयात 14358 करोड़ रुपये था तथा वर्ष

1983-84 में सितम्बर, 1984 तक 7384.8 में करोड़ रुपये है। सामान्य रूप में, हमारे निर्यात में बस्तु वार कमी को दिखया गया है परन्तु पैसों की दृष्टि से हमने ज्यादा कमाया है। इससे पता चलता है कि सातवीं योजना में हमारे निर्यात की दर को बढ़ाने के लिये तथा भारी मात्रा में चीजों के आयात को कम करने के लिये हमें और अधिक प्रयास करने होंगे। आने वाले तीन वर्षों के लिये आयात-निर्यात नीति को सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया है और यह उत्साहन जनक है यह सातवीं योजना के नीति पत्र में सिद्ध किया गया है और सरकार को बधाई देते हुये मैं अत्यन्त प्रसन्न हूं। जब तक हम औद्योगिक विकास को 8 से 9 प्रतिशत तथा कृषि सम्बन्धी उत्पादन को नहीं बढ़ाते, विशेष तौर पर निर्यात वस्तुओं के सम्बन्ध में तब तक विकास के लिये सातवीं योजना का व्यय पूरा करना आसान नहीं होगा। हमारे यहाँ विशाल देशी मण्डी है जिसमें काफी तरह की वस्तुओं की जरूरत है, औद्योगिक एवं कृषि पर आधारित दोनों ही प्रकार की बस्तुओं की। परन्तु जनजाति, विशेषरूप में कुशल जन शक्ति का पूरा उपयोग नहीं किया गया है ताकि बेरोजगारी दूर हो सके तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके विशेष रूप से जब से हमारी आबादी का 4% प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। अत: निर्यात में श्रम-प्रधान नीति की आवश्यकता है।

सभी कृषि उत्पाद, उदाहरण के लिये, काफी, चाय, रबर, इलायची, कली मिर्च, अदरक हल्दी आदि का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है और यह सभी उपभोक्ता वस्तुयें हैं अगर इन मदों को उपभोक्ता पैंकिग में निर्यात किया जाये तो निश्चित रूप में रोजगार, निर्यात आमदनी तथा ग्रामीण उद्योग में वृद्धि होगी। आजकल, निर्यातकों तथा आयातकों को सरकार द्वारा दिये जा वाले लाभ वास्तविक उत्पादनकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं को नहीं मिलते हैं। इनके बीच में काफी बड़ा अन्तर है और इसे कम किये जा की जरूरत है। औद्योगिक एवं कृषि सम्बन्धी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि कर के लिये हमारे विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में विभिन्न कृषि सम्बन्धी तथा औद्योगिक उत्पादों के बारे में प्रबोधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिये समुद्री उत्पादों के बारे में। मुझे यह कहते हुये खेद है कि इस क्षेत्र में उचित ध्यान नहीं दिया गया है इसका कारण है प्रशिक्षण तथा बुनियादी ढांचे का अभाव। सिरेमिक (मृत्तिका) तथा वन-विज्ञान की भी यही स्थिति है इनमें से बहुत सी सामग्रियों के निर्यात करने की गुंजाइश है बशर्ते कि केन्द्र तथा राज्य सरकार मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें। मैं कहना चाहता हूं कि आजकल कॉफी एक संकटमयी स्थिति से गुजर रही है। कुल उत्पादन की एक-तिहाई कॉफी देश में ही खप जाती है तथा एक तिहाई खरीद मंडी में 20 से 40 प्रतिशत रियायत पर बेची जाती है। चाय की सबसे सस्ती किस्म 35 रुपया प्रति किलो है जबकि कॉफी सिर्फ 14 रुपये किलो है।

मुझे यह कहते हुये दु:ख है कि 14 मदों पर उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया है परन्तु काफी के बारे में ऐसा नहीं किया गया है। इस शुल्क को बनाये रखने का मुझे कोई तर्काधार समझ नहीं आता। काफी पर निर्यात शुल्क 7200 रुपये प्रतिटन है। अत: इससे नकद फसल वाले राज्यों जैसे कि केरल आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जहां पर अधिकतर कृषकों के पास चार एकड़ या इससे भी कम भूमि है। जब तक सरकार बागानों की आर्थिक दशा में सुधार करने वाली आयात-निर्यात नीति नहीं बनाती तो मुझे आशंका है कि इस क्षेत्र में आय तथा रोजगार में असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। इन काफी बागानों को अन्य लाभकारी फसलों की बुनाई मे बदलने से काफी की खेती में अत्यधिक कमी आई है।

पिछले कई महीनों से भूसी नियंत्रण आदेश सरकार द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा में है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं माननीय सदन की ओर से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि काफी बागानों को अन्य लाभकारी फसल की खेती में बदलने को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठायें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि बिना किसी विलम्ब के भूसी नियंत्रण आदेश का भी अनुमोदन किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं पूरे हृदय से वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय से संबंधित मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री के० आर० नटराजन (डिन्डिगुल) : माननीय सभापति महोदय, अखिल भारतीय अन्ना डी० एम०के० की ओर से मैं वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय से संबधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। फिर भी मैं इस विषय पर कुछ बोलना चाहूंगा।

वर्ष 1983 में अप्रैल से दिसम्बर की अवधि में 6,858.3 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया और इसी अवधि में 10,416.5 करोड़ रुपये का आयात किया गया। वर्ष 1984 में निर्यात 8,146.2 करोड़ रुपये के थे तथा आयात 11,746.1 करोड़ रुपये के। अत: इसके फलस्वरूप 1984 में अप्रैल से दिसम्बर की अवधि में व्यापार घाटे की राशि 3600 करोड़ रुपये थी जो कि पिछले वर्ष व्यापार घाटे की 3558.2 करोड़ रुपये की राशि से अधिक है। अत: व्यापार अन्तर को कम करना है।

हमें अधिक उत्पादन एवं अधिक मात्रा में निर्यात करना चाहिये और आयात को कम रखना चाहिये। तभी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, सिंथेटिक्स, मिश्रित इस्पात, आस्ट्रेलिया की ऊन के बने ब्लाउज तथा रसायनों के आयात को कम करना होगा तथा इन मदों के उत्पादन के लिये देशी उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा।

खाद्यान्न के बारे में हम अपने आपको आत्म-निर्भर कहते हैं। फिर भी हम अन्य देशों से, विशेष रूप में अमरीका से गेहूं का आयात करते हैं। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। उनकी स्थिति अत्यन्त खराब है। कृषि संबंधी मजदूरों की हालत अभी भी खराब है। उनकी हालत सुधारने की जरूरत है। व्यापार और वाणिज्य को कृषि प्रधान एवं रोजगार-उन्मुख बनाना चाहिये।

देश में व्यापक-स्तर पर उत्पादन होना चाहिए। जापान में, हरेक जापानी नागरिक को नौकरी दी जाती है। इसी तरह से हरेक भारतीय को भी नौकरी दी जानी चाहिये। जापान आधुनिकतम एवं औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह नष्ट हो गया था। फिर भी उन्होंने उस क्षति की पूर्ति कर ली है और आर्थिक क्षेत्र में अपनी स्थिति सुधार ली है। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस भी पूरी तरह नष्ट हो गया था। उनकी अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई थी। फिर भी उन्होंने अपनी अर्थ-व्यवस्था इतनी मजबूत कर ली है कि वे प्रत्येक क्षेत्र में अमरीका के साथ बराबरी कर सकते हैं। द्वितीय युद्ध में अमरीका को कोई हानि नहीं हुई थी। रूस ने पूर्वी यूरोपीय देशों जैसे कि भारत आदि की काफी मदद की है। पांचवें दशक में इसने चीन की मदद की थी। समाजवादी देश हमारे निर्यात सामान का 40 प्रतिशत खरीदते हैं। अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों में सुधार लाने की जरूरत है। सरकार को निर्यात में धीमी

प्रगति के कारणों का पता लगाना चाहिये। व्यापार और वाणिज्य में हमें ज्यादा उत्पादन एवं अधिक निर्यात करना चाहिये।

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग का विकास किया जाना चाहिये तथा इसे अन्य देशों को निर्यात करना चाहिये।

भारत में रबर उद्योग का भी विकास करने की जरूरत है। देश में रबर की मांग को पूरा करने के लिए हम अन्य देशों से इसका आयात करते हैं। इसका भी विकास करने की जरूरत है। विशेष रूप से तमिलनाडु में जहां पर रबर उपलब्ध है।

गेहूं तथा खाने के तेलों के आयात को कम किए जाने की जरूरत है।

केरल में नारियल जटा उद्योग में सुधार करने की जरूरत है। इसे भी विदेशों में निर्यात किया जाना चाहिए।

कृषि भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके मशीनीकरण करने की आवश्यकता है। भारत की सभी नदियों को राष्ट्रीय नदियां घोषित की जानी चाहिये तथा उनका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। गंगा-ताम्रपारणी परियोजना का क्रियान्वयन कर इसको पूरा किया जाना चाहिये। कृषि संबंधी उत्पादन में सुधार किया जाना चाहिए। परम्परागत रूप से कमी वाले देशों में कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिए।

भारत में हथकरघे का स्थान दूसरे नम्बर पर है। इसका भी आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। आधुनिकीकरण का अर्थ मशीनीकरण नहीं है। इसका अभिप्राय है करघों में सुधार लाना। पूरे विश्व में हस्तशिल्प उत्पादों तथा हथकरघा वस्तुओं की अत्यधिक मांग है। अत: हथ-करघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों में वृद्धि करनी चाहिए तथा अन्य देशों को इनका निर्यात करना चाहिए।

तम्बाक किसानों को अपना तम्बाकू मजबूरन व्यापारियों को बेचना पड़ता है। इसका मुनाफा व्यापारियों को मिलता है। इसलिये तम्बाकू बोर्ड में एक अलग स्कंध(विंग) बनाये जाने की लम्बे समय की मांग को पूरा किया जाना चाहिये।

माचिस बनाने के लिये आधुनिकतम मशीनों का आयात किया जा रहा है। इससे काफी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जायेंगे। अत: उद्योगों का मुख्य उद्देश्य रोजगार-उन्मुख होना चाहिये। कुटीर उद्योग का विकास किया जाना चाहिये क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

आमतौर पर यह कहा जाता है कि निर्यात में अधिकतर प्राइवेट व्यक्ति हैं। इस प्रवृति को दूर अथवा कम करना होगा।

काजू उत्पादकों को काजू उत्पादन की उचित एवं पर्याप्त कीमत नहीं मिलती है। काजू उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाया जाना चाहिए।

तमिलनाडु एवं केरल की मुख्य फसल इलायची है। इलायची संघ राज्य व्यापार निगम को इलायची नहीं बेच रहा है। इसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। इसलिये सरकार यह सुनिश्चित करे कि इलायची संघ इलायची को राज्य व्यापार निगम को ही बेचे ताकि इसका मुनाफा किसानों को मिले।

पटसन, कपड़ा, चाय तथा काफी ऐसे उद्योग हैं जिनसे अर्थ-व्यवस्था मजबूत होती है। इसका विकास किया जाना चाहिए और इस सन्दर्भ में व्यापार में सुधार लाना चाहिए। इससे विश्व अर्थ-व्यवस्था में भारत की सम्मान जनक स्थिति होगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : सभापति जी, इस समय सदन में कामर्स एवं सप्लाई मंत्रालय की डिमाण्ड्स फार ग्रान्ट्स जेरे-बहस हैं, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दरअसल बात यह है कि यह महकमा हमारा इक्तसादी बेहतरी के लिए गैर-जरूरी है और इस सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ नई बातें करना चाहता हूं।

इस सिलसिले में जो कुछ नई बातें करनी थीं, वे तो बजट स्पीच में हमारे वजीरे खजाना ने जो कि कामर्स के मिनिस्टर भी हैं कर दी हैं। मगर बदकिस्मती यह है कि बावजूद सब सहूलियतें मिलने के स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ काम नहीं करती है। मैं वजीरे खजाना साहब की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को आपने वर्चुअली आपने स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में इतनी सहूलियतें दे दी हैं कि सिवाय रजिस्ट्रेशन के उनको कुछ करना ही नहीं है, दिक्कतें सब दूर कर दी हैं। मगर मैंने जम्मू में देखा है कि वहां के जो आफिसर्स हैं, या जनरल मैनेजर्स आफ इण्डस्ट्री हैं या दूसरे आफिसर्स हैं, वे पुराने तरीके से ही चल रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि या तो आपकी नई पॉलिसी इन तक पहुंची नहीं है या वे जानबूझकर इसको इगनोर कर रहे हैं। जम्मू के अलावा भी जो दूसरे सूबे है उनके अन्दर भी ऐसी ही बात होगी। अब मैं समझता हूं कि हमारे देश की बदकिस्मत यह है कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट तो अच्छे-अच्छे काम करती है, अच्छे-अच्छे काम करने का बीड़ा उठाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर जितनी तवज्जुह देनी चाहिए, वे देती नहीं हैं। यदि उतनी ही तवज्जुह वह भी दें, तो इससे काम काफी आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से, जो कि नौजवान भी है, डायनैमिक भी हैं, यह कहना चाहता हूं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को परस्यू तो करना चाहिए। अगर आप जोर देंगे तो फिर अपोजीशन वाले शोर मचा देते हैं कि आप मदाखलत करते हैं। आपकी इंस्ट्रूमेंट स्टेट गवर्नमेंट इख्तियार आपका है, उसका इस्तेमाल आप स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिए ही करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जुह नहीं देती हैं, तो ये काम कैसे चलेगा। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आप थोड़ा सा इस ओर गौर कीजिए और इसके लिए या तो आप स्टडी सर्कल लें, जिससे उन अफसरों और मंत्रियों को पता लगे कि काम इस तरह से करना है क्योंकि आप कोई भी नया कदम उठाते है तो उन अफसरों को पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से काम करना है। मुझे तो यह डर है कि कहीं हिन्दुस्तान में भी हालात ईरान की तरह न हो जाएं क्योंकि कहीं तो ट्रिमेंडस तरक्की हो जाए कि कुछ पाकेट्स में तो हम इण्डस्ट्री में भी तरक्की करें, कुछ पाकिट्स में हम एग्रीकल्चर में तरक्की कर लें और हमारे हिन्दुस्तान का बेशतर हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा बिलकुल बैकवर्ड रह जाए और इतनी कंट्राडिक्शन हो जाए कि वह आपसे संभले नहीं। फिर न आपके जानशीन जो होंगे उनसे यह संभलेगी और हालात खराब हो जाएंगे। इसलिए आप जाती दिलचस्पी लें और अपनी पालिसी चलाने के लिए आपने इतनी हिदायतें कर दी हैं कि बैकवर्ड एरियाज में स्माल स्केल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ें, मगर वह लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की मदद के बगैर, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडेंस के बगैर बैकवर्ड एरियाज तरक्की नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करके इन कामों को अजसरेनौ देखिए और दिखाइए और कुछ नई किस्म का मैकेनिज्म बनाइए ताकि काम चल सके, क्योंकि अभी तो काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आपने जो इस किस्म की तमाम रियायतें दे दी हैं जो पहले नहीं थीं और इनका पूरा फायदा उठाने के लिए उस स्टेट को जो बैकवर्ड है, पहाड़ी है, हिली

है, जिनमें आगे कोई इंडस्ट्री नहीं हैं, वे इस वक्त कुछ नहीं कर रही हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अब मैं अनुदानों की तरफ आता हूं। टैक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे स्टेट की बैकवर्डनेस को दूर कर सकती है। मगर इस समय वह एक बहुत बड़े बोहरान से गुजर रही है, एक क्राइसिस है और क्राइसिस भी अजीब किस्म का है। हमारी पुरानी टामेनालाजी लागू नहीं होती। लोगों के पास माल नहीं है, मगर माल जो थोड़ा-थोड़ा पैदा कर रहे हैं उसकी बिक्री तेज नहीं है। वह घबराए हुए हैं कि वह बिकेगा या नहीं बिकेगा। रेट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और रेट्स ज्यादा होने की वजह से एक दूसरी सूरत यह हो गई है कि गरीब आदमी उसको खरीद नहीं सकता। इस बजह से जैसे फर्स्ट वर्ल्डवार में खासकर के कॉटन टैक्सटाइल्स में हमारा देश लीडिंग कंट्री था, लेकिन आज हम से जापान आगे जा रहा है। टैक्सटाइल्स में हम पीछे जा रहे हैं इसका कारण जो मैं समझता हूं वह यह है कि हमारे पास मशीनें आधुनिक किस्म की नहीं हैं जिनकी वजह से हम इसमें इजाफा कर सकें। हमारी इस तरफ तवज्जुह जानी चाहिए कि हमारे पास इसकी जो मशीन हैं, जो खड्डियां हैं, लूम्स हैं, जिन पर ये कपड़ा बनाते हैं, वे बड़ी पुरानी किस्म की हैं जिसके कारण हम इंटर नेशनल मार्केट और अपने मार्केट में कंपीट नहीं कर सकते हैं। इसकी तरफ तो तवज्जुह देते ही नहीं हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि टैक्सटाइल में काम करने वाले, जो मेनली प्राइवेट सैक्टर के हैं, वह इसमें कोई रिचर्स भी कर रहे हैं। मैं हैरान था कि पिछले साल बम्बई में एक मिल का माल कैसे बिकने लगा? मुझे किसी एक्सपर्ट ने बताया कि स्विटजरलैंड से खड्डियां लाई गई हैं और प्रोटोटाइप खरीदकर नये सिरे से बनाई गई होंगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन उसका माल धड़ाधड़ बिकने लगा। मार्केट में जो सबसे पहले के इस लाइन में थे उनका माल इकट्ठा होने लगा। हमारी हालत यह है कि हम खड्डियों को इम्प्रूव नहीं कर पाये हैं और जिनका यह काम नहीं था, उन लोगों ने नये माडल निकाल दिये और उनका माल सारी दुनिया में बिकने लगा।

मैं समझता हूं कि हमारी मार्केटिंग की आर्गेनाइजेशन भी नहीं के बराबर है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये।

मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं कि आपकी ट्रेड फेयर अथोरिटी जो है और इसके अलावा दो तीन अथोरिटी जो आपने क्रिएट की हैं, ये अच्छा काम कर रही हैं। इन्होंने एग्जहीवीशन लगाई हैं जिससे हमारा नाम इंटरनेशनल मार्केट में है। मुझे एक दो जगह जाने का मौका मिला है, इन आर्गेनाइजेशन्स ने हमारा नाम जिन्दा रखा हुआ है, लेकिन प्राइवेट सैक्टर में पर्टिकुलरली जो हमारी आर्गेनाइजेशन्स हैं, एस० टी० सी० है, उसको भी थोड़ा सा ठीक करना होगा। इसमें क्लोज-डोर पालिसी नहीं होना चाहिये। जो आ गये हैं, वह आ गये है, नयों को नहीं आने देना चाहते। इस तरफ भी ध्यान देना होगा। बाहर जाकर भी नए चैनल्स नहीं बना रहे हैं। आपके नये मैनेजिंग डायरेक्टर ने इसको बदलने की कोशिश की है मगर वेस्टेड इंट्रेस्ट कुछ इसमें इतने गहरे हैं, इतने जबर्दस्त हो गये हैं कि वह होने कुछ नहीं देते।

हैंडलूम की तरफ आपको तवज्जुह देनी होगी। हैंडलूम भी हमारी बेकारी को बहुत हद तक दूर कर सकता है। हर स्टेट में बहुत बड़ा तबका हैंडलूम पर डिपेंड करता है। ये हैंडलूम कुछ तो बन्द पड़ी हैं और कोई काम उनके पास नहीं है। कुछ के पास स्टाक पड़ा है। डिजाइन भी पुरानी हैं। मैं समझता हूं कि हैंडलूम को प्रापरली स्टेट गवर्नमेंट माडर्न सहूलियतें मुहैया करे, डिजाइन और मार्केटिंग की सहूलियत हो तो हमारा माल इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है और बेकारी हमारी काफी हद तक दूर हो सकती है। इस तरफ तवज्जुह देने की जरूरत है।

श्री यादव ने जो तजवीज रखी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। हमें कोशिश करनी चाहिये कि जो स्टाक पड़ा है, वह बिक जाये। पावर लूम का जहां तक ताल्लुक है, काफी हद तक ये अच्छा काम कर सकती हैं, मगर उनमें भी अपनी प्राबलम हो जाती है। पावर लूम्स के पास भी मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन नहीं है, मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है और उनको ही काम करना होगा।

मैं आपका ध्यान वूलन सेक्टर की तरफ दिलाना चाहता हूं। वूलन सेक्टर में हमारे यहां जम्मू-काश्मीर में पहले एक ट्वीड बनती थी जो बहुत मशहूर थी जो कि दूसरी बहरूनी मार्केट में भी बिकती थी। मगर ऐसा हो गया कि न तो स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया और न यहां तवज्जुह दिया गया। अब उसका कोई-कोई ही कारीगर रह गया है। मैंने सुना है कि इंग्लैंड में भी उनकी जो बेहतरीन ट्वीड है, वह काटेज इंडस्ट्री ही बनाती है, बड़े-बड़े कारखाने नहीं बनाते। उसमें कोई बड़ी टेक्नोलाजी नहीं है। हमारी ट्वीड भी उससे कम पोपुलर नहीं थी, लेकिन वह इलीमिनिट हो गई। कुछ पिछड़े इलाकों में अभी भी हमारे यहां वूलन का काम चलता है, वह पोपुलर हैं, उनमें किस्म-किस्म का कपड़ा बनता है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि किसी की ड्यूटी लगायें, स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेकर इस तरफ तवज्जुह दें। ये इंडस्ट्री हमारी तरफ हैं, हिमाचल में भी हैं यू० पी० में भी हैं। वूलन इंडस्ट्री को हम हैंडलूम के जरिये फार-फ्लंग एरिया में बढ़ा सकते हैं, इसका माल एक्सपोर्ट भी हो सकता है, इस तरफ तवज्जुह देनी चाहिये।

जनाबेआली इसी के साथ मैं इनसे यह कहूंगा कि यह पशमीना हमारे पास जितना है यह सभी हमारे लद्दाख में होता है। आज तक पशमीना तिब्बत से आता था। तिब्बत से हमारा झगड़ा बंद हो गया तो उसके बाद कुछ हमने गोट्स (goats) को पाला। जो लोग इन गोट्स को पालते हैं वह लोग खानाबदोश के तरह से रहते हैं। जिन दिनों में बहुत ज्यादा सर्दी या बर्फ पड़ती है तो उनकी गोट्स मर जाती हैं। इसलिये कोई ऐसा कार्य किया जाना चाहिए कि उन्हें कोई हानि न हो।

हमारे देश में पशमीना बहुत चलता है। यह मर्दों और औरतों दोनों के लिये बहुत जरूरी चीज है इसलिये जितना अधिक बढ़ावा दिया जा सके उतना ही अच्छा है। सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना चाहिए और इस कार्य में पूरी दिलचस्पी लेकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

हैंडीक्राफ्टस के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, मगर इसमें और ज्यादा तवज्जुह देने की जरूरत है। वैसे आप हैंडीक्राफ्ट्स के सम्बन्ध में आप ट्रेनिंग और मार्किटिंग के लिये कोशिश कर रहे हैं लेकिन जितनी जरूरत है, उतनी मदद नहीं दे रहे हैं। मार्किटिंग इसमें बहुत बड़ी चीज है। आपको उनकी टूल्स का माडर्नाइजेशन करना चाहिए।

हमारी स्टेट में कालीन, इम्ब्रायडरी और वूडन हैंडीक्राफ्ट्स है। हर स्टेट का अपना हैंडीक्राफ्ट् होता है, उनकी तरफ आपको पूरी तवज्जुह देनी चाहिए। यह हैंडीक्राफ्ट्स का कार्य पिछड़े इलाकों के अन्दर ही होता है, इसलिए उनके अन्दर खुशहाली लाने के लिए और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये हमारे मिनिस्टर साहब इस तरफ पूरी तवज्जुह दें।

अब मैं टी और कॉफी के बारे में यह दो शब्द कहना चाहता हूं। इनके कल्टीवेशन का एरिया बढ़ाना चाहिए। हमारे कांगड़ा में चाय पुराने तरीके से ही चल रही है। इसके फर्दर इम्प्रूवमेंट करने का कोई नया तरीका नहीं निकाला है। बंगाल के साथ बिहार का एरिया मिलता है वहां भी चाय का कल्टीवेशन हो सकता है।

कॉफी का जहां तक ताल्लुक है उसमें हमने देखा है कि यह काफी एक्सपेंड हो सकता है। निकोबार के एरिया में कॉफी कल्टीवेट हो रही थी। इसकी मार्किट बहुत है और क्वालिटी भी अच्छी है, मगर इसमें हमने फारेन मार्किट को कैप्चर नहीं किया है जितना कि हमें करना चाहिए।

टी बोर्ड ने टी को काफी पापुलर किया है, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन सब बातों की तरफ तवज्जुह दें तो कुछ लोगों की माली हालत सुधारने में और दूसरा बेरोजगारी दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। इसमें अगर आपकी मिनिस्ट्री कोई मानिटरिंग सैल बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि इन बोर्डों को देखे और इसको स्टडी करे। आपके पास रिपोर्ट आती है, उसमें आप ऐक्शन भी लेते हैं, लेकिन नीचे अमल नहीं होता। इन सब पर आप विशेष तवज्जुह दें।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इन सब ग्रांट्स की पुरजोर ताईद करता हूं।

[अनुवाद]

पूर्ति तथा वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : सभापति महोदय मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय का समर्थन किया है साथ ही साथ मैं उन माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने अपने भाषणों में रचनात्मक सुझाव दिये हैं तथा विशेष समस्याओं का उल्लेख किया है।

वस्त्र उद्योग क्षेत्र को तीन स्पष्ट क्षेत्रों में बांटा जा सकता है—मिलें, विद्युत चालित करघे तथा हथकरघे। जैसा कि कुछ माननीय सदस्य उल्लेख कर चुके हैं, कई बार ऐसा लगता है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसके हितों को हानि पहुंचा रहा है। मैं इस स्थिति के ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। सदन को मालूम है कि पिछली वस्त्र उद्योग नीति की 1981 में घोषणा की गई थी। इस समय आगामी कुछ वर्षों के लिए वस्त्र उद्योग नीति को तैयार तथा उसे सुगठित करने का काम किया जा रहा है। आशा है इस संबंध में सदन का विश्वास प्राप्त कर लिया जाएगा और संसद के वर्तमान सत्र में नई वस्त्र उद्योग नीति की घोषणा कर दी जाएगी। इस बात का प्रयास किया जाएगा कि ये तीनों क्षेत्र परस्पर सामंजस्य से काम कर सकें अथवा कम से कम आपस में उनके हितों में टकराव नहीं हो और एक दूसरे के काम में बाधा उत्पन्न न करें।

सभापति महोदय, मैं स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का संक्षिप्त उल्लेख करना तथा इस सदन और देश का समर्थन प्राप्त करना चाहूंगा।

जब भी हम कोई नीति बनाते हैं तथा उसे लागू करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सामान्य उपभोक्ताओं के हितों पर ध्यान दिया जाए। कई बार हम जो सोचते हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी विचारधारा तथा नीति और कार्यक्रमों के निर्माण में वर्गीय हितों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि देश में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत बढ़े। प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि पिछले बहुत सालों में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की रुचि सूती कपड़े की बजाय गैर सूती कपड़े या मिश्रित रेशे वाले कपड़े में बढ़ती जा रही है। लोग इस तरह के कपड़ों को इस लिए पसन्द करते हैं क्योंकि

वे सूती कपड़ों की अपेक्षा अधिक दिन चलते हैं। हर साल गैर सूती कपड़ा 2 प्रतिशत की दर से सूती कपड़े का स्थान ले लेता है। यह परिवर्तन न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में तथा कम आय वाले तबकों में भी दिखाई देता है।

सातवीं योजना के दौरान इस किस्म के कपड़ों से संबन्धित आय-घट बढ तथा कुल निबल उत्पाद में सालाना 5% की दर से अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखकर अनुमान लगाया गया है कि इन कपड़ों की प्रति व्यक्ति खपत की दर में वृद्धि इस प्रकार होगी। सूती कपड़ों के मामले में —1.66% गैर सूती कपड़ों के मामले में 7.8% तथा मिश्रित धागे वाले वस्त्रों के मामले में +6.57% होगी। सातवीं योजना की अवधि के अन्त में घरेलू क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत निम्न प्रकार होगी :—

सूती—9.06 मीटर
गैर सूती—2.31 मीटर
मिश्रित कपड़ा—3.77 मीटर

यदि आप टिकाऊपन को देखें तो छठी योजना में 22.19 मीटर सूती कपड़े के मुकाबले में दूसरा कपड़ा 17.70 मीटर बैठता है और हम प्रयास कर रहे हैं कि देश में आम लोगों को अधिक मात्रा में कपड़ा उपलब्ध हो और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कपड़े का उत्पादन यथा संभव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

अगला प्रश्न रोजगार से संबन्धित है जिसके बारे में हम सभी को बहुत चिंता है। कपड़ा-उद्योग न केवल कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि रोजगार प्रदान करते तथा निर्यात से प्राप्त होने वाली आय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 1984-85 में इस उद्योग के मिल क्षेत्र में 8.84 लाख श्रमिक कार्यरत थे। ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि मिल क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ाने से क्या श्रमिकों की छंटनी नहीं करनी पड़ेगी। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि कुछ मामलों में शायद ऐसा करना जरूरी हो लेकिन तकुओं की संख्या बढ़ाकर सातवीं योजना में उतने ही लोगों को रोजगार पर लगाए रखा जाएगा। श्रमिकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करके सरकार श्रम मशीनों. की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का उपाय कर रही है। इसके अलावा श्रमिकों की प्रबंध व्यवस्था में भागीदारिता संबन्धी कार्यक्रम में भी विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें ऐसे सुधार लाए जा रहे हैं जिनसे वह अधिक उपयोगी तथा कारगर सिद्ध हो। सातवीं योजना के अन्त तक विद्युत चालित करघा क्षेत्र में लगभग 35.52 लाख लोग काम पर लगाये जाने की आशा है। हथकरघा क्षेत्र में रोजगार के बहुत अधिक अवसर हैं। उन्हें और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम कुछ ऐसे उपायों की घोषणा करने जा रहे हैं जिनसे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि हथकरघा बुनकरों की आय में भी वृद्धि होगी। हथकरघा क्षेत्र रोजगार के आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1984-85 में 57 लाख थी जो कि 1989 90 में बढ़कर 98 लाख हो जायेगी। अतः इस समय 98 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार प्राप्त है। लेकिन अगले पांच सालों में उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसरों को मद्देनजर रखते हुए हम देश में 142.16 लाख श्रमिकों को रोजगार दे सकेंगे। इसके अलावा, कपास उगाने वाले तथा सहायक उद्योगों में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार इस क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या लगभग 100 लाख या एक करोड़ हो जाएगी। इनमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो रेशमी धागे या अन्य कपड़ा-व्यवसाय में लगे हुए हैं।

माननीय सदस्यों ने सदन में सदैव यह प्रश्न उठाया है कि वस्त्र उद्योगों में रुग्णता की समस्या को कैसे हल किया जाएगा। यह बहुत चिंता का विषय है तथा इस संबंध में माननीय सदस्यों की चिंता स्वाभाविक है। व्यग्र होकर सदस्यों ने हमेशा यही मांग की है कि इस संकट को दूर करने के लिए मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए अथवा उनका प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले। दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं रुग्ण उद्योगों या उनके अधिग्रहण के संबन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट करना चाहता हूं।

रुग्ण मिलों के बारे में वर्तमान नीति यह है कि बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की मदद से इन रुग्ण मिलों को चालू करने के प्रयास करे और क्या प्रयास किये जायें, इस बारे में प्रशासनिक मन्त्रालय निदेश दे। सरकार ऐसी मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में तभी लेगी जब वे उचित समय में ठीक होने की स्थिति में ही अथवा ऐसा करना जनहित में हो। मैं सदन में स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे विचार से औद्योगीकरण की प्रक्रिया के दौरान मिलें रुग्ण होती ही रहती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वे यूनिटें रुग्ण होती हैं जिनका प्रबन्ध ठीक से नहीं हो पाता और ऐसी मिलों को बन्द करना पड़ता है जबकि बेहतर ढग से योजना बना कर चलाई गई मिलें अस्तित्व में बनी रहती हैं। हम इस संभावना से इन्कार नहीं कर सकते। हम इस स्थिति से यथा संभव निपटने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार जून 1982 तक 435 बड़ी औद्योगिक इकाइयां, रुग्ण थीं और उनके नाम 1728.95 करोड़ रुपया बकाया था। इनमें से एक सौ ग्यार कपड़ा मिलें, थीं। 1983 में यह संख्या बढ़कर 123 हो गई। यह उद्योग कम लाभ के क्षेत्र में स्थापित है तथा उसमें उतार-चढ़ाव चलता रहता है। मैं उनके रुग्ण होने के कारणों का विस्तार से विश्लेषण नहीं करूंगा। लेकिन संक्षेप में उल्लेख करूंगा कि अल्पकालिक तौर पर यह समस्या मुख्यत: कपास उत्पादन में कमी तथा निवेश सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण है। दीर्घ अवधि की समस्याएं मुख्यत: बुनियादी ढांचे में असंतुलन आधुनिकीकरण में देरी, कम उत्पादकता तथा विद्युत चालित करघों की संख्या में वृद्धि है। जैसा की माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है—कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करने की ओर बहुत समय से ध्यान नहीं दिया गया है। जिसके कारण वे उपकरण पुराने पड़ गए हैं। हमें स्थिति का सामना करना होगा और वास्तविक उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता के बीच के अन्तर को पाटना होगा। श्रम तथा मशीनों द्वारा उत्पादन का स्तर बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि विश्व के उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके, और हम शीघ्र उन्नति कर सकें और स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना सकें।

इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम 195 राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों और 23 अन्य ईकाइयों का प्रबंध व्यवस्था देख रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र के कुप्रबन्ध के कारण ही ऐसा हुआ है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इन मिलों का प्रबन्ध कार्य जनहित में अपने हाथ में लिया है तथा चलाने के यथा संभव प्रयास कर रहा है। कुछ सुधार हुए हैं और स्थिति अब वैसी नहीं है जैसी कि कभी हुआ करती थी। उत्पादन का मूल्य जो कि 1975-76 में 225 करोड़ रु० था, 1984-85 में बढ़कर 641 करोड़ रुपए हो गया है। कताई उत्पादकता बढ़ी है और बुनाई और कताई क्षमता के उपयोग में पर्याप्त सुधार हुआ है।

मैं सदन को बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही लगभग आधी मिलों ने हानि की पूर्ति कर ली है तथा अपनी खराब दशा से उबर गई हैं। अप्रैल से दिसम्बर 1984 के दौरान प्रति माह 15 करोड़ रुपए की हानि हुई। लेकिन पिछले वित्त वर्ष की अंतिम

तिमाही में अर्थात् जनवरी से मार्च 1985 के दौरान यह हानि घट कर 11 करोड़ रुपए प्रतिमाह हो गई। एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है। आशा है इससे सही प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में स्थिति में सुधार होगा।

2.54 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पिछले बहुत सालों से आधुनिकीकरण पर 296 करोड़ रु० व्यय हो रहे हैं। सातवीं योजना की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम पर 347 करोड़ रु० व्यय किए जाने की संभावना है। लेकिन यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि उत्पादन शुल्कों तथा करों के माध्यम से राष्ट्रीय कपड़ा निगम का राजकीय कोष में प्रति वर्ष योगदान 40 करोड़ रुपए है। और इस समय इसके द्वारा 2.5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। अगर कुछ ठोस निर्णय लिए जाएं तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लागू किया जाए तो हम मौजूदा स्थिति से कहीं अधिक बेहतर स्थिति उत्पन्न कर सकेंगे। कपड़े के निर्यात के संबन्ध में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। भारत में, निर्यात की जाने वाली मदों में कपड़े का निर्यात एक बड़ा हिस्सा रखता है। यह कुल निर्यात का लगभग 20% है। इस क्षेत्र में भारत का योगदान जो 1970 में 0.71 प्रतिशत था जो कि 1982 में बढ़कर 2.44% हो गया है लेकिन सूती वस्त्र का निर्यात जो कि 1970 में 6.85 प्रतिशत था 1972 में घटकर 4.071 प्रतिशत रह गया तथा इसी अवधि के दौरान मिल के बुने हुए गैर सूती वस्त्रों का निर्यात 4.77 प्रतिशत से घटकर 2.74 प्रतिशत हो गया है।

कपड़े के विश्व व्यापार में भारत को 1963 से 1982 के बीच क्षति हुई है। विश्व कपड़ा व्यापार में भारत का 1963 में चौथा स्थान था जो कि 1973 में घटकर नौवां तथा 1983 में तेरहवां हो गया। इसका एक प्रमुख कारण कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण नहीं किया जाना है। अन्य भी कारण हैं लेकिन इस उद्योग में लगे सभी लोगों को अर्थात् कारीगरों श्रमिकों तथा उद्यमियों को अपने कार्य निष्पादन में सुधार करना होगा ताकि हम विश्व-मंडी में प्रतियोगिता का सामना कर सकें। बहुत से नए देश कपड़ा निर्यात के मामले में समर्थ हो गए हैं और हमारे साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं। यहां तक कि वे हमें विश्व कपड़ा व्यापार से हटा कर हमारा स्थान ले सकते हैं।

वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस उद्देश्य के लिए अर्थात वस्त्र उद्योग को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जाएं। पिछले दो वर्षों के दौरान वस्त्रों के निर्यात में भारी वृद्धी हुई है परन्तु वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालने पर हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि इससे आगे हमारी मुख्य नीति न केवल निर्यात की जाने वाली मदों में बल्कि अपने बजार में भी विविधता लाने की होनी चाहिए।

संयुक्त राज्य अमरीका एक प्रस्तावित विधान के बारे में बुरी खबर मिली है जिसका आशय आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से है। हमें आशा है कि इस कानून को पास नहीं किया जाएगा तथा यह देश अपनी सुरक्षात्मक नीतियों के अनुसरण में इस हद तक नहीं जाएंगे। विकासशील देशों ने अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर इस प्रश्न को उठाया है कि कपड़ों और वस्त्रों का व्यापार एम० एफ० जैसे किसी विशेष विधान के बिना सामान्यतया जी०ए०टी०टी० नियमों से नियंत्रित होना चाहिए। यह वर्तमान स्थित है तथा हमें आशा है कि उद्योग का आधुनिकीकरण हो जाने पर

तथा बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण तथा अन्य कमियों के दूर हो जाने पर हम आगामी वर्षों में अपने निर्यात को काफी बढ़ा लेंगे।

3.00 म.प.

सभापति महोदय, मैं वस्त्र उद्योग के हथकरघा क्षेत्र के विषय में कुछ शब्द कहना चाहूंगा, जो कि बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस से हमारे लाखों हथकरघा मजदूरों का सम्बन्ध है। हमारी अर्थ व्यवस्था के वस्त्र-क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु जैसा कि माननीय सदस्यों ने इंगित किया है कि हथकरघा बुनकरों में से बहुत से बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार हैं तथा उन्हें बहुत कम कमाई होती है। मैं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों की गहराई में नहीं जाऊंगा परन्तु हम सभी जानते हैं कि उनके पास उचित बुनकर संगठनों की कमी है, उन्हें पर्याप्त निवेश सामग्री प्राप्त नहीं होती, काम के लिए पूंजी नहीं मिलती। उनके लिए विश्वसनीय विपणन-व्यवस्था नहीं है तथा उनके रास्ते में पैतृक तकनीकी बाधाएं हैं जिससे एक सामान्य हथकरघा श्रमिक अथवा एक बुनकर अपनी एक दिन की मजदूरी से कुछ अधिक प्राप्त नहीं होता।

जो कार्य करने का हमारा विचार है मैं उसके विस्तार में जाना पसन्द नहीं करूंगा परन्तु मैं इस सदन को तथा हथकरघा उद्योग में लगे सभी व्यक्तियों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम उनके उत्पादनों के विपणनी की अवस्था ले कर अन्त तक की सभी खामियों को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा राज्य सरकारों और उनके संगठनों के परामर्श और सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिससे कि बुनकरों के हितों की पूर्ण रक्षा हो सके तथा इस समय वे जो कुछ कमा रहे हैं उससे अधिक कमा सकें और इस क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा किया जा सकें।

सदस्यों ने हथकरघा क्षेत्र के कुछ उत्पादनों को आरक्षित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। श्री श्याम लाला यादव ने अपने भाषण में बार बार इस मुद्दे को उठाया है। सदन को ज्ञात है कि हथकरघा वस्त्र की कतिपय किस्मों का केवल मात्र हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन आरक्षित करने के लिए हाल ही में एक कानून लागू किया गया है। इसके नियम बनाए जा रहे हैं तथा विगत में भी आरक्षण की जिस नीति के विषय में कहा जाता रहा था उसे पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जाएगा। हथकरघा बुनकरों को भी जनता वस्त्र योजना से बहुत लाभ होगा। इस समय हथकरघों द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान उत्पादित किया गया जनता-वस्त्र 3300 लाख मीटर के लगभग है। जैसा कि सदन को अच्छी तरह मालूम है कि सरकार की यह नीति है कि अगले वर्ष हथकरघा द्वारा बनाये जाने वाले कपड़े का उत्पादन बढ़ा दिया जाए। अगले वर्ष इसका उत्पादन 3700 लाख मीटर तक बढ़ाया जा रहा है तथा बुनकरों को और भी अधिक काम दिलाया जाएगा।

बुनकरों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। मैं उनके विस्तार में जाना पसन्द नहीं करूंगा बल्कि संक्षेप में ही उनका उल्लेख करूंगा। पहली योजना हथकरघा बुनकरों के लिए भविष्यि निधि योजना के समान एक बचत निधि (थ्रिफ्ट फंड) बनायी गयी है। हम वित्तीय संस्थाओं और अन्य संगठनों के सहयोग से उनके लिए काम तथा आवास के शेड बनाने पर भी कर रहे हैं। उनको स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता देने की भी एक योजना है। महिला बुनकरों के लिए कुछ विशेष योजनाएं तथा उत्तर प्रदेश के कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र की ऊनी वस्तुओं के विकास के लिए एक पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजना लागू की गई है। यह क्षेत्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण है तथा हम हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए उनकी आय बढ़ाने के लिए तथा हथकरघा क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार पैदा करने के लिए हम सभी प्रकार का ध्यान रखेंगे।

मैं नियंत्रित कपड़ा योजना के विषय में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा। 1981 की वस्त्र नीति में यह कल्पना की गई थी कि हथकरघों द्वारा तथा एन०टी०सी० मिलों द्वारा कुल 6500 लाख वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन किया जाएगा। हथकरघा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाकर 3700 लाख वर्ग मीटर कर दिया गया है। इस नीति को चालू रखा जाएगा।

नियंत्रित कपड़े की वितरण व्यवस्था का अध्ययन किया गया है जिससे पता चलता है कि इस योजना का झुकाव शहरों की ओर है तथा इससे उन्हीं लोगों को फायदा होता है जो शहरों में रह रहे हैं। हम नागरिक पूर्ति मंत्रालय से सलाह कर रहे हैं। मैं। नागरिक पूर्ति मंत्री से भी इस विषय पर चर्चा की है। हम बहुत शीघ्र एक ऐसी वितरण व्यवस्था बनाने वाले हैं जिसके द्वारा हम ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कि मुख्य तथा गरीब लोग बसते हैं जनता कपड़े अथवा नियंत्रित कपड़े को वितरण कर सकेंगे। मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि आम आदमी की पहुंच के नियंत्रित कपड़े के दाम जुलाई, 1981 से अब तक बढ़ाए नहीं गए। इस पर सहायतानुदान बढ़ा दिया गया है परन्तु कीमतें वर्ष 1981 की कीमतों के बराबर ही रखी हैं। हम यथाशक्ति इस योजना को लागू करने तथा वितरण को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमारे माननीय सदस्यों ने जिस बात का विशेष उल्लेख किया है, मैं उसके विषय में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। श्री श्याम लाल यादव ने सरकार से अपने चुनाव क्षेत्र में बनारसी साड़ी के उत्पादन में लगे लोगों के लिए रेशम यार्न की सप्लाई की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। मैं अवश्य ही इस मामले को देखूंगा तथा यह प्रयत्न करूंगा कि कथित शहर में उद्योगरत मजदूरों को सभी प्रकार की सुविधाएं दिए जाने के सभी संभव उपाय किए जाएं क्योंकि बनारसी साड़ी संसार भर में प्रसिद्ध हैं और उन्हें अपनी इस गरिमा को बनाए रखना चाहिए।

श्री ललित माकन एक मजदूर नेता हैं तथा स्वाभाविक तौर पर उन्हें चिन्ता है कि यहाँ चल रही कुछ मिलें बन्द नहीं होनी चाहिए तथा मिल बन्द करने तथा मिल में तालाबन्दी करने के प्रस्तावों द्वारा उत्पन्न स्थिति से निपट। के लिए हर संभव उपाय किए जा चाहिए अपने भाषण में जिस मिल विशेष का उन्होंने उल्लेख किया है मैंने उस मिल की स्थिति का अध्ययन किया है तथा मैं उनके विचार से पूर्णतया सहमत हूं तथा मैं यह देखने का प्रयत्न करूंगा कि उनके दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाए तथा मजदूरों की छटनी न हो।

डी०सी०एम० की स्थिति का सभी को पता है कि दिल्ली प्रशासन ने मिल मालिकों के उस तर्क को नहीं माना है जिस के कारण 8000 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो जाते तथा सम्पूर्ण क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था पर दबाव पड़ता। हम माकन जी के विचार से पूर्णतया सहमत हैं तथा इस विषय में हम से जो हो सकेगा, हम करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यासजी ने मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स का उल्लेख किया है। चूंकि उन्होंने अपने भाषण में विस्तृत ब्यौरे दिए हैं अतः लगता है वे स्थिति से भली भांति परिचित हैं। मुझे सूचित किया गया है कि बन्द मिलों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित अधिकारी दल ने राहत उपायों पर चर्चा करली है तथा उन उपायों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। परन्तु व्यास जी ने स्वीकृत योजना में संशोधन करने के लिए कतिपय वित्तीय संस्थाओं के सुझावों का उल्लेख किया है। मैं इस का भी ध्यान रखूंगा। मुझे आशा है, तथा मुझे ऐसी सूचना भी मिली है कि मिल के शीघ्र ही खुलने की सम्भावना है तथा मिल अपने रास्ते में आई बाधा को दूर करने का प्रयत्न करेगी।

पटसन उद्योग के बारे में मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। सदन में पटसन उद्योग पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करते समय चर्चा हो चुकी है। मैं सदन को केवल यह सूचना देना चाहूंगा कि उसके तुरन्त बाद, मैंने राज्य सरकार से सम्पर्क करने का प्रयत्न किया। हमने उन्हें बार-बार अनुस्मारक भेजे परन्तु मुझे अभी तक स्थिति के बारे में उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कुछ दिन पहले स्वयं श्री अशोक सेन के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के सांसदों का एक प्रतिनिधि मडल मुझसे मिला तथा उसने इस मंत्रालय से आग्रह किया कि बन्द मिलों को यथाशीघ्र पुन: चालू करने का हर सम्भव उपाय किया जाए। परन्तु यह राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा कम से कम मैं यह अपेक्षा करता हूं कि वे कुछ प्रस्तावों के साथ सामने आएं। हम हवा में हाथ पैर नहीं मार सकते। सिवाय सामान्य राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव के अभी तक मुझे ऐसा कोई और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह प्रस्ताव भी सभी कठिन परिस्थितियों की कोई रामबाण औषधि नहीं तथा इसे महीने, दो महीने अथवा तीन महीने में नहीं किया जा सकता। जैसाकि मैंने उस दिन बताया था कि वर्तमान संकट तब तक रहेगा जब तक कि इसका कोई हल नहीं खोजा जाता है अत: यह संकट लगभग तीन महीने तक और बना रहेगा।

अगली फसल आने तक हमें आशा है कि पटसन मिलों को कच्चे पटसन की पर्याप्त पूर्ति प्राप्त हो जाएगी और वे अपना कार्य प्रारम्भ कर सकेंगी। परन्तु हम इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं कि इसका तत्काल ही कोई हल निकाला जाए। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही मुझे कोई पक्का प्रस्ताव प्राप्त होगा अथवा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो हम सभी सम्बन्धित पार्टियों— मिल मालिकों, मजदूरों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार को बुलावा भेजेंगे तथा वर्तमान स्थिति का कोई हल खोजने का प्रयत्न करेंगे। मुझे आशा है कि वस्त्र उद्योग, जो कि बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है इस, स्थिति से उबर जाएगा। उद्योग के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि यह पुरानी मशीनरी, मजदूरों की अधिकता, कपास के मूल्यों में उतार-चढ़ाव और बहुत सी अन्य बाधाओं से पीड़ित है। परन्तु मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम शीघ्र ही सदन में इस विषय पर अपना नीति सम्बन्धी वक्तव्य देंगे तथा विश्व बाजार में अपने वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सिद्ध करने के लिए उद्योग का यथासम्भव और यथाशीघ्र आधुनिकीकरण करके इसकी कार्य क्षमता के स्तर को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार का उपाय करेंगे ताकि हमारा रोजगार बढ़ाने का उद्देश्य और लक्ष्य तथा इस क्षेत्र के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का लक्ष्य पूरा हो सके और साथ ही देश की निर्यात की कमाई को बढ़ाने का उद्देश्य तथा सबसे बढ़कर आम आदमी को सस्ता और टिकाऊ कपड़ा मुहैया करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

मैं माननीय सदस्यों को उनके बहुत ही रचनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि उन्होंने जो भी प्रश्न उठाए हैं उन पर हम शीघ्र और अच्छी तरह से विचार करेंगे।

श्री थम्पन थामस (मवेलीकारा) : मंत्री महोदय ने वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ बातों का विस्तार से उल्लेख किया है परन्तु उन्होंने समुद्री उत्पादों, जो कि एक मुख्य निर्यात वस्तु है तथा पिछले कुछ वर्षों में जिसकी बहुत हानि हुई है, का उल्लेख नहीं किया है। सातवें दशक में समुद्री उत्पादों के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई परन्तु आठवें दशक में उसमें बहुत कमी आ गई है। अब इसका निर्यात पहले निर्यात की अपेक्षा 50% कम हो गया है। ऐसा लगता है कि अधिक विदेशी

मुद्रा कमाने के उद्देश्य से इसके निर्यात में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने अब जो आयात-निर्यात नीति सदन के समक्ष तथा देश के सामने प्रस्तुत की है वह पूरी तरह से पहली नीति से इस अर्थ में भिन्न दिखाई देती है कि वर्तमान नीति तीन वर्ष तक कायम रहेगी। इसके अलावा इस नीति मे बहुत सी रियायतें दी गई हैं। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि ये रियायतें सामाजिक और वितरणात्मक न्याय को कैसे प्रभावित करेंगी। इन उद्देश्यों के सम्बन्ध में इन रियायतों का अनुकूल प्रभाव नहीं होगा। बल्कि ये रियायतें उन्हीं लोगों की मदद करेंगी जो अधिक कमाने के चक्कर में हैं। इन रियायतों को देने में बेशक सरकार की यह मंशा है कि उत्पादन बढ़े तथा निर्यात बढ़े परन्तु अन्ततोगत्वा आम आदमी को इसका लाभ नहीं मिलता। यह लाभ केवल ऐसे कुछ लोगों की जेब में जाता है जो अभी तक निर्यात बाजार को नियंत्रित किए हुए हैं तथा जो पैसा वे निर्यात पर खर्च करते हैं वह अधिकतर बेंकों से अथवा सरकार से कर्ज लिया होता है। अत: इस व्यवसाय में लगा अधिकांश धन है तो सरकार का परन्तु इसका लाभ मिलता है व्यक्ति विशेष को और गैर-सरकारी क्षेत्र को। अत: इस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की दिलचस्पी को कम करने के लिए एक नीति विषयक कदम उठाने की परम आवश्यकता है। इस विषय में मेरा दृष्टिकोण और सुझाव यह है कि जहां तक इस क्षेत्र में यथासम्भव निगमित क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए। यदि इस मामले में, निगमित क्षेत्र, राष्ट्रीयकृत क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए तो शोषण बहुत हद तक किया जा सकता है। जब सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं कहा तो रियायत कहां दी गई ? मैं यह बताना चाहूंगा कि मशीनरी का आयात करने के लिए रियायत दी गई है तथा विगत में हमारा यह अनुभव रहा है कि रसायनों के संबंध में जब भी आयात-नीति में रियायत दी गई, जब भी यहां के लिए अपेक्षित रसायनों को विदेशों से आयात किया गया तभी तत्काल उसके प्रभाव से रसायन उद्योग में मंदी आई। यहां रसायनों का उत्पादन करने वाले बहुत से रसायन-उद्योग बीमार हैं तथा बहुत से उद्योगों में तालाबन्दी हो रखी है। मेरे राज्य में रसायन उद्योग विशेष कर मध्यम दर्जे के रसायन उद्योग एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। अब विदेशों से मशीनों का आयात करके सरकार एक नया ही प्रयोग करने जा रही है। यदि इन मशीनों का आयात होता रहा तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान ही इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

अत: इस क्षेत्र में एक संतुलित रुख नहीं अपनाया गया है। निर्यात-आयात नीति के संबंध मे मेरी आपत्ति यह है कि रुख बेरोक-टोक रियायतें देने का है और इस रियायत से जिस वर्ग का लाभ पहुंचने वाला है वह निर्यातकर्त्ताओं तथा निजी क्षेत्र है जो अपना व्यापार सरकारी धन तथा बेंकों की राशि से चलाते हैं। जब लोगों को सरकारी धन अथवा बैंकों का धन व्यापार चलाने के लिए दिया जाता है तो सरकार उनको प्रोत्साहित करने के बजाय सीधे ही उनको इसमें सम्मिलित करने के बारे में क्यों नहीं सोचती ? वास्तव में, सरकार की मंशा उत्पादन बढ़ाने तथा राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर प्राप्त करने से हो सकती है। इस संबंध में दो राय नहीं हो सकतीं कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है और उसे बढ़ाना ही होगा। इसके साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो आय हमें होती है उसका लाभ आम जनता को भी पहुंच सके। इस तरह का कोई रुख नजर नहीं आता। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 11.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। परन्तु इस देश के सभी लोगों को एक समय का भी खाना नहीं मिल रहा

है। क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि देश की सारी जनता को कम से कम एक समय का खाना मुहैया किया जायेगा जबकि हम यह कहते हैं कि खाद्यान्नों के मामले में यह देश आत्म-निर्भर हैं तथा हम खाद्यान्नों का निर्यात करने पर सोच रहे हैं ? अतः मेरा यह कहना है कि सबसे पहले सरकार को जनता के बीच यह विश्वसनीयता उत्पन्न करनी होगी कि जिसका वे उत्पादन करते हैं वह उन तक पहुंचता है। तभी केवल उन्हें गम्भीरता के साथ उत्पादन से सम्बद्ध किया जा सकता है। सरकार को वर्तमान नीति लाते समय वितरण और सामाजिक न्याय का आश्वासन देना चाहिए। ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है जहां किसी निर्यातक ने अपना व्यापार छोड़ा है। वह सरकार के धन से अथवा बैंकों के धन से लखपति बनने के लिए ही व्यापार शुरू करता है। अगर वह व्यापार में घाटा उठाता है तो वह घाटा अन्त में बैंक को होता है। सरकार ने इस बात पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। जब रियायतें दी जाती हैं तो उनके द्वारा शोषण करने पर रोक लगाने के लिए कोई तरीका निकालना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आयात-निर्यात नीति में सामाजिक न्याय तथा वितरण में न्याय दिलाने के लिए कोई भी उचित मार्ग इस समय नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि कि वर्तमान नीति से भारतीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा जैसा कि सरकार के विदेशों से रसायनों का आयात करने के निश्चय से हुआ था। आपको मालूम है कि किस प्रकार इसने भारतीय रसायन उद्योग को प्रभावित किया था। उसी प्रकार भविष्य में भारी इंजीनियरिंग उद्योग प्रभावित होगा।

दूसरे, जब आयात नीति में परिवर्तन होता है और रियायतें दी जाती हैं तथा जब और अधिक वस्तुओं का आयात किया जाता है तो इससे बेरोजगारी फैलती है। अब वर्तमान दर के अनुसार 268.5 लाख लोग देश में बेरोजगार हैं और माननीय मन्त्री अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में वस्त्र उद्योग में रोजगार की दर वही रहेगी। इसका अर्थ है, अगले पांच वर्षों में वस्त्र उद्योग में, जो कि देश का सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें 8.65 लाख लोग कार्यरत हैं, रोजगार उपलब्ध कराने में स्थिरता आ जायेगी। पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। अतः इस खतरे को आप महसूस कर सकते हैं। यह उद्योग रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों को रोजगार दे रहा था। पहले ही केवल पंजीकृत लोगों की संख्या ही 268 लाख है। अतः आपका दृष्टिकोण अन्त में देश के श्रमिक वर्ग को नुकसान पहुंचाएगा। अतः मेरा कहना यह है कि सरकार को ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे मशीनीकरण अथवा राष्ट्रीय-करण के कारण हुए बेरोजगार लोगों को फिर से रोजगार मिल सके तथा उन्हें फिर से बसाया जा सके।

मैं अपने केरल राज्य के बारे में बहुत ही मुख्य विषय पर कहूंगा। केरल राज्य से भी निर्यात व्यापार बहुत होता है। वहां भी सभी नकद फसलों का निर्यात व्यापार होता है। परन्तु इसके लिए इस नीति में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। केरल से नकद फसलों तथा वस्तुओं के निर्यात के लिए किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं है। नारियल जटा से उत्पादित वस्तुएं एक निर्यात मद है। केरल राज्य से 70% नारियल-जटा वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। लेकिन अभी तक सदियों पुराने इस परम्परागत उद्योग में कार्यरत लाखों लोगों का भविष्य संकट में है। राज्य के आम व्यक्ति का जीवन तथा उसके बीवी, बच्चों और परिवार जो इस उद्योग को चला रहे हैं को अब संकट का सामना करना पड़ रहा है। नारियल-जटा, हथकरघा, काजू उत्पादन जैसे परम्परागत उद्योगों को काफी नुकसान हो रहा है। मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे राज्य में इन उद्योगों को पड़ोसी राज्यों में ले जाने का चल चल रहा है। इसका कारण भी इस

मामले पर सरकारी समन्वय की कमी है। सरकार एक समन्वित मार्गदर्शन करने में असफल रही है—चाहे उद्योग तमिलनाडु में या केरल में या कर्नाटक अथवा अन्य किसी राज्य में चल रहा हो—और इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय नीति होनी चाहिए। यदि इस संबंध में केन्द्र की कोई नीति नहीं है तो कम से कम वहां क्षेत्रीय नीति होनी चाहिए। उद्योग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं जिससे उस राज्य में बेरोजगारी फैलती है।

प्रो० एन० जो० रंगा (गुंटूर): यह राज्य सरकार की गलती के कारण हुआ है।

श्री थम्पन थामस: यह राज्य सरकार की गलती के कारण नहीं बल्कि इस विषय मे एक क्षेत्रीय नीति के न होने के कारण हुआ है। यदि कम से कम वहां क्षेत्रीय नीति होती तो काजू उद्योग वहां पर कायम रहता। अगर काजू के आयात की अनुमति दी जाती अथवा इस क्षेत्र के श्रमिकों को काजू उपलब्ध कराये जाते या उनको फिर से इस प्रकार से नियंत्रित किया जाये जिससे इन क्षेत्रों में काजू लाया जा सके, तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। नारियल उद्योग की भी यही स्थिति है। हथकरघा उद्योग की भी यही हालत है।

अन्त में मैं अपने राज्य के कुछ विषयों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं सामुद्रिक उत्पादों, काजू, नारियल, इलायची तथा रबर के संबंध में कुछ बताना चाहूंगा। ऐसी नकद फसलों के लिए सरकार को आवश्यक प्रोत्साहन देना होगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस दस्तावेज का दृष्टिकोण आम व्यक्ति के हित में नहीं है बल्कि एक वर्ग के लोगों के लिए है। यह उन लोगों के हित में है जिनके पास कुछ है। यह श्रमिकों के लिए नहीं है; यह आम लोगों के लिए नहीं है। बल्कि यह ऐसे लोगों के लिए है जिनके हाथ में अभी भी राष्ट्र का नियंत्रण है। यह इसलिए है क्योंकि उनका पर्स बड़ा है। उनकी बैंकों तक पहुंच है; उनकी धन तक पहुंच है। वह सारी स्थिति पर काबू कर सकते हैं और निर्यात-आयात नीति की रियायतें उन्हें एक बार फिर और अधिक अमीर बनायेंगी। गरीब, गरीब रहेगा और अधिक गरीब होता जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वित्त मन्त्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए अनुरोध करूंगा।

3.30 म०प०

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत तथा अतिरिक्त महंगाई भत्त की एक और किस्त देने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): महोदय, मैं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत के बारे में घोषणा करना चाहूंगा। सरकार ने महसूस किया था कि चौथा वेतन आयोग स्थापित करके यह उचित होगा कि यह आयोग अपने विचार विमर्श की अवधि के दौरान अन्तरिम प्रकार की किसी राहत की आवश्यकता पर विचार करे। इसलिए सरकार ने वेतन आयोग की शर्तों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया ताकि आयोग इस संबंध में एक अन्तरिम प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। अब आयोग ने कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% की दर से अन्तरिम राहत की एक किस्त देने की सिफारिश की है जो कि कम से कम

50/-रुपये प्रति मास होगी और जिसकी अदायगी 1 मार्च, 1985 से की जायेगी। उन्होंने आगे सिफारिश की है कि इस अन्तरिम राहत की राशि को केवल सेवा-निवृत्ति लाभों का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जायेगा, किसी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं।

2. सरकार ने वेतन आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय किया है। वेतन आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार करने से लगभग 327 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिनमें थल सेनाओं के कार्मिक, संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारी तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं, को लाभ पहुंचेगा।

3. मैं एक और घोषणा करना चाहूंगा जिसका संबंध केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से है। औसत सूचकांक में वृद्धि होकर उसके 576 हो जाने पर सरकार ने 1-1-85 से सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की एक किश्त की अदायगी करने का निर्णय किया है। चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त की अदायगी से क्रमशः 81.6 करोड़ रुपये और 6.3 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ने की सम्भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य आरम्भ करते हैं; पुरः-स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

3.32 म०प०

विधेयक

[अनुवाद]

(एक) बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक*

[धारा 2 का संशोधन, आदि]

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजित कुमार साहा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(दो) संविधान संशोधन विधेयक*

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

* दिनांक 26-4-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(तीन) सेवाओं में पदों का और शिक्षण संस्थाओं में स्थानों का आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए आरक्षण विधेयक*

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार और उपक्रमों की सेवाओं में पदों के और सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए केंद्रीय सरकार की और सरकारी उपक्रमों की सेवाओं में पदों के और सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(चार) समान पारिश्रमिक संशोधन विधेयक*
(धारा 10 का संशोधन आदि)

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

(पांच) विकलांग, निःशक्त और मन्दबुद्धि व्यक्ति कल्याण विधेयक *

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जन्म से विकलांग, निःशक्त या मंद-बुद्धि व्यक्तियों के कल्याण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

* दिनांक 26-4-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

"कि जन्म से विकलांग, नि:शक्त या मंद-बुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(छः) संघ राज्यक्षेत्र (दीवारों पर अनधिकृत लेखन पर रोक) विधेयक*

श्री एन० वेंकट रत्नम (तेनाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्यक्षेत्रों में दीवारों पर अनधिकृत लेखन पर रोक लगाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्यक्षेत्रों में दीवारों पर अनधिकृत लेखन पर रोक लगाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एन० वेंकट रत्नम : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(सात) विशिष्ट अनुतोष संशोधन विधेयक*

(धारा 14 का संशोधन)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(आठ) विधवा पेंशन विधेयक*

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निराश्रित विधवाओं को पेंशन देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निराश्रित विधवाओं को पेंशन देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 26-4-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

(नौ) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

(प्रथम अनुसूची में संशोधन)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

आंध्र प्रदेश विधान परिषद् उत्पादन विधेयक*

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद् के उत्पादन के लिए तथा इसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन के लिए तथा इसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० भूपति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.36 म०प०

इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड (प्रबन्ध-ग्रहण) विधयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 12 अप्रैल, 1985 को श्री राम भगत पासवान द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी अर्थात्—

"इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड का उपयुक्त प्रबन्ध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सीमित अवधि के लिए, उस उपक्रम का प्रबन्ध-ग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मोहर सिंह राठौड़ अपना भाषण चालू रखें।

[हिन्दी]

श्री मोहर सिंह राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आई०टी०सी० के बारे में बोल रहा था। यह कम्पनी उत्पादन को छिपाती है और लीकेज को छिपाती है तथा सरकार को देने वाले टैक्स की चोरी करती है। कई सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जा पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इनके टैक्सों की चोरी की जांच की जाएगी, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी इसकी आजतक जांच नहीं हुई है। इस जांच के अभाव में टैक्स की एक अपराध है और यह कम्पनी इसको बरा-

* दिनांक 26-4-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

बर दोहराती रहती है, इससे जनता का बहुत नुकसान होता है। सरकार की ओर से आश्वासन देने के बावजूद उसका पालन न करने पर सरकार भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं परोक्ष रूप से अपराधी है ...(व्यवधान)... हम संदस्यों द्वारा मांग की गई थी कि इस कम्पनी का आडिट कराया जाए, लेकिन आज तक इस कम्पनी का आडिट नहीं कराया गया है। इस कम्पनी के डायरेक्टर भ्रमण का सारा खर्चा वेहिसाब इस कम्पनी में डाल देते हैं, जिनमें विदेश यात्रायें भी शामिल हैं। अनेक प्रकार के खर्चे ऐसे भी हैं, जो इस कम्पनी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इस वजह से इस कम्पनी के फाइनेंसेस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कम्पनी का मुनाफा 33 प्रतिशत बताया जाता है। मुनाफा बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाकर फॉरन एक्सचेंज के रूप में हमारे देश का धन विदेशों में ले जाया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 109 करोड़ रुपए का टैक्स इस कम्पनी की तरफ बताया जाता है। कोर्ट में इनके ऊपर 33 मुकद्दमें चल रहे हैं, जिन पर इस कम्पनी द्वारा स्टे ले लिया जाता है। जनता और सरकार का पैसा और उस पैसे को न वसूल हो देने के लिए ये लोग अदालतों में चले जाते हैं। अदालत और कानून की आड़ में इस कम्पनी द्वारा जनता के पैसे का मिसयूज किया जा रहा है। इससे बड़ी दुख की क्या बात हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बावजूद भी इतनी बड़ी धनराशि वसूल नहीं की जा रही है। इस प्रकार क्यों होता है। कम्पनी के पास जब सारे साधन हैं, फिर भी 89 करोड़ और 90 करोड़ रुपये टैक्स का बाकी रह जाए। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ, जैसी हमारी नीति की घोषणा हुई है कि हम टैक्स इवेडर्स के खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे, भी सख्ती से पेश आना चाहिए। इस से बढ़िया मामला सख्ती से पेश आने का नहीं हो सकता। एक गरीब किसान को अगर 100,200 और 500 रुपये ऋण का दिया जाता है, तो उस की वसूली के लिए उस के खेत और घर की कुर्की और नीलामी तक हो जाती है लेकिन इतने बड़े-बड़े लोगों पर जो सौ, सौ करोड़ रुपया बकाया है, उन के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं होती। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार कानून का दुरुपयोग करने वाली कम्पनियों के साथ सख्ती से कदम उठाने चाहिए और उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे इस रूप में जनता के पैसे को लूटें। हमारी भूमि हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारी पूंजी है और हमारी मशीनें हैं फिर भी उस का लाभ हम को नहीं मिलता और जो कम्पनी का लाभांश होता है, वह विदेशों में चला जाता है और हमारे सरकारी खजाने में पैसा जमा नहीं होता। इस प्रकार की कम्पनियों के खिलाफ आप को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन को कोई अधिकार नहीं है कि वे घटिया माल बनाएं। इस कम्पनी ने 72 करोड़ पैकेट सिगरेट के 1-12-83 से 30-4-84 तक बनाए लेकिन उन पर कोई कीमत नहीं छापी और इस तरह से एक्साइज ड्यूटी की चोरी की। उस पर जितने डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्स होते हैं, उन को बचाया। इस के वावजूद भी कम्पनी के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई। जितने आप के कानून हैं, उन सब कानूनों का निरन्तर उल्लंघन करना कम्पनी ने अपना एक घोषित उद्देश्य बना लिया है और एक निहित स्वार्थ यह हमारी जनता के ऊपर बन गया है।

इस कम्पनी में चरस भी पकड़ा गया और अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं, जिनके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। इस में जो डाइरेक्टर्स हैं, वे सिगरेटों के पैकटों पर कीमत नहीं छापते हैं। इसमें ** ...मुख्य आदमी है और उसने यह धंधा चालू कर रखा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इस कम्पनी ने समुद्र

** कार्यवाही वृत्तांत में साम्मीलेत नहीं किया गया।

के किनारे पर फिशिंग ट्रालर्स बिना इजाजत चला कर मछली पकड़ी और उन को भी एक्स-पोर्ट कर दिया। बाद में परमिशन के लिए केवल एक दरख्वास्त दे दी और उस दरख्वास्त की आड़ में यह कदाचार और यह पापाचार होता रहा। इस प्रकार यह जो कम्पनी है, इस का तुरन्त अधिग्रहण करना चाहिए और उस के साथ सख्त व्यवहार कर के यह इन्तजाम किया जाना चाहिए कि पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग न हो और हमारे देश की जनता का शोषण न हो।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोहय, यंह जो **इन्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड(टेकिंग ओवर आफ मेनेजमेंट)बिल**, 1985 का है, उस का मैं समर्थन करता हूं।

मैसर्स इन्डियन टोबैको कम्पनी, जो काफी अर्से से चल रही है, इस में बहुत ज्यादा हिस्सा सरकारी पूंजी का है और सरकारी पूंजी ले कर के यह प्राइवेट कम्पनी मुनाफा उठाती जा रही है और उस के बाद में जो टैक्स और एक्साइज ड्यूटी वगैरह इसको देनी चाहिए, वह यह नहीं दे रही है। इस के लिए कई बार इस के खिलाफ शिकायत की गई कि यह एक्साइज ड्यूटी जमा नहीं कराती है और न कोई इन्कम टैक्स या दूसरे प्रकार के टैक्स जमा कराती है। जो पैसा इस के ऊपर बकाया है, उस को वसूल करने के लिए जब इस पर कार्यवाही की गई, तो उस के खिलाफ यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट के जरिये पहुंच जाती है। और उनकी वजह से सरकार का कफी पैसा काफी अर्से से इस कम्पनी पर बकाया चला आता है।

दूसरे यह कम्पनी ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने शेअर होल्डर्स को अप कहां से विदेशों में भजने के लिए निरन्तर प्रयत्न करती रहती है। कम से कम दो-तीन सौ करोड़ रुपया सालाना विदेशों में अप शेअर होल्डर्स, अप भागीदारों को बाहर भेज कर देश को फोरन एक्सचेंज के मामले में काफी घाटा पहुंचा रही है।

इस कम्पनी के अन्दर जो लोग काम करने वाले हैं उन लोगों को न कभी परमानेंट किया, उनको सदा कांट्रेक्ट लेबर पर रखा। इस कम्पनी ने जब चाहा मजदूरों को निकाल दिया, जब चाहा रख लिया। इस प्रकार की स्थिति इस कम्पनी में चली आ रही है।

इस कम्पनी के ऊपर न लेबर ला लागू होते हैं और न अन्य प्रकार के कानून लागू होते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी कम्पनियां होती हैं उनसे हमारे अधिकारी घबराते हैं। वे यह सोचते हैं कि अगर इन लोगों पर किसी तरह से हाथ डाला जाएगा या कोई इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तो इनके हाथ बहुत लम्बे हैं जिससे कि वे बराबर घबराते रहते हैं। इस तरह से इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। इस तरह की हालत आज इस कम्पनी की चल रही है।

सब से बड़ी बात यह है कि इस कम्पनी में जो बड़े बड़े पूंजीपति काम करते हैं वे एक कम्पनी के असेट्स दूसरी कम्पनी में ट्रांसफर कर देते हैं। कितनी ही कम्पनियों में उन्हों इन्वेस्ट-मेंट कर दिया है। नई नई कम्पनियों में इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं और पुरानी कम्पनियों को ये सिक करते जाते हैं। जिससे कि फाइनेंशयल इंस्टीच्युशन का जो पैसा इनके पास है वह बकाया ही रहे, उसे इनको देना न पड़े। इस पैसे का जो ट्रांसफर किया जाता है उसके बारे में कभी कभी सरकार की तरफ से कम्पनीज लाज में या एम०आर०टी०पी० एक्ट के अण्डर मे जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जिन कम्पनियों ने भी इस तरह से दूसरी कम्पनियों में इन्वेस्टमेंट किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस कम्पनी के अब तक जो भी कारनामे रहे हैं उनके बारे में आडिट कराया जाना चाहिए कि यह घाटे में चल रही है या मुनाफे में चल रही है। जो इसने अपने यहाँ डाइरेक्टर रखे हुए हैं वे सब एक ही फेमिली के मेम्बर हैं या एक ही परिवार के रिश्तेदार हैं। कानून के मुताबिक एक डाइरेक्टर को 7,500 रुपये मिलते हैं और वह एक परसेंट प्राफिट ले सकता है। ऊपर से तो इस प्रकार से दिखाया जाता है लेकिन अन्दरूनी तरीके से काफी बड़े पैमाने पर कम्पनी से पैसा ले रहे हैं और इस तरह से इस कम्पनी को ये निरन्तर घाटे में चला रहे हैं। इसके लिए भी यह कम्पनी काफी बदनाम है। सरकार इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही करे। अगर आप इसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आपका जो एक्साइज का पैसा रुका हुआ है, या टेक्सिज का पैसा रुका हुआ है वह पैसा आपको आयेगा। इसके अलावा जो फाडुलेंट के कार्य यह कम्पनी कर रही है उसका भी पता लगेगा।

यह कम्पनी एक और कार्य कर रही है। यह कम्पनी तम्बाकू की आड़ में नशीले पदार्थ भी डिस्ट्रिब्यूट करती है। इस काम में देश के बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। देश के बड़े बड़े शहरों, दिल्ली, बम्बई और अन्य मेट्रोपोलिटन सिटीज में नशीले पदार्थों का सेवन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग इसमें लगे हुए हैं। इस कम्पनी के सेलिंग एजेन्ट्स भी निरन्तर इस प्रकार प्रयास करते रहते हैं और इससे हमारे देश के नौजवानों की प्रवृत्ति खराब होती जा रही है। इसके सम्बन्ध में भी हमारी सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। इसके संबंध में निश्चित तरीके से सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस कंपनी ने हमारे देश के लोगों को बिगाड़ दिया है, खराब रास्ते पर ले जाने की कोशिश की है और नाजायज तरीके से पैसा कमाया है। इस कंपनी को निश्चित तरीके से सरकार अपने हाथ में ले। इस कंपनी को तो सरकार को ले ही लेना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने सरकार को अब तक कोई पैसा नहीं दिया है और सारा का सारा पैसा विदेशों को भेज रही है और इस कंपनी ने हमारी देश को नुकसान पहुंचाया है, नौजवानों को नुक्सान पहुंचाया है और कोई टैक्स नहीं दिया है। मजदूरों को इस। कोई राहत नहीं दी हैं और आज तक कांट्रेक्ट बेसिस पर केजुअल लेबर काम कर रही है। लेबर मिनिस्टर यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मजदूर यहां पर काम करते हैं वे कांट्रेक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं और केजुअल लेबर है, इनको परमानेंट या सेसी परमानेंट नहीं किया गया है और न ही कोई सुविधा दी गई है। प्रावीडेंड फण्ड और ई.एस.आई.की कोई सहूलियत नहीं दी गई है। इतने बड़े असेट्स वाली यह कंपनी है और मजदूरों पर इस तरह से जुल्म कर रही है और सरकार सोती रहे, उसके खिलाफ कार्यवाहीनकरे, कोई जांच न करवा सके और कोई एक्शन न ले, यह निश्चित तरीके से बहुत ही गलत बात है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहा तो हमारी ट्रेड का नुक्सान तो होगा ही, देश को भी बहुत बड़ा नुक्सान होगा और जो गरीब लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति हम मजबूत करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोगों को विशेष फायदा नहीं होगा इसलिए इस कंपनी को निश्चित तरीके से टेक-ओवर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आपने इसको टेक-ओवर नहीं किया तो सरकार का जो सैंकड़ों करोड़ों रुपया इसमें फंसा हुआ है वह डूब जाएगा और इसके साथ-साथ जो हजारों मजदूर काम करते हैं, वे भी रोजी-रोटी से, बंचित हो जाएंगे। इस चीज की निश्चित तरीके से ध्यान में रख कर इस कंपनी को जल्दी से जल्दी टेक-ओवर किया जाए और मैंजमेंनेट में भी सुधार कीजिए जिससे देश को लाभ मिले और

इस कंपनी का फायदा इस देश के लोगों को मिले। मजदूरों को तमाम हक दिलाए जाएं और अच्छे तरीके से इस कंपनी को चलाया जा सके। इस कंपनी के डायरेक्टर्स इस तरीके से मोनी-पुलेटेड हैं कि कंपनी के संबंध में जानकारी ही नहीं देते, इसलिए डायरेक्टर्स को सरकार की तरफ से मुकर्रर करना चाहिए और सरकारी आदमियों को इसमें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। 50 परसेंट से ज्यादा पैसा सरकार का है तो इसमें क्या हर्ज है। जिन सरकारी अधिकारियों को डाय-रेक्ट नामीनेट किया गया है, वे क्या करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। वे लोग इस कंपनी की सालाना मीटिंग में जाकर असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी देकर सरकार को आगाह क्यों नहीं करते उन्हें बताना चाहिए कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। आपके जो डायरेक्टर्स इस कंपनी में बैठे हैं, एम टी पी एक्ट के तहत उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को क्यों नियुक्त किया गया है जो इस कंपनी से मिलकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और नाजायज तरीके से लाभ उठा रहे हैं। इस जानकारी से आपकी इस कंपनी के सारे हालात पता चल जाएंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, इसमें गलतियां हो सकती हैं और यह बिल कानूनी तरीके से कोई अच्छा है, ऐसी मैं नहीं कहता, लेकिन इस बिल की भावना सही है। इसकी भावना यह है कि इस कंपनी को जो हमारे देश को नुक्सान पहुंचा रही है, उसको अंडरटेक किया जाए तो इसका लाभ देश को मिलेगा और जो गलत कार्यवाहियाँ चल रही हैं वे समाप्त होंगी और उससे देश को नुक्सान नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर० अन्नानम्बी (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, इंडियन टोबैको कम्पनी के बारे में कुछ शब्द बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रबंध ग्रहण करने वाला विधेयक सत्तारूढ़ दल कांग्रेस (इ) पार्टी के सदस्य माननीय मित्र श्री राम भगत पासवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभा के विचारार्थ उन्होंने इस विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय भी सभा को विश्वास में लेंगे और इस कम्पनी के कार्यकरण का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। कम्पनी कर अधिकारियों को परेशान करती रही है। इस कम्पनी के प्रबन्धक कर के मामलों में भारत को धोखा देने से नहीं चूके हैं। जब कभी भी कर या शुल्क देने की नौबत आती है, तभी यह कम्पनी न्यायालय की शरण लेती है और सरकार की बकाया राशि को अदा न करने के आदेश ले लेती है। इस कंपनी पर सरकार का हजारों करोड़ रुपया बकाया है।**

हाल ही में निर्माणोत्तर व्यय के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस कम्पनी को उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को हजारों करोड़ रुपया अदा करना है। आयकर की चोरी का भी व्यवस्थित ढंग है। सरकार के उच्च कार्यकारी अधिकारियों को 15,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। लाखों रुपये यात्रा व्यय के रूप में खर्च किये जाते हैं। उन्हें अन्य वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इस प्रकार यह कम्पनी आयकर की अदायगी से भी सफल-तापूर्वक बचती रहती है विविधता लाने के नाम पर इस कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ भंडाराचलम् पेपर्स नाम की अन्य कम्पनी के काम में लगा दिया जाता है। इस प्रकार कर्मचारियों को बोनस

***तमिल में दिये गये भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।**

देने से बचा जा सकता है और कर देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा, निवेश पूंजी के लिए यह कम्पनी सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से और अधिक धन ले सकती है। मुझे मालूम हुआ है कि इन दो कम्पनियों में जो रुपया लगा हुआ है उसका लगभग 60% भाग सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों के बैंकों का धन है जो कम ब्याज की दरों पर और आसान किश्तों की अदायगी पर लगा हुआ है। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं इस कंपनी को कितना संचयी लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि 1972 में इस कंपनी की सम्पत्ति जो 75 करोड़ रुपये की थी 1985 में वह बढ़कर 850 करोड़ रुपये की हो गई है। तेरह वर्षों के दौरान आस्तियाँ कई गुना बढ़ गई हैं।

यह कंपनी केवल सरकार को ही नहीं ठंग रही है बल्कि कर्मचारियों को भी ठंग रही है। जो कर्मचारी इस कम्पनी के लिये पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए अपना खून और पसीना बहाते हैं, उन्हें भी अच्छा वेतन नहीं दिया जाता है। वे लोग अच्छे वेतन की मांग नहीं कर सकते। वे लोग बोनस के लिये अपनी मांग नहीं उठा सकते। वे लोग अन्य लाभों के बारे में नहीं कह सकते। इसका कारण यह है कि उन सब को ठेके पर रखा गया है। उन्हें कंपनी का नियमित कर्मचारी नहीं समझा जाता है। ठेके पर लगे कर्मचारियों के प्रति कंपनी का कोई स्थायी दायित्व नहीं है। कर्मचारियों को अपनी बकाया राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करने का अधिकार नहीं है।

यह कंपनी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के सुरक्षा उपबन्धों का भी उल्लघन करती है। हर वर्ष 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विदेशों में भेजी जाती है।

श्रमिकों के हित में और उनके कल्याण के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। मुआवजे दिये बिना राष्ट्रीयकरण किये जाने को उचित ठहराने के सरकार के पास ठोस प्रमाण हैं। सरकार को यह पता है कि यह कंपनी उत्पाद शुल्क की चोरी करती है क्योंकि यह अपना उत्पाद थोक-विक्रेता एजेन्टों के माध्यम से निकालती है। सरकार को यह भी पता है कि इस कंपनी के उच्च कार्यकारी अधिकारी धन का किस प्रकार अप-व्यय कर रहे हैं।

4.00 म० प०

राष्ट्रीयकरण करने के बाद पहला काम यह किया जाना चाहिए कि श्रमिकों को उनके रोजगार की गारंटी दी जाये। जो श्रमिक 5 वर्ष तक काम कर चुके हैं, उन्हें नियमित किया जाए। ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त कर कंपनी के सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाये। सरकार को चाहिए कि वह प्रशासन में सुधार करे जिससे कि बकाया राशि वसूल की जा सके। श्रमिकों का रहन-सहन उठाया जा सके।

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कंपनियाँ उत्पाद शुल्क और आयकर की चोरी करती हैं वे कहीं भी स्थित हों और कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हों; सरकार को उनका अधिग्रहण कर लेना चाहिए। अन्ततोगत्वा, इन सभी कंपनियों ने सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से आर्थिक सहायता ली है।

इसके साथ-साथ मैं एक और मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। मैसूर में अलैक्जेंडर थ्रेड मिल लगभग छ: महीने बन्द रही है एक दूसरी स्पिनिंग मिल भी बन्द होने के कगारे पर है। कोयम्बातूर में भी कुछ कपड़ा मिलें बंद हैं। इन औद्योगिक एककों के श्रमिकों के हित में इन सभी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये मैं सरकार से एक विधेयक लाने की मांग करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय सदन में आई० टी० सी० एल० यानी इण्डियन टोबैको कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण के विषय में चर्चा की जा रही है और उसको सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यह एक ऐसी कंपनी है जो केवल अन्याय ही कर रही हो, गलत काम कर रही हो और सरकार उसमें पार्टनर हो। इस कंपनी के बारे में मुझे जो कुछ व्यक्तिगत जानकारी है, वह मैं आप सबके सामने अवश्य लाऊंगा।

यह इण्डियन टोबैको कंपनी सबसे पहले मेरे मुंगेर लोक सभाई क्षेत्र में, आज से लगभग 75 साल पहले खोली गई थी और आरंभ में इसका नाम पैनिन्यूलर टोबैको कंपनी था और आज यह आई० टी० सी० एल० के नाम से पूरे हिन्दुस्तान में जानी जाती है। इस कंपनी ने अंग्रेजी हकूमत के समय भी काम किया और आज चाहे भद्राचलम का पेपर कारखाना हो, कलकत्ते के पास खिदरपुर कारखाना का हो, बंगलौर स्थित टोबेको कंपनी हो या सहारनपुर का सिगरेट का कारखाना हो, एक अच्छा कार्य इस कंपनी ने यह किया कि अपने 75 साल के जीवन में लेबर फोर्स को डेवलप किया, उसको स्थापित किया और काफी लोगों को एम्पलायमेंट दिया। यह कंपनी के क्रैडिट में जाने वाली बात है।

मान्यवर, यहां मेरे मित्र श्री राम भगत पासवान ने जो यह बिल प्रस्तुत किया है, मैं वैसे तो उनसे विरोध नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उनकी इंटेंशन अच्छी है, उनका इरादा नेक है और जिन-जिन कंपनियों में अन्याय होता है, बेईमानी होती है, उस सबके कार्यों की हमें जानकारी लेनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा न हो कि हम केवल एक ही कंपनी के बारे में सब बातें कहते जाएं और उसके अगल-बगल में जितनी दूसरी कंपनियां हैं, उनको छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि आप किन्हीं बिन्दुओं पर आई० टी० सी० एल० की इंक्वायरी करवाते हैं तो उन्हीं बिन्दुओं पर हिन्दुस्तान में जितनी सिगरेट कंपनियां हैं, उन सबकी जांच करवाइये और सिगरेट निर्माता जितने दूसरे कारखाने हैं, उनकी भी जांच करायें। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आई० टी० सी० पर कोई इन्क्वायरी होती है, तो जिन-जिन बिंदुओं पर आई० टी० सी० पर इन्क्वायरी होती है, उन्हीं-उन्हीं बिन्दुओं पर हिन्दुस्तान की अन्य सिगरेट कंपनियां हैं, उनकी भी इन्क्वायरी हो। मान्यवर, मैंने अखबार में पढ़ा था कि गोल्डन टुबैको कंपनी पर छापा पड़ा था। सच्चाई क्या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं नहीं कहता कि अमुक कंपनी का रुपया कितना बकाया है, यह अकाउण्ट्स का मैटर है, वित्त मंत्री जी जानें और उद्योग मंत्री जी इस बात को जानें और अगर आवश्यक हो, तो फायनेंस मिनिस्ट्री से इस बात को एग्जामिन करवाएं। अगर उनके ऊपर पैसा देना बकाया है, तो वह पैसा उनसे वसूल किया जाना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन जिन-जिन बिंदुओं पर इंडिया टुबेको कम्पनी अर्थात् आई० टी० सी० लिमिटेड पर इन्क्वायरी हो, उन-उन बिन्दुओं पर इसके साथ ही और जितनी भी कंपनियां हैं, उनकी भी इन्क्वायरी होनी चाहिए।

जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा शेयर होल्डर्स, होल्डिंग फर्म का, तो मैं इस कंपनी की मुंगेर शाखा की यूनियन का अध्यक्ष भी रहा हूं और कुछ चीजें मैं भी जानता हूं। निश्चितरूप से लेबर फोर्स और जो मैनेजमेंट फोर्स होती है, उसके बीच में द्वंद्व चलता है बहुत झगड़ा चलता है। वहां मैंने देखा है कि कुछ केजुअल लेबर हैं, दो हजार वर्कर हमारे यहां है। वहां पर जो आदमी

रिटायर होते हैं, उनकी जगहों पर उनके लड़कों को रखते हैं या उनके आश्रित परिवार के एक सदस्य को रखते हैं। वहां पर बोनस भी देते हैं। मैंने देखा है कि वहां पर करीब 20 परसेंट से लेकर 22 परसेंट तक लोग बोनस दे रहे हैं। लेकिन लेबर्स के लिए जो और फैसिलिटी जैसे लेबर होस्टल और मकान है, ये नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये फेसिलिटीज कंपनी को निश्चित रूप से एक्सटेंड करनी चाहिएं। लेबर्स को पार्टिसिपेट कराना चाहिए/मैनेजमेंट में एक ही यूनियन होनी चाहिए। कारखाने में मैं माननीय लेबर मिनिस्टर साहब, जो यहां बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे ऐसा बिल जल्दी से जल्दी लायें कि एक कंपनी हो और उसमें एक ही यूनियन हो और वही चले।

श्री सैयद मसुदल हुसेन (मुर्शिदाबाद) : सीक्रेट बैलट से होना चाहिए।

श्री डी० पी० यादव : हां, लेकिन एक कंपनी में एक ही यूनियन होनी चाहिए।

जहां तक पेमेंट का सवाल है, इसका थोड़ा-सा ज्ञान मुझको भी है। उपाध्यक्ष जी, इस कंपनी ने 1981-82 में 409 करोड़ रुपया दिया है एक्साइज ड्यूटी में, 1982-83 में 503 करोड़ रु० दिया है, 1983-84 में 490 करोड़ रुपया दिया है। कहा जाता है कि 400 करोड़ रुपया ये बाहर भेजती है। 650 करोड़ रुपया इसकी आमदनी है 500 करोड़ रुपया इसका टैक्स है, 150 करोड़ रुपया बचेगा। लेबर लोगों को तनख्वाह देने और मैनेजमेंट को तनख्वाह देने के लिए और 20,25,30 या 40 करोड़ रुपया जाएगा नेट प्राफिट में। इसके 37 परसेंट इक्विटी शेयर फारेनर्स का है। तो अधिक से अधिक ये दो, चार या पांच करोड़ रुपया बाहर भेज सकते हैं, लेकिन ये 500 करोड़ रु० फारेन एक्सचेंज के रूप में चला जाता है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसलिए इसको आप पूरी तरह से एग्जामिन करा लीजिए और ऐसी तोहमत किसी पर नहीं लगानी चाहिए जिसमें सच्चाई परे हो। एक्साइज-ड्यूटी का बाकी का पैसा आप वसूल लें, इन्कम टैक्स का बाकी पैसा आप वसूल लें, लेबर को पेमेंट नहीं हो रहा है, उसको आप बाध्य कीजिए। लेबर मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, इसलिए सर, मैं लेबर मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात के लिए हिदायत दीजिए कि क्लास-फोर में जो अपाइंटमेंट हो वह क्लास-फोर में ही रिटायर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लेबर वहां काम करता है उसका बेटा भी लेबर ही भर्ती किया जाए, इस प्रथा को मैं हटाना चाहता हूं। इसके लिए कंपनी को बाध्य किया जाए कि वह एकेडेमिक और एजूकेशनल फेसिलिटीज बढ़ाने के लिए उपाय करे। चाहे वह इंडिया टुबैको कंपनी हो या अन्य कारखाने हों जो क्लास-फोर का एम्पलोई हो, उसका बेटा मैनेजर बनने की स्थिति में हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे अच्छा तो यह होगा कि कम से कम 50 परसेंट मैनेजर उनके पुत्र होंगे जो क्लास-फोर में अपाइंट हुए हों।

इसके अतिरिक्त एक और हिदायत कीजिये जिसमें मैं चाहूंगा रूरल डिवेलपमेंट के काम में इस कंपनी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। रूरल डिवेलपमेंट्स के कामों में और सोश्यल वर्क्स के कामों में इस कंपनी को हिस्सा लेना चाहिए। एकेडेमिक इंस्टीट्यूशन और रिसर्च सेंटर्स इन जगहों पर इनको लगाने चाहिएं ताकि समाज को लाभ हो सके।

जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है एटलीस्ट खामियां हो सकती हैं, खामियां हैं भी, लेकिन अगर साफ-सुथरा मैनेजमेंट है, तो मैं नहीं समझता कि आप इसका नेशनलाइजेशन करें। नेशनलाइज फैक्ट्रीज हमारे पास बहुत हैं और सब नेशनलाइज फैक्ट्रीज हमको प्राफिट दे रही हों या लेबर के बहुत हितकारी हों, ऐसी बात भी नहीं है। चाहे आप बीमार फैक्ट्री को लें चाहे अच्छी फैक्ट्री को लें, उसमें निश्चित रूप से हमको लाभ ही मिलेगा ऐसी भी बात नहीं है।

एक बात हमारे मित्र ने कही कि लेबर लाज को फ्लाउट किया जाता है, लेकिन मैं उस यूनियन का अध्यक्ष था। मैंने कभी नहीं देखा है कि लेबर लाज को फ्लाउट करने का साहस उनमें था, जो सच्चाई है, उसको मैं कह रहा हूं। जो सच्चाई है उसको कहूंगा, जो कमी है, उसको देखना चाहिए। इसके बारे में मैं आगे बोल चुका हूं। जितनी क्षति है, उसके एकाउन्ट्स हैं, जितने मसले एकाउन्ट्स के उठाये गए हैं, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री से एग्जामिन करा लिया जाए, इसमें दो राय नहीं हैं। कपटीटिव कंपनीज इस प्रकार के सवाल उठाया करती हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, जो फैसला वह करेंगे वह मानना होगा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल पेश किया गया है, जिन्होंने इसे बनाने में मेहनत की है, शायद होली के दिनों में की होगी, क्योंकि काफी सोच-समझकर लिखा है। हमारी बुद्धि इसमें इतना काम नहीं कर पा रही है, जितना बिल बनाने वालों की बुद्धि ने उनको मदद दी है। मुझे इसमें समझ में नहीं आया।

मंत्री महोदय बड़े कुशल हैं, वह इसका अच्छा उत्तर देंगे। वह यह बतायें कि कितनी पूंजी सरकार की डूब गई है ?

4.13 म०प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कौनसी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन से उन्होंने कर्जा लिया है और कर्जा लेने के बाद कौन-कौन से कर्जे ड्यू हैं ?

फिर इन्होंने कहा कि श्रम कानून भंग किया है, श्रम मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं वह बतायें कि मजदूरों की यूनियन इंटक थी या एटक थी या और कोई पार्टी जिसके कारण उन्होंने इन-इन कानूनों का उल्लंघन किया ?

यह भी बतायें कि अधिकांश भाग कुछ व्यक्तियों के हाथों में जाता है। यह गैर-सरकारी कंपनी गैर-सरकारी लोगों की है, वह इसका लाभ उठाते हैं तो वह किस को अधिकार देते हैं ? उन्होंने कितना काला धन बना दिया है। इससे सरकार की छवि तो आपने पहले ही बिगाड़ दी यह बहुत गंभीर प्रश्न है। हमारे हाउसिंग मिनिस्टर, ला मिनिस्टर और इण्डस्ट्री मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं, एक जरूरी बिल आ रहा है, आप लोग कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, इस पर ध्यान दें, इसमें सब की छवि बिगड़ गई है। मैं तो बचा हुआ हूं। भगत जी ने छवि सुधारने का काम किया है। अगर आप कोई बिल रखें तो स्पेसिफिक एक्ट रखें, सारी बातें न लायें। कितनी-कितनी धनराशि किस-किस संस्था से ली है और कितनी देय है और कब कब वह नहीं दी गई। यह बताना चाहिए। फिर आपने लिखा है कि कई मुकदमों में फंसे हुए हैं तो वह कौन से मुकदमे हैं ? किसी कंपनी के खिलाफ आपको जो स्पेसिफिक एलिगेशंस हों, वही लगाने चाहिए। आपने कह दिया कि सरकार इस कम्पनी का अधिग्रहण करले लेकिन क्या सरकार को इसका अधिकार है ? कौन से कानून के अन्तर्गत सरकार इस कम्पनी का अधिग्रहण करले ? सरकार को चुनौती देने वाला कानून भी है और हमारे देश की जुडीशियरी अलग काम करती है। हमारे भगत जी का मन और आशय तो साफ होगा लेकिन किस भावना से उन्होने यह बिल पेश किया है यह भी मालूम होना चाहिए। मैं तो समझता हूं यह अच्छा होगा कि वे इस बिल को अभी विदड्रा कर लें और फिर बैठकर समझ लें

कि उस पर कितना रुपया बकाया है, कितना रुपया मजदूर मांगते हैं, कितना काला-धन उन्होंने कमा लिया है और कुल कितना अन-एकाउन्टेड मनी होगा। अभी तो उनके पास, कोई भी फैक्ट्स और फीगर्स नहीं हैं। किसी कम्पनी को लोगों की नजरों में गिराना है, उस कम्पनी की आज व्यापार जगत में जो इज्जत बनी हुई है उसकी छवि को कम करने का अधिकार देश हित में माननीय सदस्य को है तो उनको यह सारे फैक्ट्स भी बतलाने चाहिए ताकि हम लोगों को भी मालूम हो सके कि आज पार्लियामेंट यहां पर जो बिल पास करने जा रही है,उसमें कानूनन वह कम्पनी का अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन अगर किसी कम्पनी के खिलाफ वे कोई बात कहते हैं और एक प्रकार के जनरल वेग एलिगेशंस लगाते हैं, तो उससे इस पार्लियामेन्ट की जो छवि है वह कम होती है। इसलिए आप मेहरबानी करके फैक्ट्स एण्ड फीगर्स दीजिए। श्रम मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं वे जरूर कानूनी कार्यवाही करेंगे। या अगर कोई अनएकाउन्टेट मनी है तो वह आप ब्लैक-मनी के तहत रिपोर्ट कीजिए, आपको इनाम भी मिलेगा और शायद एक चौथाई हिस्सा भी मिल जाए। अगर उस कम्पनी ने एक्साइज की चोरी की हो तो उसके लिए भी वित्त मंत्री ने यहां पर कहा हुआ है कि अगर कोई एक्साइज की चोरी की इत्तला करेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा तो उस इनाम से भी आपको वंचित नहीं रहना चाहिए।

मैं तो यह चाहता हूं कि भगत जी ने बड़ी मेहनत की है और उनके पास अगर यह फैक्ट्स हैं तो अभी बतला दें। (व्यवधान) यह बिल जो है इसमें तो आपने सिर्फ 6-7 लाइनें लिख दी हैं और कह दिया है कि इससे सरकार की छवि निखरेगी। लेकिन सरकार की छवि तो तब बिगड़ जायेगी जब इस कम्पनी को इस बिल के आधार पर वह ले नहीं सकेगी। बिना आधार के मन्त्री जी भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि भगतजी इस बिल को वापिस ले लें। उनके सिद्धांत को हम मानते हैं और हमारे मन में उनके प्रति आदर भी बहुत है लेकिन यह जो बिल है वह शायद उन्होंने नहीं बनाया है, हमारे भगत जी ने नहीं बनाया है, कोई और दूसरे भगत होते हैं उन्होंने ही शायद इसको बना दिया है। इस बिल को आप खड़े होकर कहिए कि मैं इस बिल के तथ्यों को रखूंगा। आप मंत्री जी से सम्पर्क स्थापित कीजिए कि यह काम गलत हो रहा है, इससे आपकी छवि सुधर जाएगी। पुलिस में एफ०आई०आर० दर्ज करने पर नियम 182 में कुछ कार्यवाही होती है। इस बिल को जिसने भी ड्राफ्ट किया है, मेहरबानी करके आप तथ्यों को दीजिए, जिससे मालूम हो की सरकार को घाटा हो रहा है और बाहर के लोग इतना लाभ उठा रहे हैं। माननीय सदस्य राज्य सभा के भी सदस्य रहे हैं, मैं अपील करूंगा कि वे फिर से इस बिल पर विचार करें और तथ्यों के साथ मंत्री जी के पास जायें। यदि आप की बात में तथ्य पाया गया तो मंत्री जी उसको मान लेंगे। न तो इस बिल के द्वारा इस कम्पनी का अधिग्रहण हो सकता है और न ही और कोई कार्यवाही हो सकती है। पार्लियामेन्ट में बिना कारण किसी पर दोष लगाना नियमों के अनुकूल नहीं है। मैं इस बिल का विरोध ही नहीं करता हूं, बल्कि निवेदन करता हूं कि हमारी कमेटी को इस बिल पर गौर करना चाहिए और तभी कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : सम्मानित सभापति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य श्री राम भगत पासवान जी, जिन्होंने कि इस बिल को मूव किया है, उन्होंने इसके संबन्ध में जो जागरूकता दिखाई है, उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। इसलिए भी कि उन्होंने राज्य सभा में रहते हुए भी इसके संबन्ध में अनेक प्रश्न किए और यह बिल सन् 1983 में राज्य सभा में भी इन्ट्रोड्यूस किया गया था, जिस पर किन्हीं

कारणों की वजह से विचार नहीं हो सका था। उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया है। अगर उनको यह सूचना मिली है कि कम्पनी द्वारा करों की चोरी की जा रही है या दूसरी अनियमितताऐं बरती जा रही हैं या कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उन्होंने एक प्रकार से इन सारी अनियमितताओं और कानून के उल्लंघन के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है। लेकिन जो सूचनाएं उन्हें मिली हैं, जिसके आधार पर यह बिल सदन में विचार के लिए प्रस्तुत हुआ, वे सूचनायें शायद तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। जो उद्देश्य और कारण माननीय सदस्य ने बिल के अंदर बताए हैं, जिन पर दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार रखे हैं, उसके अनुसार कम्पनी में लगी हुई सरमाया पूंजी 50 प्रतिशत से भी ज्यादा सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त पूंजी हैं, जबकि इसका फायदा निजी जेबों में जा रहा है। इसी प्रकार यह भी कहा है कि इसके प्रबन्धक मंडल द्वारा काला-धन अर्जित किया जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी की बड़ी रकम कम्पनी ने बचाने की कोशिश की है तथा उसका पैमेंट नहीं किया है। श्रम कानून के उल्लंघन के बारे में भी शिकायत की है और खास तौर से हमारे राजस्थान के सदस्य श्री व्यास जी ने तो बहुत चिन्ता व्यक्त की है। मैं यह समझता हूं—यदि ये सूचनाएं सही हैं तो अवश्य चिंता व्यक्त की जानी चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चूंकि आवंटित किये गये दो घंटे समाप्त हो गये हैं, इसलिये मंत्री को बोलने के लिये तथा प्रस्तावकों को उत्तर देने के लिये आधे घंटे का समय और दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर श्रम कानूनों का उलंघन किया जा रहा है, मजदूरों को उनके जो अधिकार हैं वे नहीं मिल रहे हैं, उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है, उन्हें दूसरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं तो जो चिंता व्यक्त की गई है, यह उचित ही है।

लेकिन इसके पहले कि मैं इनके बारे में विस्तार से जवाब दूं, मुझ से ज्यादा जवाब माननीय सदस्य श्री डी० पी० यादव ने, जो उनकी एक मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, दिया है। मेरे पास भी जो सूचनाएं हैं उनको मैं आपके सामने रखूंगा। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है—अगर आइ० टी० सी० का अधिग्रहण कर लिया जाय तो इससे सरकार को कम्पनी के होने वाले फायदे में से 300 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी, जिससे जो सरकार की योजनाओं के पूरा करने के लिये सार्वजनिक खर्चे हैं उनको पूरा किया जा सकेगा। यह भी शिकायत की है कि कंपनी का निदेशक मंडल या प्रबन्धक मंडल जरूरत से ज्यादा खर्च अपने ऊपर कर रहा है, चाहे उन का ट्रेवलिंग एक्सपेन्सेज हों, एडवर्टाइजिंग एक्सपेन्सेज हों, जिनके कारण इनके उत्पादन की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और अधिग्रहण से सरकार को इनकी कीमतों को कन्ट्रोल करने में मदद मिलेगी।

साधारणतया अधिग्रहण के मामले में सरकार की नीति यह है कि जहां पर सार्वजनिक हित में यह समझा जाय कि अधिग्रहण करना उचित है, उसके कुछ आधार हैं, अगर किसी यूनिट का उत्पादन जरूरत से ज्यादा गिर रहा है या उसमें मिसमैनेजमेन्ट (कुप्रबन्ध) हो रहा है, उस कुप्रबन्ध को रोकने के लिये, उसके प्रबन्ध को सुचारू रूप से चलाने के लिये, उत्पादन को बनाये रखने के लिये, उन परिस्थितियों में सरकार अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विचार करती है। साधारणतया ऐसा यूनिट जो स्वस्थ-इकाई है, जिसका उत्पादन ठीक हो, जिसका प्रबन्ध अच्छा हो, जहां अच्छी तरह से काम हो रहा हो, उन यूनिटस को सरकारी अधिग्रहण में लेने की साधारणतया नीति नहीं है।

अब इस यूनिट के बारे में जो पहली बात कही गई है कि इसमें सरकारी संस्थानों द्वारा 50 प्रतिशत रुपया दिया गया है—यह सही नहीं है। इसमें पब्लिक फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज, राष्ट्रीयकृत बैंक या इन्शोरेंस कंपनी द्वारा जो धन दिया गया है वह कुल धन का 34.80 प्रतिशत है। नान-रेजिडेन्ट कम्पनीज के द्वारा 37.28 प्रतिशत लगाया गया है। डाइरेक्टर्स और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो इसमें शेयर्स हैं, वे 0.05 परसेन्ट हैं, इण्डियन कारपोरेट वाडीज के शेयर्स 0.72 परसेन्ट हैं और अन्य के शेयर्स 27.15 प्रतिशत हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं, उसी के अनुसार उनको फायदा बंटता है। कम्पनी से होने वाला फायदा शेयर पेटर्न के अनुसार शेयरहोल्डर्स के बीच बंट जाता है, यह सभी जानते हैं।

जो मुख्य मुद्दा इस कम्पनी के खिलाफ उठाया गया, वह एक्साइड ड्यूटी, उत्पादन शुल्क की चोरी का है। श्रीमन् 1983-84 में इस कम्पनी को होने वाली कुल आय 698 करोड़ रुपये है और इसमें से 479 करोड़ रुपये इस कम्पनी ने उत्पादन शुल्क के तौर पर सरकार को दिया है और केवल 479 करोड़ रुपये दिये ही नहीं हैं बल्कि 7 करोड़ रुपये उसके लिए अलग कर दिये हैं जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में मामले विचाराधीन हैं, जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। फैसले होने के बाद वह राशि कंपनी की तरफ से देय होगी। श्रीमन्, ऐसा नहीं है कि यही कंपनी अकेले ऐसी है, जिसके मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हों। इसके अलावा अनेकों दुसरी इकाइयां हैं या दूसरे संस्थान हैं, जिनके उत्पादन शुल्क से संबन्धित मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसले भी दिये हैं लेकिन इस कंपनी के मुताल्लिक अपील पर अभी उनका फैसला नहीं हुआ है और जब वह फैसला हो जायेगा, उसके बाद जितनी भी राशि होगी, उस राशि को जैसा मुझे बताया गया है, यह कंपनी देगी।

जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यह महत्वपूर्ण है कि इस कंपनी की 698 करोड़ रुपये कुल आय है और उसमें से 479 करोड़ रुपये की राशि उत्पादन शुल्क के रूप में यह पहले ही दे चुकी है। मई 1983 में सेन्ट्रल एक्साइज और साल्ट एक्ट का जो सेक्शन 4 है, उसको लेकर कुछ विवाद था और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है लेकिन इस कम्पनी की जो अपील है, उसके बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। मुझे बताया गया है कि उस रुपये को यह कंपनी सरकार को देगी। इस कंपनी की जो वित्तीय आर्थिक स्थिति है, वह निश्चित रूप से संतोषजनक कही जा सकती है। माननीय सदस्य के इस बिल को सदन में रखने के बाद, मेरे पास रिजर्व बैंक की जो टिप्पणी आई है उसमें उन्होंने इस कंपनी की वित्तीय व्यवस्था के बारे में यह कहा है :

[अनुवाद]

"इसके लेखे तथा इसका समग्र कार्य निष्पादन पूर्णतः संतोष जनक है। इसका प्रबन्ध निदेशक बोर्ड के हाथ में है जिसमें विभिन्न वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों के प्रतिनिधि हैं। इसका प्रबन्ध सर्वोत्तम समझा जाता है और इसका व्यवसायिक गठन सर्वोत्कृष्ट है।"

[हिन्दी]

जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इस कंपनी ने जो एक्साइज ड्यूटी दी, 1984 में 479 करोड़, 1983 में 492 करोड़, 1982 में 400 करोड़, 1981 में 295 करोड़ और 1980 में 318 करोड़ थी। इसके पीछे मेरे कहने का मतलब यह है।

[अनुवाद]

श्री राजमंगल पांडे (देवरिया) : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

जबकि किसी सरकारी लेखा परीक्षक अथवा किसी सरकारी एजेन्सी ने कम्पनी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है; तो क्या मन्त्री महोदय को यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कम्पनी का

अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया है ? मंत्री महोदय इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि इसे अधिग्रहण क्यों नहीं किया जाता है और वह इस मामले का उत्तर दे रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सरकारी लेखापरीक्षक अथवा सरकार द्वारा नियुक्त की गई ऐसी किसी एजेन्सी को ऐसी किसी बात का पता नहीं चला है जो कम्पनी के विरुद्ध हो; तो जो कम्पनी को अधिग्रहण करने के लिये इस प्रकार की कुछ अनिमितताओं का होना जरूरी है। जब तक कम्पनी के विरुद्ध कुछ भी नहीं है; तो क्या सरकार को यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किस स्थिति में कम्पनी का अधिग्रहण या राष्ट्रीय कृत किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरे विचार से ये सब आरोप नहीं लगाये गये थे।

[हिंदी]

इसके अलावा जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो यह कहा गया है कि इसके ज्यादा फायदे निजी जेबों में जा रहे हैं, तो फायदे तो उसी के अनुसार दिये जायेंगे जितने कि शेअर किसी के कम्पनी में होंगे। जितना जिसका शेअर है उसी के मुताबिक उसको डिविडेंड बांटा जाएगा और उसी के अनुसार बांटा जा रहा है माननीय डागा साहब ने ब्लैक मनी की बात कही। तो उसको रोकने के भी कानून तरीके हैं। अगर उसकी कोई निश्चित शिकायत की जाए हमारे पास अथारिटी है, वह अथारिटी इसी कम्पनी के लिए नहीं बल्कि जितनी भी दूसरी कम्पनियां हैं जो ऐसा काम करती हैं अगर उनके खिलाफ भी हमारे पास शिकायत आती है तो हम कानून और अथारिटी के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

अभी माननीय राजमंगल पांडे जी कह रहे थे कि इस कम्पनी के बारे में यह सब कुछ बताना उचित नहीं है। चूंकि इस से पहले कई बातें यहां कही गई थीं और माननीय सदस्यों ने अपनी जानकारी के आधार पर कही थीं इसलिए मुझे यह मुनासिब लगा कि जो मेरे पास जो जानकारी है वह मैं यह दे दूं। वरना इसको कहने की जरूरत नहीं थी। मैं ऐसा समझता हूं कि इस मामले में जो भ्रम पैदा हुआ है वह दूर हो जाए तो ठीक है।

यह भी कहा गया कि इसका प्रबन्ध मण्डल अपने पर ज्यादा खर्च कर रहा है। इसके बारे में भी मेरे पास 1983-84 की एक मेजर आइटम है जो कि 83.10 करोड़ रुपये एक्सपेन्डीचर की है। उसमें से 34.73 करोड़ रुपया इस कम्पनी ने वहां पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी प्रोविडेंड फण्ड और वर्कमेन के वेल्फेअर के लिए इस्तेमाल किया। 6.32 करोड़ रुपया ट्रवलिंग और एडवारटाइजमेंट पर खर्च किया गया। मैं समझता हूं कि यह मुश्किल से कहा जा सकता है कि यह राशि जरूरत से ज्यादा थी।

इस कम्पनी ने कस्टम और एक्साइज ड्यूटी के रूप में पिछले वर्ष 479 करोड़ रुपया दिया इसके अलावा 7 करोड़ रुपया और भी दिया। 479 करोड़ तो सरकार के पास आया जिससे बहुत सारे सार्वजनिक काम निश्चित तौर पर किये जाते हैं। यह लाभ का दो-तिहाई से भी ज्यादा होता है। पूरे टर्न ओवर का दो-तिहाई होता है।

श्रीमान् यह अकेली कम्पनी नहीं है जो सिग्रेटें बना रही है। इसमें कम्पीटीशन का कम्पोनेट है जो अपने आप में मूल्य नियंत्रण रखने में मदद करता है। इसके अलावा कीमतों को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास असेशल कमोडिटीज एक्ट के प्रावधान हैं। अगर यह राय हो कि कीमतें

बहुत ज्यादा हैं तो उसके लिए नये बिल की जरूरत नहीं है। अन्सेशल कमोडिटीज एक्ट पहले से हमारे पास मौजूद है, उसके प्रावधानों से हम काम ले सकते हैं।

मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य और कारण माननीय सदस्य ने बताए हैं, मैंने जो तथ्य रखे हैं और उससे पहले श्री डी पी यादव जी ने जो मजदूर संस्था के अध्यक्ष हैं; और श्री डागा जी ने जो बातें बताई हैं, इसके बाद में यह समझता हूं कि उनका वह भ्रम और चिंता दूर हो गई होगी, जो उनको बिल को प्रस्तुत करते समय थी। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इसके बाद वे इस पर जोर नहीं देंगे और अपने इस बिल को वापिस ले लेंगे।

एक बात और कही गई, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, शायद श्री मनोहर सिंह जी ने कही थी, मछली के निर्यात के बारे में, तो कानूनी तौर से इसमें किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। जो फिश एक्सपोर्ट की गई है, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार कानूनीतौर से इसकी इजाजत थी। ऐसा नहीं है कि किसी कानून का उल्लंघन किया गया हो।

इसी तरह से स्माल स्केल इण्डस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने जाने की कोशिश की, उन क्षेत्रों में गए हैं जो पहले से रिजर्व रखे गए हैं स्माल स्केल इण्डस्ट्री के लिए। वह शिकायत भी एक माननीय सदस्य की तरफ से की गई थी कि उन्होंने त्रिवेणी हैण्डलूम में 10 प्रतिशत शेयर्स लिए हैं। सम्बन्धित विभाग से जानकारी मिली है कि उसमें भी किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। कानूनीतौर पर इसकी इजाजत थी।

माननीय सदस्यों ने जो रुचि इसमें दिखाई और जो योगदान किया और अपने विचार रखे, इसके लिए मैं उन सब सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और माननीय रामभगत पासवान जी से निवेदन करता हूं कि अब जब कि सारे तथ्य उनके सामने आ गए हैं, वे इस बिल को वापिस लेने की मेहरबानी करें।

श्री रामभगत पासवान (रोसेरा) : सभापति महोदय, मैं सदन के उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस पूंजीपति, करोड़पति, अरबपति कम्पनी के विरुद्ध और उनके कार्यकलापों के विरुद्ध जनता की ओर से सदन में आवाज उठाई। सभापति महोदय, डागा साहब यहां से चले गए हैं; इस सदन में 12 तारीख को मैंने भाषण दिया था और सारे तथ्यों से भरा हुआ वह भाषण था। उसमें कोई बनावटी भाषण नहीं दिया गया, बल्कि राज्यसभा में समय समय पर मैंने जो प्रश्न पूछे, उनके जवाब जो दिए, उनके बारे में बताया था। वे अब भी मेरे पास मौजूद हैं और मैं उनको सभापटल पर रख रहा हूं। माननीय यादव जी ने कहा कि लेबर फोर्स को इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है, सही है, लेकिन मैं भी आल इण्डिया लेबर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं और मेरे पास इस कम्पनी के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें हैं। क्या यह सही नहीं है कि 360 दिन काम करने के बाद भी मजदूरों को परमानेन्ट नहीं किया गया है और मजदूरों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम लिया जा रहा है। इसकी जांच कराई जाए और डी पी यादव जी बिहार के रहने वाले हैं, मैं भी बिहार से आता हूं। बिहार ही में मुंगेर में सिग्रेट की फैक्ट्री है और वहां के मजदूरों के साथ जो गैर-इन्साफी हो रही है, मैं यह सब कुछ आपके सामने रख सकता हूं। सभापति महोदय, माननीय डागा जी ने बहुत सी वकालत की है। उन्होंने कहा है कि बिना तथ्यों की जानकारी किए हुए मैंने यह बिल रखा है।...... **(व्यवधान)**

श्री सैयद मसुदल हुसेन : वे तो बहुत अच्छे वकील हैं।...... **(व्यवधान)**

श्री राम भगत पासवान : मालूम पड़ता है, सारे तथ्यों की उनको जानकारी है। दस मिनट का अगर वह समय दें तो मैं सदन के अन्दर सारे तथ्यों की जानकारी दे सकता हूं और बता सकता हूं कि कम्पनी ने कित । कानूनों का उल्लंघन किया है। एम० आर० टी० पी० एक्ट, फाइनेन्स एक्ट और इन्डस्ट्रियल एक्ट, इनका जो उल्लंघन किया है, वह मेरे प्रश्नों के जवाब में है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि 479 करोड़ रुपया इन्होंने चुकाया है। फाइनेन्स मिनिस्टर का पत्र मुझे अभी-अभी मिला है। वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मेरे विचार से राशि को वसूल किया जाना अभी शेष है क्योंकि ये मामले न्यायालय में विवास्पद स्थिति में हैं। न्यायालय के निर्णय के आधार पर वास्तविक राशि का हिसाब लगाया जा सकता है। तथापि न्यायालय का निर्णय अनिर्णीत रहने के बावजूद मै० इण्डियन टोबैको कंपनी लि० ने अब तक 19 करोड़ रुपये का तदर्थ भुगतान कर दिया है।

[हिन्दी]

यह आठ मार्च 1985 का फाइनेन्स मिनिस्टर का लेटर मेरे पास है यह एडहाक पेमेंट इन्होंने किया है जबकि प्रश्न के द्वारा यह पता लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1983 को आइ० टी० सी० से 109 करोड़ रुपया वसूल करने का आदेश दिया था जिसमें इन्होंने अभी तक 19 करोड़ चुकाया है। मुझे जो कुछ तथ्य मिला है, वह सरकार के माध्यम से ही मिला है। इसके बाद इन्होंने 33 मुकदमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किए हैं। मैं अभी भाषण नहीं दे रहा हूं बल्कि तथ्य बता रहा हूं। डागा साहब आ गए हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन भी रहते तो सारे तथ्यों की जानकारी इनको हो जाती। मैं फिर इनको जानकारी दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी वकालत की है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि 33 केसेज में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से स्टे आर्डर लिया है।

**.......ने लिखा है :

[अनुवाद]

"उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा लगभग 14 मामलों में स्थगन आदेश दिये जा चुके हैं। स्थगन आदेश को समाप्त करने के लिये सम्बन्धित न्यायालयों में आवेदन पत्र दिये जा चुके हैं। सूचीबद्ध किये गये तथा सुने गये मामलों की सूची तैयार करके विभाग ने भी उच्च स्तर पर विधि मन्त्रालय को पूर्ण सहयोग देने की बात स्वीकार कर ली जिससे कि न्यायलाय में कार्यवाही शीघ्र की जा सके। न्यायालय के समक्ष मामलों के बारे में भी बताया जा रहा है जिससे कि उन पर सुनवाई हो सके।"

सभापति महोदय : उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : स्टे लिया है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी बाकी है। इन्होंने एक्साइज की चोरी की है।......**(व्यवधान)**

श्री मूलचंद डागा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास सर्टिफाइड कापी है।......**(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम भगत पासवान : मेरे पास सब औरिजनल कापीज हैं। इनको यह भी पता नहीं कि जो औरिजनल कापीज हैं वह सर्टिफाइड हैं। संसद की छवि को इन्होंने धूमिल किया है।······(**व्यवधान**) संसद् सर्वोपरि है। अगर कोई गैर-कानूनी कार्य करे तो संसद उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। जनता और राष्ट्र के हित में मैं यह बिल लाया हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : किसी भी अधिकारी के बारे में जो भी कुछ कहा गया है, उसे कार्य-वाही वृत्तांय से निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : सभापति महोदय हमारे पास जो तथ्य हैं, जो कुछ मुझे जवाब मिला है, मैं उसको सदन के सभापटल पर रखने जा रहा हूं।

सभापति महोदय, एम आर टी पी एक्ट के अन्तर्गत ये नियम हैं कि कोई भी मल्टी-नेशनल कम्पनी देश में ग्रोथ नहीं करे, बढ़े नहीं। पहले इस कम्पनी का नाम अमेरिकन ब्रिटिश टोबेको कम्पनी था और आज इसका नाम इण्डियन टोबेको कम्पनी हो गया है। इसके नाम से सिर्फ इतना ही पता लगता है कि यह कम्पनी सिगरेट बनाती है, लेकिन यह समुद्र के किनारे-किनारे हजारों लाखों टन मछलियां पकड़ कर उनको फोरेन में एक्सपोर्ट करने का धंधा भी करती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कब इनको ऐसी परमीशन दी है।

इसके बाद मौर्य होटल में जब काले-धंधे की पकड़ के लिए रेड की गई, उसके तथ्य भी हमारे पास हैं ·····(**व्यवधान**)······उसमें इनके एक्जीक्यूटिव ने कोर्ट में जलाकर बेल ली है। हमारे साथी का जैसा कहना है कि बिना तथ्यों के आधार पर मैं अपनी बातें कहीं, मैं इनको तथ्यों की जानकारी देना चाहता हूं और उन तथ्यों को सदन के सामने लाना चाहता हूं। वे सारे पेपर्स मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं।

[अनुवाद]

राजधानी के होटल मौर्य का प्रबन्ध इण्डियन टोबैको कम्पनी के हाथ में है। उस पर यह आरोप है कि उसने दुकान का ताला तोड़ दिया, उसमें से आठ लाख रुपये का सामान निकाल लिया, उसकी साजसज्जा को तोड़-फोड़ डाला और फर्म ने भागीदार को डराया-धमकाया तथा उसकी शिकायत उसी न्यायालय में विचाराधीन पड़ी है।

गत 6 जुलाई को चोरी गई वस्तुओं के लिये मजिस्ट्रेट ने तलाशी वारंट जारी किये थे। एक पुलिस दल ने होटल के परिसर में छापा मारा था और अधिकांश वस्तुयें बरामद कर ली हैं जिनमें पश्मीना काश्मीरी शालें, हस्तशिल्प वस्तुयें, ऊनी कपड़े तथा पर्यटन संबंधी अन्य समान शामिल हैं।

"दूसरी बार की तलाशी में, पुलिस द्वारा "चरस" जैसी बस्तुओं के दो पैकेटों के बरामद होने का आरोप लगाया है।"

[हिंदी]

ये सारे तथ्य हैं। इसके अलावा सभापति महोदय मेरे पास 31 जुलाई, 1983 का पैट्रियट अखबार भी है, जो कि भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध अखबार है, उसमें भी इस कम्पनी के बारे में छपा है···यदि मुझे समय मिले तो मैं उन सारे तथ्यों को सदन के सामने रखना चाहता हूं जिनके द्वारा मुझे जवाब मिला है। इससे यह साफ हो जाता है कि इस कंपनी ने एम० आर० टी० पी० एक्ट, कंपनीज एक्ट और फाइनेंस एक्ट का उल्लंघन किया है।

सभापति महोदय, प्रश्न 1076 दिनांक 2.8.83 में यह कहा गया था कि आई०टी०सी०एल० के उत्पादन तथा बिक्री को छुपाने के आरोपों की जांच की जाएगी परन्तु आज तक कोई जांच नहीं की गई। यह मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। इसी प्रकार इनकी बोगस एजेन्सीज हैं, उनकी भी जांच किए जाने की बात कही गई थी, परन्तु अभी तक वह भी पूरी नहीं हुई है। यह मैं आपको मेरे प्रश्न के उत्तर में से बता रहा हूं। यह तथ्य हैं···(व्यवधान)···इसी प्रकार प्रश्न संख्या 1190 दिनांक 8.5.84 में यह स्वीकार किया गया है कि आई० टी०सी. एल. के वजीर सुल्तान ने 1.12.83 से लेकर 30.4.84 तक, बिना कीमत छापे 72 करोड़ पैकेट सिगरेट बनाए, जिन पर प्राइस नहीं छापा था। उस सम्बन्ध में भी कोई जांच नहीं की गई, जब कि जांच का आश्वासन दिया गया था। मैं ये सारे तथ्य सदन के सभा-पटल पर रख* रहा हूं, आप देख लें।

इसके बाद 1.1.84 से 30.4.84 तक प्रश्न संख्या 1190 के अनुसार आई० टी० सी० एल० के एक यूनिट ने 45.63 करोड़ रुपये का सिगरेट बेचा··· (व्यवधान) आप मुझे समय नहीं देंगे तो मैं कैसे बता सकूंगा कि मैंने अपना भाषण तथ्यों के आधार पर दिया था···

मैंने यह तथ्यों के आधार पर कहा है। यह कम्पनी सारे नियमों का उल्लंघन कर रही है। इसलिए राष्ट्र और देश के हित में यह आवश्यक है कि इसका टेकओवर हो जाना चाहिए। जब तक इसका टेकओवर नहीं होता है, तब तक माननीय संसद-सदस्यों की एक समिति बना दी जाए, जो इसकी जांच करे, जिससे इतनी बड़ी कपनी के बड़े-बड़े उद्योगपति इतना पैसा कमा रहे हैं और पूंजीपति बन रहे हैं और इसका लाभांश विदेशों में जा रहा है तथा एक्साइज-ड्यूटी, इन्कम टैक्स और बिक्रीकर को छिपाया जा रहा है, इसकी जांच हो सके। और इसके विरुद्ध भरसक कार्यवाही की जाए। इसके लिए माननीय सांसदों की एक जांच समिति बनाई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इन सारे तथ्यों को सभा-पटल पर रख रहा हूं और इस बिल को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं, लेकिन यह मांग अवश्य करता हूं कि एक जांच समिति बैठाई जाए ताकि राष्ट्र के हित में, देश की जनता के हित में इस कम्पनी की जांच हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड का उपयुक्त प्रबन्ध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सीमित अवधि के लिए, उस उपक्रम का प्रबन्ध-ग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम भगत पासवान : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : अब हम कार्यसूची की मद संख्या 15 लेंगे। प्रो० नारायण चन्द पराशर······

वह सभा में उपस्थित नहीं हैं।

हम मद संख्या 16 लेंगे। श्री सैफुद्दीन चौधरी।

*चूंकि अध्यक्ष ने बाद में अपेक्षित अनुमति नहीं दी, अतः ये पत्र सभा पटल पर रखे गये नहीं समझे गये।

वह भी यहां नहीं हैं ।

मद संख्या 171 श्रीमती विभा घोष गोस्वामी

4.57 म०प०

श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक

[अनुवाद]

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखती हूं

"कि विभिन्न उद्योगों तथा स्थापनों में नियोजित महिलाओं के कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

महोदय, मैं अपनी मातृ भाषा बंगला में बोलूंगी ।

*मुझे इस बात का हर्ष है कि हमें आज इस विधेयक पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला है । पिछला वर्ष महिला दशक का वर्ष था । क्या ही अच्छा होता कि यदि यह विधेयक आज की चर्चा के लिये पहले से ही अनुसूची में रखा जाता और सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में पता चल जाता । जैसा कि होता ही रहता है अनेक सदस्यों को विशेषकर महिला संसद सदस्यों को यह न पता था कि इस विधेयक पर आज चर्चा होगी । यदि उन्हें पता होता तो निश्चित ही वे अधिक संख्या में सभा में उपस्थित होतीं और इस चर्चा में भाग लेतीं । आशा के विपरीत इस विधेयक पर चर्चा होगी क्योंकि दो अन्य माननीय सदस्य जिन्हें पहले और विधेयक प्रस्तुत करने थे, प्रसंगवश सभा में उपस्थित नहीं हैं । कितना अच्छा होता कि सभी माननीय महिला सदस्य उपस्थित होतीं और इस सम्माननीय सभा के समक्ष इस विधेयक पर अपने विचार रखतीं । तथापि, मैं आशा करती हूं कि अगली बार और अधिक महिला सदस्य उपस्थित होंगी और चर्चा में भाग लेंगी ।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की महिलायें अपने देश के संविधान में दिये गये अधिकांश लाभों से वंचित हैं । अधिकांश महिलायें द्वितीय श्रेणी के नागरिकों का सा जीवन बिता रही हैं । और वे किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार हैं । पुरुषों की तुलना में श्रमजीवी महिलाओं, अर्थात् जिन्हें काम करने का अवसर मिलता है, की संख्या बहुत ही कम है ।

1981 की अद्यतन जन गणना में बताया गया है कि 6 करोड़ 63 लाख काम करने वाली महिलाओं में से 4 करोड़ 59 लाख महिलायें 'मुख्य श्रमिक' अर्थात् वे महिलायें हैं जो वर्षा के अधिकांश भाग में कार्यरत रहती हैं और 2.03 करोड़ महिलाएं 'सीमान्त श्रमिक' अर्थात् ऐसी महिलायें हैं जिन्हें वर्ष में समय-समय पर काम मिलता है । 1981 की जन गणना में 'श्रमिक' का अर्थ 1971 की जनगणना की तुलना में व्यापक रूप से लिखा गया है । 1971 की जनगणना में यह बताया गया था कि 52.5 प्रतिशत स्वस्थ पुरुष वास्तव में काम करते हैं जबकि केवल 13.8 प्रतिशत स्वस्थ्य महिलाएं काम करती पाई गई हैं । यह बात 1971 के जनगणना प्रतिवेदन में स्पष्ट की गई है ।

1981 की जनगणना में 'श्रमिक' शब्द का अर्थ व्यापक और उदारीकृत रूप में लिया गया है । उन लोगों को भी 'श्रमिक' माना गया है जिन्होंने एक वर्ष में किसी न किसी समय काम किया है और इस प्रकार यह विचार प्रकट करने की परियोजना बनाई गई है कि श्रम-जीवी महिलाओं

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।

की संख्या बढ़ गई है। किन्तु इस उदात्त परिभाषा के बावजूद यह देखा गया है कि श्रमजीवी महिलाओं की संख्या 21 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई हैं और 'मुख्य श्रमिक' महिलाओं की संख्या 4.59 करोड़ से अधिक नहीं है। हम इस स्थिति का अध्ययन एक और तरीके से कर सकते हैं। 1951 में श्रम-जीवी पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 1000 : 525 था अर्थात् प्रति हज़ार पुरुषों की तुलना में 525 महिला श्रमिक थीं।

1971 में यह अनुपात घटकर प्रति हजार पुरुषों की तुलना में 210 महिला श्रमिक रह गया। 1981 में उदारी कृत परिभाषा के परिणाम स्वरूप यह अनुपात थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिये था किन्तु अब भी महिला श्रमिकों की संख्या पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा बहुत कम है।

इस समय श्रम-जीवी महिलाओं को जो कल्याणकारी सुविधायें सुलभ हैं वे पूर्णतः अपर्याप्त और असन्तोष जनक हैं। जिन विभिन्न कारखानों और प्रतिष्ठानों में वे काम करती हैं, वहाँ सफाई, रोशनदान, प्राथमिक सहायता कैन्टीन आदि जैसे मदों पर तो ध्यान दिया जाता है किन्तु वहां श्रम कल्याण की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। वर्तमान कानून में श्रमजीवी महिलाओं और उनकी संतानों को समुचित चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं है।

कानून में इन सब सुविधाओं को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रायः नियोक्ताओं पर छोड़ा है। किन्तु नियोक्ता अधिकतर श्रमिकों को धोखा देते हैं और श्रम-जीवी महिलाओं, गर्भवती महिला श्रमिकों और इनके बच्चों को अपेक्षित लाभ प्रदान नहीं करते हैं। इसलिये, हम महसूस करते हैं कि कोई ऐसी प्रणाली अपनाई जाय कि महिला श्रमिकों और उनकी बच्चों को अच्छी कार्य दशा और अन्य सुविधाओं के प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार का हो और इस विधेयक के पुनःस्थापित करने का उद्देश्य भी यही है।

महोदय, इस श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक के तीन भाग हैं। पहले भाग में श्रमजीवी कल्याण निधि स्थापित करने का प्रावधान है। इस निधि में सरकार श्रमिक महिलाओं के वेतन के 10 प्रतिशत भाग के बराबर अंशदान देगी। इसके अलावा नियोक्ता उनके वेतन के 10 प्रतिशत भाग के बराबर अंशदान देगा। उस निधि में श्रमिक महिलाओं को कोई अंशदान नहीं देना होगा। निधि की स्थापना के बारे में इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक के दूसरे भाग में इस बात की व्यवस्था की गई है कि इस निधि का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा। निधि के उपयोग के उसी मद के लिये "महिला कर्मचारियों का किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में काम करने का अधिकार होना सुनिश्चित करना है।" हमारा यह अनुभव रहा है कि ऐसे अनेक स्थानों पर नियोक्ता पुरुष श्रमिकों को नियुक्त कर लेती है जहां महिलाओं की नियुक्ति उपयुक्त हो सकती है। पिछले दिन इस सभा में भी महिला कल्याण के बारे में चर्चा हुई थी। उस समय श्रीमती गीता मुखर्जी ने बताया था कि किस प्रकार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में महिला श्रमिकों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने तथा यह लिख कर देने के लिये विवश किया जाता था कि उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी पुरुष सदस्य को नियुक्त कर लिया जाय। इस प्रकार महिलाओं के स्थान पर पुरुषों को नियुक्त किया जा रहा है। बी०सी० सी०एल० भी बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों की छंटनी कर रहा है। बबेजा समिति के प्रतिवेदन के परिणाम स्वरूप बी० सी० सी० एल० में लगभग 50,000 महिला श्रमिक फालतू हो जाएगी। खुली भट्टी खानों में भी महिलाओं को भर्ती नहीं किया जा रहा है केवल पुरुषों को भर्ती किया जा रहा है। जब भी कोई महिला रोजगार से हटती है। तो उसके स्थान पर किसी पुरुष को नियुक्त कर दिया

जाता है। महिला के स्थान पर महिला को भर्ती नहीं किया जाता। इसलिये ऐसा कानून बनाया जाय कि किसी महिला के स्थान पर किसी महिला की ही नियुक्ति की जाय। उसके स्थान किसी पुरुष को भर्ती करने की अनुमति न दी जाये। कोयला खानों में एक ऐसा काम होता है जिसे 'शैल पिकिंग' कहा जाता है। इस काम में यह सुनिश्चित करना होता कि जो कोयला खान से निकाला जाय उस कोयले के साथ कोई पत्थर न मिल जाये। 'शैल पिकिंग' का काम महिलाएं बड़ी कुशलता पूर्वक करती हैं। किन्तु 'शैल पिकिंग का यह काम खानों में समाप्त किया जा रहा है। इस विधेयक का काम यह सुनिश्चित करना है कि उन सभी स्थानों में महिलाओं को ही नियुक्त किया जाये जहां वे ढंग से काम कर सकती हैं। इस निधि का उपयोग इस प्रयोजना के लिए किया जाएगा। दूसरे, इस निधि का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा कि समान कार्य के लिये महिला कर्मचारियों को भी समान वेतन दिया जाय। इस संबन्ध में मेरा एक अनुरोध है। हमने यह देखा है कि उसी क्षेत्र में, जहां सरकार वेतन निर्धारित करती है, महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है। उदाहरण के तौर पर वृक्षारोपण का मामला है, जहां सरकार स्वयं वेतन निर्धारित करती है; वहां भी महिला श्रमिकों के साथ भारी बेइन्साफी की जा रही है। जो काम पुरुष करते हैं; उसी काम के लिए अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जाता है। सरकार को इस बात को दुरुस्त करे।

इसके अलावा इस 'श्रमजीवी महिला कल्याण निधि' का उपयोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि श्रमिकों की कुल संख्या में धीरे-धीरे और निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या बढ़े। मैं पहले बता चुकी हूं कि उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों में भी महिला श्रमिकों की संख्या दिन प्रतिदिन किस प्रकार कम होती जा रही है, जहां परम्परागत रूप से महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता था। उदाहरण के तौर पर पटसन मिलों का नाम लिया जा सकता है। सभी पटसन मिलों से व्यावहारिक रूप से महिला श्रमिकों को निकाल दिया गया है, जहां कभी बड़ी संख्या में महिलायें ऐसे स्थानों पर काम करती थीं, हमने यह भी देखा है कि उन स्थानों से भी महिला श्रमिकों को निकाल दिया गया है जहां उन्हें बहुत ही कठिन और कष्ट देने वाला काम दिया जाता है। महिलायें आमतौर पर गैर-तकनीकी और अप्रशिक्षित होती हैं। इसलिये उन्हें इस प्रकार का छोटे से छोटे मिल का काम दिया जाता है जिसके लिए कम पारिश्रमिक देना होता है और जिसके लिए बहुत धैर्य और सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। पुरुष श्रमिकों को अधिक पारिश्रमिक वाला कार्य दिया जाता है जिसके साथ और भी लाभ होते हैं। दुर्भाग्यवश महिलाओं को प्रशिक्षण पाने के कम अवसर प्राप्त होते हैं और फलस्वरूप उन्हें अच्छे और अधिक पारिश्रमिक वाले काम नहीं मिल पाते हैं। इसलिए, उन्हें अधिक ऊबा देने वाले, जटिल और कठिन कामों पर नियुक्त किया जाता है। किसी समय में बम्बई की कपड़ा मिलों में 25% महिलायें काम करती थी। 1983 में हुई एक चर्चा के अनुसार उनकी प्रतिशतता गिरकर 5% रह गई थी। आज 1985 में, मुझे संदेह है कि बम्बई के कपड़ा मिलों में केवल 3% महिलायें भी काम करती हैं अथवा नहीं। इसके अलावा चाय बागानों में 1971 तक पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा महिला श्रमिकों की संख्या अधिक थी। कुल श्रमिकों की संख्या में भी पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा महिला श्रमिकों की संख्या अधिक थी। किन्तु 1972 में यह देखा गया कि पुरुष श्रमिकों की संख्या महिला श्रमिकों की संख्या से 25,000 अधिक थी। यह अन्तर पुरुषों के पक्ष में निरन्तर बढ़ रहा है। तम्बाकू तथा नारियल जटा के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। खानों में महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही

है। 1951 में खान में काम करने वाले श्रमिकों में 20 प्रतिशत महिला श्रमिक थीं। 1971 में उनकी संख्या घटकर 12 प्रतिशत रह गई। 1973 में उनकी संख्या 30,000 थी। 1982 में यह देखा गया कि खानों में काम करने वाली महिला श्रमिकों की संख्या घटकर केवल 12,000 रह गई है। उनकी संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। यह खेद का विषय है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् बी० सी० सी० एल० में भी महिला श्रमिकों की छटनी की जा रही है। हमारे संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार हैं। हम यह चाहते हैं कि सामाजिक उत्थान के उत्पादक कार्यों में महिलायें अधिक से अधिक संख्या में आगे आकर हाथ बटायें। हम यही चाहते हैं। अन्यथा महिलाओं को समान अधिकार कभी प्राप्त नहीं हो सकते। जब तक महिलायें आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर नहीं बनेंगी तब तक उन्हें बराबर के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। हम सब इस बात को जानते हैं। जब तक महिलायें आर्थिक रूप से परतंत्र रहेगी तब तक इनका सामाजिक अथवा आर्थिक स्तर नहीं उठ सकता है। इसलिए, हम लोग यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें कि अपने देश के कार्य बल में अधिक से अधिक संख्या में महिलायें 'मुख्य श्रमिक' के रूप में कार्य करें। इसलिये मैं चाहती हूं कि इस विधेयक के माध्यम से प्रस्तावित निधि का उपयोग इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिये। महिला श्रमिकों को पर्याप्त लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वर्तमान श्रमिक कानूनों में समुचित संशोधन करने का यत्न किया जाय। उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक में महिलाओं की देख-भाल बच्चों की संबंधी सुविधायें प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यदि बच्चों की देख-भाल संबंधी पर्याप्त सुविधायें नहीं होती हैं तो प्रबल अच्छा होते हुए भी बहुत सी मातायें काम पर नहीं जा सकती हैं। बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। उन्हें राष्ट्र की सम्पत्ति समझकर राज्य को उनका उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिये और उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस विधेयक में इसका भी प्रावधान किया गया है।

महिलाओं की विशेष समस्या है समुचित आवास अथवा आवास सुविधा का न होना। हमारे देश की महिलाओं को आवास संबंधी अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता होती है। महिलायें किसी भी स्थान पर और किसी भी जगह नहीं रह सकती हैं उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधायें चाहिए।

उनके अपने कार्य स्थल के पास ही सुरक्षित आवास दिया जाय जहां परिवहन की पर्याप्त सुविधा हो जिससे कि वे लोग अपने कार्य स्थान पर पूर्ण सुरक्षा के साथ आ जा सकें। इस विधेयक में इसकी व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था की गई है कि महिलायें जहां काम करती हैं उन स्थानों की कार्य दशा सुधारने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाये। प्रसूति सुविधा के बारे में भी एक बात कहनी है। यह प्रश्न बच्चों की देख-भाल से संबद्ध है। महोदय, महिला दशक के इस अंतिम वर्ष में भारत सरकार को स्वतः पहल करके यह घोषणा करनी चाहिए कि नवजात शिशु और उनकी माताओं, दोनों के प्रति हमारा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है और सरकार इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। देश के किसी भी भाग के प्रत्येक बच्चे और उसकी माता के लिए भारत सरकार बच्चों की देखभाल और मातृत्व सुविधायें यथा प्रसूति-छुट्टी का भुगतान करेगी। सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि देश भर की महिलायें और गर्भवती महिलायें चाहें वे कारखानों में काम करती हैं अथवा खेतों में, उन्हें मातृत्व और बच्चों की देखभाल की पूरी सुविधायें प्रदान की जायेंगी। इस वर्ष में सरकार के लिए यह घोषणा करनी आवश्यक है।

इस विधेयक में श्रमजीवी महिलाओं में लिये उनके कार्य स्थल के नजदीक और अधिक उपयुक्त होस्टलों में निर्माण प्रावधान किया गया है जिससे कि वे सुरक्षित रह सकें और अधिक संख्या में नौकरी कर सकें। इस विधेयक में कुछ ऐसे परम्परागत कार्यों से महिलाओं के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से सुरक्षा करने की व्यवस्था की गई है।

इसलिये, इस विधेयक के प्रथम भाग में श्रमजीवी महिला कल्याण निधि प्रतिष्ठापित करने की तथा दूसरे भाग में इस निधि के उपयोग करने की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक के अंतिम भाग में इस कानून को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा, इस की व्यवस्था की गई है। इस कानून को प्रभावी बनाने अथवा कार्यान्वित करने के लिए मैंने यह प्रावधान किया है कि प्रत्येक क्षेत्र अथवा उद्योग या प्रतिष्ठान में एक सलाहकार समिति गठित की जाये जिसमें तीन प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व हो।

प्रथम में सरकारी प्रतिनिधि, द्वितीय में नियोक्ताओं के प्रतिनिधि और तीसरे में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि होने चाहिये। किन्तु, यहां भी मैंने यह कहा है कि इन प्रतिनिधियों का चयन करते समय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाये, क्योंकि यदि प्रतिनिधि महिलायें होंगी तो वे श्रमजीवी महिलाओं की समस्याओं को और अधिक नजदीक से देख सकती हैं और उन पर और अधिक सहानुभूति-पूर्वक निर्णय ले सकती हैं। इस कानून का कार्यान्वियन इन सलाहकार समितियों के माध्यम से किया जाएगा। इस विधेयक में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक केन्द्रीय सलाहकार समिति के गठन का भी प्रावधान है। यह केन्द्रीय सलाहकार समिति देश भर की अन्य क्षेत्रीय सलाहकार समितियों और राज्य स्तर की समितियों पर निगरानी रखेगी और समन्वय करेगी। देश भर में इस कानून के प्रवर्तन तथा कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनेक कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।

अब, इस कानून को अधिक कारगार ढंग से कार्यान्वित करने के लिये यह बात सही-सही रूप से जाननी बहुत आवश्यक है कि किस विशेष प्रतिष्ठान में कितनी महिलायें काम करती हैं। इसके लिए इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जिले में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें प्रत्येक नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में काम करने वाली सभी महिलाओं की संख्या और उनका ब्योरा बर्ज करेगा। जिला स्तर की सलाहकार समितियों को इन नियोक्ताओं से ये ब्यौरे एकत्र करने का अधिकार और उत्तरदायित्व होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में जिला सलाहकार समितियों को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस प्रतिवेदन से यह पता चलेगा कि सेवारत महिलाओं को क्या-क्या कठिनाइयां हुई और वर्ष के दौरान उन्हें क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई आदि। राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को ये सूचनायें एकत्र करने का अधिकार होगा कि विभिन्न संगठनों में कितनी महिलायें काम करती हैं, उन्हें क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं और उन्हें किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आदि। सरकार द्वारा मांगे जाने पर ये सब आंकड़े और सूचनायें उपलब्ध करानी होंगी। सरकार को इस बात की जांच-पड़ताल करने का अधिकार होगा कि इस कानून का किसी प्रतिष्ठान में पूर्णत: कार्यान्वियन किया जा रहा है अथवा नहीं। अंत में यह प्रावधान किया गया है कि नियोक्ताओं द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ पहले से हुए समझौतों अथवा लगाई गई शर्तों पर भी यह कानून प्रभावी होगा। किसी गरीब महिला को रोजगार पाने के लिए हो सकता है कोई अवांछित समझौता करना पड़ा हो। हमें पता है कि हमारे समाज में आर्थिक तंगी के कारण महिलाओं को अपमानजनक परिस्थितियों के अधीन रोजगार

स्वीकार करने पड़ते हैं। यहां तक कि उन्हें बंध पत्रों पर भी हस्ताक्षर करने होते हैं । यह कानून ऐसे सभी समझौतों पर भी लागू होगा । यदि किसी स्थान में महिलाओं को कुछ अतिरिक्त सुविधायें अथवा लाभ प्राप्त होते हैं, जो इस विधेयक में शामिल नहीं किए गए हैं; तो वे महिलाएं इस विधेयक में दी गई सुविधाओं के अलावा उन पूर्व सुविधाओं का लाभ उठाती रहेंगी ।

जैसाकि सामान्य रूप से कहा जाता है, यह कहा गया है कि इस विधेयक के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के किस प्रकार अधिसूचनाएं आदि जारी करेगी ।

5.14 म०प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

महोदय, यह विधेयक पूर्णतः, अविवादास्पद है । इसके विरोध में कुछ भी कहने को नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सदन के सभी वर्ग इस विधेयक को पूरा समर्थन देंगे और एक मन से स्वीकृत करने के लिए मदद करेंगे। हम सभी अपनी महिलाओं के लिए काम की सही दशाओं की व्यवस्था और अपने के बच्चों भविष्य के सरक्षण में दिलचस्पी रखते हैं चूंकि यह पूर्णतः अविवादास्पद है, मुझे आशा है कि इस विधेयक का सभी एक मत हो कर समर्थन करेंगे विधेयक के पृष्ठ 2, पंक्ति 32-35 के कुछ मुद्रणसंबंधी गलतियां हैं । आगामी अवसर पर मैं यदि आवश्यक हुआ तो, आवश्यक शुद्धियां शामिल करके एक संशोधन का पेश करूंगा ।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए कितना समय आवंटन करना चाहिए ? मैं समझता हूं 2 घण्टे काफी होंगे ।

कुछ सदस्य माननीय : जी हां, महोदय, कम से कम 2 घण्टे दिए जाने चाहिए ।

सभपति महोदय : अब श्री शान्ताराम नायक बोलेंगे ।

श्री शान्ताराम नायक (पाणाजी) : महोदय, मैं इस विधेयक के जिसे श्रीमती गोस्वामी ने पेश किया है, उद्देश्यों से सिद्धान्ततः सहमत हूं । मूलरूप से मैं चाहूंगा कि सभी श्रम विधानों को एक श्रम संहिता में शामिल किया जाए । आज इस अवस्था में यह प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्ग्रस्त नहीं है । लेकिन चूंकि श्रम मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि देश में श्रम कानून के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक मुक्त विधाननहीं बनाया गया है । यह बहुत आवश्यक है कि टुकड़ों में विभाजित इन विधानों को जिसमें महिला के कल्याण के लिए विधान भी शमिल है, एक श्रम कानून में संहिता बद्ध किया जाए । इस प्रयोजन के लिए मैं निवेदन करता हूं कि श्रम समस्याओं के साथ संबधित सभी कानूनों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए । जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसमें विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं । इस विधेयक पर विचार करते समय मैं सुझाव देना चाहता हूं कि महिला श्रमिक से संबंधित जो भी विधान आज मौजूद हैं आंशिक रूप से या पूरी तरह से उनकी इस विधेयक में निर्धारित उद्देश्यों के प्रकाश में पुनरीक्षा की जानी चाहिए और महिलाओं के बारे में संशोधन के द्वारा या अन्यथा जो कुछ किया जा सकता है वह किया जाना चाहिए तथा मौजूदा कानूनों की पुनरीक्षा कर उन्हें इन उद्देश्यों को शामिल किया जाना चाहिए ।

आज वह समय है जब हमें महिला श्रमिकों के बारे में अधिक ध्यान से और अधिक महत्व से विचार करना है । मैं यह भी सुझाव देता हूं कि श्रम मत्रालय और भारत सरकार कतिपय उद्योगों में चाहे वे छोटे कुटीर उद्योग या अन्य उद्योग हों, महिलाओं को रोजगार देने के लिए सुरक्षित रख देना चाहिए । मैं इस तरह के विस्तार तक जाऊंगा ।

कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें महिलाओं द्वारा अच्छी तरह से या सुविधाजनकरूप से किया जा सकता है। इस तरह के उद्योगों को पूरी तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए और वहां केवल महिलाओं को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं हाल ही में सोवियत रूस गया था। मैं नहीं जानता कि वहां इस तरह का कोई कानून प्रचलित है या नहीं। लेकिन कई स्थानों पर मैंने केवल महिलाओं को ही काम करते देखा; और इस पहलू पर विचार करने के लिए हमारे पास यही समय है।

धारा 6 यह कहा गया है:

"केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए जहाँ उद्योग तथा स्थापन स्थित हैं इस क्षेत्र के संबंध में नगर स्तर आदि पर सलाहकार समितियां गठित करेगी।"

सलाहकार समिति की व्यवस्था करने के लिए एक प्रावधान है जिसमें सम्भवत: महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां यह प्रावधान है कि महिलाओं के शामिल करने में प्राथमिकता दी जाएगी, मैं आवश्यक रूप से यह सलाह दूंगा कि इस तरह की परामर्शदात्री बोर्डों में महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए। केवल यही नहीं बल्कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जहां प्राधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जहां कहीं भी विधान बनाए जाते हैं, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कुछ प्राधिकारों की आवश्यकता होती है। मैं सुझाव दूगा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत भी वे महिलाओं को ही आवश्यकरूप से नियुक्त किया जाए। अब एक संवैधानिक प्रश्न उठ सकता है लेकिन मैं सोचता हूं कि जब संविधान के मूल अधिकारों में कई छूटें दी गई हैं और जब इन छूटों को देश के हित में, शांति के हित में और अन्य परिस्थितियों में अच्छा समझा गया तो मैं समझता हूं कि इस देश की महिलाओं को ऊपर उठाने के प्रयोजन के लिए इस तरह के प्रावधानों या छूटों पर उच्चतम न्यायालय या भारत के अन्य न्यायालय अवश्य विचार करेंगे और वे इस विधान के किसी ऐसे अनुच्छेद को या किसी विधान को रद्द नहीं जो महिलाओं के उत्थान में सहायक है।

अनुच्छेद 11 में कहा गया है :

"संबधित सरकार, ऐसे नियोजक से, जो अपने उद्योग या स्थापन में महिलाएं नियोजित करता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे आकड़े और अन्य जानकारी ऐसे रूप में तथा इतनी अवधि के भीतर, जो विहित की गई हो, भेजने की अपेक्षा कर सकती है।"

मैं समझता हूं कि कानून लागू न होने की स्थिति में दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया है। सामान्यत: जब कभी कोई विधान बनाया जाता है तो उसका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उस प्रयोजन के लिए कुछ दण्ड प्रावधान होना चाहिए। ताकि यदि कोई नियोजक उस विधान के किसी प्रवधान को नहीं मानता है तो उस मामले में कुछ कार्यवाही की जा सकें।

अन्य पहलू जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह महिलाओं के ट्रेड यूनियन गतिविधियों के बारे में है। जहां तक महिलाओं की ट्रेड यूनियन गतिविधियों का संबध है उन्हें सुविधाए देने के बारे में प्रावधान किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि इस अधिनियम में या किसी विधान में इस बारे में महिलाओं की ट्रेड यूनियन गतिविधिओं की व्यवस्था के लिए इस विचार से शीघ्र प्रावधान होना चाहिए कि यदि ट्रेड यूनियन अधिनियम ट्रेड यूनियन को गठित करने के उद्देश्य से कतिपय आवश्यकताओं की व्यवस्था करता है तो ट्रेड यूनियन बनाने के लिए महिलाओं को कुछ रियायतें देनी चाहिए। जहां तक सांख्या का सबंध है और अन्य पहलुओं का संबंध है तो महिला

ट्रेड यूनियन को कुछ छूट देनी चाहिए। उनकी संख्या कम होने पर भी उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए और इस तरह हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाती है।

आखिर में, हालांकि मुख्य रूप से मैं इस विधेयक में निर्धारित प्रावधानों से सहमत हूं, मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को यह मामला अपने ऊपर लेना चाहिए। सरकार माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकती है कि वे इस तरह के विधान को स्वतन्त्र रूप से कुछ अन्य अधिनियमों द्वारा लाने पर विचार करेगी और माननीय सदस्य को यह विधेयक वापिस लेने का अनुरोध करेगी ताकि वे इस विधेयक में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक विधान ला सकें।

इसलिए उनकी ओर से मैं माननीय सदस्य को विधेयक वापिस लेने का अनुरोध करता हूं ताकि इस विषय में सरकार एक व्यापक विधान आगे ला सकें।

सभापति महोदय : श्री हरीश रावत।

[हिंदी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, संविधान हमारी महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार की बात करता है, लेकिन जब तक आर्थिक आजादी, आर्थिक रूप से महिलाओं को सक्षम नहीं किया जाता तब तक संविधान के प्रावधानों से या कुछ कानून बना देने से काम नहीं चल सकता। इस बिल के माध्यम से भी बिल के मूवर ने कुछ ऐसे मामलों की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहा है।

एक बात सर्विस कंडीशंस के बारे में है। जहां पर महिलाएं काम करती हैं सरकारी महकमों में, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, चाहे वे किसी भी महकमे में काम करती हों। जहां प्राइवेट कंसर्न में महिलाएं काम करती हैं वहां भी उनके रहने के लिए होस्टल आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वर्किंग विमेन होस्टल बनाने चाहिए। परसों जब बहस चल रही थी तो समाज कल्याण मंत्री जी ने बताया था कि इस प्रकार के 350 वर्किंग विमन होस्टल सारे देश में बनाए जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह संख्या बहुत अपर्याप्त है, जितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं आगे आ रही हैं नौकरियों में और आर्थिक क्षेत्र में, उस हिसाब से सरकार को उन्हें सुविधाएं देने के मामले में आगे आना चाहिए। अलग-अलग मामलों को लेकर अलग-अलग प्रकार के लेजिसलेशन बनाने की जरूरत है। कुछ महिलाएं जो खेतों में काम करने वाली हैं या दूसरे अन-आर्गनाइज सैक्टर में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आर्गनाइज सैक्टर में काम करने वाले लोगों के मामले जो उठाए जा सकते हैं, मगर अन-आर्गनाइज सैक्टर में काम करने वाले लोगों की बात नहीं उठ पाती है। मैं यहां पर बीड़ी वर्कर्स का जिक्र करना चाहूंगा। मुझे आंध्र और कर्नाटक में देखने का मौका मिला, वहां महिलाएं ज्यादातर बीड़ी बनाने के काम में लगी हुई हैं और जिस प्रकार की सर्विस कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता है, वे इतनी दयनीय हैं कि उनकी हालत को देखकर कोई भी आदमी द्रवित हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उनके क्षेत्र में भी काफी बीड़ी मजदूर महिलाएं काम करती हैं। मैं समझता हूं कि वहां तो करीब 60 परसेंट ऐसा काम महिलाएं ही करती हैं। उनकी सर्विस कंडीशंस और उनकी कठिनाइयों के विषय में आप काफी वाकिफ हैं। कानून भी है लेकिन वह अपर्याप्त है। जो एम्पलायर है, वह बाध्य नहीं करता है। अगर वह बाध्य करता है तो उस बाध्यता को स्वीकार नहीं किया जाता। अगर स्वीकार नहीं करता है तो उसे दण्ड देने के लिए हमारे पास कोई कारगर तरीका नहीं है जिससे कि कानून को लागू किया जा सके। भाई शांता राम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कुछ सर्वि-

सेज ऐसी होनी चाहिए जो केवल महिलाओं के लिए हो और उनमें अधिकांश प्रतिशत महिलाओं का ही होना चाहिए जिस तरीके से रूस में है या जितने हमारे सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, उनमें है। होटल्स, एयर-लाइन्स और बैंक्स वगैरह में अधिकांश महिलाएं ही काम करती हैं। हम अगर कानून बनाकर लागू न भी करना चाहें तो कम से कम गवर्नमेंट कन्सन में एक कन्वेन्शन बना दिया जाना चाहिए और अधिकारियों, को इस प्रकार के निर्देश होने चाहिए कि अधिकांश महिलाओं को ही लिया जाए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं ही काम कर सकें। इससे उनमें स्वावलम्बन की भावना बढ़ेगी। इण्डस्ट्रीज के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं। इण्डस्ट्रीज और एडवरटाइजमेंट्स के जाब्स में तो महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं। लेकिन कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के काम में थोड़ी बहुत महिलाएं ही आगे आई हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन जो इण्डस्ट्रीज को गांवों में लगाता है, वह आगे आकर महिलाओं को अधिक से अधिक उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था सुधरेगी और जो आदमी काम पर लगे हुए हैं, उनको भी रोजी-रोटी कमाने के विषय में मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी छोटे-छोटे उद्योग हो सकते हैं, जिनसे कंज्युमर आइटम प्रोड्यूस हो सके, उसके लिए महिलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इस समय महिलाओं और पुरुषों को बराबर मात्रा में पैसा दिया जाता है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं और पुरुषों को एक ही प्रकार का अवसर दें और कहें कि आप कम्पीट कीजिए और महिलाओं को किसी विशेष प्रकार का संरक्षण नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता कि महिलाएं पुरुषों के साथ उस कम्पीटीशन में टिक सकें। ऋण और दूसरी सुविधाएं देने के मामले में भी बैंक्स और अन्य गवर्नमेंट आरगेनाइजेशन्स को भी उदारता बरतनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लगती कि इसको स्वीकार कर लें। इसके प्राविजन अपने आप में कांट्राडिक्टरी है। एक तो यह कहा गया है कि महिलाओं की ट्रेड यूनियन अलग बननी चाहिए। आपकी पार्टी इस विषय में कई प्रकार के विचार रखती है। कई ट्रेड यूनियन ऐसी हैं जिनमें आपकी पार्टी का बोलबाला है, वहां महिलाओं को आगे ला सकते हैं। जहां हमारी पार्टी का बोलबाला है, वहां हम लोग महिलाओं को आगे ला सकते हैं, किसी प्रकार का कानून बनाकर नहीं। यह नहीं किया जा सकता कि इसके लिए महिलाओं को ही प्रधान बनाया जाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें बाहर से देखने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयां मंत्री जी के सामने हो सकती हैं। मंत्री जी की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए बिल की भावनाओं का समर्थन करता हूं। माननीय सदस्या जिस उद्देश्य से इस बिल को लाई हैं, वह मकसद इससे पूरा नहीं होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री ए० के० सेन एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

17.40 म०प०

श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात् दिल्ली में सुनियोजित रूप से हिंसा किये जाने के आरोपों की जांच करने लिए एक जांच आयोग के गठन के बारे में वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : महोदय, सदन को गृह मंत्रीद्वारा 11 अप्रैल, 1985 को दिये गये वक्तव्य का स्मरण होगा जिसमें स्व० प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की

हत्या के बाद दिल्ली में संगठित हिंसा के संबंध में लगाये गये आरोपों की न्यायिक जांच करने के लिए सरकार के निर्णय की घोषणा की गई थी। यह भी घोषणा की गई थी यह भी घोषणा की गई थी कि उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश जांच आयोग का अध्यक्ष होगा।

2. इस संदर्भ में, मैं सरकार द्वारा इस संबंध में और आगे किये गये निर्णयों की घोषणा करता हूं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा जांच आयोग के अध्यक्ष होंगे। जांच आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद घटी संगठित हिंसा की घटनाओं के बारे में आरोपों की जांच करना; और

(2) ऐसे उपायों का सुझाव देना, जो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किये जा सकते हैं।

3. जांच आयोग से छ: महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में अधिसूचना आज सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है।

5.41 म०प०

श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक
(जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब चर्चा जारी रहेगी। श्री सत्यगोपाल मिश्र।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, इस विधेयक का समर्थन करना तथा हमारे समाज की महिलाओं के कल्याण के बारे में कुछ बोलना, प्रसन्नता की बात है। इस बारे में, मैं विधेयक को पेश करने वाले को बधाई देता हूं तथा मेरे से पहले भाषण देने वालों ने जो विचार पेश किए उनका भी स्वागत करता हूं। यह बहुत ही सुविचारित तथा अविवादनीय विधेयक है। मेरा यह भी विचार है कि इसे सदन के हर कोने से समर्थन मिलेगा।

इस विधेयक में कुछ बातें हैं। सर्वप्रथम यह है कि जहां तक रोजगार के प्रश्न का सम्बन्ध है, पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी उद्योग या संगठित क्षेत्र में रोजगार देते समय केवल उसकी योग्यता तथा अर्हता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आजकल, हमारे देश में, लगभग 50% महिलाएं हैं··· (व्यवधान) ये 50 प्रतिशत से थोड़ी सी कम भी हो सकती हैं। 52 प्रतिशत पुरुष हैं तथा 48 प्रतिशत महिलाएं हैं। परन्तु यदि हम रोजगार के क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां इस अनुपात को नहीं निभाया जाता। हमारे देश में हर जगह हम देखते हैं कि नियोक्ता जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो भेदभाव रखते हैं। विशेष रूप से वे महिलाओं को अपने संगठन में नहीं रखना चाहते। हमारे समाज में, जहां पुरुष का अधिपत्य है, वहां महिलाओं के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिक जैसा बर्ताव किया जाता है। मेरे विचार से इस प्रणाली को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमारे देश की महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए हम सभी को एक जुट होकर कार्य करना चाहिए। वे और कुछ नहीं हैं बल्कि हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी पत्नियां हैं आदि।

इस विधेयक में दूसरी बात है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यह नारा वहां है तो सही, परन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जाता। बीड़ी महिला कामगारों के बारे में श्री हरीश रावत ने यह बात कही थी। मैं बहुत से क्षेत्रों में गया हूं जहां मैंने भी देखा है कि बीड़ी कारखानों में काम करने वाली महिलाओं को वास्तव में उतना वेतन नहीं मिलता जितने वेतन की वे हकदार हैं तथा उनके कार्य करने की दशा भी बहुत बुरी हैं। कुछ और क्षेत्र हैं जहां श्रमजीवी महिलाओं को उतना वेतन नहीं मिलता जितने की वे हकदार हैं। यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में भी हम देखते हैं कि जहां तक महिलाओं को रोजगार देने का प्रश्न है उनके साथ भेद-भाव किया जाता है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इसे नोट करें तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों को यह अनुदेश दें कि महिलाओं को वहां पर्याप्त मात्रा में रोजगार दिया जाए।

तीसरे में सुझाव देना चाहूंगा कि श्रमजीवी महिलाओं को कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिएं। यह अति आवश्यक है। एक पुरुष कामगार बस से 20 या 30 मील की यात्रा कर सकता है तथा अपने काम करने के स्थान पर जा सकता है, परन्तु श्रीमजीवी महिलाओं के लिए इतनी दूर जाना सम्भव नहीं है। यदि महिलाओं के काम का स्थान बहुत दूर हो तो उनके कार्य करने के स्थान के समीप किसी मकान या होस्टल की सुविधा उन्हें उपलब्ध की जानी चाहिए। इसके अलावा, कार्य-स्थान के परिसर में ही कामगार महिलाओं के आराम करने के लिए अलग से कमरे आरक्षित होने चाहिए। इन आराम के कमरों में सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे गुसलखाना, पाखाना इत्यादि होनी चाहिएं। उन्हें चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिएं।

मेरी अगली बात प्रसूति-अवकाश सुविधाओं के बारे में है। यह सुविधा सभी वर्गों की महिलाओं को मिलनी चाहिए। मानते हैं कि संगठित क्षेत्र में ये सुविधाएं दी जाती हैं परन्तु असंगठित क्षेत्र में ये नहीं है। महिलाओं को उसी अवधि का वेतन दिया जाता है जिसके दौरान वे कार्य स्थान पर मौजूद होती हैं तथा प्रसूति अवकाश की अवधि में उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। इसीलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके तहत असंगठित क्षेत्रों में भी महिलाओं को प्रसूति सम्बन्धी पूरी सुविधाएं मिल सकें।

नौकरी करने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए, शिशु-पालन की सुविधा कल्याण कार्यों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आज जो एक बच्चा पैदा हुआ है वह कल का नागरिक होगा। इसीलिए हमें बच्चे की देख-रेख शुरू से ही करनी चाहिए। इसी कारण से कोई ऐसी सुविधा बनानी चाहिए जिससे नौकरी करने वाली महिलाएं शिशु के उचित पालन-पोषण के बारे में आश्वस्त हो सकें। इसके लिए सरकार तथा नियोक्ता पर कुछ न कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए।

विधेयक पेश करने वाले सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि श्रमजीवी महिलाओं के कल्याण के लिए एक निधि बनाई जानी चाहिए तथा उस निधि में सरकार तथा नियोक्ता द्वारा अंशदान किया जाना चाहिए। यह निधि केवल उन्हीं श्रमजीवी महिलाओं के कल्याण के लिए होनी चाहिए जो कारखानों तथा उद्योगों में कार्य करती हैं। उस निधि का इस्तेमाल बच्चों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। यह आवश्यक है।

महोदय, हमारा समाज तभी आगे बढ़ सकता है यदि हम अपने देश की महिलाओं को समान अवसर दें तथा समान प्रतिष्ठा दें। इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय मन्त्री, सरकार, तथा यहां बैठे सभी मेरे मित्रों, से यह अनुरोध करना चाहता हू कि वे इस विधेयक का समर्थन करें तथा हमारे देश की श्रमजीवी महिलाओं के कल्याण

के लिए एक जुट होकर कार्य करें। यदि हम सारे देश का सर्वेक्षण करें तो आपको हमारे देश के विभिन्न कारखानों तथा उद्योगों में नौकरी करने वाली महिलाओं की दशा देखकर आश्चर्य होगा। उन्हें उचित वेतन नहीं दिया जाता, वे वहां जिस दशा में कार्य करती हैं, वह ठीक नहीं है तथा उन सभी कारणों की वजह वे बहुत परेशान हैं।

अन्त में, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान प्रणाली को जारी नहीं रखा जा सकता तथा श्रमजीवी महिलाओं के कल्याण के लिए उचित कानून बनाया जाना चाहिए। इसीलिए में तहे दिल से विधेयक का समर्थन करता हूं तथा में माननीय मन्त्री से भी अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को स्वीकार करें। आओ इस विधेयक को सर्व सम्मति से पारित करें।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति महोदय, आज हमारे समाज में, शास्त्रों में महिलाओं का दर्जा देवी के रूप में दिया गया है। सीता और सावित्री की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है, और सबसे बड़ी मां के रूप में हमारी दुर्गा मां है, जिनकी आराधना हम करते हैं, वह भी नारी का स्वरूप है।

जब हमारे शास्त्रों में इतनी महिमा महिलाओं को दी गई है, इसी कारण भारतवर्ष की महिलाओं की विदेशों में, दुनिया के हर कोने में आज बहुत बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है।

आज के समाज के अनुकूल हम महिलाओं का दर्जा पुरुषों के दर्जे के बराबर देना चाहते हैं और हमारी सरकार ने बारबार इस बात को दोहराया भी है। आज हमारे इस समाज में, में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उन महिलाओं की तरफ जो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में कार्यरत हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे पूर्व वक्ता माननीय रावत जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, में कुछ और बातें उनमें जोड़ना चाहता हूं।

पहले तो यह अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जब दूसरे सैक्टरों को आप आर्गेनाइज कर सकते हैं तो यही क्यों छूटा हुआ है? इसे भी आर्गेनाइज्ड सैक्टर में आना चाहिये। हम उन महिलाओं के विषय में यहां सोचने जरूर आये हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है और ज्यादातर ऐसी महिलाएं इंडस्ट्रियल सैक्टर में कार्यरत हैं, उनके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं कार्यरत हैं, उनके विषय में और भी बातें होनी चाहिएं। सबसे पहली बात यह है कि उसे भी आप आर्गेनाइज्ड करें। और उनमें भी यह भावना जागृत होनी चाहिए कि आज उनकी भी पूछ है, हम महिलाओं को भी वही दर्जा देना चाहते हैं जोकि पुरुषों को दिया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो यह है कि हमें एक सर्वे कराना चाहिए कि आज वास्तव में कितनी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। पहले हम इस बात का एक सर्वे करा लें और फिर हम एक सुसंगठित ढंग से उनके वेलफेयर के बारे में सोचें। सबसे पहले तो उनको काम दिलाने की बात करनी चाहिये। वैसे तो हमारी कई योजनायें हैं जिनमें महिलाओं के लिये कुछ रिजर्वेशन भी है। लेकिन यह जो योजनायें हैं—एन आर ई पी, आर एल ई जी पी इत्यादि— इनमें भी महिलाओं को कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनके अन्तर्गत जो भी महिलायें कार्यरत हों, उनको वह सारी सुविधायें दें जोकि इण्डस्ट्रियल सैक्टर में कार्यरत महिलाओं को मिलती हों। आज ग्रामीण क्षेत्रों

में जो महिलायें कार्यरत हैं, उनके वेतन के सम्बन्ध में हमने कुछ नहीं सोचा है। जहां तक मेरा अपना अनुभव है, आज ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का वेतन पुरुषों के वेतन से कम होता है। इसमें हमें परिवर्तन करना होगा। हमको उनके विषय में सोचना होगा कि कैसे हम उनको भी उतना ही वेतन दिला सकते हैं जितना कि पुरुषों को मिलता है।

दूसरी समस्या उनके भोजन के सम्बन्ध में है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें तथा बच्चे, दोनों ही खेत खलिहानों में काम करते हैं। जहां से मैं आता हूं वहां धान, मक्का और गन्ने की मुख्य फसलें होती हैं। धान तथा मक्के की खेती में अधिकतर महिलायें ही कार्यरत होती हैं क्योंकि वे पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा और अच्छा कार्य कर लेती है। ऐसी जो क्राप्स होती है जिनमें बैठकर काम करना होता है उनके सम्बन्ध में मैं समझता हूं महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। धान की खेती में महिलायें पुरुषों की अपेक्षा कम समय में अधिक काम कर लेती हैं। इसलिए धान की खेती के सम्बन्ध में महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि स्पेशलाइज्ड वर्कर की हैसियत से महिलाएं इस सेक्टर में कार्यरत हो सकें।

जहां तक न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न है, हम उसको दिलाने की बात तो कहते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। हमारे यहां बिहार में वैसे तो प्रति दिन चार किलो अनाज देने की बात है—देहातों में अमूमन अनाज ही दिया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते हैं—लेकिन शायद बहुत कम जगहों पर ही चार किलो अनाज दिया जाता होगा। आज हमारे कानून भी बने हुए हैं और बीस सूत्री कार्यक्रम को भी हम लागू करना चाहते हैं लेकिन उसके क्रियान्वयन में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। इनका क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। यह जिम्मेदारी सरकार की है कि मजदूरों को सही रूप में मिनिमम वेजेज दिए जायें, खासकर जो महिलायें हैं उनको भी पुरुषों के बराबर वेतन मिले।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अगली बार भाषण जारी रख सकते हैं।

आधे घंटे की चर्चा

स्वनियोजन गारंटी योजना के अधीन लाभान्वित शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम आधा घण्टा चर्चा करेंगे। श्री जितेन्द्र प्रसाद।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : मान्यवर, तारांकित प्रश्न 409 दिनांक 12 अप्रैल, 1985 को मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न विषय के बारे में मैं चर्चा उठा रहा हूं। यह प्रश्न सैल्फ-एम्प्लायमेंट-गारन्टी-स्कीम के संबंध में था। मैं आभारी हूं अध्यक्ष महोदय का कि उन्होंने आधे घंटे की चर्चा करने का समय दिया, ताकि इस स्कीम के संबंध में विस्तार से चर्चा हो सके। इस स्कीम से लाभ पूरे देश में उन नवयुवकों को होना चाहिए; जिनको कि इस स्कीम की खामियों की वजह से आज तक लाभ नहीं पहुंच पाया है। मान्यवर, यह योजना हमारी भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी द्वारा 15 अगस्त, 1983 को लाल किले से घोषित की

गई थी। उस समय इस योजना का ध्येय यह था कि हम नवयुवकों को सहायता देकर, जो बेरोजगार हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, ताकि वे हमारी सरकार की मदद से कुछ ऐसे काम करें, जिससे उनका जीवन-बसर हो सके। साथ ही साथ इस योजना का यह भी ध्येय था कि एम्पलायमेंट जनरेशन हो। मुझे यह कहने में खेद है कि इस योजना के द्वारा जो उम्मीद की गई थी, वह उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो सकी। इस स्कीम के इम्पलीमेंटेशन में बहुत सी खामियां थी।

जहां तक योजना का सवाल है, योजना में कोई कमी नहीं थी, मगर जब इम्पलीमेंटेशन का मौका आया तो इसमें काफी खामियां देखी गई। हमारे माननीय राज्य वित्त मंत्री जी, श्री पुजारी जी, बैठे हुए हैं, वे बहुत ही मेहनती, कर्मठ मंत्रियों में से हैं। माननीय मंत्री महोदय को मेरे चुनाव क्षेत्र का दौरा करने का जब मौका मिला तो उन्होंने बिना एक गिलास पानी पीए, रात-दिन एक करके जिलों का भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए उन्होंने एक-एक लाभार्थी से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ी हुई है या कोई बेइमानी हुई और इसका फायदा वहां के लोगों को बहुत हुआ। एक तरफ पुजारी जी थे और दूसरी तरफ सारे बैंकों का समाज था। मंत्री महोदय को धमकियां दी गईं, इनकी जान के ऊपर हमला किया गया, इनका घेराव किया गया, इनको छुरा दिखाया गया—इन सब बातों की प्रेस रिपोर्ट्स हैं कि इनके साथ वहां पर क्या-क्या हुआ है। मंत्री महोदय गरीब आदमी को न्याय दिलाना चाहते थे; उनकी मदद करना चाहते थे और स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्वप्न को साकार करना चाहते थे, इस वजह से योजनाबद्ध ढंग से इनके ऊपर हमला किया गया था।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि यह स्कीम पूरे हिन्दुस्तान में लागू है और सारी जगहों पर जाकर भ्रमण करना संभव नहीं है। हम लोगों को कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा, जहां हम घूम सकते हैं, वहां तो हम जायें, लेकिन स्कीम की जो खामियां हैं, वे भी दूर की जायें, ताकि इसका लाभ गरीब लोगों तक पहुंच सके। सवाल में जिक्र किया गया है कि जब हम चयन करते हैं कि किसको यह धन दिया जाता है, तो इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस टास्क फोर्स में मंत्री जी ने बतलाया है कि एक तो डिस्ट्रिक्ट एम्पलायमेंट आफिसर होते हैं, जनरल मैनेजर आफ दि डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेंटर, प्राजेक्ट मैनेजर आफ दि डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेंटर, लीज बैंक के एक आफिसर, बैंक के दो अफसर और एक आफिसर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट आफ इण्डिया होते हैं। यह आपकी टास्क फोर्स है। जो गड़बड़ शुरू होती है, वह यहीं से शुरू होती है। जब लाभार्थी का चयन करते हैं, जब इस चीज का इन्टरव्यू करते हैं कि हम किसको दें और किसको न दें, बहुत बड़ी संख्या में जो दरख्वास्तें आती हैं उनको किस तरह से छांटा जाय, कैसे अलग किया जाय, यह उनकी समझ में नहीं आता।

दूसरी बात—जब इन्टरव्यू लैटर्स इशू होते हैं तो बहुत से लोगों के पास इन्टरव्यू लैटर्स नहीं पहुचते हैं। जब पूछने जाते हैं तो जवाब दिया जाता है कि हमने तो सबको भेजा है, हो सकता है तुमको न मिला हो। लेकिन असलियत क्या है—जिनको वे देना चाहते हैं उन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं पहुंचते हैं। यहीं से गड़गड़ शुरू होती है। इसके बाद जब इन्टरव्यू के लिए लोग आते हैं और इन्टरव्यू के बाद जब पता चल जाता है कि लिस्ट बन गई है, किसको बेनिफिट दिया जायगा, किसको रिकमेण्ड किया जायगा, तब डी० आई० सी० के आफिसर्ज उसको कान्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम बैंक चले जाओ। फिर यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। यहीं से हिस्सा तय हो जाता है, भ्रष्टाचार पनपता है। इसकी

कोई रोकटोक नहीं है। कोई जांच नहीं हो सकती है। कोई देखभाल नहीं हो सकती है। कोशिश की गई कि हम रुकावट डाल दें लेकिन कई ऐसी कठिनाइयां थीं जिनका कोई चारा नहीं था।

प्रार्थना पत्र बहुत होते हैं। अधिकारियों के लिये यह जानना कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन दुर्बल वर्ग से आया है, किसको जरूरत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। उन प्रार्थना-पत्रों को देख कर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और न वे कोई जानकारी हासिल कर सकते हैं। बेहतर तो यह था कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होता। वहां के एम० एल० ए० या पंचायत का आदमी या मोहल्ले का कारपोरेटर उसमें होता जो बतलाता कि अमुक आदमी गरीब है, बेनिफिट दिये जाने के योग्य है, उसके पास ऐसा सर्टिफिकेट होता, उसकी जानकारी के आधार पर फैसला हो सकता था। आफिसर्ज को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वे दो-तीन साल वहां रहते हैं और ट्रांस्फर हो जाते हैं, इसलिये वे किसी भी तरह से पूरी जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं।

जब उनका सिलैक्शन हो जाता है तो बहुतों को पता चलता है कि वे उसमें नहीं लिये गये हैं तो इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है कि उसकी कहीं अपील हो सकती हो या उसको मालूम हो सके कि उसको क्यों नहीं लिया गया। उसके दिमाग से यह बात दूर हो सके कि हम पैसा नहीं दे सके, इसलिये नहीं लिये गये। इसलिये इसमें अपील के लिये कोई जगह होनी चाहिये। उसको पता होना चाहिये कि तुम्हारे अन्दर यह कमी थी इसलिये तुमको नहीं लिया गया, समेरिली डिस्मिस कर देना कि तुम ठीक नहीं हो या तुम अच्छे नहीं हो, इससे शक पैदा होता है—जनता के अंदर, यह भावना पैदा होती है कि भ्रष्ट तरीका अपना कर लोगों का चयन किया गया है। इसको भी देखना होगा कि किस प्रकार इसको दूर कर सकते हैं।

चयन करने के बाद डी० आई० सी० वाले उनके नामों को रिकमेंड करके बैंक को भेजते हैं कि इनको धन दिया जाय। लेकिन होता यह है कि अगर बैंक ने दस आदमियों को देना है तो उनके पास बीस आदमियों की लिस्ट जाती है। उस लिस्ट में से दस आदमियों को बैंक छांटता है। अब बैंक कैसे छांटता है—किस बेसिज पर सिलैक्शन करता है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो ज्यादा देता है उसको मिल जाता है, जो नहीं दे पाता उसको नहीं मिल पाता है। मैं पूछना चाहता हूं—जब दस को देना है तो बीस की लिस्ट क्यों भेजी जाती है। दस की लिस्ट जानी चाहिये। अगर दस में आठ आदमी आते हैं तो दो के नाम बाद में डी० आई० सी० से मांग सकते हैं। लेकिन होता यह है कि बीस के बीस पहुंचते हैं और बैंक चयन करता है कि किसको दें और किसको न दें। डी० आई० सी० अगर रिकमेंड कर दें कि 15 हजार रुपये दिये जायेंगे, तो बैंक का मैनेजर उसे काटकर 10 हजार रुपये कर देता है और अगर कुछ देना लेना हो गया, तो 15 हजार रुपये से ज्यादा भी मिल जाएगा। वे कहते हैं कि हम तुम्हारा केस रेफर कर देते हैं और वह रिकमेंड होकर वापस आ जाता है। इस तरह से स्कीम को सेबोटेज करने की कोशिश की गई है।

दुर्बल वर्ग के बारे में मैंने पहले कहा है कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि वीकर सेक्शन्स को हम देते हैं और उनका खयाल रखते हैं मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक बैंकों का सवाल है, उनके पास न तो कोई योजना है और न कोई आदेश हैं और न उनको निर्बल और दुर्बल वर्ग की कोई जानकारी है। उनका पैमाना तो एक ही है, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। यह एक अचंभे की बात है कि एक ही योजना के लिए, एक पान की दुकान खोल रहा है और दूसरा

भी पान की दुकान खोल रहा है, अलग-अलग रुपया दिया जाता है। उतनी ही बड़ी दुकान है लेकिन एक को 10 हजार रुपये दिये जाते हैं और दूसरे को 14 हजार रुपये दिये जाते हैं। एक ही योजना के लिए अलग-अलग धन आवंटित करना मेरी समझ में नहीं आता। जितना रुपया एक दुकान में है, उतना ही दूसरी में लगना है। इस तरह की बातें हमें रोज देखने को मिलती हैं।

मंत्री जी ने कहा कि गारेन्टर की जरूरत नहीं है। अखबारों की कटिंग मेरे पास हैं और जब घोषणा हुई थी, तो उस समय भी कहा गया था कि गारेन्टर नहीं चाहिए और पैसा बगैर गारेन्टर के दिया जाएगा लेकिन 90 फीसदी केसेज में सवाल यही होता है कि गारेन्टर लाए हो या नहीं लाए हो, जमानत दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। सब में यह सवाल होता है और हम एलान करते हैं और सरकार एलान करती है कि गारेन्टर की जरूरत नहीं है। अब इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लिखा-पढ़ी में तो यह होता नहीं है कि राइटिंग में गारेन्टर मांगा हो। वे कहते हैं कि गारेन्टर लाए हो, तो हम पैसा दे देंगे, नहीं तो चले जाइए। जब हम शिकायत करते हैं, तो अधिकारी कहते हैं कि हमने तो गारेन्टर मांगा नहीं। मंत्री जी हमारी कांस्टीटुयेन्सी में गये थे और सबसे जाकर सवाल पूछा। एक दो जगहें इनकी शिकायत भी मिली और इन्होंने कार्यवाही भी करवाई मगर बहुत से लोगों ने संकोच में उस वक्त बताया नहीं। हर जगह पूरे देश में यह समस्या चल रही है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): यही नहीं, जिनका पहले से बिजनैस होता है, उसी के लड़के को बिजनैस करने के लिए बैंक पैसा दे देता है और यह अपने आप मान लिया जाता है उसमें लोन को री-पे करने की गुंजाइश है।

श्री जितेंद्र प्रसाद: जो लोन दिया गया है, उस लोन का यूटीलाइजेशन क्या हो रहा है, जिस मद के लिए लोन लिया गया था, उसमें वह खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। योजना कोई बना कर दे दी जाती है और...यह कोई नहीं देखता है कि यह योजना फर्जी है और यह रुपया डूब तो नहीं जाएगा। इन बातों को देखने वाला कोई नहीं है। नतीजा यह है कि पब्लिक के अंदर एक ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग यह समझने लगे हैं कि यह जो पैसा मिल रहा है, यह कभी हमें वापस नहीं करना होगा। जब ऐसी धारणा लोगों में बन जाएगी, तो वे यह सोचते हैं कि 10 हजार लोन लेने में अगर 5 हजार रुपये खर्च भी हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, पांच हजार तो मिल गये और बाकी पांच हजार चले गये। यह इसलिए हो रहा है कि लोन जो दिया जाता है उसका यूटीलाइजेशन नहीं देखा जाता और यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति जेन्यून है या नहीं है क्योंकि अधिकारी इस बात को नहीं जान सकते और फिर वही बात आ जाती है जब तक पब्लिक पार्टीसिपेशन नहीं होगा, तब तक इसको आप चैक नहीं कर सकते।

मंत्री जी ने कहा है कि हमने एडवाइजरी कमेटीज बनाई हैं। सदन में जिस दिन यह प्रश्न आया था, तो उस समय बहुत से लोगों ने कहा था कि वे नहीं बनी हैं और स्पीकर साहब ने भी कहा था कि एडवाइजरी कमेटी नहीं बनी हैं मगर मैं कहता हूं कि एडवाइजरी कमेटी आप बना भी दें, तो क्या हमारी एडवाइस को अधिकारी सुनेंगे। एडवाइजरी कमेटी से काम चलने वाला नहीं है। ऐसी कमेटी बननी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई करप्शन की शिकायत आती है, तो हम वहां पर एक्शन ले सकें और हम एक्शन के लिए रिकमेंड कर सकें ताकि तुरन्त एक्शन हो। अगर

सिर्फ डी० आई० सी० और बैंक आफिशियल्स को एडवाइस दी जाती है, तो वे हमारी एडवाइस मानने को तैयार नहीं हैं। हम वगैर एडवाइजरी कमेटी के एडवाइस देते भी रहते हैं और चिट्ठियां भी लिखते हैं और उनको टेलीफोन भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, मगर वे हमारी एडवाइस मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एडवायजरी कमेटी से काम नहीं चलेगा। कोई ऐसी कमेटी बनाएं या टास्क फोर्स हो जिसके अन्दर पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो जो गड़बड़ियों की रोकथाम कर सके और यह देख सके कि कहां-कहां गड़बड़ियां हो रही हैं। तभी गड़बड़ियां रुकेंगी।

आपने अपने सवाल के जवाब में कहा था कि हमने इंस्ट्रक्शन दे दिये हैं "टू इरेडिकेट द करप्शन"। मैं जानना चाहूंगा कि वे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं ? उनके किस तरीके से करप्शन रुकेगी ? अगर इंस्ट्रक्शंस से करप्शन इरेडिकेट हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी।

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने जवाब में इस चीज को रखें कि पिछले साल 1983-84 में हमारा 401 करोड़ का टारगेट था, अब हमारा टारगेट 65 करोड़ का क्यों रह गया ? मैं पूछना चाहूंगा कि हम ढाई लाख नोजवानों को रोजी देंगे, क्या इस साल उनका कोटा कम किया गया है ? क्या हम अब ढाई लाख नोजवानों को रोजी नहीं देंगे ? अगर हमने यह कोटा कुछ कम कर दिया है तो क्यों कम कर दिया है ? मेरा तो यह अनुरोध है कि आपको ढाई लाख की संख्या को पांच लाख करना चाहिए।

आपने बहुत-सी स्टेट्स में सब्सीडी दी है। उन स्टेटों ने उस सब्सीडी को यूटिलाईज नहीं किया। हरियाणा को आपने 3 करोड़ बांटा उसमें से उसने 1 करोड़ 61 लाख रुपया यूटिलाइज किया। जो एवरेज लोन दिया गया वह 12 हजार रुपया था। इस तरीके से तो हम ढाई लाख से ज्यादा लोगों को लोन पहुंचा सकते हैं।

मान्यवर, आजकल के जमाने में 25 हजार से कम में कोई भी चीज लगाना बिल्कुल असंभव सी बात है। इस अमाऊंट को आपको बढ़ाना चाहिए। आप लोन का इतना पैसा दें कि कोई नोजवान कोई ऐसी चीज लगा सके जिससे वह कमाई भी कर सके और आपका धन भी वापस कर सके। आप पैसा कम देंगे तो वह न तो कोई सही चीज लगा पायेगा और उससे आपका पैसा भी जायेगा और उसका काम भी नहीं बनेगा। इस चीज को आप एक्सपर्ट्स से दिखवाइये।

मैं समझता हूं कि जब तक इसमें एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक इसमें जो कमियां हैं उनको आप दूर नहीं कर सकेंगे। आप यहीं पर एम० पीज० की एक कमेटी का निर्माण करें जिसमें आपके अधिकारी भी हों। वह कमेटी कोई ऐसी योजना बनाये जिसका इम्पलीमेंटेशन सही ढंग से हो सके ताकि जो सही सपना देखा गया था वह पूरा हो सके और युवकों को फायदा पहुंच सके।

मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जी ने जिस उद्देश्य और जिस भावना से इस योजना को लागू किया था उसे हमारे मन्त्री जी इसकी सारी कमियों को दूर करके पूरा करेंगे और दिखायेंगे कि वे देश के युवकों और नोजवानों को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस कार्यक्रम को जोरों से लागू करेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जहां तक इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार करने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं तथा मैं माननीय अध्यक्ष

का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस योजना को स्पष्ट करने का अवसर दिया। मैं माननीय उन सदस्य का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे इतने अच्छे रचनात्मक तथा ठोस सुझाव दिए हैं।

यह सच है कि बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर इस योजना को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने आरंभ किया था। यद्यपि वह यहाँ मौजूद नहीं हैं फिर भी यह कार्यक्रम तथा योजना बहुत लोकप्रिय हो गई है तथा माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में ठीक ही कहा है कि इस कार्यक्रम को जारी रखने की बहुत मांग है तथा उनका यह कहना भी ठीक है कि इस योजना के कार्यान्वियन में कुछ शिकायतें हैं तथा कुछ त्रुटियां हैं।

माननीय सदस्य ने समस्या का अध्ययन किया है। इतना मूल्यवान सुझाव देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने उन त्रुटियों का अध्ययन किया है जो कार्य दल द्वारा पाई गई थी तथा लाभान्वित होने वालों व्यक्तियों का पता लगाने के बाद इसे मन्जूरी के लिए बैंक भेजा गया था। वहां भी ठीक ही उन्होंने त्रुटियों का पता लगाया। मन्जूरी के बाद जब वास्तव में पैसा दिया जाता है तो उस समय कौन कौन सी त्रुटियां या कमियां पाई जाती हैं, इसे भी उन्होंने बताया है। वे यूं कहते हुए एक कदम और भी आगे बढ़ गए कि जानकारी देने के समय क्या करना चाहिए, जानकारी कैसे दी जाए। वे यह कहते हुए एक कदम और भी आगे बढ़ गए हैं कि यदि भ्रष्टाचार होता है तो क्या किया जाए। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रणाली में क्या कमी है। उन्होंने उन समितियों के बारे में भी बताया है जिन्हें इस योजना के कार्य निष्पादन पर जानकारी देने का काम सौंपा गया है। वह कैसे किया जा सकता है—वह भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है।

इस सम्माननीय सदन के माध्यम से इस राष्ट्र, तथा माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि जब एक प्रणाली में त्रुटियां हैं तो हमें उनके बारे में बताना होगा। हमें समस्त चीजों पर विचार करना होगा तथा त्रुटियों का पता लगाना होगा। इसके लिए, जो लोग इसकी देख-रेख कर रहे हैं उन्हें कार्य क्षेत्रों में जाना होगा और लोगों से मिलना होगा। उन्हें लाभान्वित होने वाले से मिलना होगा उन्हें यह पता लगाना होगा कि लाभान्वित होने के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। (व्यवधान) इन लोगों को, जो इसकी देख-रेख कर रहे हैं उन्हें वहां जाना चाहिए, यहां तक कि बैंक कर्मचारियों को भी वहां जाना चाहिए, मन्त्रियों को भी वहां जाना चाहिए······

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय के लिए यह संभव नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : यही भावना होनी चाहिए। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मंत्री के लिए यह सम्भव नहीं होगा। मैंने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही है। इस पर निगरानी न सिर्फ बैंकों के मुख्य-कार्यकारीय अधिकारियों द्वारा करनी चाहिए बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक को भी इस पर निगरानी रखनी चाहिए। इस पर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् उद्योग मंत्रालय को भी निगरानी रखनी चाहिए। जहाँ तक बैंकिंग क्षेत्र का संबन्ध है, हम बैंकिंग की तरफ से इसके कार्यान्वियन की देखरेख करते हैं। मैंने देश का दौरा किया था। माननीय सदस्य ने इसके बारे में कुछ जिक्र किया है। जब हमने वहां के लोगों से पूछताछ की, खासतौर से उन लोगों से जो बेरोजगारी के कारण निराश थे, तो हमने पाया कि वहां पर इसका बहुत विरोध हो रहा है। दुर्भाग्य से वह कर्मचारियों की तरफ से हो रहा था। वह कह रहे थे कि मंत्री जी आ रहे हैं और वह जांच करेंगे, आदि। यह बात यहां तक पहुंच चुकी है। विपक्ष के कुछ सदस्य कुछ बातों को महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं सामान्यतौर पर नहीं कह रहा हूं। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं कर रहे हैं, जो इन बातों

के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, वे यूनियनों के पास जाते हैं, सम्मेलनों में जाते हैं और इस प्रकार की निगरानी की भी आलोचना करते हैं। अतः आप देख सकते हैं कि कहां तक वे लोग पहुंचे हैं। मैं विरोधी दलों के सदस्यों से भी अपील कर रहा हूं कि वे विचार करें और एहसास करें कि किस प्रकार से इन बातों को क्रियान्वित किया जा सकता है और अगर भ्रष्टाचार व्याप्त है तो हमें उसके लिए क्या कार्यवाही करनी होगी।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : यह सच नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं सामान्य तौर से ऐसा नहीं कह रहा हूं।

श्री अजित कुमार साहा : हम विरोधी पक्ष की ओर से सदा ही मंत्री महोदय की मदद करने की कोशिश करते हैं। आप विरोध पक्ष को दोष नहीं दे सकते।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने दोष नहीं लगाया है।

सभापति महोदय : उन्हें अपना पूरा जवाब देने दीजिए। मैं माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप नहीं लगाया है। मेरे पास रिकार्ड मौजूद है। अगर माननीय सदस्य समाचार की कतरनों को देखें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि विरोधी पक्ष के कितने सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था और उन्होंने बैठक में मेरी आलोचना की। वहां पर खुले आम आलोचना की गई थी जो समाचार पत्रों में छपी है। मैं इसके लिये किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है। अब, प्रश्न यह उठता है कि हमें इसे किस प्रकार से लागू करना है ? अब यह न केवल विरोधी पक्ष के सदस्यों के लिए या सत्तापक्ष के सदस्यों के लिए है बल्कि सारे देश को इस पर विचार करना है। जहां तक इसे क्रियान्वित करने का संबंध है इसके लिए कर्मचारियों में निष्ठा तथा समर्पण की भावना की आवश्यकता है, यह भावना केवल बैंक के कर्मचारियों में ही नहीं बल्कि 'टास्क फोर्स' के कर्मचारियों में भी होनी चाहिए। माननीय सदस्य ने शिक्षित बेरोजगार लोगों को होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। जब एक बेरोजगार व्यक्ति बैंक से प्रार्थना-पत्र लेने जाता है—वहां पर कुछ भ्रष्ट व्यक्ति भी होते हैं—वे एक प्रार्थना-पत्र देने के लिए भी पैसा मांगते हैं।

एक माननीय सदस्य : कुछ नहीं बल्कि उनमें से 75 प्रतिशत व्यक्ति।

श्री जनार्दन पुजारी : जब आपको ऐसी शिकायतें और वह भी शिक्षित बेरोजगारों से प्राप्त हों तो आपको कैसा लगता है ? हमें इसके लिए कुछ करना होगा। इसके लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। अगर कर्मचारियों में निष्ठा तथा समर्पण की भावना हो तो ऐसी शिकायतें नहीं आएंगी। अब, यह कैसे होता है ? मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं। और मैं किसी पर दोष भी नहीं लगा रहा हूं। मैंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए था। हमें इसके लिए कुछ करने पर विचार करना होगा।

महोदय, तमिलनाडु में एक बेरोजगार व्यक्ति ने तो एक कर्मचारी की हत्या तक कर दी थी। यह सही है, ऐसा हुआ है। अब, ऐसा क्यों हुआ है ? इस पर विचार करना सारे राष्ट्र का काम है। किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि उसकी हत्या की जानी चाहिए। परन्तु मेरे विचार में इसका कारण निराशा है जिसने उसे यह अन्तिम रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। इस हद तक ऐसा नहीं होना चाहिये और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य ने इस

सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह ठीक है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि वे ये सारे तथ्य सरकार की जानकारी में ला रहे हैं। अतः यह निर्णय करना हमारा काम है कि कार्यक्रम को किस प्रकार से लागू करें। इसीलिए मैं माननीय सदस्यों से सिर्फ अनुरोध कर रहा हूं कि हमें ईमानदारी से प्रयास करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न न हो और इस कार्य में समाज के सभी वर्गों को मदद करनी चाहिए।

अब, माननीय सदस्यों के सुझावों को देखते हुए निश्चित ही इस योजना की समीक्षा की जायेगी और माननीय सदस्यों द्वारा अब दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा प्रशासन के अधिकारी तथाउद्योग मंत्रालय के भी अधिकारी यहां दिये जाने वाले सुझावों को नोट करने के लिए यहां आए हुए हैं। यह कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है। माननीय सदस्यों ने यह स्पष्ट किया है कि वे चाहते हैं कि और अधिक लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाए। मैं आपको बताऊं कि पांच लाख लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। अब इस पहलू पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक माननीय सदस्यों के अन्य प्रश्नों का संबंध है मैंने पहले ही तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने उत्तर में बताया कि कितने लोगों को कर्ज स्वीकृत किया गया है, कितनी धनराशि दी गई है, कितनी राज सहायता दी गई है, धनराशि को कम क्यों किया गया है, ये सब विवरण उसमें दिये गये हैं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या अपने-अपने क्षेत्रों में लाभ ग्राहियों द्वारा योजना के कार्यान्वियन का मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र है। अगर ऐसा है तो, वह कौनसा तंत्र अथवा निकाय हैं जिसके द्वारा इस कार्यक्रम के ठीक से लागू करने के बारे में मूल्यांकन किया जायेगा ?

दूसरे, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या ऐसे लाभ ग्राहियों के चयन का कोई मानदण्ड है ? सेवा आयु सीमा किसने बढ़ायी है ? अगर नहीं बढ़ायी है, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही हैं और वह जिला उद्योग केन्द्रों को निर्देश देगी ताकि वे उन युवाओं का चयन कर सके जिन्होंने सेवा में आने की अपनी आयु सीमा पार कर ली है ?

तीसरे, मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिए आभारी हूं कि 12 अप्रैल को जवाब देते हुए उन्होंने सदन को स्पष्ट रूप से बताया था कि जब भी लाभ ग्राहियों इत्यादि के चयन में की गई अनियमितताएं उनकी जानकारी में आयेंगी वह निस्सन्देह उसी समय उन पर कार्यवाही करेंगे। हालांकि ऐसी अनियमितताएं हो सकती हैं उनकी जानकारी में नहीं आई हों परन्तु उनको संबंधित बैंक अधिकारियों, जिला आयुक्तों इत्यादि की जानकारी में लाया जाना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनके स्तर पर अथवा मंत्रालय स्तर पर उन बैंक अधिकारियों अथवा व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने ऐसे लाभभोगी व्यक्तियों का चयन किया है जिनके पास संसाधन हैं, धनी व्यक्ति हैं, लखपति लोगों के बच्चे हैं, इत्यादि ? अगर ऐसा है, तो माननीय मंत्री इस मामले में किस प्रकार से कार्यवाही करेंगे ?

सभापति महोदय : आप केवल 1 या 2 प्रश्न पूछ सकते हैं न कि इतने सारे।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को न कि इस स्व रोजगार योजना को प्राथमिकता देने संबंधी निर्देश दिये हैं जिसे स्वर्गीय

प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने शुरू किया था ताकि इस देश के युवा जिनकी संख्या लाखों में हैं आगे बढ़ सके ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार के निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिये गए थे ? अगर ऐसा है तो इसका क्या इलाज है ? मंत्री महोदय इस समस्या का किस प्रकार से हल करेंगे ?

इसके अलावा, क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसा कोई निर्देश है जिसके अनुसार जो प्रबन्धक अथवा व्यक्ति कर्ज देगा उसकी वसूली की जिम्मेदारी उस पर होगी और जब तक वह कर्ज वसूल नहीं होता उन अफसरों से जवाब-तलब किया जायेगा ? इसकी वजह से जब हम बैंक अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं : "हम उन लाभभोगियों को देंगे जो कर्ज को वापस कर सकते हैं, और दूसरों को नहीं ।"

इसी प्रकार से, क्या यह सत्य है कि जब कभी भी कर्ज स्वीकृत किया जाता है, तथा लाभभोगी बैंक जाता है, तो प्रबन्धक उससे एक विशेष स्थान अर्थात् 'क' अथवा 'ख' पर जो उसके लिए सुविधाजनक हो—व्यवसाय चलाने के लिए कहता है ? वास्तव में, लाभभोगी कर्ज अपने लाभ के लिए लेता है । वह वहाँ पर व्यापार शुरू करेगा जहाँ उसे कुछ लाभ होगा और कर्ज को वापस कर सकेगा । इसको ध्यान में रखते हुए यह कैसी बात है कि बैंक प्रबन्धक लाभभोगियों को एक विशेष स्थान पर व्यवसाय शुरू करने के लिये निर्देश देते हैं ? मुझे ऐसे बहुत से मामलों की जानकारी है । मैंने संबंधित बैंक अधिकारियों को यह बताते हुए लिखा था कि अधिकारीगण लाभभोगियों को यह निर्देश देते हैं और कहते हैं कि जब तक वे अमुक क्षेत्रों में व्यापार शुरू नहीं करेंगे उन्हें कर्ज नहीं दिया जायेगा ।

[हिन्दी]

श्री मूल चंद डागा (पाली) : सभापति जी, मैं स्पेसिफिक क्वश्चन मंत्री जी से कर रहा हूं । 18 साल से 35 साल तक के जवानों को कर्जा देना है और उनको देना है जिनके पास साधन नहीं हैं और दूसरी बात यह है कि आप ने यह निर्णय किया है कि देने वाले पांच आदमी होंगे जो निर्णय करेंगे । वे पांच आदमी आपने कहा है कि ये होंगे—

[अनुवाद]

"जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर एक टास्क फोर्स होगी जिसमें महाप्रबन्धक, डी० आई० सी०, जो इसके अध्यक्ष होंगे, डी० आई० सी० के ऋण प्रबन्धक, लीड बैंक तथा संबन्धित लघु उद्योगों से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि शामिल होगा ।"

[हिन्दी]

इस स्कीम में तीन-चार बातें गड़बड़ हैं । पहले तो आप इसकी परिभाषा बताइए—

[अनुवाद]

आपका व्यवसाय से क्या तात्पर्य है, सेवा अथवा उद्योग ?

[हिन्दी]

इसमें पहला सवाल यह है कि आप किस आदमी को कर्जा देना चाहते हैं, यह आपने नहीं बताया है कि :

[अनुवाद]

क्या वह गरीबी की रेखा से नीचे होगा ।

[हिन्दी]

अगर उसको पंचायत ने गांव में जांच लिया है कि वह बिलो पावर्टी लाइन है, तो उसकी जांच करने की क्या जरूरत है। पढ़ा-लिखा लड़का है, क्या उसकी आपको जांच करने की जरूरत है कि ही इज बिलो पावर्टी लाइन; जबकि गांव में पंचायत ने उसको मान लिया है कि ही इज बिलो पावर्टी लाइन। आपको हर साल इतनी फेमिलीज को आईडेंटिफाई करना पड़ेगा और हर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बतलाना होगा कि ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और जब वह पढ़ा-लिखा लड़का है, उसके बाद इस कमेटी को और आपको चेलेंज करने का क्या अधिकार है ?

दूसरी बात यह है कि इन पांच आदमियों के पास यह जानने के लिए क्या मापदण्ड है कि ये आदमी वास्तव में कर्जा पाने का हकदार है, क्योंकि कोई तो रहने वाला पंजाब का है, कोई गुजरात का रहने वाला है, कोई बम्बई का रहने वाला है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। उस जगह जहां मैं रहता हूं मैं जानता हूं कि बड़े मालदार लोग हैं, जमीन काफी है और ये आपके लोग चक्कर काट आएंगे और रुपए खा जाएंगे। आप किस आदमी के भरोसे पर पैसा देना चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : बैंक के मैनेजर के भरोसे पर।

श्री मूल चन्द डागा : ये जो आपका बैंक मैनेजर है, ये उड़ती चिड़िया है। जो आपका इन्सपैक्टर है, वह वहां का रहने वाला नहीं है। आप कर्जा किसको दे रहे हैं, क्या क्रायटीरिया है कर्जा देने का ? क्या आप अच्छी शकल वाले को कर्जा दे रहे हैं ? जो क्रायटीरिया है, वह आपको मालूम नहीं है। आपने क्या लिख दिया है कि :

[अनुवाद]

"यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के संगत समृद्ध वर्ग इस योजना से सारा लाभ न उठा ले जाएं।"

[हिन्दी]

इससे काम नहीं चलेगा इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है मेहरबानी करके वहां का जो जन-प्रतिनिधि है, जो वहा का एम० पी० है, वहां का एम० एल० ए० है, कर्जा जब दिया जाए, तो कर्जा देने वाली कमेटी का वह मेम्बर बनना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : पंचायत से भी पूछा जाना चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा : पंचायत मैं इसलिये नहीं कहूंगा क्योंकि पंचायत ने उसे एक बार डिक्लेयर कर दिया है।

[अनुवाद]

अगर वह गरीबी रेखा से नीचे है तो उसको कर्ज दिया जायेगा; उससे यह प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए क्योंकि जब एक बार आप एक व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे घोषित करते हैं तो उसे कर्ज मिल जाना चाहिये। प्रत्येक वर्ष आपको गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का पता लगाना होता है और एक बार जब आप उन्हें गरीबी रेखा के नीचे घोषित करते हैं तो वे लाभ पाने के हकदार हो जाते हैं।

[हिंदी]

सभापति जी, अब अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, वहां के लोगों को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है ? मैं अपने श्रीमान को कहता हूं कि इन चार आदमियों के बैठने से काम नहीं चलेगा, इनके साथ ही आप एक उस आदमी को बैठाइए जो एम० पी० या एम० एल० ए० है या वहां का नुमाइन्दा हैं। वह कहेगा कि यह आदमी गरीब है या नहीं है या वास्तव में उसको कर्ज की जरूरत है या नहीं है। यह मेरा पहला सवाल है।

दूसरा सवाल मान्यवर मेरा यह है कि आपने निर्णय लिया था कि एक साल में दो लाख से ढाई लाख आदमियों को कर्जा दिया जाएगा। यह बात 15 अगस्त, 1983 के दिन भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भाषण देते हुए कही थी।

अब अगस्त, 1985 आने वाला है, आपने कितने आदमियों को कर्जा दे दिया और यह आपका टार्गेट था।

श्री हरीश रावत : क्या सब बैंकों ने अपना टार्गेट पूरा किया है ?

[अनुवाद]

श्री मूल चंद डागा : यह सातवीं लोक सभा का 1984-85 का लेखा समिति का 219वां प्रतिवेदन है। इसमें विस्तार से कहा गया है :

"कि समिति को विवश होकर यह कहना पड़ रहा है कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 1981-82 में 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 79445 मामलों की सिफारिश की गई थी और केवल 30035 मामलों में ही कर्ज दिए गये थे।"

और इस प्रकार से उन्होंने सूची दी है। मैं विस्तार में जाकर समय नष्ट नहीं करना चाहता। लगभग 30 प्रतिशत लोगों को कर्ज दिया गया। समिति ने कुछ सिफारिशें की थी परन्तु उन्हें अस्वीकार कर दिया गया।

[हिन्दी]

मैंने अभी पूछा एक बेंक के मैनेजर से उन्होंने कहा कि पैसा ही नहीं है। आप तो डागा जी कुछ कहते हैं, और ऊपर से हुक्म कुछ और है। मैंने कहा ठीक है।

सवाल कर्जा देने का है। आप चाहते है कि पढ़े-लिखे बेरोजगार देश के लिये अभिशाप हैं, तो कर्जा देने के तरीके का निर्णय कीजिये। क्या आप सोचते है कि 25, या 20 हजार में कोई इंडस्ट्री लगा सकता है ? यह मैं चेलेंज करता हूं कि कोई नहीं लगा सकता।

श्री हरीश रावत : 25 हजार भी दिया कितनों को है।

श्री मूल चन्द डागा : यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर आपने 25 हजार में से 20 हजार भी दिया तो भी हमारे यहां एक इंडस्ट्रियल प्लाट की कीमत 70,000 है जहां पर वह इंडस्ट्री लगा सकता है। आप इन्डस्ट्री लगाने के लिये जो रकम दे रहे हैं, यह मखौल आप क्यों कर रहे हैं ? 20,000 उसे आप लोन देंगे, उसके लिये भी वह 7 चक्कर काटेगा, आप जोधपुर, जयपुर चलिये, वहां एक भी आफिसर नहीं है और वन-विंडो सर्विस होती नहीं है। आप उस बेकार की बेकारी और बढ़ा देते हैं। वह बेकार है, उसका खर्चा बढ़ाकर आप उसे और बेकार बना देते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को सोचेंगे कि 20,000 रुपया लेकर क्या वह अपनी इन्डस्ट्री लगा सकता है ? आपके पास एक रास्ता है कि वह गांव में चाय की दुकान खोले

और उसके रास्ते वह इल-लीगल तरीके से शराब बेचे। एक सब्जी की दुकान चलाने के लिये 5 हजार रुपये बहुत हैं। आप 25,000 रुपया पढ़े-लिखे मैट्रिकुलेट को देते हैं। सरकारी अधिकारियों को इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से उसका लड़का डाक्टर या इन्जीनियर बनेगा और गांव के लड़के चपरासी ही बनेंगे। मैट्रीकुलेट की गाँव में भीड़ लगी हुई है।

आप फैक्ट बतायें कि क्या क्राइटीरिया है यह देखने का कि यह आदमी गरीबी की रेखा के नीचे है, इसको लोन देना चाहिये, यह निर्णय करने के बाद कितने अर्से में उसे लोन मिल जाता है ?

क्या 20,25 हजार में वह कोई इंडस्ट्री चला सकता है ? आपने 1985 तक कितने लाख लोगों को कितना रुपया एक-एक को कर्जा दिया और कुल कितना रुपया दिया ? क्या आपने उनसे गारन्टी नहीं ली है ?

उस कोटी में हमारे मेंबर्स क्यों नहीं हैं ? कितने आदमियों को आपने रिफ्यूज किया है यह भी बताइये ?

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : सभापति महोदय, श्री डागा ने पहले ही वे प्रश्न पूछ लिए हैं जो मैं पूछना चाहता था परन्तु मैं केवल एक या दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

जब योजना बनाई गई थी—मेरे पास भारतीय रिजर्व बैंक का बुलेटिन है—तो लक्ष्य 2.5 लाख तय किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस लक्ष्य को पूरा किया गया है अथवा नहीं और इस वर्ष का लक्ष्य क्या है ? यह एक विशिष्ट प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूं। और अपने जवाब में जो आंकड़े हमें दिये गए हैं उनसे पता चलता है कि 1983-84 में आंध्र प्रदेश के लिए डी० आई० सी० द्वारा सिफारिश किए गए 25401 प्रार्थनापत्रों में से 20000 का लक्ष्य था; और बैंक ने जिन प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति दी थी उनकी संख्या केवल 14781 थी। इसका अर्थ है कि 25000 में से केवल 14000 या इससे थोड़ा अधिक मामलों को आंध्र प्रदेश के मामले में स्वीकृत दी गई है। परन्तु अगर आप इन आंकड़ों पर गौर करें तो देखेंगे कि 29000 में से केवल 10,000 अथवा केवल एक थोड़े से भाग अथवा 10 या 20% को ही स्वीकृति दी गई है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार या मंत्री बैंक प्रबंधकों से यह पूछेगी कि उन्होंने लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं किया है, और मंत्री महोदय उन बैंक प्रबन्धकों पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

सभापति महोदय : श्री सत्यगोपाल मिश्र।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : इस समस्या के दो पहलू हैं। एक का संबंध स्वयं योजना से है तथा दूसरा लागू करने से है। योजना में स्वयं कुछ कमियां हैं। एक-एक करके मैं उनका उल्लेख करूंगा और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह देखें कि ये उन्हें स्वीकार्य हैं अथवा नहीं।

सर्वप्रथम, ब्याज की दर बहुत अधिक है। यह पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है और ब्याज की दर 10% हैं तथा अन्य दूसरे वर्गों के लिए यह दर 12% है। एक बेरोजगार के लिए आपकी ब्याज दर इससे कम होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कर्ज किन लोगों को दिया जायेगा ? उसकी आय सीमा क्या होगी ? योजना में इसका उल्लेख नहीं है और इस तरह से अमीर लोगों को अधिक सुविधाएं मिल रही हैं। आपको मालूम है कि अमीर लोगों का बड़े लोगों से संपर्क रहता है और इसलिए परिवार की आय

पर कोई सीमा न होने के कारण अमीर लोग फायदा उठा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इसकी कोई सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं।

मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि इस योजना के अन्तर्गत लाभ भोगी के नाम पर बैंक में राज-सहायता की राशि रखी जानी चाहिए। यह ठीक नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि सारी राशि लाभभोगी को एक साथ भुगतान की जानी चाहिए, ताकि वह व्यापार अथवा उद्योग शुरू कर सकें।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात बैंकों की भूमिका के बारे में है। बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया है कि बैंक ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि बैंकों की कुछ अपनी समस्याएं हैं। वर्ष 1982-83 में सरकार ने विद्यमान पदों के लिए भर्ती न करने के आदेश दिए थे। वह आदेश अब भी वहां लागू हैं। इसलिए बैंकों में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। परन्तु आपने कहा है कि चार सदस्य इसका निर्णय करेंगे जिनमें एक डी० आई० सी०, दूसरा लीड़ बैंक से और अन्य दो रिजर्व बैंक अथवा अन्य उद्योगों से लिये जाएंगे। अग्रणी बैंक की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि सारी समस्या यही है कि अग्रणी बैंक ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। मैं दो-तीन उदाहरण पेश कर सकता हूं। 1984-85 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,100 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; डी० आई० सी० 24,295 आवेदन पत्रों की बैंक से सिफारिश की थी तथा बैंक द्वारा 9,550 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए थे। महाराष्ट्र के लिए निर्धारित लक्ष्य 25,000 का था; डी० आई० सी० ने 22,335 आवेदन पत्रों की बैंक से सिफारिश की थी तथा बैंक द्वारा केवल 6,839 आवेदन पत्र ही संस्वीकृत किए गए थे। इसी प्रकार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्य 37,600 था, डी० आई० सी० ने बैंकों के लिए 4,842 आवेदन पत्रों की सिफारिश की थी तथा बैंक द्वारा मात्र 1,474 आवेदनों पत्र स्वीकृति किए गए थे। बैंकों की भूमिका को तो देखो। मामलों को स्वीकृत करके बैंकों को दे दिया जाता है परन्तु बैंक इसमें बहुत समय ले लेते हैं और सारे मामले में ही देरी कर देते हैं। ये आंकड़े स्वयं मंत्री महोदय ने दिए हैं। अतः अग्रणी बैंक की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। स्वयं योजना में कुछ दोष हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे अग्रणी बैंकों की भूमिका की जांच कराएंगे अथवा नहीं।

योजना के कार्यान्वियन में भी कुछ समस्याएं हैं। जब किसी योजना विशेष के लिए कुछ धन स्वीकृत किया जाता है तो उस धन को उसी योजना पर ही खर्च किया जाना चाहिए, अन्यथा वह धन बाजार में जाएगा और मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। इसलिए योजना का नियमन करने के लिए कोई सुदृढ़ तंत्र होना चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि हम कैसा तंत्र चाहते हैं। जांच करने के लिए मंत्री महोदय का यहां-वहां जाना एक साहसिक कदम हो सकता है परन्तु एक व्यक्ति के लिए अथवा कुछ व्यक्तियों के लिए देश के सभी भागों में जाना और सभी मामलों की तहकीकात करना सम्भव नहीं है। इसलिए कोई स्थानीय प्रणाली बनानी होगी। मेरे विचार से पंचायतों को यह काम सौंपा जाना चाहिए। परन्तु पंचायत प्रणाली भी बहुत अधिक दोषपूर्ण है। जहां हर तीन या चार वर्ष बाद पंचायत के चुनाव होते हैं केवल वहीं पंचायत गतिशील रहती हैं। ऐसे स्थानों पर पंचायतों को देखभाल का कार्य सौंपा जाना चाहिए परन्तु अन्य स्थानों पर जहां पंचायत प्रणाली इतनी प्रभावी नहीं है वहां विधायकों और सांसदों की समितियां बनानी चाहिए तथा इन समितियों के द्वारा सम्पूर्ण तन्त्र की देखभाल की जानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे मेरे सुझावों को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य श्री चिंतामणि जेना ने बैंक प्रबन्धकों के कामकाज के बारे में एक प्रश्न किया है। उन्होंने कहा है कि बैंकों का नियमन और दूसरी बातें सम्भव नहीं होंगी। अन्तिम वक्ता ने भी यह कहा है कि बैंकों में कम-स्टाफ है। मैं इस मुद्दे को बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा इसे समझ लिया जाना चाहिए। योजना का नियमन करना भी बैंक प्रबन्धकों का ही कर्तव्य है। उनका केवल यह काम नहीं कि बस पैसा दे दें और चुप चाप बैठे रहें। यह देखना भी उनका कर्तव्य है कि कर्ज की रकम का उचित प्रयोग किया जाए। आन्ध्र-प्रदेश में दो प्रबन्धक थे। मैं उनके नाम नहीं लेता। जब मैं वहां गया तो समूचा गांव, 25,000 से ज्यादा लोग नाच-कूद कर रहे थे, इस लिए नहीं कि वहां मन्त्री जी उपस्थित थे बल्कि वे प्रबन्धक के काम काज के कारण नाच-कूद कर रहे थे।

वह प्रबन्धक गांव वालों के पास जाया करता था, उनके काम-काज की देख भाल करता था तथा उनका मार्ग-दर्शन किया करता था। वह योजना का भी नियमन किया करता था। और यदि किसी एसे काम के लिए, जिससे बैंक की आमदनी बढ़ती हो, किसी चीज की आवश्यकता होती तो वह उसका भी प्रबन्ध किया करता था। उसकी इस मदद के परिणाम स्वरूप सौ प्रतिशत वसूली हुई थी। आज उनसे इसी प्रकार के काम की अपेक्षा की जाती है। बैंकों का स्टाफ सोचता है कि एक बार ऋण दे देने से उनका काम खत्म तथा वे उस ओर से आंख मूंद लेते हैं। मैं इस बात को कर्मचारियों से अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कर्ज की रकम की देख भाल करना तथा उसकी वसूली कराना उनका कर्तव्य है। मैंने अपने जिले में एक प्रबन्धक को कहा कि उसे योजना का नियमन करना पड़ेगा। उसने योजना का नियमन किया तथा अब रिकवरी लगभग 98 प्रतिशत है। बैंक कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे उन अशिक्षित लोगों की मदद करें जो इन बातों को समझ नहीं सकते। उनकी यह भावना होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बैंकों में स्टाफ कम हैं। मुझे खेद है कि ऐसा नहीं है। मैंने 2200 ब्रान्चों से अधिक का अकस्मात दौरा करके देखा है कि वहां के कर्मचारी कार्यालय समय में ताश खेल रहे थे। वे 11·00 सुबह कार्यालय आते तथा 2.30 दोपहर घर वापिस चले जाते थे। उस पर भी वे यह कहते हुए समयोपरि भत्ता मांगते हैं कि उन्होंने पहले दिन 8.00 म० पू० तक कार्य किया। वहां यह सब हो रहा था। यदि वे 10.00 म०पू० से 5.00 म० प० तक उचित रीति से काम करें तो स्टाफ पर्याप्त है। परन्तु जिस चीज की कमी है वह है समर्पण और नियम पालन की भावना, यदि यह हो तो फिर कोई कठिनाई नहीं।

माननीय सदस्य श्री डागा ने बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अन्य सदस्यों ने भी अच्छे और रचनात्मक सुझाव दिए हैं।

योजना के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि यह योजना 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है। स्पष्ट अनुदेश दे दिए गए हैं कि यह योजना धनाढ्य वर्ग के लिए नहीं है। पहचान करते समय उन्हें यह भी पता लगाना होता है कि क्या व्यक्ति इतना गरीब है कि वह अन्य स्रोतों से यथा पिता, माता, भाईयों अथवा बहनों से धन प्राप्त नहीं कर सकता। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका साधन जुटाने का कोई अन्य स्रोत न हो। ऐसे ही व्यक्ति को यह सहायता दी जा सकती है।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इसकी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। जब योजना की समीक्षा की जाएगी तब इस पर विचार किया जाएगा और इसकी तहतीकात की जाएगी।

एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या वहां सुरक्षा और प्रतिभूति का प्रबन्ध है तथा ब्याज किस दर से वसूल किया जाता है और क्या इसे कम किया जा सकेगा अथवा नहीं। माननीय सदस्य को पता है कि जब पांच वर्ष से अधिक के लिए कोई रकम जमा की जाती है तो बैंक 11 प्रतिशत ब्याज देते हैं। यदि बैंक कर्मचारियों के वेतन, फर्नीचर, फिक्चर तथा किराए आदि का हिसाब लगाया जाए तो यह लगभग 13-14 प्रतिशत आता है। ऐसी दशा में आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम इसे कम कर सकते हैं अथवा नहीं। इतने पर भी हमने व्यवस्था की है कि पिछड़ी जाति अथवा पिछड़े इलाकों के मामले में ब्याज की दर 10 प्रतिशत देनी चाहिए।

प्रतिभूति अथवा संपार्श्विक सुरक्षा की कोई मांग नहीं है। जो सुरक्षा मांगी जाती है वह मात्र सहमति है जो कर्ज की रकम में ही शामिल है तथा 25,000 रुपये है। यदि सहमति प्राप्त कर ली जाए तो मात्र वही प्रतिभूति/सुरक्षा है। परन्तु दुर्भाग्य से आप ठीक कहते हैं कि ऐसी कुछ शिकायतें मिली हैं कि प्रतिभूति मांगी जा रही है।

7.00 म.प.

मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि कोई एक मन्त्री अथवा कोई एक एजेंसी इसको कार्यान्वित नहीं कर सकती। जब लोग शिकायत करते हैं और मैं असंतुष्ट व्यक्ति के पास जाकर पूछता हूं कि क्या उससे प्रतिभूति देने के लिए कहा गया तब वह कहेगा कि "हां प्रति भूति मांगी गई तथा प्रति भूति के लिए हमें धनवान व्यक्ति के पास जाना पड़ा।" असंतुष्ट व्यक्ति ने इस प्रकार की शिकायत की। मंत्री इसमें क्या करे? उसे वापिस चले आना चाहिए तथा अनुदेश देने चाहिएं। हमें बताना होगा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। तथा उसे मात्र एक प्रयोग, सार्वजनिक प्रयोग समझा जाता है। मंत्री जी एक सार्वजनिक प्रयोग कर रहे होते हैं। इसे इसी प्रकार सामने लाया गया है। हमें इस को देखना होगा तथा जब कभी भी आप कोई विशेष शिकायत हमारे ध्यान में लाते हैं तो हम यही कहते है कि 'हम कार्यवाही करेंगे'। परन्तु हम बाहर दौरे पर जाते हैं, उदाहरण के लिए कोई गरीब आदमी अथवा कोई आदमी आकर कहता है कि मुझे यह शिकायत है तो मंत्री यह नहीं कह सकता कि वह कार्यवाही नहीं करेगा। परन्तु जब मन्त्री कहता है कि हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं और जब यह कहा जाए कि मन्त्री जी कार्यवाही कर रहे हैं तो यही प्रतिक्रिया होती है कि क्या हुआ यह मात्र एक सार्वजनिक प्रयोग है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं परन्तु यह वास्तविकता है। इसके लिए हमें देखना होगा। कि तंत्र में क्या दोष हैं?

अब मैं इस बात पर आता हूं कि कितने लोगों को सहायता दी गई। मैं क्रम से बताऊंगा। इनकी संख्या 2,42,000 है। लक्ष्य है ढाई लाख व्यक्ति। इस योजना के अधीन हमें ढाई लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता देनी है। वर्ष 1983-84 में हम 2,42,000 से अधिक लोगों को यह सहायता दे चुके हैं। इसलिए 401 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आप पूछ सकते है कि कितनी राशि दी चुकी है। यह राशि 268.44 लाख रुपये है। उसे कम कैसे किया गया? जब आप कोई योजना लेकर बैंक के पास जाते हैं—मान लो कोई व्यक्ति एक छोटा उद्योग अथवा कोई तकनीकी

कार्यशाला अथवा ऐसा ही कोई काम प्रारम्भ करना चाहता है। पहले उसको जमीन लेनी पड़ेगी उसके बाद उसे उस पर शेड का निर्माण करना होगा उसके बाद वह मशीन लाएगा। इस सब के लिए समय चाहिए। इसलिए जब वह जमीन खरीदता है, उसे कुछ रकम दे दी जाती है, शेड का निर्माण करने के लिए फिर कुछ रकम और दी जाती है तथा मशीन खरीदन के लिए कुछ रकम दी जाती है। इस प्रकार से रकम का भुगतान किया जाता है आपका कहना ठीक है कि देरी होती है। जब बैंक को कोई आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो या तो बैंक को उसे स्वीकार करना पड़ता है अथवा उसे 14 दिन के अन्दर कुछ करना होता है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया जाता है। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं परन्तु सभी मामलों में ऐसा नहीं होता है। इसको कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है तथा इसके लिए हमें मार्ग निर्देशन करना पड़ेगा तथा हमे योजना का नियमन करना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों को तथा रिजर्व बैंक को भी योजना का नियमन करना चाहिए। कल जब आप प्रतिभूति के लिए कहेंगे तब उस पर भी कार्यवाही करनी पड़ेगी। लोगों का इस प्रकार से शोषण नहीं किया जा सकता। इन मामलों में भी देरी कम की जानी चाहिए। साथ ही उन पर जिम्मेवारी का काम भी है। इसका यह अर्थ नहीं कि जब (टास्क फोर्स) कार्यदल आवेदन पत्र की सिफारिश कर दे उसके तत्काल बाद वे उसे स्वीकृत कर दे। बैंक के कर्मचारियों को भी मामले को देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर (कायदल टास्क फार्स) ने किसी बस्ती में अस्पताल खोलने के लिए दिए गए 10 प्रार्थना पत्र अग्रेषित किए। एक बस्ती में अचानक 10 हस्पताल नहीं खेले जा सकते। अत: इन मामलों में बैंक का प्रबन्धक उनका मूल्यांकन करता है तथा वही कह सकेगा कि 'नहीं' यह व्यवहार्य नहीं।" वह किसी विशेष आवेदन पत्र को वापिस कर सकता हैं। इस तरह का मूल्यांकन, जांच और प्रक्रिया गत कार्य प्रबन्धक को करना चाहिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : इसे कार्य दल के स्तर पर भी किया जा सकता है। फिर दोहरा काम क्यों ?

श्री जनार्दन पुजारी : यदि टास्क फोर्स के स्तर पर यह कार्य नहीं किया जाता तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रबन्धक भी ऐसा नहीं करे। माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि यदि कार्य दल सभी कारणों पर विचार करने के उपरान्त आवेदन पत्रों का उचित रीति से सम्पादन करें तथा कर्ज मंजूर करने की सिफारिश करें तो कभी कोई कठिनाई नहीं होगी परन्तु कुछ मामलों में हमें कुछ छूट देनी पड़ती हैं। इसलिए बैंक प्रबन्धकों को देखना होता है कि परियोजना व्यवहार्य है अथवा नहीं, क्या वहां अधिक उद्योग लगाए जा सकते हैं अथवा उनमें अधिक धन लगाया जा सकता है। क्योंकि अन्ततोगत्वा वसूली के लिए बैंक प्रबन्धक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अत: यह देखना उसका कर्तव्य है कि क्या रकम वसूल की जा सकती है, तथा योजना व्यवहार्य होगी अथवा नहीं। ये सभी बातें सजक उद्देश्यों के अधीन आती हैं।

एक माननीय सदस्य ने आंकड़ो के बारे में कहा है। मुझे नहीं मालूम, शायद श्री डागा ने लोक लेखा समिति की वर्ष 1981-82 की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। परन्तु मैं यही समझता हूं कि उन्होंने लोक लेखा समिति की 1981-82 की रिपोर्ट का उल्लेख किया था। परन्तु उस समय इस योजना को वह रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी क्योंकि इस योजना की घोषणा स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 1983 को राष्ट्र को सम्बोधित करते समय की थी, यह योजना सितम्बर, 1983 को लागू की गई थी।

प्रारम्भ में यह योजना मात्र छ: महिने के लिए बनी थी बाद में इसे और छ: महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। जब निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो इसे एक वर्ष से अधिक के लिए बढ़ा दिया गया। क्योंकि इसे सितम्बर, 1983 में प्रारम्भ किया गया था अत: चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। अत: पहले इसे छ: महीने के लिए बढ़ाया गया था।

वर्ष 1984-85 में और ढाई लाख लोगों के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अगर अधिक धन की जरूरत हुई तो उसका भी इन्तजाम किया जायेगा। जहाँ तक बैंकों का संबंध है, इनमें धन का अभाव नहीं है। माननीय सदस्य श्री मिश्रा जीने कहा............

श्री सत्यगोपाल मिश्र : जहाँ जहाँ पर भी पंचायत कार्य कर रही है वहाँ वहाँ आप इसके निगरानी कार्य को पंचायत को क्यों नहीं सौंप देते। जहाँ पर पंचायतें नहीं है, उन स्थानों पर वहाँ के विधायकों अथवा संसद सदस्यों को यह कार्य सौंप देना चाहिये।

श्री जनार्दन पुजारी : कार्य दल वहाँ पर है। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब हाल ही में मैं प्रश्नकाल के दौरान मिला सलाहकार समितयों के बारे में जवाब दे रहा था। प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात उद्योग मत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दे दिये हैं कि इस योजना की कार्य-प्रणाली तथा कार्य-कलापों की देख रेख का कार्य जिला सलाहकार समितियों को सौंप देना चाहिये। माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया है जो कि प्रसादजी ने भी उठाया है कि जब भ्रष्टाचार की स्थिति होगी तो समिति के क्या अधिकार होंगे। इस सलाहकार समिति को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है और किसी-किसी स्थान पर उपायुक्त द्वारा। इस कार्यक्रम अथवा योजना की क्रियान्विति से पहले ही इन जिला सलाहकार समितियों को निर्देश दिये जा चुके हैं। ये समितियां तथा निर्देश सन् 1978 से विद्यमान हैं। इस योजना को लागू करते वक्त उद्योग, मंत्रालय का कहना था कि इस योजना के कार्यों का निरीक्षण तथा देख-रेख का कार्य जिला सलाहकार समितियों को सौंप दिया गया है। ये निर्देश भी 1978 में दिये गये थे। इसके पश्चात भी निर्देश दिये गये थे। मैं इसे पढूंगा। इस समिति में संसद सदस्य, विधायक अथवा पदाधिकारी हो सकते है।

माननीय सदस्य ने पिछली बार यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुछ राज्यों में इन जिला सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया है। 20 अगस्त 1983 को उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा कि जिला सलाहकार समितियां योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने तथा उसकी देख-रेख से संबद्ध होनी चाहिए।

मैं आपको ताजा स्थिति बताऊंगा। 3.9.84 को तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री एन० डी० तिवारी ने मुख्य मंत्री को लिखा था कि जहाँ तक योजना के निरीक्षण एवं देख-रेख का संबंध है इसे जिला सलाहकार समितियों को सौंपा जाना चाहिये तथा जिला सलाहकार समिति की बैठक महीने में एक बार होनी चाहिये। 5.9.84 को उद्योग मंत्रालय, अतिरिक्त सचिव तथा विकास आयुक्त ने इस बारे में मुख्य सचिवों को लिखा। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि अधिकतर राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया है। मैं कह सकता हूं कि किसी भी राज्य ने इसकी क्रियान्विती नहीं की है। हमें राज्यों से टेलेक्स समाचार मिल रहे हैं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कहा है। मैं किसी भी राज्य पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। कर्नाटक में जिला सलाहकार समितियां तो हैं परन्तु संसद सदस्य अथवा विधायक इनमें सम्मिलित नहीं

हैं। आन्ध्रप्रदेश में भी जिला सलाहकार समितियां हैं परन्तु संसद सदस्य अथवा विधायक सम्मिलित नहीं किये गये हैं। हरियाणा में विधायकों को शामिल किया गया है परन्तु संसद सदस्यों को नहीं। पंजाब में संसद सदस्य हैं ही नहीं। तमिलनाडु से टैलेक्स समाचार प्राप्त हुआ है कि संसद सदस्यों तथा विधायकों को मनोनीत करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

जैसा कि आप जानते हैं जिला सलाहकार समितियों के गठन का कार्य राज्य सरकार का है। हमें भी इसके विरुद्ध में बोलना होगा। पिछली बार माननीय सदस्य ने कुछ कहा था। साथ ही आपको बाहर भी इसके विरुद्ध कुछ कहना होगा। जब आप यहां से अपने राज्य में जाते हैं तो आप अपने राज्य सरकारों को संसद सदस्यों तथा विधायकों वाली जिला सलाहकर समितियों का गठन करने के लिये कह सकते हैं इससे योजना का ठीक से क्रियान्वयन होगा। मैं नहीं कहता कि यह व्यावहारिक नहीं है। इसके विपरीत, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा जिला सलाहकर समितियां बहुत ही सक्षम साबित होंगी। माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर इसकी पुनरीक्षा करते समय विचार किया जायेगा।

श्री सत्यगोपल मिश्र : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि योजना की देख-रेख का कार्य बैंक मैनेजर के सुपुर्द होना चाहिये और बैंक मैनेजर योजना की स्वीकृति के विरुद्ध कुछ कहने का अधिकारी होगा। जहाँ तक मैं समझता हूं, कार्य दल इस योजना को राज्य स्तर पर देखता है। परन्तु बैंक जिलों में हर जगह होते हैं। किसी बैंक का बैंक मैनेजर कार्य-दल के विरुद्ध कैसे बोल सकत है और योजना की निगरानी कर सकता है? यह कैसे मुनकिन है?

श्री जनार्दन पुजारी : कार्य दल जिले के मुख्य बैंक मैनेजर तथा दो अन्य बैंक मैनेजरों से मिलकर बनता है। ऐसा करना मुस्किल कार्य नहीं होगा। अगर इस योजना को कार्यान्वित करने की उनकी इच्छा शक्ति है तो यह कार्य बिल्कुल मुस्किल नहीं है। और कोई कठिन समस्या नहीं है। इसे कार्यान्वित करने के लिये इच्छा शक्ति होनी चाहिये। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। इसी लिये प्रारम्भ में मैंने कहा था की इसे करने के लिये समर्पण की भावना चाहिये।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवर 29 अप्रैल 1985, के 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

9.15 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 29 अप्रैल, 1985/9 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : एस० नारायण एंड संस पहाड़ी धीरज, दिल्ली